CHAHAL ACADEMY

मासिक पत्रिका

जून 2025

समसामयिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी के लिए








विशेष आकर्षण

जून

मासिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न

THE HINDU

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

इसमें शामिल है:

- समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन
- समाचार में प्रमुख व्यक्तित्वों का निधन
- जून माह में महत्वपूर्ण दिवस
- समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली
- समाचारों में चर्चित पुरस्कार

महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के आलेख

- योजना 105
- कुरुक्षेत्र 109
- डाउन टू अर्थ 115
- इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली 118
- फ्रंटलाइन 99

**प्रारंभिक परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित बहुवैकल्पिक अभ्यास प्रश्न*

- गिग इकॉनमी
- राम प्रसाद बिस्मिल
- एक्सिओम-4 मिशन
- मातृत्व अवकाश और अधिकार
- असम में नवपाषाणकालीन खोजें
- एक लचीले सहकारी क्षेत्र का निर्माण
- वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025
- मधुबनी चित्रकला और गोंड चित्रकला
- विश्व जनसंख्या स्थिति (SOWP) रिपोर्ट
- SPArc थेरेपी
- अभ्यास ख़ान क्वेस्ट
- इज़राइल-ईरान संघर्ष
- भारत-जर्मनी साझेदारी
- भारत पूर्वानुमान प्रणाली
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG)
- जीन-संपादित फसलों का विनियमन
- लद्दाख के लिए नए नियम और विनियम
- अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए)

अनुक्रमणिका

राज्यव्यवस्था एवं शासन 1

भारत की पहली डिजिटल जनगणना 1
मतदाता उदासीनता का समाधान 2
कर्नाटक सरकार द्वारा अभद्र भाषा के खिलाफ सख्त कानून पर विचार विमर्श 3
लद्दाख के लिए नए नियम और विनियम 5
नार्को-विश्लेषण परीक्षण 6
न्यायालय की अवमानना बनाम विधायी शक्ति 7
निवारक निरोध 8
न्यायिक सेवा नियम 9
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सुधार 10
भारत में सिविल सेवा सुधार 12

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 14

इज़राइल-ईरान संघर्ष 14
रूस-भारत-चीन (आर आई सी) ट्रोइका 15
भारत-मध्य एशिया संबंध 16
भारत-जापान समुद्री सहयोग में प्रगाढ़ता 17
भारत-कनाडा संबंध 18
भारत-जर्मनी साझेदारी 20
भारत-साइप्रस द्विपक्षीय संबंध 21
भारत-किर्गिज़ गणराज्य द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) 22
संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद 23
भारत और G7 24
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) 25

अर्थव्यवस्था एवं कृषि 27

भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना 27
बीमा क्षेत्र 28
परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति (सड़क क्षेत्र) 29
सूक्ष्म वित्त क्षेत्र 31
भारत में विदेशी निवेश 32
भारतीय विमानन क्षेत्र 33
प्रमुख आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष में संशोधन 35
RBI मौद्रिक नीति अद्यतन 36
गिग इकॉनमी 37
नए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम 38
एग्री स्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन 39
चिनाब और अंजी ब्रिज 41
ध्रुव (DHRUVA) 41

पर्यावरण एवं भूगोल 43

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) 43
गुजरात में एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना 44
मगरमच्छ संरक्षण के 50 वर्ष 44
दो नए रामसर स्थल 45
तेल रिसाव 46
महासागरीय अम्लीकरण 47
समतापमंडलीय एरोसोल इंजेक्शन और ग्लोबल वार्मिंग 49
भारत में शहरी वन 50
ग्लेशियर संरक्षण और जलवायु लचीलापन 51
भारत पूर्वानुमान प्रणाली 52
भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत 52
मैडेन-जूलियन दोलन 53
शहरी बाढ़ 54
पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ 55
आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 57

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी 58

मेंडल का वंशानुक्रम नियम 58
SPArc थेरेपी 59
अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस 60
भारत की पहली जीन-संपादित भेड़ 61
एक्सिओम-4 मिशन 62
मूलभूत भौतिकी में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 63
कार्लज़ूए ट्रिटियम न्यूट्रिनो प्रयोग और न्यूट्रिनो द्रव्यमान 64
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) 64
दुनिया का पहला संलयन-विखंडन हाइब्रिड रिएक्टर 65
भारतजेन 66
क्वांटम कुंजी वितरण 67

रक्षा एवं सुरक्षा 69

पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद 69
सशस्त्र बलों में महिलाएँ 70
एकीकृत थिएटर कमांड (आईटीसी) 70
रुद्रास्त्र यूएवी 72
एएमसीए लड़ाकू विमान 72
अभ्यास ख़ान क्वेस्ट 73

सामाजिक मुद्दे 75

डार्क पैटर्न 75
भारत को एक समावेशी पेंशन प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता 76
भारत में सामाजिक सुरक्षा में उछाल 77
मातृत्व अवकाश और अधिकार 78
गोवा और मिज़ोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की 79
भारत में दुर्लभ रोग और अनिवार्य लाइसेंसिंग की भूमिका 80

इतिहास एवं संस्कृति 81

असम में नवपाषाणकालीन खोजें 81
कच्छ के प्राचीन शैल इतिहास 82
मधुबनी चित्रकला और गोंड चित्रकला 82
तेरहवीं शताब्दी का पांड्यकालीन शिव मंदिर 83
करणी माता मंदिर 84
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (एसआईएस) 85

सरकारी योजनायें 86

हरित भारत मिशन 86
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) 87
संशोधित ब्याज सहायता योजना 88
भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना 89
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG) 89
फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और फोटो संग्रह 90

महत्वपूर्ण रिपोर्ट 91

कार्बन मूल्य निर्धारण की स्थिति और रुझान 2025 91
विश्व जनसंख्या स्थिति (SOWP) रिपोर्ट 91
वैश्विक रुझान रिपोर्ट 92
वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 93
SIPRI रिपोर्ट 2025 94
प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) 2.0 94
आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 96
वैश्विक सूखा परिदृश्य 97

समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व 98

आज की दुनिया में महात्मा गांधी का दर्शन 98
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका 99
दीनदयाल उपाध्याय 100
संत कबीर दास 101
राम प्रसाद बिस्मिल 102
लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर 103
बिरसा मुंडा 104

'योजना' से महत्वपूर्ण आलेख (जून 2025) 105

ऑपरेशन सिंदूर - भारत की रणनीतिक स्पष्टता और सुनियोजित शक्ति 105
आत्मनिर्भरता का उदय राष्ट्रीय सुरक्षा में नवाचार 107

'कुरुक्षेत्र' से महत्वपूर्ण आलेख (जून 2025) 109

सहकारिता और खाद्य सुरक्षा - भारत के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव 109
एक लचीले सहकारी क्षेत्र का निर्माण 112

'डाउन टू अर्थ' से महत्वपूर्ण आलेख (जून 2025) 115

जीन-संपादित फसलों का विनियमन 115
भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र 116

'इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली' से महत्वपूर्ण आलेख (जून 2025) 118

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक कमज़ोर संवैधानिक गारंटी 118
भरपूर फसल उत्पादन 119

त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन) 120

समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 120
जून माह के महत्वपूर्ण दिवस 120
समाचार में महत्वपूर्ण शब्दावली 121
समाचारों में प्रमुख व्यक्तियों का निधन 121
समाचारों में चर्चित पुरुस्कार 122

जून 2025 'द हिंदू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न 123

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न 123
उत्तर कुंजी 136
दैनिक उत्तर-लेखन अभ्यास प्रश्न 137

इकाई 1

राजव्यवस्था एवं शासन

भारत की पहली डिजिटल जनगणना

चर्चा में क्यों: **भारत सरकार** ने देश की **16वीं जनगणना** की समय-सीमा की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह **दो चरणों** में आयोजित की जाएगी, जिनकी संदर्भ तिथियाँ इस प्रकार हैं:

- **1 अक्टूबर, 2026: जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड** जैसे **बर्फीले और दूरदराज** के क्षेत्रों के लिए।
- **1 मार्च, 2027: देश के बाकी हिस्सों के लिए।**

नोट: यह **भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना** होगी, जो जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक आँकड़े एकत्र करने के तरीके में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है।

जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत की जनगणना, जो प्रत्येक दस वर्ष में होती है, विश्व की **सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया** है। यह शासन, नीति और विकास में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभाती है। इसके कारण इस प्रकार हैं:

- **चुनावी सीमांकन**: संविधान के **अनुच्छेद 82, 330 और 332** के आधार पर, जनगणना के आंकड़ों का उपयोग **चुनावी सीमाओं को फिर से निर्धारित करने** और **अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी)** के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए किया जाता है।
- **संसाधन आवंटन**: यह राज्यों और जिलों को **धन, सब्सिडी और राशन कोटा के वितरण** का मार्गदर्शन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन सही आबादी तक पहुँचें।
- **योजना एवं विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास** जैसे मंत्रालय **स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे** का पता लगाने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हैं।
- **समाज को समझना:** यह **प्रवासन पैटर्न, शहरीकरण, रोज़गार के रुझान, पारिवारिक संरचना और जीवन स्थितियों** के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे शोधकर्ताओं, न्यायालयों और नीति निर्माताओं को मदद मिलती है।

जनगणना कैसे की जाती है?

जनगणना **दो प्रमुख चरणों** में होती है:

1. आवास सूचीकरण और आवास जनगणना

इस चरण में, गणनाकर्ता प्रत्येक घर का दौरा करके निम्नलिखित के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं:

- भवन का प्रकार और सामग्री
- कमरों और निवासियों की संख्या
- पानी, बिजली और खाना पकाने के ईंधन का स्रोत
- टीवी, फ़ोन, वाहन आदि का स्वामित्व।

2. जनसंख्या गणना

इस चरण में **व्यक्तिगत स्तर का डेटा** एकत्र किया जाता है, जिसमें शामिल हैं:

- नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति
- शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, जाति/जनजाति
- विकलांगता की स्थिति और प्रवास का इतिहास

पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इस चरण के दौरान **बेघर व्यक्तियों** की भी गणना की जाती है।

2027 की जनगणना में क्या नया है?

आगामी जनगणना में सटीकता, समावेशिता और दक्षता में सुधार के लिए **प्रमुख तकनीकी नवाचार और नीतिगत बदलाव** शामिल हैं।

1. पहली डिजिटल जनगणना

पहली बार, पूरी **जनगणना डिजिटल** रूप से निम्नलिखित का **उपयोग करके की जाएगी:**

- डेटा प्रविष्टि के लिए **मोबाइल ऐप**
- नागरिकों द्वारा **ऑनलाइन स्व-गणना**
- एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से **लगभग वास्तविक समय की निगरानी**

2. स्व-गणना विकल्प

परिवार किसी **सरकारी पोर्टल या मोबाइल ऐप** पर लॉग इन करके, **अपना डेटा भरकर** और गणनाकर्ता के साथ साझा करने के लिए एक **विशिष्ट कोड** जनरेट करके स्व-गणना का विकल्प चुन सकते हैं।

3. गणनाकर्ताओं के लिए डिजिटल उपकरण

गणनाकर्ताओं के पास जनगणना ऐप के साथ पहले से लोड किए गए **स्मार्टफ़ोन या हैंडहेल्ड डिवाइस होंगे।** उन्हें डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए **अधिक पारिश्रमिक मिलेगा,** जिससे व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।

4. जीपीएस और जियो-फेंसिंग

- प्रत्येक परिवार की **जीपीएस टैगिंग सटीक स्थान डेटा** सुनिश्चित करती है।
- **जियो-फेंसिंग** तकनीक कवरेज अंतराल को रोकेगी।
- 2011 में इस्तेमाल किए गए पारंपरिक **भौतिक मानचित्रों** की जगह लेता है।

5. मोबाइल ट्रैकिंग और सत्यापन

गणनाकर्ताओं को निम्नलिखित स्थितियों में रीयल-टाइम अलर्ट प्राप्त होंगे:

- गलत आयु प्रविष्टियाँ
- असामान्य घरेलू आकार
- अनुपलब्ध उत्तर

इससे **त्रुटियाँ कम होती हैं और डेटा की गुणवत्ता में सुधार** होता है।

6. डिजिटल कोडिंग प्रणाली

वर्तनी की त्रुटियों और मैन्युअल प्रविष्टि से होने वाली देरी से बचने के लिए, जनगणना में **मानकीकृत डिजिटल कोड (कोड निर्देशिका)** का उपयोग किया जाएगा:

- भाषाएँ
- व्यवसाय
- जाति/जनजाति के नाम
- जन्म स्थान

इससे **मानवीय पूर्वाग्रह** कम होंगे और **प्रक्रिया में तेज़ी** आएगी।

कौन से नए प्रश्न पूछे जाएँगे?

आधुनिक नीति-निर्माण के लिए आँकड़ों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कई **नए और प्रासंगिक प्रश्न** जोड़े गए हैं।

आवास-सूचीकरण चरण में:

- क्या आपके पास **इंटरनेट कनेक्शन** है?
- क्या आपके पास **मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन** है?
- क्या आपके घर में **पीने के पानी का कोई स्रोत** है?
- आप किस प्रकार के **गैस कनेक्शन** का उपयोग करते हैं (एलपीजी या पाइप्ड गैस)?
- क्या आपके पास कोई **वाहन** है (दोपहिया, कार या व्यावसायिक)?
- भविष्य में जनगणना संबंधी जानकारी के लिए अपना **मोबाइल नंबर** प्रदान करें।
- आपका परिवार **किस प्रकार के अनाज** का उपभोग करता है?

जनसंख्या गणना चरण में:

- **जाति गणना**: 1931 के बाद पहली बार, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ही नहीं, बल्कि **सभी समुदायों की व्यापक जाति गणना** होगी।
- **प्रवासन कारण: जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदाओं** जैसे नए विकल्प शामिल किए जाएँगे।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग**: व्यक्ति **इंटरनेट या स्मार्टफ़ोन** का उपयोग करते हैं या नहीं।
- **लिंग पहचान**: फ़ॉर्म में **ट्रांसजेंडर पहचान के लिए एक स्पष्ट विकल्प** शामिल होगा, जिससे यह **अधिक समावेशी** हो जाएगा।

निष्कर्ष

2027 की जनगणना, डेटा संग्रह के आधुनिकीकरण की दिशा में भारत के लिए **एक बड़ा कदम** है। डिजिटल तकनीक, रीयल-टाइम निगरानी और जाति व इंटरनेट पहुँच जैसे महत्वपूर्ण नए संकेतकों के समावेश के साथ, यह भारतीय समाज के बारे में **अधिक समृद्ध, अधिक सटीक और अधिक व्यावहारिक जानकारी** प्रदान करेगी।

यह व्यापक और तकनीक-संचालित जनगणना न केवल **नीति-निर्माण को सशक्त** करेगी, बल्कि **कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित क्रियान्वयन** में भी सुधार लाएगी, जिससे शासन **अधिक उत्तरदायी और समतापूर्ण बनेगा।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 2027 की जनगणना के लिए आँकड़ा संग्रहण में महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा कीजिए। 2027 की डिजिटल जनगणना आँकड़ों की सटीकता और दक्षता में कैसे सुधार लाएगी? [250 शब्द] [15 अंक]

मतदाता उदासीनता का समाधान

चर्चा में क्यों: केरल अपने अगले बड़े **विधानसभा चुनावों** की तैयारी में जुटा है, ऐसे में राज्य के चुनाव अधिकारी एक अहम चिंता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं—**युवा मतदाताओं की कम भागीदारी**। एक शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक समाज होने के बावजूद, केरल में **18 से 30 वर्ष की आयु के लोगों में मतदाता उदासीनता देखी जा रही है।**

युवा मतदाता भागीदारी एवं चुनावी जागरूकता सर्वेक्षण

युवा मतदाता भागीदारी एवं चुनावी जागरूकता सर्वेक्षण नामक एक विशेष पहल वर्तमान में पूरे राज्य में आयोजित की जा रही है। **मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ)** के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने में युवाओं की झिझक या **अनिच्छा के कारणों** की पहचान करना है।

प्रारंभिक निष्कर्ष (उदासीनता और जागरूकता की कमी)

सर्वेक्षण से प्राप्त **प्रारंभिक प्रतिक्रियाएँ** दो प्रमुख मुद्दों की ओर इशारा करती हैं:

- चुनावों में **रुचि की कमी।**
- मतदान प्रक्रिया के बारे में **जागरूकता का अभाव।**

ये निष्कर्ष **बेहतर नागरिक शिक्षा** और अधिक आकर्षक आउटरीच रणनीतियों की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं।

युवा सुझाव

दिलचस्प बात यह है कि युवा प्रतिभागियों ने भी **रचनात्मक प्रतिक्रिया** दी है। वे चाहते हैं:

- **मतदान के बारे में अधिक संवादात्मक** सत्र और चर्चाएँ।
- **कॉलेज परिसरों** में चुनाव संबंधी गतिविधियों की अधिक उपस्थिति।
- युवाओं से जुड़ने के लिए **सोशल मीडिया अभियान।**

ये सुझाव अब चुनाव आयोग के दृष्टिकोण को आकार दे रहे हैं।

परिसरों में चुनावी साक्षरता को सशक्त करना

इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, सीईओ ने घोषणा की कि निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- जिन कॉलेजों में अभी तक **चुनावी साक्षरता क्लब (ईएलसी)** नहीं हैं, वहाँ नए चुनावी साक्षरता क्लब (ईएलसी) स्थापित करना।
- छात्रों के बीच जागरूकता और लोकतांत्रिक सहभागिता के जीवंत केंद्र बनाने के लिए मौजूदा **ईएलसी को सशक्त करना।**
  - ➢ ये क्लब एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करते हैं जहाँ छात्र मतदाता के रूप में **अपने अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बारे में जान सकते हैं**, और यह भी कि उनकी भागीदारी लोकतंत्र के भविष्य को कैसे आकार देती है।

मतदाता मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के कार्यक्रम

व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (SVEEP) कार्यक्रम

- **प्रारंभ**: 2009
- **उद्देश्य**: पूरे भारत में **मतदाता शिक्षा, जागरूकता और चुनावी भागीदारी** को बढ़ावा देना।
- यह **मतदाता साक्षरता बढ़ाने** और चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की सूचित और नैतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का **प्रमुख कार्यक्रम** है।

- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - प्रत्येक राज्य या क्षेत्र के **सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय संदर्भ के अनुरूप सामान्य और लक्षित हस्तक्षेपों** का उपयोग करता है।
  - **चुनावी भागीदारी के रुझानों**, पिछले चुनावों में आई चुनौतियों और सीखे गए सबक के आधार पर रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं।
  - **मल्टीमीडिया अभियान**, स्कूल और कॉलेज आउटरीच, सामुदायिक लामबंदी और सरकार एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी का उपयोग करता है।

मतदाता हेल्पलाइन ऐप

- **लॉन्च:** 2019
- **उद्देश्य:** सभी मतदाता सेवाओं और सूचनाओं के लिए एक **एकल-बिंदु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म** प्रदान करना।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **मतदाता पंजीकरण**, विवरण में सुधार और **डिजिटल मतदाता पहचान पत्र (ई-ईपीआईसी)** डाउनलोड करना।
  - **मतदाता सूची में नाम खोजना** और मतदान केंद्र का विवरण देखना।
  - **चुनाव संबंधी जानकारी**, जैसे उम्मीदवारों के हलफनामे, मतदान कार्यक्रम और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, तक पहुँच।
  - चुनाव से संबंधित **शिकायतें दर्ज करने** और उनकी स्थिति की निगरानी करने की सुविधा।
  - मतदाता मतदान और **मतदान के रुझानों** पर रीयल-टाइम अपडेट।

मतदान कार्यान्वयन योजना (टीआईपी)

- 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक **लक्षित मतदाता संपर्क रणनीति**, जिसका लक्ष्य **70% मतदान** को पार करना है, जो 66.4% (2014) और 67.6% (2019) के पिछले रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएगा।
- **चार प्रमुख स्तंभ:**
  - **मतदाता पंजीकरण** - मतदाता सूची में कठोर संशोधन और आंतरिक प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान को सक्षम बनाना।
  - **मतदाता जागरूकता** - पंजीकरण, मतदान प्रक्रिया, शिकायत निवारण आदि को कवर करने वाले बहु-चैनल शिक्षा अभियान।
  - **मतदाता सुविधा** - सुलभ आईसीटी प्लेटफ़ॉर्म (ऑनलाइन फ़ॉर्म, मतदान केंद्र लोकेटर, हेल्पलाइन)।
  - **मतदाता प्रतिक्रिया** - मतदाताओं, अधिकारियों, नागरिक समाज और मीडिया से जानकारी एकत्र करना।
- **फोकस क्षेत्र:**
  - कम या मध्यम मतदान वाले **10 बड़े राज्यों** और लगभग **250 निर्वाचन क्षेत्रों** में तैनात।
  - **बूथ स्तर पर रूपरेखा तैयार करना:** जिला निर्वाचन अधिकारी और ब्लॉक लोक सेवक कम मतदान के कारणों का पता लगाते हैं और स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप करते हैं।
  - उदासीनता को कम करने के लिए केंद्रित संदेश के माध्यम से **युवाओं और शहरी मतदाताओं को शामिल करना।**

समावेशी नामांकन अभियान

यह पहल **समावेशी चुनावी भागीदारी** सुनिश्चित करने के लिए एक **बड़े राज्यव्यापी अभियान** का हिस्सा है, विशेष रूप से **हाशिए पर पड़े वर्गों** के बीच। पाँच प्रमुख श्रेणियों में **100% मतदाता नामांकन** सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है:

- विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG)
- अनुसूचित जाति (SC) समुदाय
- विकलांग व्यक्ति (PwD)
- 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
- ट्रांसजेंडर मतदाता

निष्कर्ष

युवा मतदाताओं से जुड़ने के लिए केरल के सक्रिय प्रयास एक समयोचित और सराहनीय कदम हैं। एक मजबूत लोकतंत्र न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर, बल्कि **सक्रिय और जागरूक नागरिक भागीदारी** पर भी फलता-फूलता है, खासकर युवाओं की, जो **राष्ट्र के भविष्य** का प्रतिनिधित्व करते हैं।

युवाओं की आवाज़ सुनकर, उनकी चिंताओं को समझकर और कॉलेजों तथा सोशल मीडिया जैसे **नवीन माध्यमों का उपयोग** करके, चुनाव आयोग चुनावों को अधिक समावेशी, **जीवंत और युवा-संचालित** बनाने की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: युवाओं में कम मतदान भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीवंतता के लिए एक गंभीर चुनौती है। केरल में हाल ही में किए गए मतदाता भागीदारी सर्वेक्षण पहल के आलोक में, चुनावों के प्रति युवाओं की उदासीनता के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उनकी चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक उपाय सुझाइए। **[250 शब्द | 15 अंक]**

कर्नाटक सरकार द्वारा अभद्र भाषा के खिलाफ सख्त कानून पर विचार विमर्श

चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार **अभद्र भाषा और उससे जुड़े अपराधों, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाए जाने वाले अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाने की संभावना तलाश रही है।** हाल ही में दक्षिण कन्नड़ जिले के दौरे के दौरान, **एक वरिष्ठ मंत्री ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक अधिक प्रभावी कानून की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।**

पृष्ठभूमि

- यह टिप्पणी हाल ही में बंतवाल तालुका में हुई एक हिंसक घटना के बाद आई है, **जहाँ एक धार्मिक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई और एक अन्य व्यक्ति पर हमला किया गया।** इस क्रूर हमले ने क्षेत्र में **सांप्रदायिक तनाव और घृणा से प्रेरित हिंसा** को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले के सिलसिले में पाँच लोगों को गिरफ्तार किया। **ये गिरफ्तारियाँ स्थिति की गंभीरता और निवारक कानूनी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।**

एक सशक्त क़ानून की आवश्यकता

- मंत्री ने **राज्य में नफ़रत फैलाने वाले भाषणों के बढ़ते चलन पर बढ़ती चिंताओं को स्वीकार किया।** उन्होंने कहा कि मौजूदा क़ानूनी प्रावधानों के तहत, नफ़रत फैलाने के आरोपी व्यक्ति - **चाहे सार्वजनिक भाषणों के ज़रिए हों या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए** - अक्सर जल्दी ज़मानत पा लेते हैं। **उन्होंने तर्क दिया कि**

ज़मानत मिलने में यह आसानी क़ानून के निवारक प्रभाव को कमज़ोर करती है और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के प्रयासों को कमज़ोर करती है।

- उन्होंने बताया कि ख़ास तौर पर ऑनलाइन नफ़रत फैलाने वाले भाषण सामाजिक अशांति को बढ़ावा दे सकते हैं और हिंसा भड़का सकते हैं। **इसलिए, ऐसे क़ानून की आवश्यकता है जिसमें कड़े प्रावधान हों और अपराधियों के लिए ज़्यादा गंभीर परिणाम हों।**

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन

- हालाँकि **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है,** लेकिन यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि अनियंत्रित घृणास्पद भाषण, विशेष रूप से डिजिटल माध्यमों में, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के लिए ख़तरा बन सकता है।

- कानूनी विशेषज्ञ और नागरिक समाज लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि **मौजूदा कानून अपर्याप्त हैं, उनका ठीक से पालन नहीं किया जाता है, और ये आरोपी व्यक्तियों को ज़मानत प्रावधानों के ज़रिए जवाबदेही** से बचने का मौका देते हैं।

अभद्र भाषा क्या है?

भारतीय विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट के अनुसार, अभद्र भाषा ऐसे शब्दों या कार्यों को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध उसकी **नस्ल, धर्म, जाति, जातीयता, लिंग, यौन अभिविन्यास आदि** के आधार पर घृणा भड़काते हैं।

भारत में अभद्र भाषा की कानूनी स्थिति

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम अभद्र भाषा

- संविधान का **अनुच्छेद 19(1)(a):** वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 19(2):** निम्नलिखित के हित में उचित प्रतिबंध लगाता है:
  - ➢ भारत की संप्रभुता और अखंडता
  - ➢ लोक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता
  - ➢ राज्य की सुरक्षा
  - ➢ विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
  - ➢ न्यायालय की अवमानना, मानहानि, या किसी अपराध के लिए उकसाना

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधान

- **धारा 153A:** धर्म, नस्ल आदि के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दंडनीय है।
- **धारा 153B:** किसी भी समूह को निम्नतर मानने या उसके अधिकारों से वंचित किए जाने के दावों के लिए दंडनीय है।
- **धारा 295A:** धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए जानबूझकर किए गए कार्यों के लिए दंडनीय है।
- **धारा 505(1) और 505(2):** समुदायों के बीच भय या घृणा पैदा करने वाले बयानों के प्रकाशन या प्रसार के लिए दंडनीय है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951

- **धारा 8:** चुनावों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करती है।
- **धारा 123(3ए) और 125:** चुनाव के दौरान दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए धर्म, जाति, भाषा आदि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना; इसे भ्रष्ट आचरण मानना।

अन्य कानून

- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विरुद्ध अभद्र भाषा बोलने पर दंड।
- **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: अस्पृश्यता** और जाति-आधारित भेदभाव को मौखिक या लिखित रूप से बढ़ावा देने पर दंड।

अभद्र भाषा पर प्रमुख न्यायिक मामले

शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ (2022)

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक समुदाय शांति से नहीं रहते, **भाईचारा संभव नहीं है।**
- पुलिस को बिना किसी शिकायत के भी अभद्र भाषा के विरुद्ध **स्वतः संज्ञान (सक्रिय)** कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (2014)

- न्यायालय ने **अभद्र भाषा को दंडित नहीं किया** क्योंकि कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं था।
- न्यायिक हस्तक्षेप के बजाय विधि आयोग को इस मुद्दे की जाँच करने की सिफ़ारिश की।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)

- **आईटी अधिनियम की धारा 66A** को रद्द कर दिया।
- **निम्नलिखित के बीच अंतर किया गया:**
  - ➢ **चर्चा और वकालत** (अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित)
  - ➢ **उकसाना** (अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है)

प्रस्तावित कानून की संभावित विशेषताएँ

प्रस्तावित कानूनी सुधार में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- सांप्रदायिक हिंसा भड़काने या नफ़रत फैलाने वालों के लिए कठोर दंड।
- ऑनलाइन अभद्र भाषा के बेहतर नियमन।
- अभद्र भाषा और सांप्रदायिक अपराध के मामलों में ज़मानत की शर्तें सख्त।
- सोशल मीडिया पर नफ़रत फैलाने वाली सामग्री की निगरानी और उससे निपटने के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र।

साथ ही, किसी भी नए कानून को संवैधानिक रूप से प्रदत्त स्वतंत्रताओं, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग या उल्लंघन को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

दक्षिण कन्नड़ में हुए घटनाक्रम भारत की **सामाजिक एकता के लिए घृणास्पद भाषण और सांप्रदायिक हिंसा द्वारा उत्पन्न निरंतर चुनौती को उजागर करते हैं।** कर्नाटक सरकार द्वारा विधायी सुधारों पर विचार करते समय, **न्याय सुनिश्चित करने और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के बीच संतुलन** बनाना आवश्यक होगा। हाल की घटना एक चेतावनी के रूप में काम करेगी और सांसदों, **कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता, सभी को समय पर और सार्थक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा और घृणास्पद भाषण की हालिया घटनाओं के आलोक में, भारत में घृणास्पद भाषण पर अंकुश लगाने में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? उपयुक्त कानूनी और संस्थागत सुधारों का सुझाव दीजिए। [250 शब्द | 15 अंक]

लद्दाख के लिए नए नियम और विनियम

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख के लिए नए नियमों और विनियमों की एक श्रृंखला अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य भूमि अधिकारों, नौकरियों में आरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित नागरिक समाज की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करना है। ये उपाय स्थानीय आबादी द्वारा **संवैधानिक सुरक्षा उपायों**, विशेष रूप से भारतीय संविधान की **छठी अनुसूची** के तहत, की बढ़ती माँगों के बीच उठाए गए हैं।

प्रमुख विनियम प्रस्तुत किए गए

1. **लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण एवं भर्ती (संशोधन) विनियम, 2025**

- **अधिवास आवश्यकता प्रस्तुत:** लद्दाख में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- **अधिवासी कौन है?**
  - वह व्यक्ति जो लद्दाख में **15 वर्षों** तक रहा हो, या
  - वहाँ 7 **वर्षों** तक अध्ययन किया हो और **कक्षा 10वीं या 12वीं** की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या
  - केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के बच्चे जिन्होंने लद्दाख में **कम से कम 10 वर्षों** तक काम किया हो, या
  - अधिवासियों के पति/पत्नी और बच्चे।

2. **लद्दाख सिविल सेवा अधिवास प्रमाण पत्र नियम, 2025**
   - **जारीकर्ता प्राधिकारी: तहसीलदार** अधिवास प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
   - **अपीलीय प्राधिकारी:** उपायुक्त।
   - **आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन या ऑफलाइन** जमा किया जा सकता है।

3. **केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025**
   - **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण** बनाए रखता है।
   - **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़े समूहों के लिए कुल आरक्षण को 85%** तक सीमित करता है।

4. **लद्दाख राजभाषा विनियमन, 2025**
   - **अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी** को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता देता है।
   - सांस्कृतिक संरक्षण के लिए **शिना, ब्रोकस्कट, बाल्टी और लद्दाखी** को भी बढ़ावा देता है।

5. **लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2025**
   - लेह और कारगिल पर्वतीय परिषदों में महिलाओं के लिए **एक-तिहाई सीटें चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित करने के लिए 1997 के एलएएचडीसी अधिनियम में संशोधन करता है।**

नए नियमों की प्रमुख सीमाएँ

1. **संवैधानिक संरक्षण का अभाव**
   - ये नियम **अनुच्छेद 240** का उपयोग करके बनाए गए हैं, जो **राष्ट्रपति** को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है।
   - **छठी अनुसूची** के विपरीत, इन कार्यकारी नियमों को **संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है** और केंद्र द्वारा इन्हें किसी भी समय **बदला या हटाया जा सकता है।**

2. **स्थानीय लोगों के लिए भूमि स्वामित्व सुरक्षा उपाय नहीं**
   - ये नियम **गैर-निवासियों को लद्दाख में ज़मीन खरीदने से नहीं रोकते।**
   - क्षेत्र की **नाज़ुक पारिस्थितिकी,** चल रही **बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और बड़े पैमाने** पर पर्यटन के कारण यह एक बड़ी चिंता का विषय है।

3. **कमज़ोर स्थानीय शासन**
   - **लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें** (LAHDC) केवल **प्रशासनिक निकाय** बनी हुई हैं, जिनके पास कोई **विधायी शक्तियाँ** नहीं हैं।

4. **प्रतीकात्मक सांस्कृतिक मान्यता**
   - हालाँकि कई स्थानीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन इस बारे में **कोई स्पष्ट योजना नहीं है** कि उन्हें **शिक्षा, सरकार या न्यायिक प्रणालियों में कैसे एकीकृत किया जाएगा।**

छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग

2019 में **अनुच्छेद 370** के निरस्त होने और **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम** के लागू होने के बाद, लद्दाख **बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश** बन गया। इसके परिणामस्वरूप:

- स्थानीय लोगों में अपनी **आदिवासी पहचान और भूमि अधिकारों** के **कमज़ोर होने का डर।**
- क्षेत्र की **संवेदनशील पारिस्थितिकी** को लेकर चिंताएँ।
- संविधान की **छठी अनुसूची** में शामिल करने की माँग, खासकर इसलिए क्योंकि लद्दाख की **90% से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जनजातियों की है।**

संविधान की छठी अनुसूची

संविधान का **अनुच्छेद 244(2) छठी अनुसूची** की अनुमति देता है, जो **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम** के आदिवासी क्षेत्रों में **स्वायत्त शासन** प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **स्वायत्त ज़िलों और क्षेत्रों** का निर्माण।
- **कानून निर्माण, न्यायिक मामलों और कराधान संबंधी शक्तियों** के साथ **ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों** की स्थापना।

इन परिषदों की शक्तियों में शामिल हैं:

- **भूमि उपयोग, वन संसाधनों, उत्तराधिकार और प्रथागत कानूनों** पर कानून बनाना।
- आदिवासी क्षेत्रों में **धन उधार और व्यापार** को विनियमित करना।
- केवल आदिवासी सदस्यों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए **ग्राम न्यायालयों** की स्थापना।
- **शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, मत्स्य पालन** और अन्य स्थानीय बुनियादी ढाँचे का प्रबंधन।
- **राज्य और केंद्रीय कानूनों** से छूट या उनमें संशोधन।

छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त ज़िलों वाले राज्य:

- **असम:** कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड, दीमा हसाओ
- **मेघालय:** खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, गारो हिल्स
- **त्रिपुरा:** त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र ज़िला
- **मिज़ोरम:** चकमा, मारा, लाई ज़िले

लद्दाख, जनजातीय बहुल आबादी होने के बावजूद, **इस सूची में शामिल नहीं** किया गया है।

निष्कर्ष

लद्दाख के लिए हाल ही में बनाए गए नियम स्थानीय चिंताओं को पहचानने का एक **स्वागत योग्य प्रयास** हैं, लेकिन ये **सशक्त और स्थायी सुरक्षा उपाय प्रदान करने में विफल रहे हैं। संवैधानिक समर्थन** के बिना, **भूमि अधिकार, पारिस्थितिक संरक्षण और सार्थक स्वशासन के मुद्दे अनसुलझे** रह जाते हैं।

दीर्घकालिक शांति, समृद्धि और लद्दाख की विशिष्ट पहचान के संरक्षण के लिए, **छठी अनुसूची के अंतर्गत समावेशन की संभावना तलाशने या एक व्यापक संवैधानिक ढाँचा लागू** करने की प्रबल आवश्यकता है जो **जनजातीय अधिकारों, स्थानीय स्वायत्तता और पर्यावरणीय स्थिरता** की गारंटी दे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए:

(a) अरुणाचल प्रदेश (b) सिक्किम

(c) मणिपुर (d) नागालैंड

उपर्युक्त में से कितने राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं?

(a) केवल दो (b) केवल तीन

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग के आलोक में लद्दाख के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में अधिसूचित नियमों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जनजातीय अधिकारों, स्थानीय शासन और पारिस्थितिक संरक्षण पर इसके क्या प्रभाव हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

नार्को-विश्लेषण परीक्षण

चर्चा में क्यों: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नार्को-विश्लेषण परीक्षणों के लिए सहमति आवश्यक है, यह केवल दोषी नहीं ठहरा सकता, और आत्म-दोषसिद्धि के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

मुख्य विवरण: निर्णय की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- इस बात पर ज़ोर देते हुए कि आधुनिक जाँच उपकरणों का उपयोग **मौलिक संवैधानिक सुरक्षाओं को दरकिनार नहीं कर सकता**, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनैच्छिक नार्को परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 के तहत प्रदत्त आत्म-दोषसिद्धि और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- **संविधान के अनुच्छेद 20 और 21** अनादरनीय और पवित्र अधिकार हैं, और न्यायपालिका इनके लिए अपवाद नहीं बना सकती।
- **न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के 2023 के उस आदेश को रद्द कर दिया** जिसमें एक महिला के लापता होने से जुड़े दहेज उत्पीड़न के एक मामले में सभी अभियुक्तों और गवाहों का नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराने के एक जाँच अधिकारी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था।
  - न्यायालय ने माना कि **उच्च न्यायालय ने परीक्षण कराने के लिए पुलिस की दलील को स्वीकार करने में गलती की**, और कहा कि इसने **सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के 2010 के ऐतिहासिक फैसले** में निर्धारित कानून का उल्लंघन किया, जहाँ तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सहमति के बिना की गई ऐसी तकनीकों को असंवैधानिक घोषित किया था।
- पीठ ने आगे कहा कि सहमति के बिना ऐसे परीक्षणों की अनुमति देना किसी **व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा** और पुलिस शक्तियों का अनुपातहीन प्रयोग होगा।
- पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ स्वैच्छिक नार्को-विश्लेषण परीक्षण की रिपोर्ट, या उसके परिणामस्वरूप प्राप्त जानकारी, दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकती," न्यायालय ने **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत की गई खोजों के साक्ष्य मूल्य का उल्लेख करते हुए कहा।**

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3): आत्म-दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण

- **किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा**। अनुच्छेद 20(3) यह सुनिश्चित करता है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को **ऐसा साक्ष्य या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे वह स्वयं दोषी साबित हो।** यह एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को अपने ही आपराधिक अभियोजन में गवाह बनने के लिए बाध्य होने से बचाता है।
- आत्म-दोषसिद्धि पर प्रतिबंध केवल तभी लागू किया जा सकता है जब व्यक्ति किसी **गैर सिविल अपराध** का आरोपी हो।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

- किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा।
- इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही उसका जीवन छीना जा सकता है।
- जीवन के अधिकार में कई पहलू शामिल हैं, जिनमें **सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल है।**
- अनुच्छेद 21 व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

नार्को विश्लेषण परीक्षण

- नार्को विश्लेषण परीक्षण में, अभियुक्त को **सोडियम पेंटोथैल** नामक दवा दी जाती है, जो उसकी कल्पनाशक्ति को दबाकर उसे सम्मोहित या बेहोश कर देती है।
- इस स्थिति में, माना जाता है कि व्यक्ति **झूठ नहीं बोल सकता और उससे सच्ची जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है।**
- भारत में, 2002 के गुजरात दंगों और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की जाँच के दौरान ऐसे परीक्षण प्रमुखता से किए गए हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में नार्को-विश्लेषण और संवैधानिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नार्को-विश्लेषण का अनैच्छिक प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 दोनों का उल्लंघन करता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सुरक्षा उपायों के साथ स्वैच्छिक नार्को-विश्लेषण परीक्षण भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (ब)

न्यायालय की अवमानना बनाम विधायी शक्ति

चर्चा में क्यों: हाल ही में, **भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को 'न्यायालय की अवमानना'** नहीं माना जा सकता, भले ही वह न्यायपालिका द्वारा पहले से तय किए गए किसी मामले से संबंधित हो। इस फैसले ने हमारे लोकतंत्र के **विधायी और न्यायिक अंगों** के बीच नाजुक संतुलन पर नए सिरे से प्रकाश डाला है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह फैसला समाजशास्त्री **नंदिनी सुंदर** और अन्य द्वारा दायर **2012 की अवमानना याचिका** का निपटारा करते हुए आया।

- **2011** में, सर्वोच्च न्यायालय ने **छत्तीसगढ़ सरकार** को **सलवा जुडूम** जैसे निगरानी समूहों का समर्थन बंद करने और माओवादियों से लड़ने के लिए आदिवासी युवाओं को **विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)** के रूप में हथियारबंद करने का निर्देश दिया था।
- बाद में, छत्तीसगढ़ सरकार ने **छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011** पारित किया, जिसने सहायक सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए एक कानूनी ढाँचा तैयार किया, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से एसपीओ को वैध बना दिया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह **सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश की अवमानना है।**

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी कानून को पारित करना, यहाँ तक कि किसी ऐसे विषय पर भी जिस पर पहले से निर्णय हो चुका हो, न्यायालय की अवमानना नहीं कहा जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि:

- **प्रत्येक राज्य विधानमंडल और संसद को कानून बनाने का अधिकार है।**
- जब तक किसी कानून को न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता, तब तक वह **वैध और बाध्यकारी रहता है।**
- यदि किसी को लगता है कि कोई **कानून संविधान का उल्लंघन करता है,** तो उचित यही होगा कि उसे न्यायालय में कानूनी रूप से चुनौती दी जाए, न कि उसे अवमानना माना जाए।
- **विधायी शक्तियाँ पूर्ण होती हैं (अपने क्षेत्राधिकार में पूर्ण)।** किसी पूर्व न्यायालय के फैसले के आधार पर कानून बनाना, उसमें संशोधन करना या उसे रद्द करना एक वैध विधायी कार्य है।
- न्यायालय ने **इस बात पर ज़ोर दिया कि संवैधानिक न्यायालयों को यह जाँचने का अधिकार है कि कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं।** लेकिन केवल कानून पारित करना न्यायपालिका के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं है।

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

इस फैसले ने **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत** की पुष्टि की - जो भारत के संवैधानिक ढाँचे का एक मूल सिद्धांत है:

- **विधायिका कानून** बनाती है और उन्हें संशोधित या निरस्त कर सकती है।
- **न्यायपालिका** यह सुनिश्चित करती है कि वे कानून संविधान के अनुरूप हों और उनकी वैधता पर विवादों का समाधान करती है।
- **नियंत्रण और संतुलन** की यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि राज्य का कोई भी अंग अपनी सीमाओं का अतिक्रमण न करे और लोकतंत्र सुचारू रूप से कार्य करे।

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के बारे में

यह अधिनियम स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए पारित किया गया था कि अवमानना क्या है और इससे कैसे निपटा जाना चाहिए।

न्यायालय अवमानना क्या है?
इसके दो प्रकार हैं:

सिविल अवमानना

- जब कोई **जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना** करता है या न्यायालय से की गई प्रतिबद्धता का उल्लंघन करता है।

आपराधिक अवमानना

- जब कोई ऐसा कुछ प्रकाशित करता है या करता है जो:
  - ➢ न्यायालय के अधिकार को कलंकित करता है
  - ➢ न्यायालय की कार्यवाही में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप करता है
  - ➢ किसी भी तरह से न्याय प्रदान करने में बाधा डालता है

क्या अवमानना नहीं माना जाता है?

अधिनियम में स्पष्ट रूप से छूट दी गई है:

- निर्दोष प्रकाशन
- न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग
- न्यायिक निर्णयों की निष्पक्ष आलोचना

दंड
अवमानना के दोषी व्यक्ति को निम्नलिखित दंड भुगतने पड़ सकते हैं:

- 6 महीने तक का साधारण कारावास
- ₹2,000 तक का जुर्माना
- या दोनों

इसके अलावा, कथित अवमानना की तारीख से **एक वर्ष के बाद** कोई अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

नोट: यह अधिनियम **न्याय पंचायतों** या अन्य पारंपरिक ग्राम न्यायालयों पर लागू नहीं होता है।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह विधायिका की कानून बनाने की शक्तियों और न्यायपालिका की व्याख्यात्मक भूमिका के बीच **नाजुक संवैधानिक संतुलन** बनाए रखता है।
- **विधायी कार्रवाई** को दबाने के लिए अवमानना प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकता है।
- यह इस सिद्धांत को कायम रखता है कि यदि कोई कानून असंवैधानिक लगता है, तो उसे **उचित न्यायिक समीक्षा के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिए**, न कि अवमानना का लेबल दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

यह निर्णय इस बात की याद दिलाता है कि **भारत का संवैधानिक लोकतंत्र विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच परस्पर सम्मान और सीमाओं पर कैसे फलता-फूलता है।** जहाँ न्यायालयों को संविधान की रक्षा करने का अधिकार है, वहीं विधायिकाओं को भी कानून बनाने का अधिकार है। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि **संवैधानिक व्याख्या में न्यायिक सर्वोच्चता की रक्षा करते हुए विधायी स्वतंत्रता को संरक्षित रखा जाए।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट को अधिनियम के तहत न्यायालय की अवमानना के रूप में नहीं माना जाता है।
2. अधिनियम न्याय पंचायतों और अन्य ग्राम न्यायालयों के विरुद्ध भी अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(द) :उत्तर

निवारक निरोध

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निवारक निरोध के असाधारण उपाय का इस्तेमाल आपराधिक अभियोजन के विकल्प के रूप में या ज़मानत के आदेशों को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

निर्णय की मुख्य विशेषताएँ

- एक अवकाश पीठ ने कहा कि जब **नियमित आपराधिक कानून के उपाय पर्याप्त हों, तो निवारक निरोध का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।**
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **निरोध कानूनों का दुरुपयोग नियमित कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करने या पहले से ही आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्त के "पंख काटने"** के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- यह निर्णय **केरल असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 2007 के तहत निवारक निरोध** को बरकरार रखने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख सिद्धांत

- **असाधारण शक्ति:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निवारक निरोध राज्य के पास एक असाधारण शक्ति है।
- **संयमित उपयोग:** इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस शक्ति का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए और प्रकृति के सामान्य क्रम में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- **संवैधानिक आधार:** निवारक निरोध के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 22(3)(बी) के तहत मान्यता प्राप्त है।
- **स्वतंत्रता का हनन:** न्यायालय ने कहा कि निवारक निरोध किसी व्यक्ति की आगे अपराध(ओं) की आशंका में उसकी स्वतंत्रता को कम करता है।

निवारक निरोध के बारे में

- निवारक निरोध किसी व्यक्ति को उसके पिछले अपराध के लिए दंडित करने के बजाय, उसे अपराध करने से रोकने के लिए निरुद्ध किया जाता है।
- यह एक पूर्व-निवारक उपाय है जो इस आशंका पर आधारित है कि कोई व्यक्ति हानिकारक या विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है।
- यह दंडात्मक निरोध से भिन्न है, जो किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी पाए जाने के बाद लगाया जाता है।

भारत में निवारक निरोध से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय

- **ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950):** इस आधारभूत मामले ने भारत में निवारक निरोध कानूनों की संवैधानिक वैधता स्थापित की।
  - ➢ न्यायालय ने निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
  - ➢ यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 19 अपने दायरे में निवारक या दंडात्मक निरोध को शामिल नहीं करता।
- **डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य (1966):** इसने निवारक निरोध कानून में महत्वपूर्ण अंतर स्थापित किए।
  - ➢ सर्वोच्च न्यायालय ने "कानून और व्यवस्था" की स्थितियों और "सार्वजनिक व्यवस्था" की गड़बड़ी के बीच मूलभूत अंतर को स्पष्ट किया।
  - ➢ यह स्थापित किया कि केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन निवारक निरोध को उचित नहीं ठहरा सकता।
  - ➢ केवल सार्वजनिक व्यवस्था के लिए स्पष्ट खतरे ही निवारक निरोध को उचित ठहरा सकते हैं।
- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):** यद्यपि यह मामला मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 के विस्तार के लिए जाना जाता है, इस मामले के निवारक निरोध पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े।
  - ➢ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या को महत्वपूर्ण रूप से व्यापक बनाया।
  - ➢ यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 19 को अपवर्जित नहीं करता है, और कानूनों के लिए दोनों अनुच्छेदों को संतुष्ट करना आवश्यक है।
  - ➢ यह अवधारणा प्रस्तुत की कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए।
- **जसलीला शाजी बनाम भारत संघ (2024):** सर्वोच्च न्यायालय के इस हालिया निर्णय ने निवारक निरोध कानूनों के अंतर्गत बंदियों के अधिकारों को सुदृढ़ किया।
  - ➢ यह दोहराया गया कि बंदियों को निरोध के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ प्राप्त होने चाहिए।
  - ➢ यह स्थापित किया गया कि आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध न कराना अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है।
  - ➢ अभ्यावेदन को शीघ्रता से प्रेषित करने के प्राधिकारियों के कर्तव्य पर बल दिया गया।

भारत में निवारक निरोध से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- **अनुच्छेद 22:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही निवारक निरोध के लिए अपवाद भी प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980**
  - केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने या आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं में बाधा डालने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है।
  - यदि सरकार यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति अभी भी खतरा पैदा कर रहा है, तो उसे 12 महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA), 1974
  - विदेशी मुद्रा के संरक्षण और संवर्धन तथा तस्करी गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्यों के लिए निवारक निरोध का प्रावधान करता है।
  - तस्करी, तस्करी को बढ़ावा देने, तस्करी के सामान को परिवहन या छिपाने, और तस्करी में शामिल व्यक्तियों को शरण देने से जुड़े मामलों में निरोध की अनुमति देता है।
- **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967**
  - मूल रूप से इसका उद्देश्य भारत में संगठनों द्वारा की जाने वाली गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना था।
  - 2019 के संशोधन ने केंद्र सरकार के लिए औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना संभव बना दिया।
  - गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए ज़मानत प्राप्त करना कठिन बनाने के लिए इसकी आलोचना की गई।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राज्य को किसी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप या मुकदमे के, इस आशंका के आधार पर कि वे भविष्य में कोई अपराध कर सकते हैं, हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में इसका स्पष्ट प्रावधान है, जो इसके दुरुपयोग के विरुद्ध कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय भी निर्धारित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

न्यायिक सेवा नियम

चर्चा में क्यों: हाल ही में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने अधीनस्थ न्यायपालिका में सिविल न्यायाधीश के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए **न्यूनतम तीन वर्षों के विधि अभ्यास की आवश्यकता** को बहाल कर दिया है। यह न्यायालय के 2002 के उस पूर्व निर्णय को उलट देता है, जिसमें **नए विधि स्नातकों** को न्यायिक सेवाओं में सीधे प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

नोट: न्यायालय ने कहा कि न्याय प्रशासन के मामले में **"प्रत्यक्ष अनुभव का कोई विकल्प नहीं है"**। न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता और अखंडता के लिए न्यायालय के कामकाज का व्यावहारिक अनुभव आवश्यक है।

निर्णय के बारे में

मुख्य निर्देश और आवश्यकताएँ

- **न्यूनतम अभ्यास आवश्यकता:** अब से, **सिविल जज (जूनियर डिवीजन)** के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास वकील के रूप में **कम से कम तीन साल का अभ्यास** अनुभव होना चाहिए।
- **अभ्यास प्रमाणन:** इस अनुभव को **किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा समर्थित** होना चाहिए जो **कम से कम 10 वर्षों** तक बार का सदस्य रहा हो।
- **अनुभव की व्यापक मान्यता: न्यायाधीशों के विधि लिपिक** के रूप में प्राप्त अनुभव को भी तीन साल की अभ्यास आवश्यकता में गिना जाएगा।
- **प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण:** सभी नए न्यायिक अधिकारियों को न्यायालयों की अध्यक्षता करने से पहले **एक वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण** प्राप्त करना होगा।
- **छूट:** यह नियम उन राज्यों में **लागू नहीं होगा** जहाँ इस फैसले से पहले ही सिविल जजों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
- **राज्य सरकार की कार्रवाई:** न्यायालय ने **राज्य सरकारों** को इस नई आवश्यकता को लागू करने के लिए अपने **न्यायिक सेवा भर्ती नियमों में संशोधन** करने का निर्देश दिया है।

ऐतिहासिक संदर्भ: यह मुद्दा कैसे विकसित हुआ?

- यह मामला **1993 के अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ** मामले से जुड़ा है, जिसमें न्यायालय ने न्यायपालिका में प्रवेश के लिए **न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत** अनिवार्य करने की सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्यायाधीशों को कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायालयों के कामकाज की स्पष्ट समझ हो।
- हालाँकि, 2002 में, **अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ III** मामले ने इसे बदल दिया। **न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग** के निष्कर्षों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने **तीन वर्ष की वकालत की आवश्यकता को हटाने का निर्णय लिया।** यह महसूस किया गया कि **कई शीर्ष विधि स्नातक कॉर्पोरेट क्षेत्र या शैक्षणिक क्षेत्र में नौकरियों का विकल्प चुन रहे थे,** और तीन वर्ष की अवधि का **प्रावधान प्रतिभाशाली युवाओं** को न्यायपालिका में शामिल होने से **हतोत्साहित कर रहा था।**

यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?

इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह न्यायपालिका में **अनुभव-आधारित भर्ती** की ओर बदलाव का संकेत देता है। हालाँकि यह नए विधि स्नातकों के प्रवेश को सीमित कर सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक सेवाओं में केवल वे ही प्रवेश करें जिन्हें **अदालती गतिशीलता, कानूनी प्रक्रियाओं और व्यावहारिक चुनौतियों** की कुछ समझ हो। इससे **न्याय प्रदान करने की गुणवत्ता**, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, **बेहतर होने की संभावना है।**

भारत की अधीनस्थ न्यायपालिका के बारे में

अधीनस्थ या निचली अदालतें / न्यायालय क्या हैं?

अधीनस्थ अदालतें **ज़िला स्तर** पर कार्य करती हैं और न्याय चाहने वाले अधिकांश नागरिकों के लिए **संपर्क का पहला बिंदु** होती हैं। इनमें शामिल हैं:

- सिविल अदालतें
- आपराधिक अदालतें
- राजस्व अदालतें

ये संबंधित राज्य के **उच्च न्यायालय की देखरेख** में कार्य करती हैं।

अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्तियाँ

- **सिविल न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों** की नियुक्ति राज्य के **राज्यपाल** द्वारा **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श** से की जाती है।
- अधिकांश राज्य **राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगी न्यायिक सेवा** परीक्षाएँ आयोजित करते हैं।
- **जिला न्यायाधीश** पद के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्ति को निम्न में से कोई एक होना चाहिए:
  - ➢ **कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या**
  - ➢ आवश्यक योग्यताओं के साथ **सरकारी सेवा में विधि अधिकारी** रहा हो।

अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना

दीवानी न्यायालय

1. **जिला न्यायालय (जिला न्यायाधीश का न्यायालय)**
   - ➢ जिले का **सर्वोच्च दीवानी न्यायालय।**
   - ➢ उप-न्यायाधीश न्यायालयों की **अपीलों** पर सुनवाई करता है।
   - ➢ कुछ **मूल मामले** भी यहीं से शुरू होते हैं।
   - ➢ **दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों** को संभाल सकता है (तब इसे **जिला एवं सत्र न्यायाधीश** कहा जाता था)।
2. **उप-न्यायाधीशों के न्यायालय**
   - ➢ जिला न्यायाधीश के नीचे स्थित।
   - ➢ मुंसिफ न्यायालयों की तुलना में **बड़ी राशि वाले** दीवानी मामलों को संभालता है।
3. **पारिवारिक न्यायालय**
   - ➢ विशेष रूप से तलाक, गुजारा भत्ता और बच्चों की कस्टडी जैसे **पारिवारिक विवादों** को निपटाता है।
   - ➢ उप-न्यायाधीश न्यायालयों के समकक्ष माना जाता है।
4. **मुंसिफ न्यायालय और लघु वाद न्यायालय**
   - ➢ **छोटे दीवानी विवादों** और छोटे दावों को संभालता है।
   - ➢ लघु वाद न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध **कोई अपील नहीं** होती है।

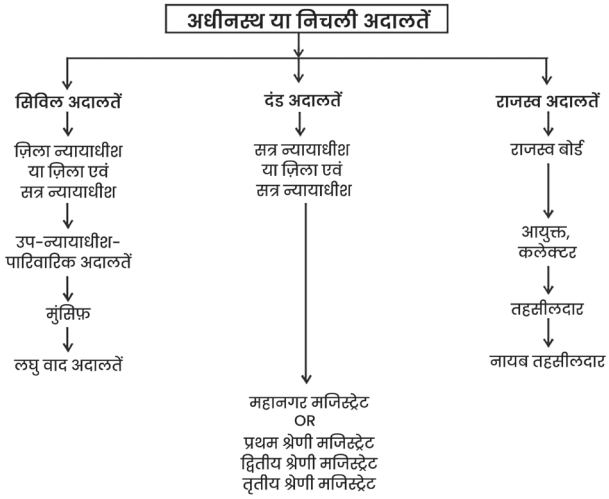
फौजदारी न्यायालय

1. **सत्र न्यायालय (सत्र न्यायाधीश का न्यायालय)**
   - ➢ किसी जिले का **सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय।**
   - ➢ **मृत्युदंड दे सकता है,** लेकिन इसके लिए **उच्च न्यायालय** की पुष्टि आवश्यक है।
   - ➢ मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए गंभीर अपराधों की सुनवाई करता है।
2. **मजिस्ट्रेटों के न्यायालय**
   - ➢ **प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट** कम गंभीर अपराधों की सुनवाई करते हैं।
   - ➢ महानगरों में, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को **महानगर मजिस्ट्रेट** कहा जाता है।
   - ➢ कानून के अनुसार दंड दे सकता है, या गंभीर मामलों को सत्र न्यायालय को भेज सकता है।

राजस्व न्यायालय

ये न्यायालय **भूमि और राजस्व मामलों** से निपटते हैं और नियमित दीवानी/आपराधिक न्यायपालिका का हिस्सा नहीं हैं।

1. **राजस्व बोर्ड**
   - ➢ जिले का **सर्वोच्च राजस्व न्यायालय।**
2. **आयुक्त न्यायालय, कलेक्टर न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, सहायक तहसीलदार न्यायालय**
   - ➢ भूमि विवाद, काश्तकारी संबंधी मुद्दे और भू-राजस्व वसूली से संबंधित मामलों का निपटारा करते हैं।



निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला न्यायिक प्रणाली में **युवा उत्साह और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के बीच संतुलन** बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। जहाँ एक ओर अकादमिक प्रतिभा महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर **क़ानूनी अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव** न्यायाधीशों को वास्तविक जीवन के मामलों को संभालने के लिए आवश्यक परिपक्वता, सहानुभूति और क़ानूनी कौशल से लैस करता है। **न्यूनतम तीन वर्ष की प्रैक्टिस की अनिवार्यता** को पुनर्जीवित करके, न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि न्यायपालिका सिर्फ़ एक नौकरी नहीं, बल्कि **एक ज़िम्मेदारी है** जिसके लिए **ज्ञान और अनुभव** दोनों की आवश्यकता होती है। यह एक अनुस्मारक है कि **न्यायिक सुधारों को न केवल प्रतिभाओं को आकर्षित करना चाहिए,** बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्याय के आदर्शों की रक्षा के लिए सक्षमता भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की न्यायपालिका में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और विनियमन कैसे होता है? अधीनस्थ न्यायालयों की विशिष्ट शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र क्या हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सुधार

चर्चा में क्यों: अपने कार्यकाल के अंतिम दिन, **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एस. ओका** ने **सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज**, विशेष रूप से **भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की केंद्रीकृत प्रशासनिक शक्तियों** के संबंध में, महत्वपूर्ण चिंताएँ उठाईं। उन्होंने न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी बनाने और किसी

एक प्राधिकारी के एकतरफा निर्णयों पर कम निर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

न्यायमूर्ति ओका की मुख्य टिप्पणियाँ

- उन्होंने न्यायपालिका को याद दिलाया कि **एक न्यायाधीश केवल संविधान, कानून और अपनी अंतरात्मा से निर्देशित होता है**, किसी उच्च अधिकारी या व्यक्ति से नहीं।
- उन्होंने पूर्व **न्यायमूर्ति संजीव खन्ना** की **कॉलेजियम परामर्श के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने** के लिए प्रशंसा की, जहाँ निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है?

1. मुख्य न्यायाधीश की भूमिका

- **भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं** और उन्हें अक्सर "**मास्टर ऑफ द रोस्टर**" और "**समानों में प्रथम**" कहा जाता है।
- ये उपाधियाँ दर्शाती हैं कि मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों में से एक होते हुए भी, **मामलों को आवंटित करने, पीठों का गठन करने और न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों को चलाने में विशेष शक्तियाँ रखते हैं।**

2. न्यायिक समर्थन

- **राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद (1997)** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **मुख्य न्यायाधीश के पास मामलों को आवंटित करने और पीठों का गठन करने का अधिकार है।**

3. प्रशासनिक शक्तियाँ

- **सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013** के तहत, मुख्य न्यायाधीश निर्णय लेते हैं:
  - कौन से मामले किस पीठ के पास जाएँगे।
  - संविधान पीठों का गठन कब और कैसे होगा।
- इससे मुख्य न्यायाधीश को इस बात पर महत्वपूर्ण नियंत्रण मिलता है कि **किन कानूनी मामलों की सुनवाई की जाए** और महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों पर **कितनी जल्दी या कितनी धीमी गति से सुनवाई की जाए।**

4. मामलों को सूचीबद्ध करने की शक्ति

- मुख्य न्यायाधीश की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक **मामलों को सूचीबद्ध करने या विलंबित करने का विवेकाधिकार** है।
- उदाहरण के लिए, **पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना** की अपने कार्यकाल के दौरान **संविधान पीठ के मामलों को सूचीबद्ध न करने** के लिए आलोचना की गई थी।
- इसके विपरीत, **मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और डी.वाई. चंद्रचूड़** ने प्रमुख संवैधानिक मामलों को **पुनर्जीवित करने और उनकी सुनवाई करने** के लिए सक्रिय प्रयास किए।

- उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि **वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई** अकेले निर्णय लेने के बजाय महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए **पूर्ण न्यायालय की बैठक** (सभी न्यायाधीशों की एक साथ) को प्राथमिकता देते हैं।
- उन्होंने सुझाव दिया कि पक्षपात या देरी से बचने के लिए **मामलों की सूची बनाने में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप** होना चाहिए।
- महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने **अधीनस्थ न्यायपालिका (ज़िला अदालतों)** को सशक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि न्याय चाहने वाले आम नागरिकों के लिए ये संपर्क का पहला बिंदु हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के लोकतंत्रीकरण के प्रयास

हाल के वर्षों में, सर्वोच्च न्यायालय को **अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-हितैषी** बनाने के लिए **कई सुधार** लागू किए गए हैं।

1. न्यायाधीशों की सार्वजनिक सूची (2018)

- मामलों का **विषयवार आवंटन** सार्वजनिक किया गया।
- इससे **संवेदनशील या हाई-प्रोफाइल मामलों के मनमाने आवंटन** को कम करने में मदद मिली।

2. मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार के अंतर्गत (2019)

- **सुभाष चंद्र अग्रवाल** मामले में, पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि **मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है।**
- इस ऐतिहासिक फैसले ने **न्यायिक जवाबदेही को लोकतांत्रिक मानकों के करीब ला दिया।**

3. न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा

- पहली बार, न्यायाधीशों को अपनी **संपत्ति सार्वजनिक रूप से घोषित** करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे **उनकी ईमानदारी पर विश्वास** बढ़ा।

4. न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता (2025)

- सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की **नियुक्ति प्रक्रिया का विवरण** अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
- यह **कॉलेजियम प्रणाली को और अधिक पारदर्शी** बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

5. डिजिटलीकरण और ई-कोर्ट मिशन

- **ई-कोर्ट परियोजना** के तहत, न्यायपालिका ने निम्नलिखित को अपनाया:
  - ऑनलाइन केस फाइलिंग
  - वर्चुअल सुनवाई
  - डिजिटल वाद सूचियाँ और आदेश
- **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)** ने लोगों के लिए **केस की स्थिति पर नज़र रखना और अदालती डेटा तक पहुँच** को आसान बना दिया है, जो विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए मददगार है।

निष्कर्ष

न्यायमूर्ति ए.एस. ओका का बयान एक **सामयिक अनुस्मारक** है कि **सच्ची न्यायिक स्वतंत्रता न केवल न्यायाधीशों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने से आती है,** बल्कि **आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने** से भी आती है।

हालाँकि **हाल के सुधार** उत्साहजनक हैं, **सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश के हाथों में शक्ति के अत्यधिक संकेंद्रण को कम करना** जारी रखना चाहिए और एक अधिक **सामूहिक, पारदर्शी और नागरिक-उन्मुख न्यायिक प्रक्रिया** की दिशा में काम करना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रदत्त केंद्रीकृत प्रशासनिक शक्तियों के न्यायपालिका की पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज को लोकतांत्रिक बनाने के लिए हाल ही में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत में सिविल सेवा सुधार

चर्चा में क्यों: द हिंदू में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है - "क्या सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की आवश्यकता है?" इसने एक बार फिर आयु सीमा, प्रयासों की संख्या, परीक्षा पैटर्न और आधुनिक भारत में सिविल सेवाओं के समग्र उद्देश्य जैसे मुद्दों पर बहस छेड़ दी है।

आयु सीमा और प्रयासों का संक्षिप्त इतिहास

ब्रिटिश शासन के दौरान:

- सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए आयु सीमा पर बहस **19वीं शताब्दी** में ही शुरू हो गई थी।
- 1854 में, **मैकाले समिति** ने योग्यता-आधारित प्रणाली की सिफ़ारिश की, लेकिन परीक्षाएँ **लंदन** में आयोजित की गईं, जो ब्रिटिश उम्मीदवारों के पक्ष में थीं।
- 1876 में, अंग्रेजों ने ऊपरी आयु सीमा घटाकर **19 वर्ष** कर दी, जिससे भारतीयों के लिए उत्तीर्ण होना मुश्किल हो गया।
- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** (1885 में गठित) ने इसे बढ़ाकर **23 वर्ष** करने और भारत में परीक्षा आयोजित करने की माँग की।

स्वतंत्रता के बाद:

- 1947 के बाद, **शैक्षिक रूप से वंचित समुदायों** की सहायता के लिए आयु सीमा में धीरे-धीरे संशोधन किया गया।
- 1955 में, **अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs)** को आयु में छूट दी गई।
- 1995 में **मंडल आयोग की सिफारिशों** के बाद, **अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)** को भी इसी तरह की छूट मिली।
- **आज:**
  - सामान्य वर्ग के लिए **32 वर्ष**
  - ओबीसी के लिए **35 वर्ष**
  - एससी/एसटी के लिए **37 वर्ष**
  - o 2019 में शुरू किए गए **ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)** पर बहस जारी है।

विभिन्न समितियाँ और सिफ़ारिशें

कई विशेषज्ञ समितियों ने इस मुद्दे का अध्ययन किया है और ऊपरी आयु सीमा कम करने का सुझाव दिया है:

समिति	अनुशंसित अधिकतम आयु
लोक सेवा समिति (1955)	21-23 वर्ष
कोठारी समिति (1976)	26 वर्ष
सतीश चंद्र समिति (1989)	26 वर्ष
योगिंदर अलघ समिति	26 वर्ष
पी.सी. होता समिति (2004)	24 वर्ष
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008)	25 वर्ष

बहस (कम आयु बनाम वर्तमान सीमाएँ बरकरार)

आयु सीमाएँ कम करने के पक्षधर तर्क देते हैं:

- **युवा उम्मीदवार** प्रशिक्षण और नवाचार के प्रति अधिक खुले होते हैं।
- यह एक **लंबा सेवा करियर** सुनिश्चित करता है और योग्यता पर केंद्रित होता है।
- परीक्षा प्रणाली में अंतहीन प्रयासों और कोचिंग संस्कृति के प्रति जुनून कम होता है।

जो लोग सीमाएँ बरकरार रखना या बढ़ाना चाहते हैं, वे तर्क देते हैं:

- यह ग्रामीण, सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए **समान अवसर प्रदान** करता है।
- **देर से सफलता प्राप्त करने** वालों और लंबी तकनीकी/पेशेवर डिग्री हासिल करने वालों का समर्थन करता है।
- इसे भारत के **जाति और वर्ग-आधारित समाज में सामाजिक गतिशीलता और सशक्तिकरण** की सीढ़ी के रूप में देखा जाता है।

राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियाँ

- कई सरकारों ने एक बड़े, मुखर और आकांक्षी युवा वर्ग को नाराज़ करने के राजनीतिक जोखिम के कारण **विशेषज्ञों की सिफारिशों को नज़रअंदाज़** किया है।
- **2014 में छात्र विरोध प्रदर्शनों** के कारण सरकार को आयु सीमा कम करने के अपने प्रयास को वापस लेना पड़ा और आयु सीमा बढ़ानी पड़ी।
- सिविल सेवाएँ भारत में, विशेष रूप से **वंचित समूहों के लिए, उन्नति और प्रतिष्ठा** के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक बनी हुई हैं।

समय के साथ परीक्षा पैटर्न कैसे बदला?

- **कोठारी समिति (1975) ने वर्तमान तीन-चरणीय प्रक्रिया शुरू की:**
  - प्रारंभिक परीक्षा
  - मुख्य परीक्षा (लिखित)
  - साक्षात्कार
- **2011 में**, प्रारंभिक परीक्षा में वैकल्पिक विषय को कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और गणित पर आधारित एक सामान्य CSAT **पेपर (पेपर-II)** से बदल दिया गया।
- अंग्रेज़ी-भारी पेपर-II ने स्थानीय पृष्ठभूमि के छात्रों का विरोध आकर्षित किया, इसलिए इसे **केवल अर्हक** बना दिया गया (33% अंक आवश्यक, लेकिन मेरिट रैंक में कोई योगदान नहीं)।
- 2013 में मुख्य परीक्षा में **सामान्य अध्ययन के पेपर** का विस्तार किया गया ताकि इसमें निम्नलिखित विषय शामिल किए जा सके:
  - भारतीय राजनीति
  - शासन
  - अर्थव्यवस्था
  - नैतिकता
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

बेहतर सिविल सेवा के लिए पी.सी. होता समिति के सुझाव

नागरिक-केंद्रित शासन:

- उन प्रमुख बिंदुओं की पहचान करें जहाँ नागरिक सरकार के साथ व्यवहार करते हैं और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करें।
- अधिकारियों को ग्राहक सेवा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और सरकारी कार्यालयों में **शिकायत हेल्पलाइन** होनी चाहिए।
- **सूचना का अधिकार (आरटीआई)** नियमों को अंतिम रूप देने और लागू करने में तेज़ी लाएँ।
- केवल महत्वपूर्ण **राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा** के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करें।

भ्रष्टाचार का मुकाबला करना:

- भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए **बेनामी लेनदेन अधिनियम** के तहत नियम बनाएँ।
- निष्पक्ष निर्णय-पश्चात सुनवाई के बाद भ्रष्ट लोक सेवकों को शीघ्र बर्खास्त करने की अनुमति देने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 311** में संशोधन करें।
- साहसिक निर्णय लेने वाले ईमानदार अधिकारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए **केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)** के तहत विशेषज्ञ समितियाँ बनाएँ।

निष्कर्ष

भारत की सिविल सेवाओं में सुधार का मतलब सिर्फ़ आयु सीमा या परीक्षा में बदलाव करना नहीं है - बल्कि सरकार को और अधिक:

- उत्तरदायी
- पारदर्शी
- जवाबदेह
- नैतिक बनाना है।

हालाँकि, भारत जैसे विविधतापूर्ण और असमान देश में सामाजिक न्याय, योग्यता और प्रशासनिक दक्षता का संतुलन बनाना कोई आसान काम नहीं है। आयु सीमा, प्रयास और परीक्षा सुधारों पर बहस जारी रहने की संभावना है, क्योंकि इसमें तकनीकी सुधार और राजनीतिक संवेदनशीलता दोनों शामिल हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में सिविल सेवा सुधारों को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और राजनीतिक कारक क्या हैं? [150 शब्द] [10 अंक]



इकाई 2

अंतरराष्ट्रीय संबंध

इज़राइल-ईरान संघर्ष

चर्चा में क्यों: हाल ही में, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया जब ईरान ने 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3' शुरू किया - जिसमें इज़राइल के प्रमुख शहरों जैसे तेल अवीव, हाइफ़ा और यरुशलम पर 100 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गईं। यह इज़राइल के **'ऑपरेशनराइजिंग लायन'** के जवाब में किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण ईरानी सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था।

नोट: यह संघर्ष **अंतर्राष्ट्रीय परमाणुऊर्जा एजेंसी (IAEA)** द्वारा ईरान पर परमाणु गतिविधियों को छिपाने का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव पारित करने के बाद शुरू हुआ - 20वर्षों में ऐसा पहला निर्णय। ईरान के जवाबी हमले के कारण पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में भारी जनहानि हुई और नई अस्थिरता पैदा हो गई।

ईरान और इज़राइल के बीच टकराव क्यों है?

- **ईरान का परमाणु कार्यक्रम:** इज़राइल ईरान के परमाणु विकास को अपने अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा मानता है। IAEA ने पाया कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत सुरक्षित सीमा से अधिक यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** ईरान और इज़राइल 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले सहयोगी थे। तब से, संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए हैं।
- **प्रॉक्सी समूहों का समर्थन:** ईरान हमास और हिज़्बुल्लाह जैसे इज़राइल विरोधी समूहों और इराक और सीरिया में कई मिलिशिया का समर्थन करता है, जिससे इज़राइल की सुरक्षा को खतरा है।
- **धार्मिक और वैचारिक मतभेद:** ईरान एक शिया इस्लामी धर्मतंत्र है, जबकि इज़राइल एक यहूदी राज्य है। यह गहरा धार्मिक विभाजन अविश्वास को बढ़ावा देता है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** दोनों देश पश्चिम एशिया में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, सीरिया और यमन जैसे संघर्षों में विपरीत पक्षों का समर्थन करते हैं।

भारत को चिंतित क्यों होना चाहिए?

- **ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्ग:**
  - भारत अपने **कच्चे तेल का लगभग 40-50% आयात होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम** से करता है। इस क्षेत्र में कोई भी तनाव निम्नलिखित कर सकता है:
    - तेल और एलएनजी आपूर्ति बाधित कर सकता है।
    - वैश्विक ईंधन की कीमतों में वृद्धि कर सकता है।
    - घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है और व्यापार घाटा बढ़ा सकता है।
- **राजनयिक संबंधों में संतुलन:**
  - भारत के इज़राइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। अमेरिका और इज़राइल अन्य देशों पर पक्ष लेने के लिए दबाव डाल रहे **हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और पाकिस्तान के सेना प्रमुख** के बीच एक कथित बैठक ने क्षेत्रीय गठबंधनों में बदलाव को लेकर नई दिल्ली की चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- **व्यापार में गिरावट:**
  - प्रतिबंधों और अस्थिरता के कारण:
    - **भारत-ईरान व्यापार 14 अरब डॉलर** (2017) से घटकर **1.4 अरब डॉलर** रह गया।
    - **भारत-इज़राइल** व्यापार **11 अरब डॉलर (2022) से घटकर 3.75 अरब डॉलर** रह गया।
- **बहुपक्षीय कूटनीति पर प्रभाव:**
  - गाजा संकट के दौरान अधिकांश वैश्विक दक्षिण देशों ने ईरान के साथ सहानुभूति व्यक्त की। SCO और **ब्रिक्स** जैसे हालिया शिखर सम्मेलनों में भारत के तटस्थ रुख पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।
- **प्रवासी भारतीयों के लिए खतरा:**
  - लगभग **1.34 करोड़ भारतीय मध्य पूर्व में, खासकर खाड़ी देशों में रहते हैं।** बढ़ते तनाव से उनकी सुरक्षा और आजीविका को खतरा है।
  - बिगड़ते हालात के कारण भारत ने **ऑपरेशन सिंधु** के तहत ईरान से **3,154 लोगों** को निकाला।

भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है?

- **प्रधानमंत्री ने इज़राइल के प्रधानमंत्री से बात की** और शांति और अमन-चैन बनाए रखने का आग्रह किया।
- **विदेश मंत्री ने ईरान और इज़राइल दोनों के अपने समकक्षों के साथ अलग-अलग बातचीत की** और संयम और कूटनीति का आह्वान किया।
- भारत ने इज़राइल की सीधी आलोचना से बचते हुए एक **निष्पक्ष बयान** जारी किया।
- भारत ने **इज़राइल की निंदा करने वाले एससीओ के बयान से खुद को अलग कर लिया।**
- भारत ने गाजा में युद्धविराम की मांग करने वाले **संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान से भी खुद को अलग रखा** - जो उसके पारंपरिक फिलिस्तीन समर्थक रुख से एक बदलाव था।

भारत की विदेश नीति के लिए इसका क्या अर्थ है?

भारत के लिए, यह संघर्ष केवल पश्चिम एशिया तक ही सीमित नहीं है - यह इन पर भी प्रभाव डालता है:

- ऊर्जा सुरक्षा
- व्यापार स्थिरता
- कूटनीतिक स्थिति
- क्षेत्रीय प्रभाव
- भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा

अमेरिका द्वारा अस्थायी युद्धविराम की मध्यस्थता के साथ, भारत के पास अपने हितों की रक्षा के लिए एक छोटा सा समय है। लेकिन स्थिति नाज़ुक बनी हुई है। भारत को

अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय स्थिति को बनाए रखते हुए, दोनों पक्षों के साथ अपने संबंधों में सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना होगा।

निष्कर्ष

इज़राइल-ईरान संघर्ष इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे दूर-दराज़ के तनाव भारत की ऊर्जा आपूर्ति, प्रवासी समुदाय, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। वैश्विक दक्षिण में एक प्रमुख शक्ति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक उभरती हुई आवाज़ के रूप में, भारत की **संतुलित, स्वतंत्र कूटनीति** बनाए रखने की रणनीति आने वाले महीनों में परखी जाएगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: इज़राइल–ईरान संघर्ष भारत के समक्ष एक बहुआयामी विदेश नीति की चुनौती प्रस्तुत करता है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, क्षेत्रीय कूटनीति और रणनीतिक स्वायत्तता शामिल हैं। हाल के घटनाक्रमों के आलोक में भारत की इस संघर्ष के प्रति प्रतिक्रिया की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए और उसकी विदेश नीति तथा क्षेत्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

रूस-भारत-चीन (आरआईसी) ट्रोइका

चर्चा में क्यों: हाल ही में, **रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव** ने **रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय वार्ता** को पुनर्जीवित करने में रुचि व्यक्त की, एक ऐसा मंच जिसकी हाल के वर्षों में बढ़ते तनाव, खासकर भारत और चीन के बीच, के कारण गतिविधियाँ कम हो गई थीं।

आरआईसी ट्रोइका क्या है?

- आरआईसी का विचार पहली बार **1990 के दशक के अंत में** पूर्व रूसी प्रधानमंत्री **येवगेनी प्रिमाकोव** द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया के तीन सबसे शक्तिशाली गैर-पश्चिमी देशों - **रूस, भारत और चीन** - को नियमित संवाद और सहयोग के लिए एक साथ लाना था।
- इसका लक्ष्य एक **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था** का निर्माण करना था, जो पश्चिमी-प्रभुत्व वाली वैश्विक संस्थाओं के लिए एक विकल्प प्रदान करे। पहली औपचारिक बैठक **2005 में सेंट पीटर्सबर्ग** में हुई थी। आखिरकार, इस मंच ने **ब्रिक्स (ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ)** जैसी साझेदारियों के विस्तार की नींव रखी।
- समय के साथ, आरआईसी केवल विदेश मंत्रियों की बैठकों से आगे बढ़कर तीनों देशों के बीच **व्यापार, वित्त और रणनीतिक मामलों** पर चर्चाओं को शामिल करने लगा।

भारत के लिए आरआईसी क्यों महत्वपूर्ण है?

रणनीतिक महत्व:

आरआईसी भारत को अपनी **रणनीतिक स्वायत्तता** बनाए रखने में मदद करता है - अर्थात, भारत पश्चिमी देशों (जैसे अमेरिका और यूरोप) और गैर-पश्चिमी शक्तियों जैसे रूस और चीन, दोनों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है। यह भारत को **यूरेशियाई बाजारों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं** तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे उसका क्षेत्रीय प्रभाव और मज़बूत होता है।

आर्थिक क्षमता:

आरआईसी देशों की संयुक्त आर्थिक शक्ति **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 33% से अधिक** का प्रतिनिधित्व करती है। यह मंच निम्नलिखित को बढ़ावा दे सकता है:

- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा** (INSTC) जैसे नए व्यापार मार्ग
- **ऊर्जा सहयोग** (रूस आपूर्तिकर्ता के रूप में, भारत उपभोक्ता के रूप में, और चीन पारगमन भागीदार के रूप में)
- **बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी** में संयुक्त निवेश

बहुपक्षीय प्रभाव:

आरआईसी, BRICS, SCO और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों में भारत की आवाज़ को मज़बूत करता है। यह भारत को निम्नलिखित के लिए एक मंच प्रदान करता है:

- **आतंकवाद** के बारे में चिंताएँ उठाना।
- **संयुक्त राष्ट्र** जैसे वैश्विक निकायों में सुधारों का समर्थन करना।
- एक **संतुलित, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था** के लिए प्रयास करना।

आरआईसी प्रारूप के सामने चुनौतियाँ

हालाँकि यह विचार आशाजनक है, फिर भी कई मुद्दे इसके सुचारू संचालन में बाधा डालते हैं:

- **भारत-चीन सीमा विवाद:**
  - **वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी)** पर लंबे समय से चल रहे तनाव, जिसमें **2020 की गलवान झड़प** जैसी घटनाएँ शामिल हैं, ने भारत और चीन के बीच विश्वास को गंभीर रूप से कम कर दिया है, जिससे त्रिपक्षीय सहयोग प्रभावित हो रहा है।
- **विभिन्न रणनीतिक प्राथमिकताएँ:**
  - भारत **क्वाड (अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ)** का सक्रिय रूप से हिस्सा है, जिसे चीन की बढ़ती शक्ति के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। इस बीच, रूस चीन के करीब आ गया है, जिससे आरआईसी समूह के भीतर असंतुलन पैदा हो गया है।
- **वैचारिक मतभेद:**
  - दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत अक्सर **चीन और रूस जैसे सत्तावादी शासनों से शासन मॉडल**, प्रेस की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे मुद्दों पर मतभेद रखता है।
- **बाहरी दबाव:**
  - पश्चिमी शक्तियाँ, विशेष रूप से **संयुक्त राज्य अमेरिका,** रक्षा सौदों, आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त, **रूस पर प्रतिबंध** और **अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता** त्रिपक्षीय गतिशीलता को जटिल बनाती है।

आगे की राह

आरआईसी को पुनर्जीवित और मज़बूत करने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं:

- **भारत-चीन सीमा मुद्दों का समाधान:** निरंतर बातचीत, विश्वास-निर्माण उपायों और सैन्य वृद्धि से बचने के माध्यम से।
- **आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित: ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी** परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में **न्यू डेवलपमेंट बैंक** जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से।
- **बहुपक्षीय जुड़ावों में संतुलन:** भारत को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए, आरआईसी और क्वाड जैसे पश्चिमी नेतृत्व वाले समूहों, दोनों के साथ सावधानीपूर्वक संबंध बनाए रखने चाहिए।

- **सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना:** राजनीति से परे विश्वास बनाने के लिए लोगों के बीच संपर्क, छात्र आदान-प्रदान और सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय समूह एक महत्वपूर्ण, यद्यपि चुनौतीपूर्ण, कूटनीतिक मंच बना हुआ है। यह भारत को अपनी **स्वतंत्र विदेश नीति रुख** को बनाए रखते हुए दो शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ जुड़ने के बहुमूल्य अवसर प्रदान करता है। सीमा तनाव और बदलते गठबंधनों जैसी बाधाओं के बावजूद, RIC एक अधिक न्यायसंगत, **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था** को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकता है, यदि इसे रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ प्रबंधित किया जाए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आरआईसी त्रिमूर्ति का उद्देश्य और कार्य भारत की सामरिक स्वायत्तता के साथ किस प्रकार संरेखित या भिन्न है? प्रभावी आरआईसी सहयोग में बाधा डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक और बाहरी चुनौतियों पर चर्चा करें। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत-मध्य एशिया संबंध

चर्चा में क्यों: हाल ही में हुए **भारत-मध्य एशिया संवाद** के दौरान **मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों** पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया, जहाँ **मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों** ने पहलगाम (अप्रैल 2024) में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने **भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की** और **आतंकवाद से मिलकर लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता** दोहराई।



ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत और मध्य एशिया के बीच संबंध **गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों** में निहित हैं:

- **तीसरी शताब्दी ईसा** पूर्व से, दोनों क्षेत्र **रेशम मार्ग** के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिससे व्यापार, संस्कृति और ज्ञान का आदान-प्रदान सुगम हुआ।
- **सोवियत काल** के दौरान, भारत ने इस क्षेत्र, विशेष रूप से सोवियत संघ, जिसका ये देश अंग थे, के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे।
- **1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद,** भारत ने सभी पाँच मध्य एशियाई गणराज्यों: **कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध** स्थापित किए।

भारत के लिए मध्य एशिया का सामरिक महत्व

- **क्षेत्रीय स्थिरता**
  - मध्य एशिया **भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र** में स्थित है, जो **अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान** जैसे देशों से घिरा हुआ है।
  - मध्य एशिया के साथ सहयोग भारत के लिए महत्वपूर्ण है ताकि **आतंकवाद का मुकाबला** किया जा सके, **क्षेत्रीय सुरक्षा** सुनिश्चित की जा सके और **चरमपंथी विचारधाराओं** को फैलने से रोका जा सके।
- **संपर्क और संचार**
  - **मध्य एशिया, एशिया और यूरोप** के बीच **एक सामरिक भूमि सेतु** का काम करता है।
  - **भारत अश्गाबात समझौते** का हिस्सा है, जो **ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान** को शामिल करने वाला एक **बहुविध परिवहन समझौता** है। इसका उद्देश्य ईरान में चाबहार **बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया से फारस की खाड़ी तक** एक निर्बाध परिवहन गलियारा बनाने के लिए।
- **ऊर्जा सुरक्षा**
  - मध्य एशिया **प्राकृतिक संसाधनों** जैसे **प्राकृतिक गैस, तेल, यूरेनियम और कोयले** से समृद्ध है।
  - इस क्षेत्र के साथ ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने से भारत को **अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों** को लागत-प्रभावी और स्थिर तरीके से पूरा करने में मदद मिल सकती है।
- **कृषि सहयोग**
  - इस क्षेत्र की **विशाल उपजाऊ भूमि कृषि में सहयोग** के अवसर प्रदान करती है, जिससे **भारत की खाद्य सुरक्षा** को लाभ हो सकता है और **कृषि-तकनीक आदान-प्रदान** को बढ़ावा मिल सकता है।
- **व्यापार और निवेश**
  - भारत **चाबहार बंदरगाह** का उपयोग पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए, **भू-आबद्ध मध्य** एशिया तक पहुँचने के लिए कर सकता है।
  - व्यापार बढ़ाने की प्रबल संभावना है, विशेष रूप से **फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, मशीनरी और प्रौद्योगिकी** में।

विकासात्मक और तकनीकी सहयोग

भारत ने मध्य एशिया में **आर्थिक विकास का समर्थन** करने के लिए कई पहल शुरू की हैं:

- **ऋण सहायता:** भारत ने **ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, आईटी, शिक्षा, कृषि और कनेक्टिविटी** में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए **1 बिलियन डॉलर की ऋण सहायता की पेशकश की है।**
- **आईटीईसी कार्यक्रम: भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम** के तहत, भारत **बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग** जैसे क्षेत्रों में **प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और तकनीकी विशेषज्ञता** प्रदान करता है।

हालिया राजनयिक घटनाक्रम

- **विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की अध्यक्षता** में आयोजित **भारत-मध्य एशिया वार्ता** में **आतंकवाद से लड़ने** की आवश्यकता पर **दृढ़ सहमति व्यक्त** की गई।

- मंत्रियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "**आतंकवादी कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।**"
- **पहलगाम हमले** के बाद **भारत को मध्य एशिया का दृढ़ समर्थन, राजनीतिक विश्वास** की गहराई और **शांति के लिए आपसी प्रतिबद्धता** का संकेत देता है।

आगे की राह

मध्य एशिया के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए, भारत को निम्नलिखित कदमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:

- **बुनियादी ढाँचा और संपर्कता**
  - **रसद और परिवहन गलियारों** के विकास में निवेश, विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह और **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा** (INSTC) के माध्यम से।
  - **रेलवे, सड़क और हवाई संपर्कता** में संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।
- **आतंकवाद-रोधी सहयोग**
  - **आतंकवाद निरोध पर भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह** जैसे तंत्रों के माध्यम से सहयोग बढ़ाना ।
  - **खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित करना, और **आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क** को नष्ट करना।
- **व्यापार और व्यवसाय सुविधा**
  - SME **सहयोग** को बढ़ावा देने, **व्यावसायिक कानूनों** को सरल बनाने और **निवेश को बढ़ावा देने** के लिए **भारत-मध्य एशिया व्यापार परिषद (आईसीएबीसी) को मजबूत करना।**
  - **सीमा पार ई-कॉमर्स, बैंकिंग संबंधों और सीमा शुल्क सामंजस्य** को प्रोत्साहित करना।
- **अफगानिस्तान में भागीदारी**
  - **क्षेत्रीय स्थिरता** सुनिश्चित करने के लिए **बुनियादी ढांचे, शिक्षा, महिला अधिकारों और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण** में सहयोग करना।
- **व्यापार समझौता**
  - व्यापार **क्षमता को अनलॉक करने के लिए यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू)** के साथ एक **मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)** पर हस्ताक्षर को आगे बढ़ाना।
- **बहुपक्षीय मंच**
  - **शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), यूरेशियन आर्थिक समुदाय (ईईसी)** और अन्य जैसे क्षेत्रीय मंचों पर भारत की भूमिका का विस्तार करना ताकि **राजनयिक दृश्यता और समन्वय को बढ़ाया जा सके।**

निष्कर्ष

मध्य एशिया के साथ भारत का जुड़ाव **रणनीतिक गति प्राप्त** कर रहा है। हालाँकि **कनेक्टिविटी संबंधी बाधाएँ और क्षेत्रीय अस्थिरता** जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, हाल के घटनाक्रम दर्शाते हैं कि **भारत सही रास्ते पर है।** मध्य एशिया के साथ गहरे होते संबंध न केवल **भारत के ऊर्जा और सुरक्षा हितों** को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उसे **यूरेशियन भू-राजनीति** में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करते हैं।

इस साझेदारी की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, भारत को संलग्नता की वर्तमान गति को बनाए रखना होगा और **कूटनीतिक सद्भावना को ठोस परिणामों में बदलना होगा।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: क्षेत्रीय स्थिरता, संपर्कता और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भारत-मध्य एशिया संबंधों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? [250 शब्द | 15 अंक]

भारत-जापान समुद्री सहयोग में प्रगाढ़ता

चर्चा में क्यों: भारत और जापान अपनी समुद्री साझेदारी का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं जिसमें जहाज निर्माण, बंदरगाह विकास, स्मार्ट द्वीप और समुद्री कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह निर्णय ओस्लो में भारत के केंद्रीय मंत्री **सर्बानंद सोनोवाल** और जापान के उप मंत्री **टेराडा योशिमिची** के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान लिया गया।

भारत-जापान समुद्री सहयोग बैठक की मुख्य विशेषताएँ

निवेश और औद्योगिक सहयोग

- दोनों देशों ने भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र में जापानी निवेश पर चर्चा की।
- **हरित बंदरगाहों, बंदरगाह डिजिटलीकरण और अनुसंधान एवं विकास** (R&D) पर मिलकर काम करने की योजनाएँ बनाई गईं।
- चर्चाओं में **जापान में भारतीय नाविकों के लिए रोज़गार के अधिक अवसर** प्रदान करने पर भी चर्चा हुई।

स्मार्ट द्वीप विकास

- भारत और जापान ने **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** और **लक्षद्वीप** को **स्मार्ट द्वीप** के रूप में विकसित करने के विचारों पर विचार किया।
- इन रणनीतिक द्वीपों के लिए संधारणीय तकनीक, आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे और बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

शिपयार्ड साझेदारी और ग्रीनफील्ड निवेश

- भारतीय और जापानी शिपयार्ड के बीच सहयोग बढ़ाने की योजना है।
- जापान **ग्रीनफील्ड निवेश** पर विचार कर रहा है, जैसे **आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित इमाबारी जहाज निर्माण इकाई।**
- दोनों पक्ष **बंदरगाहों और औद्योगिक समूहों को स्वच्छ ऊर्जा केंद्रों के रूप में** सह-विकसित करने में भी रुचि रखते हैं।

समुद्री विरासत संग्रहालय सहयोग

- भारत ने **गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय** (NMHC) के विकास में जापान से मदद मांगी।
- यह संग्रहालय भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करेगा और समुद्री क्षेत्र में पर्यटन, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देगा।

समुद्री कौशल विकास और मानव संसाधन सहयोग

- **भारत में 1.54 लाख से अधिक प्रशिक्षित नाविकों** के साथ, जापान ने भारतीय समुद्री पेशेवरों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोज़गार के लिए संरचित कार्यक्रमों में रुचि दिखाई।

- भारत ने जापानी पहलों के तहत भारतीय इंजीनियरों और समुद्री कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी समर्थन की पेशकश की।

भारत-जापान संबंध (एक मज़बूत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी)

भारत और जापान के बीच **सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित गहरी मित्रता है।** समय के साथ, यह एक **बहुआयामी साझेदारी** में विकसित हुई है।

- **एक्ट ईस्ट फ़ोरम (2017)**
  - भारत की **एक्ट ईस्ट नीति और जापान के मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण** के तहत सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - भारत के उत्तर-पूर्व में संपर्क, बुनियादी ढाँचे, औद्योगिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर केंद्रित है।
- **असैन्य परमाणु सहयोग (2016)**
  - परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौता, जो 2017 में लागू हुआ।
- **रक्षा सहयोग**
  - इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा उपकरण, समुद्री सुरक्षा और गोपनीय जानकारी साझा करने पर समझौते शामिल हैं।
- **उल्लेखनीय समझौते:**
  - सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (2008)
  - आपूर्ति और सेवाओं का पारस्परिक प्रावधान समझौता (2020)

आर्थिक और व्यापारिक संबंध

- **भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)** वस्तुओं, सेवाओं, निवेश आदि के व्यापार को कवर करता है।
- **2022-23 में** द्विपक्षीय व्यापार **21.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा।
- **अंतरिक्ष सहयोग**
  - इसरो और जाक्सा (जापान की अंतरिक्ष एजेंसी) **अंतरिक्ष अनुसंधान, चंद्र अन्वेषण और उपग्रह नेविगेशन** पर सहयोग करते हैं।
- **शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान**
  - भारत और जापान **छात्र और विद्वान आदान-प्रदान**, भाषा कार्यक्रमों और सांस्कृतिक उत्सवों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं।

भारत-जापान समुद्री सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है?

सामरिक समुद्री लाभ

- दोनों देश **हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव** को लेकर चिंतित हैं।
- उनका सहयोग **भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति** को मज़बूत करता है, जो मुक्त, खुले और सुरक्षित समुद्री मार्गों पर केंद्रित है।

हरित और स्मार्ट शिपिंग

- भारत के **समुद्री भारत विज़न 2030** और **अमृत काल विज़न 2047** के अनुरूप है।
- **टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल बंदरगाह विकास और शिपिंग** पर ज़ोर देता है।

रोज़गार सृजन और कौशल विकास

- भारत के प्रशिक्षित नाविकों के विशाल समूह का लाभ उठाकर, यह साझेदारी वैश्विक समुद्री क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर खोलती है।
- प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए संयुक्त कार्यक्रम रोज़गार क्षमता बढ़ाएँगे।

प्रौद्योगिकी और नवाचार हस्तांतरण

- **जहाज निर्माण और बंदरगाह प्रबंधन** में संयुक्त उद्यम भारत को उन्नत जापानी तकनीक और अनुसंधान एवं विकास विशेषज्ञता तक पहुँचने में मदद करेंगे।

क्षेत्रीय और भू-रणनीतिक तालमेल

- **क्वाड, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई), एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (एएजीसी),** आदि जैसे क्षेत्रीय समूहों को मज़बूत बनाता है।
- भारत की **एक्ट ईस्ट नीति** और दीर्घकालिक समुद्री लक्ष्यों का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

भारत-जापान संबंध लगातार **एक मज़बूत, भविष्य-केंद्रित साझेदारी** के रूप में विकसित हुए हैं। नई समुद्री सहयोग योजना इस संबंध में एक और मूल्यवान आयाम जोड़ती है, **सुरक्षा, सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और कौशल विकास** को बढ़ावा देना।

भारत 2047 तक एक अग्रणी समुद्री शक्ति बनने की दिशा में काम कर रहा है, और **जापान इस दृष्टिकोण को साकार करने और एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में एक विश्वसनीय भागीदार बना हुआ है।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति और समुद्री विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भारत-जापान समुद्री सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत-कनाडा संबंध

चर्चा में क्यों: लगभग दो वर्षों के राजनयिक तनाव के बाद, **भारत और कनाडा** अब **अपने तनावपूर्ण संबंधों** को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। दोनों देश दिल्ली और ओटावा में **उच्चायुक्तों को बहाल करने** पर सहमत हुए हैं और **व्यापार वार्ता, वीज़ा सेवाओं** और अन्य राजनयिक माध्यमों को फिर से शुरू करने पर चर्चा की है।

द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के स्रोत

राजनीतिक आरोपों, ऐतिहासिक शिकायतों और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मिश्रण के कारण भारत और कनाडा के बीच संबंध गंभीर संकटों से गुजरे हैं।

1. **निज्जर हत्या के आरोप**

   सितंबर 2023 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री **जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों** पर **कनाडाई खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर** की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों का **कड़ा खंडन** किया और इन्हें राजनीति से प्रेरित और निराधार बताया।

2. **विदेशी हस्तक्षेप के आरोप**

   कनाडा ने **अपनी चुनावी प्रक्रियाओं में भी भारतीय हस्तक्षेप का आरोप लगाया,** जिससे राजनयिक माहौल और खराब हो गया।

3. **राजनयिक निष्कासन और वीज़ा निलंबन**

   इन घटनाओं के बाद, दोनों देशों ने **अक्टूबर 2024 में वरिष्ठ राजनयिकों को निष्कासित कर दिया** और भारत ने कुछ समय के लिए **कनाडाई नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं को निलंबित कर दिया।**

4. **अविश्वास और खालिस्तानी उग्रवाद की विरासत**

   भारत लंबे समय से **कनाडा की धरती पर खालिस्तानी उग्रवाद** को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा मानता रहा है। **1985 में एयर इंडिया**

बम विस्फोट की स्मृति, जिसमें 331 लोग मारे गए थे (ज्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई), आज भी भारत की इस धारणा को आकार देती है कि कनाडा इस तरह के उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहा है। **2010 में हुई एक कनाडाई सार्वजनिक जाँच** ने इन चिंताओं की पुष्टि की, और जाँच संबंधी विफलताओं और जवाबदेही की कमी को उजागर किया।

अब पुनःप्रारम्भ की आवश्यकता क्यों है?

गहरी जड़ें जमाए हुए मुद्दों, **बदलती वैश्विक वास्तविकताओं** और **साझा हित** दोनों देशों को अतीत से आगे देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

1. **कनाडा में राजनीतिक परिवर्तन: जस्टिन ट्रूडो** के जाने और ओटावा में संभावित नए नेतृत्व ने **एक नई शुरुआत** के लिए अवसर की एक खिड़की खोली है।
2. **भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव**: वैश्विक मामलों में बढ़ती अनिश्चितता के कारण कनाडा **चीन और अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। भारत, अपनी बढ़ती स्थिरता और प्रभाव के साथ**, एक रणनीतिक और आर्थिक विकल्प प्रदान करता है।
3. **भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका:** भारत **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है,** जो इसे कनाडा के लिए एक आकर्षक साझेदार बनाता है, खासकर जब दोनों देश इस क्षेत्र में **शांति, व्यापार और शक्ति संतुलन बनाए रखना** चाहते हैं।
4. **साझा रणनीतिक हित:** दोनों देशों का लक्ष्य **आर्थिक सहयोग बढ़ाना, उग्रवाद का मुकाबला करना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता** का संयुक्त रूप से जवाब देना है।

संबंधों के पुनर्निर्माण की दिशा में कदम

1. **उच्चायुक्तों की बहाली:** उच्चायुक्तों की बहाली एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक और व्यावहारिक कदम है, जो **राजनयिक सामान्यता और सहभागिता** की इच्छा का संकेत देता है।
2. **निज्जर मामले का कूटनीतिक समाधान**: भारत और कनाडा को निज्जर मुद्दे को सुलझाने के लिए **संतुलित, कानूनी और कूटनीतिक दृष्टिकोण** अपनाने होंगे ताकि आगे राजनीतिकरण और अविश्वास को रोका जा सके।
3. **उग्रवाद से मिलकर निपटना:** हिंसक उग्रवाद दोनों देशों को प्रभावित करता है। उन्हें **कानून प्रवर्तन को सुदृढ़ करने, खुफिया जानकारी साझा करने और हिंसा की संयुक्त निंदा** के माध्यम से सहयोग करना होगा।
4. **आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह का पुनरुद्धार**: 1997 से **सक्रिय आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह (JWGCT)** और **आतंकवाद-रोधी सहयोग के लिए 2018 का ढाँचा**, उग्रवाद के विरुद्ध आपसी विश्वास और क्षमता निर्माण के लिए प्रभावी मंच के रूप में काम कर सकते हैं।

जी-7 शिखर सम्मेलन का महत्व

जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी और **प्रधानमंत्री मोदी और नए कनाडाई नेतृत्व** के बीच एक सार्थक बातचीत **संबंधों में मधुरता** का संकेत देती है।

- इसने औपचारिक द्विपक्षीय बैठक के राजनीतिक जोखिमों के बिना **शांत कूटनीति** की अनुमति दी।
- जी-7 का **वैश्विक दक्षिण देशों** (जैसे भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको) तक पहुँचना दर्शाता है कि वैश्विक शक्तियाँ उभरते लोकतंत्रों के साथ **जुड़ने के लिए बाध्य होना।**
- कनाडा के लिए, यह एक बड़े बदलाव का हिस्सा है—**पारंपरिक गठबंधनों में अनिश्चितता** के बीच अपनी वैश्विक साझेदारियों को पुनर्संतुलित करना।

आर्थिक और क्षेत्रीय संबंध

तनावों के बावजूद, भारत और कनाडा के बीच **आर्थिक संबंध** मज़बूत बने हुए हैं और इनमें विकास की अपार संभावनाएँ हैं।

- **व्यापार और निवेश**
  - **2023** में, **कुल वस्तु व्यापार 12.65 बिलियन कनाडाई डॉलर** था, जिसमें भारत **फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषण और ऑटो पार्ट्स** का निर्यात करता था।
  - भारत ने कनाडा से **खनिज, दालें, पोटाश और अखबार का कागज़** आयात किया।
  - **सेवा व्यापार 13.49 बिलियन कनाडाई डॉलर** रहा, जिसमें **शिक्षा, प्रौद्योगिकी और वित्त** शामिल हैं।
- **असैन्य परमाणु सहयोग**
  - **एक परमाणु सहयोग समझौता** (2010) और यूरेनियम आपूर्ति समझौते संवेदनशील क्षेत्रों में विश्वास को दर्शाते हैं।
  - दोनों देश **परमाणु सुरक्षा** और विनियमन पर अनुभवों का आदान-प्रदान भी करते हैं।
- **ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग**
  - 2016 में शुरू की गई एक **ऊर्जा वार्ता बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता** को कवर करती है।
  - **इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (सीएसए) उपग्रह ट्रैकिंग, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष खगोल विज्ञान पर सहयोग** करते हैं।
- **विज्ञान, तकनीक और नवाचार**
  - **औद्योगिक अनुसंधान, जलवायु अध्ययन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट प्रबंधन** को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त समितियाँ मौजूद हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध**
  - भारत और कनाडा ने एक **फिल्म सह-निर्माण समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं और **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)** के माध्यम से नियमित रूप से सांस्कृतिक आदान-प्रदान करते हैं।
- **लोगों के बीच संबंध**
  - कनाडा में **18 लाख भारतीय-कनाडाई और 10 लाख अनिवासी भारतीय रहते हैं,** जो **कनाडा की जनसंख्या का 3%** से अधिक है।
  - **प्रवासी भारतीय** समुदाय **कनाडा की अर्थव्यवस्था, राजनीति और बहुसांस्कृतिक संरचना** में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

निष्कर्ष

भारत-कनाडा पुनर्स्थापन केवल एक टूटे हुए द्विपक्षीय संबंध को ठीक करने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे विश्व में **वैश्विक साझेदारी के व्यापक पुनर्संतुलन** का हिस्सा है जो **तेज़ी से बहुध्रुवीय होता जा रहा है। लोकतंत्र, बहुलवाद और आर्थिक महत्वाकांक्षा** के साझा मूल्यों के साथ, दोनों देशों को अतीत से आगे बढ़कर संघर्ष पर नहीं, बल्कि **सहयोग के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: कनाडा-भारत संबंधों के पूर्ण पुनर्गठन में बाधा डालने वाली मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? कनाडा और भारत आपसी लाभ के लिए बदलती वैश्विक गतिशीलता का लाभ कैसे उठा सकते हैं? [250 शब्द | 15 अंक]

भारत-जर्मनी साझेदारी

चर्चा में क्यों: भारत और जर्मनी अपनी **रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे** होने का जश्न मना रहे हैं, और यह उपलब्धि इस रिश्ते को और मज़बूत, गहरा और भविष्य के लिए और भी ज़्यादा तैयार करने की नई योजनाओं के साथ आई है।

एक नज़र (यह कैसे शुरू हुआ)

भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी औपचारिक रूप से **मई 2000** में स्थापित हुई थी। वर्षों से, यह लगातार बढ़ी है और राजनीति, व्यापार, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों को कवर करती रही है।

अब, अपनी 25वीं वर्षगांठ पर, **जर्मनी ने अपना पहला आधिकारिक रणनीतिक दस्तावेज़ जारी किया है जो पूरी तरह से भारत पर केंद्रित है**, जिसे "**भारत पर ध्यान केंद्रित**" कहा जाता है - यह बदलती वैश्विक व्यवस्था में संबंधों को और मज़बूत करने का एक रोडमैप है।

जर्मनी भारत पर क्यों ध्यान केंद्रित कर रहा है?

- जर्मनी, **एशिया और उसके बाहर चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार** मानता है।
- साथ ही, यह मानता है कि **भारत रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखता है,** तटस्थ रहना और कई वैश्विक शक्तियों के साथ काम करना पसंद करता है।

नए रणनीति दस्तावेज़ के दो उद्देश्य हैं:

- **सुरक्षा, जलवायु, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में भारत और जर्मनी पहले से ही जो कुछ भी कर रहे हैं,** उसकी समीक्षा करना।
- संयुक्त सरकारी परामर्श, रक्षा सहयोग और जलवायु-अनुकूल ऊर्जा परियोजनाओं जैसे **सहयोग के नए क्षेत्रों का सुझाव देना।**

भारत-जर्मनी संबंधों के प्रमुख स्तंभ

- **शांति और सुरक्षा**
  - ➢ **दोनों देश एक शांतिपूर्ण, स्थिर और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चाहते हैं।**
  - ➢ **जर्मनी का लक्ष्य भारत के लिए एक प्रमुख सुरक्षा साझेदार बनना है** और रक्षा वार्ता और साइबर सुरक्षा सहयोग का विस्तार करना है।
- **व्यापार और आर्थिक संबंध**
  - ➢ **जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, और भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।** उनकी आर्थिक साझेदारी भारत की सबसे मज़बूत साझेदारियों में से एक है।
  - ➢ **2023** में, दोनों के बीच व्यापार **33.33 बिलियन डॉलर** के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।
- **जर्मनी को भारत के प्रमुख निर्यात:**
  - ➢ विद्युत सामान, ऑटो पार्ट्स, वस्त्र, रसायन और दवाएँ।
- **भारत को जर्मनी के प्रमुख निर्यात:**
  - ➢ मशीनरी, ऑटोमोबाइल, विमान के पुर्जे और रसायन।
- **निवेश तथ्य:**
  - ➢ जर्मनी भारत का **9वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है** जिसने 2000 से अब तक **14.5 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** किया है।
  - ➢ **2,000 से अधिक जर्मन कंपनियाँ भारत में कार्यरत हैं,** जो 7.5 लाख से अधिक नौकरियाँ प्रदान करती हैं।

लोगों से लोगों का जुड़ाव और सांस्कृतिक संबंध

- **जर्मनी में 50,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र पढ़ते हैं** - जो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा समूह है।
- 2022 में हस्ताक्षरित **व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता** (MMPA) भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए जर्मनी में काम करना और अध्ययन करना आसान बनाता है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान:

- रवींद्रनाथ टैगोर की जर्मनी यात्राओं ने मज़बूत सांस्कृतिक संबंधों की नींव रखी।
- भारतीय फ़िल्म समारोह, योग कार्यक्रम और **'नमस्ते बर्लिन'** जैसे सांस्कृतिक मेले जर्मन दर्शकों के लिए भारतीय परंपराओं को सामने लाते हैं।
- बर्लिन में **सांची स्तूप की एक आदमकद प्रतिकृति** स्थापित की गई है, जो ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करती है।
- भारत में **मैक्स मूलर भवन** जैसे भाषाई और सांस्कृतिक केंद्र और जर्मनी में **इंडो-जर्मन सोसाइटी** (DIG) **सक्रिय** रूप से आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं।

जर्मनी में प्रवासी भारतीय:

- लगभग **2.46 लाख भारतीय और भारतीय मूल के लोग** जर्मनी में रहते हैं और पेशेवर, शोधकर्ता, व्यवसायी, नर्स और छात्र के रूप में काम करते हैं।

हरित विकास और जलवायु सहयोग

भारत-जर्मनी संबंधों के सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक **सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा** है।

- **भारत-जर्मनी हरित एवं सतत विकास साझेदारी** (GSDP) के अंतर्गत, जर्मनी ने **10 वर्षों (2022 से शुरू) में 10 बिलियन यूरो के अधिमान्य ऋण और अनुदान देने की प्रतिबद्धता जताई है।**
- यह भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन, सतत शहरी विकास और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को समर्थन प्रदान करता है।

प्रमुख परियोजनाएँ:

- हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग पर सहयोग हेतु 2022 में **हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स** की स्थापना।
- **नागपुर मेट्रो रेल, हरित ऊर्जा गलियारे और कोच्चि में शहरी गतिशीलता** जैसी परियोजनाओं के लिए प्रमुख वित्तीय सहायता।
- जलवायु कार्रवाई अब **ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग** से जुड़ी हुई है, जिससे यह भारत-जर्मनी संबंधों का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया है।

निष्कर्ष

दोनों देश अपनी **रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं,** और इस अवसर पर ध्यान आधुनिक दुनिया की नई चुनौतियों - जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और एशिया में रणनीतिक संतुलन - के अनुकूल ढलने पर केंद्रित है। भारत-जर्मनी मैत्री अब **व्यापार और कूटनीति से कहीं आगे है;** यह एक ऐसा रिश्ता है जो **साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और एक हरित, निष्पक्ष और सुरक्षित विश्व के लिए एक साझा दृष्टिकोण** पर आधारित है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत-जर्मनी संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख नीतिगत क्षेत्र और प्रस्तावित पहल क्या हैं? [150 शब्द] [10 अंक]

भारत-साइप्रस द्विपक्षीय संबंध

चर्चा में क्यों: **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की** 2025 में **साइप्रस यात्रा** एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई, जो दो दशकों से भी अधिक समय में **किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।** इस यात्रा ने दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच **दीर्घकालिक मित्रता** और बढ़ते रणनीतिक सहयोग की पुष्टि की।

साझा इतिहास और मूल्यों पर आधारित एक रिश्ता (मज़बूत ऐतिहासिक नींव)

- **भारत और साइप्रस गणराज्य** (RoC) के बीच संबंध **60 से ज़्यादा वर्षों से मधुर और सहयोगात्मक** रहे हैं। इस रिश्ते की नींव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** और साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति **आर्कबिशप मकारियोस** ने रखी थी। दोनों **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संस्थापक नेता थे** और **संप्रभुता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अहस्तक्षेप** में विश्वास करते थे।
- भारत **उन पहले देशों में से एक था जिन्होंने ब्रिटिश शासन से साइप्रस की स्वतंत्रता का समर्थन** किया था और **10 फ़रवरी, 1962** को राजनयिक संबंध आधिकारिक तौर पर स्थापित हुए थे। तब से, भारत साइप्रस का एक **विश्वसनीय और सहयोगी मित्र** बना हुआ है।

सामरिक महत्व और साझा भू-राजनीतिक चिंताएँ

1. तुर्की को संदेश

- 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने एक **भू-राजनीतिक संकेत** भी दिया, खासकर **तुर्की** को, जो **पाकिस्तान** के साथ अपने रणनीतिक सहयोग को बढ़ा रहा है। **1974 के तुर्की आक्रमण** और **तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस** (जिसे केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है) की घोषणा के बाद से साइप्रस के तुर्की के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं।
- साइप्रस के प्रति भारत का दृष्टिकोण साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए उसके **तटस्थ लेकिन दृढ़ समर्थन** को रेखांकित करता है।

2. आतंकवाद पर साझा रुख

- दोनों देशों का **आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ रुख है।** साइप्रस ने **पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की** और **सीमा पार आतंकवाद** के विरुद्ध भारत की लड़ाई में उसके साथ **एकजुटता** व्यक्त की।

3. वैश्विक संपर्क में भूमिका: IMEC

- साइप्रस **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के एक प्रमुख मार्ग** पर स्थित है, जो भारत, खाड़ी क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए एक प्रमुख बुनियादी ढाँचा पहल है। साइप्रस यूरोप में **भारतीय वस्तुओं और निवेशों** के लिए एक **महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार** के रूप में काम कर सकता है।

4. यूरोपीय संघ के भीतर समर्थन

- साइप्रस **यूरोपीय संघ (EU) में भारत का एक प्रबल समर्थक है।** संभावना है कि **2026 की शुरुआत में यह EU परिषद की अध्यक्षता करेगा**, जिससे भारत को EU के साथ अपने **व्यापार और सुरक्षा संबंधों** को मजबूत करने का एक अवसर मिलेगा।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध

1. व्यापार और निवेश

- अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच **द्विपक्षीय व्यापार 136.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा।
- **साइप्रस भारत में शीर्ष 10 विदेशी निवेशकों में से एक है,** जिसका संचयी **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अप्रैल 2000- मार्च 2025) 14.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है। प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
  - सूचना प्रौद्योगिकी
  - वित्तीय सेवाएँ
  - ऑटोमोबाइल निर्माण
  - रियल एस्टेट
  - फार्मास्यूटिकल्स

2. आर्थिक सहयोग तंत्र

कई ढाँचे आर्थिक साझेदारी का समर्थन करते हैं:

- **संयुक्त आर्थिक समिति (जेईसी):** व्यापार, उद्योग, विज्ञान और निवेश सहयोग पर केंद्रित है।
- **साइप्रस-भारत व्यापार संघ (सीआईबीए):** व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट साइप्रस के बीच समझौता ज्ञापन (2021):** पारस्परिक निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करता है।
- **रीजनल चैंबर MoU**: गोवा, बैंगलोर और लिमासोल जैसे शहरों में स्थानीय व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देना।
- **भारत-ग्रीस-साइप्रस (आईजीसी) व्यापार और निवेश परिषद (2025): बुनियादी ढाँचे, नौवहन, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं** में त्रिपक्षीय सहयोग को गति प्रदान करता है।

3. कराधान और निवेश ढाँचा

- **2016** में एक **संशोधित दोहरा कराधान परिहार समझौते** (DTAA)पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे कराधान में स्पष्टता और निष्पक्षता सुनिश्चित हुई, विशेष रूप से पूंजीगत लाभ के लिए।
- साइप्रस उन कुछ **गैर-एफएटीएफ देशों में से एक है जिन्हें श्रेणी-I एफपीआई लाइसेंस** के लिए मंजूरी मिली है, जिससे इसके निवेश कोषों को भारतीय बाजारों तक आसान पहुँच मिलती है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- **दिसंबर 2022** में **रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए गए।
- **जनवरी 2025** में एक **द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम** (BDCP) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे रक्षा संवाद, प्रशिक्षण और समुद्री सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क

- भारत और साइप्रस **समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं** और लोकतंत्र, अहिंसा और कानून के शासन जैसे **साझा मूल्यों** को साझा करते हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा कार्यक्रम और पर्यटन **लोगों के बीच संबंधों** को और मज़बूत बना रहे हैं।

आगे की राह

साझेदारी को और गहरा करने के लिए, भारत और साइप्रस को चाहिए:

- **रणनीतिक संवाद बढ़ाना**: नियमित उच्च-स्तरीय दौरे और रणनीतिक परामर्श।
- **बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना:** यूरोपीय संघ में साइप्रस की भूमिका और उसके क्षेत्रीय प्रभाव का लाभ उठाना।
- **रक्षा सहयोग का विस्तार करना:** समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और संयुक्त प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना।
- **व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना:** डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में लाभ उठाने के लिए आईजीसी व्यापार परिषद का उपयोग करना।

- **कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करना:** पारस्परिक आर्थिक लाभ के लिए आईएमईसी जैसी पहलों पर सहयोग करना।

निष्कर्ष

भारत-साइप्रस साझेदारी **साझा इतिहास, साझे मूल्यों और आपसी सम्मान** पर आधारित है। चूँकि साइप्रस **2026 में यूरोपीय संघ परिषद् की अध्यक्षता** संभालने की तैयारी कर रहा है, इस द्वीपीय राष्ट्र के साथ भारत की **रणनीतिक भागीदारी क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और वैश्विक सहयोग** की अपार संभावनाएँ रखती है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यात्रा ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित किया है, बल्कि भारत को **भूमध्यसागरीय क्षेत्र** में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भी स्थापित किया है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: साइप्रस-भारत साझेदारी के मूल स्तंभ और साझा मूल्य क्या हैं? [150 शब्द] [10 अंक]

भारत-किर्गिज़ गणराज्य द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी)

चर्चा में क्यों: भारत और किर्गिज़ गणराज्य ने आधिकारिक तौर पर **अनुसमर्थन पत्र** का आदान-प्रदान करके एक नई **द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी)** लागू कर दी है। **यह कदम दोनों मित्र देशों के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।**

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) क्या है?

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) दो देशों के बीच एक औपचारिक समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य है:

- एक देश के निवेशकों द्वारा दूसरे देश के क्षेत्र में किए गए निवेश को **बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना।**
- एक **सुरक्षित, पूर्वानुमानित और निष्पक्ष निवेश** वातावरण सुनिश्चित करना।
- **निवेशक अधिकारों** और **मेजबान देश के अपनी अर्थव्यवस्था और नीतियों को विनियमित करने के अधिकार** के बीच संतुलन बनाना।
- **स्थायी और जिम्मेदार** निवेश को प्रोत्साहित करना जो **आर्थिक विकास में योगदान देता है।**

भारत-किर्गिज़ गणराज्य BIT की समयरेखा

- **पहला BIT: 12 मई, 2000** को लागू हुआ।
- **नया BIT हस्ताक्षरित: 14 जून, 2019** को बिश्केक, किर्गिज़स्तान में।
- **नया BIT लागू: 5 जून, 2025** से, पिछले समझौते का स्थान लेगा।

यह संधि क्यों महत्वपूर्ण है?

यह अद्यतन BIT आधुनिक वैश्विक निवेश प्रथाओं और भारत की संशोधित निवेश संधि नीति को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है:

- एक-दूसरे के क्षेत्रों में **भारतीय और किर्गिज़ निवेशकों के लिए सुरक्षा।**
- दोनों देशों के **संप्रभु नीति-निर्माण अधिकारों** की रक्षा करते हुए निवेश के लिए उचित परिस्थितियाँ।
- **संधारणीय, पारदर्शी और ज़िम्मेदार** निवेश को बढ़ावा।

नए BIT की मुख्य विशेषताएँ

- **सतत विकास पर ध्यान**
  - नई संधि **सतत विकास** के महत्व को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करती है और इसे अपने मुख्य उद्देश्यों का हिस्सा बनाती है।
- **सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) खंड लागू न करना**
  - पहले के बीआईटी में अक्सर एक एमएफएन खंड होता था, जो निवेशकों को किसी अन्य देश द्वारा बेहतर व्यवहार का दावा करने की अनुमति देता था।
  - **यह BIT एमएफएन खंड को हटा देता है,** जिससे दुरुपयोग को रोका जा सकता है और निष्पक्ष लेकिन संतुलित व्यवहार सुनिश्चित होता है।
- **निवेश की उद्यम-आधारित परिभाषा**
  - स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि निवेश के रूप में क्या योग्य है।
  - इसमें एक **समावेशन सूची** (क्या शामिल है) और एक **बहिष्करण सूची** (क्या शामिल नहीं है) शामिल है।
  - निवेश की प्रमुख विशेषताओं को मान्यता देता है:
    - **इसमें पूँजी शामिल है**
    - लाभ की उम्मीद से किया गया है
    - **इसमें जोखिम शामिल है**
    - **मेजबान देश के विकास को लाभ पहुँचाता है**
- **सरकार की नीतिगत गुंजाइश को बनाए रखना**
  - कुछ संवेदनशील मामलों को BIT के कवरेज से बाहर रखा गया है:
    - स्थानीय सरकार के मुद्दे
    - कराधान
    - सरकारी खरीद
    - अनिवार्य लाइसेंस
    - सरकार द्वारा सीधे प्रदान की जाने वाली सेवाएँ (जैसे सुरक्षा या पुलिस व्यवस्था)
- **निवेशों का निष्पक्ष व्यवहार**
  - यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी निवेशकों को निष्पक्ष व्यवहार, अनुचित अधिग्रहण (राष्ट्रीयकरण) से सुरक्षा, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप रिटर्न हस्तांतरित करने की स्वतंत्रता मिले।
- **सामान्य और सुरक्षा अपवाद**
  - यह संधि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए अपवाद बनाती है।
  - यह दोनों सरकारों को BIT का उल्लंघन किए बिना आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति देता है।
- **अंशांकित विवाद निपटान (ISDS) तंत्र**
  - एक संतुलित **निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) तंत्र** प्रदान करता है।
  - निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का रुख करने से पहले सभी संभावित स्थानीय कानूनी उपायों का उपयोग करना चाहिए।

भारत का व्यापक बीआईटी अनुभव

- भारत ने 2015 तक **83 बीआईटी** पर हस्ताक्षर किए (74 सक्रिय थे)।
- पुरानी संधियों से जुड़ी समस्याओं को समझते हुए, भारत ने **2015 में एक नया मॉडल BIT** पेश किया।
- यह मॉडल निवेशकों को उचित सुरक्षा प्रदान करते हुए **भारत की नियामक स्वायत्तता** की रक्षा पर केंद्रित है।

- कई पुराने बीआईटी को या तो **समाप्त कर दिया गया या नए मॉडल के आधार पर उन पर फिर से बातचीत की गई।**

बीआईटी में मध्यस्थता क्या है?

- मध्यस्थता एक अदालत के बाहर विवाद समाधान पद्धति है जहाँ एक तटस्थ मध्यस्थ या न्यायाधिकरण निवेश विवादों का निपटारा करता है।
- यह सीमा पार निवेश विवादों को निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक हल करने का एक पसंदीदा तरीका है।

निष्कर्ष

नया **भारत-किर्गिज़ गणराज्य बीआईटी** दो मित्र राष्ट्रों के बीच एक आधुनिक, संतुलित और दूरदर्शी समझौते का प्रतीक है। यह निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है, **पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ावा देता है, और दोनों देशों के जनहित के लिए विनियमन के अधिकार** का सम्मान करता है। यह संधि केवल अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है – यह मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में **मज़बूत द्विपक्षीय मित्रता, सतत विकास और साझा समृद्धि की दिशा में** एक कदम है।

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद

चर्चा में क्यों: भारत को 2026-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है।

मुख्य विवरण

- भारत के अलावा, परिषद के लिए चुने गए अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, बुरुंडी, चाड, चीन, इक्वाडोर, फ़िनलैंड, लेबनान, मोज़ाम्बिक, नॉर्वे, पेरू, सिएरा लियोन, सेंट किट्स एंड नेविस, तुर्किये और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं।
- सभी नए सदस्यों का कार्यकाल 1 जनवरी, 2026 से शुरू होगा।
- **ECOSOC में सदस्यता पाँच क्षेत्रीय समूहों** के बीच निष्पक्ष भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वितरित की जाती है: अफ्रीकी राज्य, एशिया-प्रशांत राज्य, पूर्वी यूरोपीय राज्य, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्य, और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्य।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के बारे में

- ECOSOC **संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।**
- आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी मामलों के साथ-साथ मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं से भी संबंधित है। यह संयुक्त राष्ट्र और विशिष्ट एजेंसियों के कार्यों का समन्वय भी करती है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के **अध्याय X, अनुच्छेद 61-72,** ECOSOC से संबंधित हैं।
- **संरचना**
  - आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में महासभा द्वारा चुने गए **संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य** होते हैं।
  - **आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अठारह सदस्य प्रत्येक वर्ष तीन वर्ष की अवधि** के लिए चुने जाते हैं। सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य तत्काल पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है।
  - आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधि होता है।
- **मतदान**
  - आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है।
  - आर्थिक और सामाजिक परिषद के निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाते हैं और मतदान करते हैं
- **कार्य और शक्तियाँ**
  - **अनुसंधान और रिपोर्टिंग:** अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और संबंधित मामलों के संबंध में अध्ययन और रिपोर्ट बनाना या आरंभ करना और ऐसे किसी भी मामले के संबंध में महासभा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों और संबंधित विशेष एजेंसियों को सिफारिशें कर सकता है।
  - **मानवाधिकारों का संवर्धन:** सभी के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान और पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिफारिशें करना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रारूप तैयार करना:** महासभा को प्रस्तुत करने के लिए, अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में, सम्मेलनों का प्रारूप तैयार करना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन:** यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकता है।
  - **विशिष्ट एजेंसियों के साथ समन्वय:** विशिष्ट एजेंसियों के साथ परामर्श और उन्हें सिफारिशें करके और महासभा और संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को सिफारिशें करके उनकी गतिविधियों का समन्वय करना।
  - **एजेंसी रिपोर्टिंग की निगरानी:** विशिष्ट एजेंसियों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाना।
  - **सुरक्षा परिषद को सहायता:** यह सुरक्षा परिषद को जानकारी प्रदान कर सकता है और सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर उसकी सहायता करेगा।
  - **महासभा की सिफारिशों का कार्यान्वयन** : महासभा की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले कार्यों का निष्पादन करना।

निष्कर्ष

ECOSOC में भारत का चुनाव वैश्विक सामाजिक-आर्थिक नीतियों को आकार देने में उसकी भूमिका को बढ़ाता है और बहुपक्षीय मंचों पर उसकी आवाज़ को मज़बूत करता है। चूँकि ECOSOC समावेशी विकास और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, इसलिए भारत की उपस्थिति वैश्विक शासन और सतत विकास लक्ष्यों में सार्थक योगदान करने का अवसर प्रदान करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ECOSOC, संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है और आर्थिक, सामाजिक एवं मानवाधिकार संबंधी गतिविधियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है।
2. संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश समान मताधिकार के साथ ECOSOC के स्थायी सदस्य हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत को 2026-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के लिए चुना गया है। यह भारत की वैश्विक भूमिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ECOSOC के प्रमुख कार्यों और अधिदेश की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत और G7

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। हालाँकि **भारत समूह (G7) का औपचारिक सदस्य नहीं है,** फिर भी इसकी नियमित भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है।

G7 शिखर सम्मेलनों के साथ भारत का जुड़ाव

- भारत को अब तक G7 शिखर सम्मेलन में **अतिथि देश के रूप में बारह बार आमंत्रित** किया जा चुका है।
- यह **प्रधानमंत्री मोदी का लगातार छठा निमंत्रण** था, जो वैश्विक मंच पर भारत के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है।
- **भारत द्वारा भाग लिए गए पिछले शिखर सम्मेलनों में शामिल हैं:**
  - **फ्रांस** (2003, 2019)
  - **यूके** (2005, 2021)
  - **रूस** (2006)
  - **जर्मनी** (2007, 2022)
  - **जापान** (2008, 2023)
  - **इटली** (2009, 2024)

भारत को क्यों आमंत्रित किया गया है?

G7 शिखर सम्मेलन का **मेज़बान देश** अक्सर **गैर-सदस्य देशों** को इन आधारों पर आउटरीच सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है:

- रणनीतिक साझेदारी
- क्षेत्रीय महत्व
- वैश्विक मुद्दों से प्रासंगिकता
- उभरता आर्थिक महत्व

भारत, वैश्विक **दक्षिण की एक अग्रणी आवाज़** के रूप में, विकासशील और विकसित देशों के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

G7 आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के मुख्य अंश

ऊर्जा सुरक्षा

प्रधानमंत्री मोदी ने **ऊर्जा सुरक्षा** को एक प्रमुख वैश्विक चुनौती बताया। उन्होंने भारत के दृष्टिकोण पर जोर दिया:

- उपलब्धता
- सुगम्यता
- सामर्थ्य
- स्वीकार्यता (पर्यावरण वहनीयता)

स्थिरता और जलवायु कार्रवाई

भारत सबसे **तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं** में से एक है, फिर भी:

- पेरिस जलवायु समझौते के अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा किया
- वैश्विक हरित पहलों की शुरुआत की जैसे:
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
  - मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)
- प्रधानमंत्री ने विकसित देशों से वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से **इन प्रयासों का समर्थन** करने का आग्रह किया।

वैश्विक दक्षिण की आवाज़

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को **वैश्विक दक्षिण के प्रवक्ता के रूप में** स्थापित किया, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि:

- **कई विकासशील देश वैश्विक संकटों** (जैसे महामारी, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष) **से सबसे अधिक प्रभावित हैं।**
- **उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं को** एक स्थायी और समावेशी भविष्य के लिए **वैश्विक निर्णयों को आकार देना चाहिए।**

आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष

- प्रधानमंत्री ने **पहलगाम आतंकवादी हमले** की निंदा की और आह्वान किया:
  - आतंकवाद के विरुद्ध **शून्य सहिष्णुता**
  - **आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के विरुद्ध कार्रवाई**
  - आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में **कोई दोहरा मापदंड नहीं**
  - प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित की आवश्यकता पर प्रकाश डाला:

- मानव-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- हरित और संधारणीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान
- महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएँ
- भारत के **विशाल, विविध डेटासेट, उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता** के विकास के लिए मूल्यवान

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

संबोधन का समापन निम्नलिखित के आह्वान के साथ हुआ:

- **व्यापक वैश्विक सहयोग**
- **एक प्रौद्योगिकी-आधारित विकास मॉडल**
- प्रगति के लिए **एक जन- और ग्रह-केंद्रित दृष्टिकोण**

G7 के बारे में

सात देशों का समूह (G7) निम्नलिखित देशों का एक **अनौपचारिक समूह** है:

- **दुनिया की सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ**, और
- **यूरोपीय संघ** (गैर-घूर्णी भागीदार के रूप में)

वर्तमान सदस्य:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. यूनाइटेड किंगडम
3. फ्रांस
4. जर्मनी
5. इटली
6. जापान
7. कनाडा

G7 का इतिहास और विकास

- 1975: वैश्विक आर्थिक संकटों से निपटने के लिए **शुरुआत में छह देशों के समूह (G6)** - फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका - के रूप में गठित।
- **1976: कनाडा** इसमें शामिल हुआ और G7 का गठन हुआ।
- **1980 का दशक**: इसके एजेंडे का विस्तार सुरक्षा, मानवाधिकार और वैश्विक शांति को शामिल करने के लिए किया गया।
- **2000 के दशक के बाद: जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, विकासशील देशों के साथ जुड़ाव और निरस्त्रीकरण** कार्यक्रमों पर केंद्रित।
- **यूरोपीय संघ** सभी बैठकों में भाग लेता है, लेकिन **शिखर सम्मेलनों की मेजबानी नहीं करता** या अध्यक्षता नहीं करता।

G7 अभी भी क्यों मायने रखता है?

भले ही भारत, चीन और ब्राज़ील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ इसका हिस्सा नहीं हैं, फिर भी G7 महत्वपूर्ण बना हुआ है:

- वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने के लिए **एक शक्तिशाली मंच**
- जलवायु कार्रवाई, स्वास्थ्य संकट, वित्तीय प्रणालियों और सुरक्षा पर **आम सहमति बनाने का एक मंच**
- वैश्विक चुनौतियों पर अतिथि देशों के साथ **सहयोग का एक मंच**

निष्कर्ष

जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी **उसके बढ़ते वैश्विक कद और रणनीतिक महत्व** को दर्शाती है। **ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और डिजिटल परिवर्तन** जैसे मुद्दों पर ध्यान देकर, भारत **वैश्विक शासन में सार्थक योगदान** दे रहा है।

वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में, भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि विकासशील देशों की चिंताओं को उच्च-स्तरीय वैश्विक मंचों पर **सुना और संबोधित किया जाए।** जी-7 के साथ इसकी भागीदारी एक **संतुलित, भविष्योन्मुखी कूटनीति** का प्रतीक है जो स्थिरता, सहयोग और समावेशिता पर आधारित है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

1. अमेरिका
2. ब्रिटेन
3. संयुक्त अरब अमीरात
4. जापान
5. दक्षिण कोरिया
6. ऑस्ट्रेलिया
7. कनाडा

उपर्युक्त देशों में से कौन-से देश समूह के सात (G7) के सदस्य हैं?

(a) केवल 1, 2, 3 और 4 (b) केवल 4, 5, 6 और 7
(c) केवल 1, 2, 6 और 7 (d) केवल 1, 2, 4 और 7

उत्तर: (d)

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

चर्चा में क्यों: भारत जून में होने वाली वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की पूर्ण बैठक से पहले उसे एक डोज़ियर भेजेगा ताकि पाकिस्तान को अपनी 'ग्रे लिस्ट' में फिर से शामिल किया जा सके जिन देशों की जाँच-पड़ताल ज़्यादा होती है।

मुख्य विवरण

- भारत सरकार पाकिस्तान को विश्व बैंक द्वारा और अधिक धनराशि दिए जाने का भी विरोध करेगी।
- 2022 में, पाकिस्तान को इस सूची से हटा दिया गया था और एक शर्त यह थी कि वह एक आतंकवाद-रोधी कानून बनाएगा। वह कानून अभी तक नहीं आया है, इसलिए FATF के पास पाकिस्तान को फिर से इस सूची में डालने के लिए पर्याप्त कारण हैं। भारत का डोज़ियर इसमें और भी इजाफा करेगा।
- भारत यह तर्क देता रहा है कि पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान का **लश्कर-ए-तैयबा** और **जैश-ए-मोहम्मद** जैसे आतंकवादी संगठनों से सीधा संबंध है, जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ सीमा पार से आतंकवादी हमले करते हैं, और यह आतंकवादी संबंध पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता की गहन जांच के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
- भारत मई की शुरुआत में **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को कई प्रस्तुतियाँ दे चुका है।** पाकिस्तान को वित्तीय मोर्चे पर दबाने के भारत के अभियान के आने वाले महीनों में और तेज़ होने की संभावना है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के बारे में

- FATF की स्थापना 1989 में G7 देशों द्वारा धन शोधन से निपटने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी। 2001 में, इसका दायरा बढ़ाकर इसमें आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला भी शामिल कर लिया गया। इस **संगठन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस** में है।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल एक **स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय निकाय** है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली को धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण, और सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्तपोषण जैसे खतरों से बचाने के उद्देश्य से नीतियाँ बनाता और उन्हें आगे बढ़ाता है।
- इसके दिशानिर्देश, जिन्हें FATF अनुशंसाएँ कहा जाता है, **धन शोधन विरोधी (AML) और आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी (CFT)** उपायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में कार्य करते हैं।



FATF के कार्य

- **अवैध वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व**: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) धन शोधन, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है। FATF इस बात पर शोध करता है कि धन शोधन कैसे होता है और आतंकवाद को कैसे वित्त पोषित किया जाता है, जोखिमों को कम करने के लिए वैश्विक मानकों को बढ़ावा देता है, और यह आकलन करता है कि क्या देश प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं।
- **अवैध वित्तीय प्रवाह की निगरानी**: FATF इस बात पर निगरानी रखता है कि अपराधी और आतंकवादी अवैध धन कैसे उत्पन्न करते हैं, उसे कैसे स्थानांतरित करते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। यह नियमित रूप से उभरती तकनीकों पर प्रकाश डालने वाली रिपोर्टें प्रकाशित करता है, जिससे सरकारें और निजी क्षेत्र उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें।
- **उभरते खतरों का समाधान**: FATF सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए भी काम करता है। FATF इन खतरों से निपटने के लिए अपने वैश्विक मानकों को लगातार मजबूत करता है। नए जोखिम, जैसे आभासी संपत्तियों का विनियमन, जो क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ फैल गए हैं।
- **वैश्विक निगरानी और मूल्यांकन**: FATF यह सुनिश्चित करने के लिए देशों की निगरानी करता है कि वे FATF मानकों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करें। कुल मिलाकर, 200 से अधिक देशों और क्षेत्राधिकारों ने FATF के मानकों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है और उनका मूल्यांकन नौ FATF सहयोगी सदस्य संगठनों और अन्य वैश्विक भागीदारों, IMF और विश्व बैंक की मदद से किया जाता है।
- **ग्रे और ब्लैक लिस्ट के माध्यम से जवाबदेही**: FATF उन देशों को जवाबदेह ठहराता है जो FATF मानकों का पालन नहीं करते हैं। यदि कोई देश बार-बार FATF मानकों को लागू करने में विफल रहता है, तो उसे बढ़ी हुई निगरानी वाले क्षेत्राधिकार या उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार का नाम दिया जा सकता है। इन्हें अक्सर बाहरी रूप से "ग्रे और ब्लैक लिस्ट" कहा जाता है।



इकाई 3

अर्थव्यवस्था एवं कृषि

भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

चर्चा में क्यों: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति

- **रैंकिंग और विस्थापन:** भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2024 तक, भारत वैश्विक स्तर पर पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान रखता।
- **वर्तमान जीडीपी मूल्यांकन:** भारत का जीडीपी वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो जापान के अनुमानित 4.187 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक है।
- **शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ:** भारत के उत्थान के बाद, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ बनाए हुए हैं। 2025 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जीडीपी 30.5 ट्रिलियन डॉलर, जबकि चीन का लगभग 19.2 ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है।

भविष्य के आर्थिक अनुमान और विकास के कारक

- **तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह:** भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को तीसरे स्थान से हटा देगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, यह 2027 तक या 2028 तक हो सकता है, जब भारत की जीडीपी बढ़कर 5.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है।
- **अनुमानित जीडीपी वृद्धि और समयरेखा:** भारत की अर्थव्यवस्था 2015 के बाद से दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है, जब इसकी जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। आईएमएफ का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की नाममात्र जीडीपी लगभग 4,187.017 बिलियन डॉलर होगी।
- **विकास दर और वैश्विक तुलना:** भारत के दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसके अगले दो वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि हासिल करने की संभावना है। विशेष रूप से, भारत की अर्थव्यवस्था के 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% की दर से बढ़ने की संभावना है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय समकक्षों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त बनाए रखेगी। इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर काफी कम, 2025 में 2.8% और 2026 में 3.0% रहेगी।

- **भारत के विकास के प्रमुख कारक**
  - अगले 20 से 25 वर्षों तक **भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश से** इस तीव्र विकास को बल मिलने की संभावना है।
  - भारत के पास **विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है** और उसे मजबूत नीतिगत प्रोत्साहन का लाभ मिल रहा है।
  - नीति आयोग की दसवीं शासी परिषद की बैठक में विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण गैर-कृषि, शहरी अनौपचारिक, हरित अर्थव्यवस्था और चक्रीय अर्थव्यवस्था सहित व्यापक विषयों पर चर्चा हुई।

आर्थिक महत्व

- **निवेशकों के विश्वास में वृद्धि:**
  - भारतीय बाजारों में बढ़ता वैश्विक विश्वास अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) को आकर्षित करेगा।
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से बेहतर क्रेडिट रेटिंग और ऋण की शर्तें।
- **घरेलू दिग्गजों का उदय:**
  - भारतीय कंपनियाँ नवाचार और विस्तार के लिए अधिक संसाधनों के साथ वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर सकती हैं।
  - पूंजी, पैमाने और वैश्विक आकांक्षाओं से प्रेरित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार।
- **क्षेत्रीय विविधीकरण:**
  - सेवाएँ, विनिर्माण (मेक इन इंडिया के तहत) और कृषि को आर्थिक स्पिलओवर प्रभावों से लाभ होने की संभावना है।
  - **उभरते क्षेत्रों का विकास:** डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और जैव प्रौद्योगिकी।

भू-राजनीतिक निहितार्थ और रणनीतिक स्थिति

- **वैश्विक प्रभाव में वृद्धि:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी सामर्थ्य:** आर्थिक उन्नति अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में अधिक प्रभाव प्रदान करती है।
  - **बहुपक्षीय जुड़ाव:** क्वाड गठबंधन, ब्रिक्स राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), I2U2 साझेदारी आदि जैसे प्रमुख मंचों में रणनीतिक भागीदारी।
  - **रणनीतिक स्वायत्तता:** रणनीतिक गठबंधन बनाते हुए परंपरा को बनाए रखना।
- **क्षेत्रीय गतिशीलता:** उत्थान एक जटिल परिदृश्य में होता है जिसकी विशेषताएँ हैं:
  - चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा
  - संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगियों के साथ बढ़ता सहयोग
  - वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व
- **आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण:**
  - **विनिर्माण केंद्र का दर्जा:** भारत चीन-केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में स्थापित है।
  - **सरकारी सहायता:** उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना आकर्षण को बढ़ाती है।

पर्यावरणीय चुनौतियाँ और स्थिरता

- **विकास का पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - **कार्बन उत्सर्जन:**
    - भारत वैश्विक स्तर पर CO_2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।

- यह वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 7% के लिए ज़िम्मेदार है।
- प्रति व्यक्ति उत्सर्जन: 1.9 टन (अमेरिका के 14.7 टन के मुकाबले)

➢ **वायु गुणवत्ता संकट:**

- दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में स्थित हैं।
- वायु प्रदूषण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को सालाना 0.56 प्रतिशत अंक कम कर देता है।

- **पर्यावरणीय क्षरण की आर्थिक लागत:**
  - ➢ **वार्षिक प्रभाव**: पर्यावरणीय क्षरण की लागत लगभग 80 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष है।
  - ➢ **सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत**: सकल घरेलू उत्पाद के 5.7% के बराबर।
  - ➢ **प्रकृति पर निर्भरता**: सकल घरेलू उत्पाद का 33% उन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है जो प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर हैं।

सामाजिक निहितार्थ

- **रोज़गार सृजन:**
  - ➢ जैसे-जैसे सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रम की माँग भी बढ़ती है।
  - ➢ कुशल और अर्ध-कुशल क्षेत्रों में, विशेष रूप से युवाओं के लिए, अधिक रोज़गार की संभावना।
- **निर्धनता उन्मूलन और असमानता:**
  - ➢ उच्च राजस्व सरकार को कल्याणकारी और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है।
  - ➢ हालाँकि, यदि विकास समावेशी या क्षेत्रीय रूप से संतुलित नहीं है, तो धन के अंतर के बढ़ने का जोखिम है।
- **मध्यम वर्ग का उदय:**
  - ➢ शहरी और ग्रामीण मध्यम वर्ग की खपत, जीवनशैली में बदलाव और आकांक्षाओं में वृद्धि।
  - ➢ स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढाँचे की बढ़ती माँग।

भविष्य की चुनौतियाँ और ज़िम्मेदारियाँ

- **असमानता और शहरी-ग्रामीण विभाजन:** सामाजिक अशांति और अलगाव से बचने के लिए विकास समावेशी होना चाहिए।
- **सतत शहरीकरण:** जैसे-जैसे आर्थिक केंद्र विकसित होते हैं, बुनियादी ढाँचे, आवास और गतिशीलता को उन्नत किया जाना चाहिए।
- **संस्थागत सुधार**: विकास की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए शासन, न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है।
- **वैश्विक अपेक्षाएँ**: संघर्षों में मध्यस्थता करने, वैश्विक शांति में योगदान देने और नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत की ओर से अपेक्षाएँ बढ़ती जाएँगी।
- **जलवायु लचीलापन और संसाधन प्रबंधन**: भारत को जलवायु संबंधी कमज़ोरियों का समाधान करना होगा, जल संकट का प्रबंधन करना होगा और निम्न-कार्बन उत्सर्जन के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा।
- **मानव पूँजी और कौशल**: उद्योग की माँगों को पूरा करने और उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए युवा कार्यबल को बड़े पैमाने पर कौशल विकास की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत की विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की **उपलब्धि एक उल्लेखनीय उपलब्धि और विकास के एक अधिक जटिल चरण की शुरुआत, दोनों का प्रतिनिधित्व करती है**। देश एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसे तीव्र आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समावेशन और भू-राजनीतिक ज़िम्मेदारियों के साथ संतुलित करना होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की त्वरित आर्थिक वृद्धि और भविष्य में संभावित वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

बीमा क्षेत्र

चर्चा में क्यों: ऑपरेशन सिंदूर और हाल के युद्धों में ड्रोन के बढ़ते उपयोग ने बीमा कंपनियों को सीमावर्ती राज्यों में कॉर्पोरेट्स और लोगों के लिए युद्ध बीमा कवर शुरू करने की संभावना तलाशने के लिए प्रेरित किया है ताकि वे परियोजनाओं में अपने निवेश और जीवन की सुरक्षा कर सकें।

मुख्य विवरण

- देश की सबसे बड़ी **पुनर्बीमा कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) के अध्यक्ष** और प्रबंध निदेशक ने कहा कि **उद्योग रक्षा परिसंपत्तियों को कवर करने के लिए एक बीमा पूल बनाने को भी तैयार है,** बशर्ते सरकार इसके लिए गारंटी दे।
- वर्तमान में, **भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों का बीमा नहीं है।** GIC Re ने रक्षा परिसंपत्तियों के लिए एक बीमा पूल बनाने का प्रस्ताव दिया है, जो परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए बनाए गए बीमा पूल जैसा ही है, और सरकारी गारंटी पर निर्भर है।

पुनर्बीमाकर्ता शब्द का अर्थ ऐसी कंपनी से है जो बीमा कंपनियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। पुनर्बीमाकर्ता ऐसे जोखिमों को संभालते हैं जो बीमा कंपनियों के लिए अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है और बीमा कंपनियों के लिए पहले से कहीं अधिक व्यवसाय प्राप्त करना संभव बनाते हैं।

भारत के बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है और लगभग 1.9% बाजार हिस्सेदारी के साथ उभरते बाजारों में दूसरे स्थान पर है।

- **बीमा घनत्व** में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2001 में 11.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 95 अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- **बीमा निवेश** में भी लगातार सुधार हुआ है, जो 2000 में 2.7% से बढ़कर 2022 में 4% हो गया है। बीमा पैठ में मामूली गिरावट देखी गई, जो वित्त वर्ष 2023 में **4.0% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 3.7% हो गई।**
- 2014 और 2023 के बीच, इस क्षेत्र ने लगभग 54,000 करोड़ रुपये (6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया।
- बजट 2025 में, सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा।

बीमा निवेश को सकल घरेलू उत्पाद में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है।

बीमा घनत्व की गणना जनसंख्या (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) के प्रीमियम के अनुपात के रूप में की जाती है।

बीमा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- **सामर्थ्य संबंधी चिंताएँ:** उच्च प्रीमियम और कम कीमत वाले उत्पाद, विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के लिए, पहुँच को सीमित करते हैं।
- **सीमित पहुँच:** भारत में बीमा पहुँच 3.7% है, जो वैश्विक औसत 7% से काफ़ी कम है, जो कवरेज में भारी अंतर और विस्तार की गुंजाइश को दर्शाता है।
- **साइबर सुरक्षा और अन्य चुनौतियाँ:** जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ और साइबर खतरे जोखिम प्रबंधन को नया रूप दे रहे हैं। डिजिटल धोखाधड़ी और गलत बिक्री उपभोक्ताओं की प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरी हैं।
- **नियामक विखंडन:** बीमा क्षेत्र को जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य क्षेत्रों में असंगत नियमों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन जटिलताएँ पैदा हो रही हैं।
- **दावा निपटान चुनौतियाँ:** दावा प्रक्रिया में देरी, अस्वीकृति और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे ग्राहकों में असंतोष का कारण बनते हैं।
- **बढ़ती परिचालन लागत:** चिकित्सा देखभाल और दावा भुगतान की बढ़ती लागत ग्राहकों की सामर्थ्य और बीमा कंपनियों की लाभप्रदता, दोनों पर दबाव डालती है।
- **प्रतिबंधित वितरण:** बीमा सेवाएं मुख्यतः शहरों पर केंद्रित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पहुंच सीमित है, तथा वितरण के लिए एजेंटों पर इनकी निर्भरता बहुत अधिक है।

आगे की राह

- **बीमा कवरेज का विस्तार:** ग्रामीण समुदायों, एमएसएमई और गिग वर्कर्स जैसे वंचित वर्गों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बीमा उत्पादों को बढ़ावा देना, साथ ही जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अपनाने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान चलाना।
- **मौजूदा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना:** समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जन धन योजना, अटल पेंशन योजना और सुरक्षा बीमा योजना जैसी मौजूदा पहलों का लाभ उठाकर बीमा पहुँच को मज़बूत करना।
- **बीमा उत्पादों का सरलीकरण:** ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित आबादी तक पहुँचने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरल, समझने में आसान, किफ़ायती और समावेशी बीमा पेशकशें डिज़ाइन करना।
- **नियामक सुधार:** बीमा क्षेत्र में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए IRDAI के नियमों को सरल और सुसंगत बनाना, और तेज़ और निष्पक्ष दावा निपटान को सक्षम करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को मज़बूत बनाना।
- **डिजिटल सुरक्षा और निगरानी:** डिजिटल बीमा प्लेटफ़ॉर्म के लिए मज़बूत साइबर सुरक्षा मानकों को लागू करना और AI-आधारित निगरानी प्रणालियों के माध्यम से धोखाधड़ी की रोकथाम को बढ़ाना।
- **नवाचार और इंश्योरटेक को बढ़ावा देना:** तकनीक आधारित बीमा स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए अनुपालन मानदंडों को आसान बनाना और ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए एआई-संचालित, उपयोग-आधारित बीमा मॉडल को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूर और ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरों के उदाहरण के रूप में युद्ध के बदलते परिदृश्य ने **भारत के बीमा ढाँचे का समय रहते पुनर्मूल्यांकन** करने के लिए प्रेरित किया है। हालाँकि इस क्षेत्र ने बाज़ार के आकार, निवेश और नियामक सुधारों के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कम पहुँच, सामर्थ्य और खंडित विनियमन जैसे गहरे मुद्दे इसकी पूरी क्षमता में बाधा बन रहे हैं। व्यापक जोखिम सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए, **भारत को समावेशी बीमा पहुँच, तकनीकी नवाचार और मज़बूत सार्वजनिक-निजी सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए**—खासकर उच्च जोखिम वाले और कम सेवा वाले क्षेत्रों में।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के बीमा क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इसकी विशेष रूप से साइबर खतरों और भू-राजनीतिक तनावों जैसे उभरते जोखिमों के आलोक में व्यापकता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति (सड़क क्षेत्र)

चर्चा में क्यों: **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)** ने हाल ही में अपना **पहला परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति दस्तावेज़** जारी किया है, जो भारत के सड़क अवसंरचना क्षेत्र में सतत वित्तपोषण और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

संपत्ति मुद्रीकरण क्या है?

संपत्ति मुद्रीकरण, निजी क्षेत्र को सम्मिलित करके **मौजूदा सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य को अनलॉक करने** की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसे पूंजी **पुनर्चक्रण** भी कहा जाता है।

इस मॉडल में:

- सरकार **परिचालन परिसंपत्तियों (जैसे सड़कें) को निजी पक्षों को पट्टे** पर देती है या हस्तांतरित करती है।
- बदले में, निजी खिलाड़ी **अग्रिम या आवधिक भुगतान करते हैं।**
- फिर इन निधियों का उपयोग **नए अवसंरचना के निर्माण में किया जाता है,** जिससे एक **सकारात्मक वित्तीय चक्र** का निर्माण होता है।

भारत का सड़क नेटवर्क

- भारत में **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क** है।
- 2024 तक **राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1.46 लाख किलोमीटर** से अधिक लंबे हो जाएँगे।
- **भारतमाला परियोजना और SARDP-NE** जैसे कार्यक्रमों के तहत, सड़क विकास में तेज़ी से वृद्धि हुई है:
  - राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2004 में **65,569 किलोमीटर** से बढ़कर 2024 में **1,46,145 किलोमीटर** हो गई।
  - उच्च गति वाले गलियारे **93 किलोमीटर (2014)** से बढ़कर **2,138 किलोमीटर (2024)** हो गए।
  - सड़क निर्माण की गति **12.1 किलोमीटर/दिन (2014-15)** से बढ़कर **33.8 किलोमीटर/दिन (2023-24)** हो गई।
  - पिछले दशक में पूंजीगत व्यय **5.7 गुना** बढ़कर **रिकॉर्ड ₹3.01 लाख** करोड़ तक पहुँच गया।

एनएचएआई का परिसंपत्ति मुद्रीकरण ढांचा

पूंजी जुटाने और सरकारी बजट पर निर्भरता कम करने के लिए, एनएचएआई ने **तीन प्रमुख मुद्रीकरण तंत्र** अपनाए हैं:

1. टोल-संचालन-हस्तांतरण (टीओटी) मॉडल

- **टीओटी मॉडल** में, एनएचएआई **पूर्ण और चालू राजमार्गों** को एक **निश्चित अवधि** (आमतौर पर **20 वर्ष**) के लिए निजी कंपनियों को **पट्टे पर देता** है।

- निजी कंपनी (जिसे **रियायतग्राही** कहा जाता है) **एकमुश्त राशि** का भुगतान करती है और उसे निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं:
  - ➢ **टोल एकत्र करना**
  - ➢ रियायत अवधि के दौरान सड़क का **संचालन और रखरखाव करना**
  - ➢ अनुबंध **सबसे अधिक बोली लगाने** वाले को दिया जाता है।
- अब तक, एनएचएआई ने टीओटी मॉडल (वित्त वर्ष 2024-25 तक) के माध्यम से ₹**49,000 करोड़** जुटाए हैं।

लाभ:

- **तत्काल पूंजी** उत्पन्न होती है।
- निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के माध्यम से **संचालन और रखरखाव दक्षता** में सुधार होता है।
- पट्टे के बाद एनएचएआई के लिए कोई यातायात या राजस्व जोखिम नहीं होता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs)

- **InvITs एक संयुक्त निवेश माध्यम है** जो निवेशकों को इकाइयाँ बेचकर धन जुटाता है।
- ये निवेशक **परिचालनरत राजमार्ग परियोजनाओं से उत्पन्न नकदी प्रवाह से रिटर्न** प्राप्त करते हैं।
- **एनएचएआई InvITs मॉडल में:**
  - ➢ राजस्व उत्पन्न करने वाली सड़कों को एक **ट्रस्ट संरचना** में रखा जाता है।
  - ➢ ट्रस्ट संस्थागत और खुदरा निवेशकों को **इकाइयाँ बेचता** है।
  - ➢ **एनएचएआई परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्य करता है,** जो संचालन एवं रखरखाव की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- वित्त वर्ष 2024-25 तक, NHAI ने InvITs के माध्यम से लगभग ₹**43,000 करोड़** जुटाए हैं।

लाभ:

- पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे **दीर्घकालिक निवेशकों** को आकर्षित करता है।
- **स्थिर, कम जोखिम वाला रिटर्न** प्रदान करता है।
- निवेशकों को **तरलता और विविधीकरण** प्रदान करता है।

3. उपयोगकर्ता शुल्क प्राप्तियों का प्रतिभूतिकरण

- इस मॉडल में, NHAI चयनित टोल प्लाज़ा से भविष्य के टोल राजस्व को प्रतिभूतिकृत करने के लिए **एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)** बनाता है।
- इसके बाद, SPV इन अनुमानित टोल संग्रहों के आधार पर **बैंकों या वित्तीय संस्थानों** से धन जुटाता है।
- इस मॉडल का उपयोग **दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे** जैसी प्रमुख परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया है।
- अब तक, प्रतिभूतिकरण के माध्यम से **₹40,000 करोड़ से अधिक राशि** जुटाई जा चुकी है।

लाभ:

- **दीर्घकालिक परियोजना-आधारित वित्तपोषण** प्रदान करता है।
- **बड़े मूल्य वाली राजमार्ग परियोजनाओं** के लिए आदर्श।
- वार्षिक बजटीय आवंटन पर निर्भरता कम करता है।

अब तक की समग्र उपलब्धियाँ

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत, इन तीनों तंत्रों ने मिलकर NHAI को **6,100 किलोमीटर** से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए **₹1.4 लाख करोड़** से अधिक जुटाने में मदद की है।

संपत्ति मुद्रीकरण क्यों महत्वपूर्ण है?

- **मूल्य प्राप्ति:**
  - ➢ पूर्ण संपत्तियों की आर्थिक क्षमता को साकार करने में मदद करता है, अतिरिक्त कराधान या ऋण के बिना पूंजी उत्पन्न करता है।
- **संसाधनों का कुशल उपयोग:**
  - ➢ परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, सेवा की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करता है।
- **नए बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण:**
  - ➢ मुद्रीकरण से प्राप्त आय का उपयोग नई ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है, जिससे निरंतर विकास सुनिश्चित होता है।
- **कम राजकोषीय बोझ:**
  - ➢ सरकारी बजट पर दबाव कम करता है, जिससे परियोजनाओं का **तेजी से क्रियान्वयन** संभव होता है।

निष्कर्ष

एनएचएआई की परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति एक **साहसिक और दूरदर्शी कदम** है जो **निजी निवेश को आकर्षित करती है, परिचालन दक्षता में सुधार करती है और भारत में राजमार्गों का निरंतर विकास सुनिश्चित** करती है। बढ़ते यातायात और बढ़ती बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों के साथ, **ऐसे नवोन्मेषी वित्तपोषण मॉडल भारत की विश्वस्तरीय सड़क बुनियादी ढाँचे की ओर यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपनी परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति के तहत निम्नलिखित में से किस तंत्र का/के उपयोग करता है?

1. अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvITs)
2. टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (ToT)
3. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
4. उपयोगकर्ता शुल्क रसीदों का प्रतिभूतिकरण

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: एनएचएआई द्वारा सड़क परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (ToT), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) और प्रतिभूतिकरण की संरचना और तुलनात्मक लाभों पर चर्चा करें। [150 शब्द | 10 अंक]

सूक्ष्म वित्त क्षेत्र

चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र लगातार उच्च ऋणग्रस्तता, ऊँची ब्याज दरों और ज़बरदस्ती वसूली की प्रथाओं से जूझ रहा है।

भारत के सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के बारे में

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- गुजरात में स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा) बैंक के साथ आरंभ (1974)।
- 1992 में नाबार्ड द्वारा एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) के माध्यम से प्रमुख प्रोत्साहन - जो अब दुनिया का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है।

भूमिका और महत्व

- वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण।
- निम्न-आय वाले परिवारों, ग्रामीण उद्यमियों और महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को सेवाएँ प्रदान करता है।
- बचत, निधि हस्तांतरण, सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बीमा और अन्य आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।

वर्तमान स्थिति: मुख्य आँकड़े

- 31 मार्च, 2024 तक, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र का सकल ऋण पोर्टफोलियो (जीएलपी) ₹4.33 लाख करोड़ था, जो 14.9 करोड़ सक्रिय ऋण खातों के माध्यम से 7.8 करोड़ विशिष्ट उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान कर रहा था।
- एनबीएफसी-एमएफआई की बाजार हिस्सेदारी लगभग 39.4% के साथ सबसे बड़ी है, इसके बाद बैंक (33.2%) और लघु वित्त बैंक (एसएफबी) (17.1%) का स्थान है।
- यह क्षेत्र भारत के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में लगभग 2.03% का योगदान देता है और लगभग 1.3 करोड़ रोजगार सृजन करता है।
- माइक्रोफाइनेंस परिचालन 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 730 जिलों में फैला हुआ है।

सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- **संरचनात्मक और वित्तीय बाधाएँ**
  - **उच्च लेन-देन लागत और संपार्श्विक का अभाव:** प्रारंभिक ऋण योजनाएँ उच्च लागत और अक्षमताओं से ग्रस्त थीं, और कई ग्रामीण गरीबों के पास ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक का अभाव था।
  - **उच्च परिचालन लागत:** दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने में महत्वपूर्ण परिचालन और प्रशासनिक लागत आती है।
  - **सस्ती पूँजी तक सीमित पहुँच:** छोटे सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) को सस्ता वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, वे बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं जिससे उधार लेने और उधार देने की लागत बढ़ जाती है।
- **ऋण जोखिम और उधारकर्ता की भेद्यता**
  - **परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट और ऋण चूक:** सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) वित्त वर्ष 2025 के अंत तक लगभग 16% तक बढ़ गईं, जो वित्त वर्ष 2024 के 8.8% से लगभग दोगुनी है।
  - **अत्यधिक ऋणग्रस्तता:** उधारकर्ता अक्सर कई ऋणदाताओं से ऋण लेते हैं, जिससे उन पर अत्यधिक ऋण का बोझ बढ़ जाता है और ऋण अदायगी में चूक की दर बढ़ जाती है।
- **नियामक और नीतिगत बाधाएँ**
  - **नियामक चुनौतियाँ और नीतिगत अनिश्चितता:** बार-बार होने वाले बदलाव, अस्पष्ट दिशानिर्देश और असंगत निगरानी, परिचालन अक्षमताओं को जन्म देते हैं। हाल के सख्त नियमों, जैसे कि तीन ऋणदाताओं की सीमा और प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख की ऋण सीमा, के कारण उधारकर्ताओं द्वारा ऋण अस्वीकार करने की दर में वृद्धि हुई है और ऋण वितरण में मंदी आई है।
- **साक्षरता और समावेशन में अंतराल**
  - **कम वित्तीय और डिजिटल साक्षरता:** कई ग्राहकों में वित्तीय साक्षरता का अभाव है, जिससे ऋण शर्तों को समझने, ऋण प्रबंधन और सूक्ष्म वित्त सेवाओं का पूर्ण उपयोग करने में उनकी क्षमता बाधित होती है।
  - **क्षेत्रीय असंतुलन:** सूक्ष्म वित्त पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ ही राज्यों में केंद्रित है, जिससे कई क्षेत्र सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
- **बाह्य एवं आंतरिक संकट संबंधी घटनाएँ**
  - **आंध्र प्रदेश संकट (2010):** ऋण वसूली के जबरन तरीकों और उच्च ब्याज दरों के आरोपों के कारण राज्य में कड़े नियम लागू हुए और सूक्ष्म वित्त गतिविधियों में भारी गिरावट आई।
  - **विमुद्रीकरण (2016):** उच्च मूल्य के करेंसी नोटों के अप्रत्याशित विमुद्रीकरण ने इस क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे ऋण सेवा में कठिनाइयाँ आईं और नकद लेनदेन करने वाले देनदारों के बीच चूक बढ़ गई।
  - **कोविड-19 महामारी (2020):** लॉकडाउन और आर्थिक व्यवधानों ने पुनर्भुगतान क्षमताओं को प्रभावित किया, जिससे सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए तरलता की समस्याएँ पैदा हुईं।

आगे की राह और सुझाव

- **ज़िम्मेदार ऋण देने की प्रथाओं को मज़बूत करना**
  - **संतुलित पहुँच और ज़िम्मेदार ऋण:** उधारकर्ताओं में अत्यधिक ऋणग्रस्तता को रोकना बेहद आवश्यक है।
  - **मज़बूत ऋण मूल्यांकन और वित्तीय साक्षरता:** अनिवार्य आय और व्यय मूल्यांकन, आय अनुपात के लिए निश्चित दायित्व (FOIR) की गणना, और वित्तीय साक्षरता पहलों सहित मज़बूत ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं को लागू करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उधारकर्ता ऋण की शर्तों को समझें और ऋण का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें।
  - **पारदर्शी मूल्य निर्धारण:** ऋणदाताओं को ब्याज दरों और शुल्कों का स्पष्ट और पारदर्शी प्रकटीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।
  - **बेहतर ग्राहक सुरक्षा:** शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत करना और उधारकर्ताओं का विश्वास बनाने के लिए निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना।
- **प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का लाभ उठाना**
  - **डिजिटल परिवर्तन:** पहुँच बढ़ाने, परिचालन दक्षता में सुधार, लागत कम करने और ऋण प्रक्रिया और पुनर्भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल ऋण प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन, AI-संचालित क्रेडिट स्कोरिंग और UPI एकीकरण का लाभ उठाना जारी रखना।
  - **डिजिटल डिवाइड को संबोधित करना:** डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए, यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल रूप से बहिष्कृत ग्राहकों की भी उचित वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बनी रहे।
  - **डेटा सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम:** ग्राहक डेटा की सुरक्षा और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा उपायों और एआई-संचालित खतरा पहचान प्रणालियों में निवेश करना।

- **वित्तपोषण और पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना**
  - **समर्पित वित्तपोषण तंत्र:** छोटे सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) को परेशानी मुक्त तरीके से पूंजी तक पहुँचने में मदद करने के लिए समर्पित वित्तपोषण तंत्र या गारंटी निधि की खोज करना।
  - **विकास पूंजी:** भारत माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड जैसे मौजूदा तंत्रों से परे विकास पूंजी की व्यवस्था को सुगम बनाना।

सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए पहल

- **नाबार्ड की पहल**
  - **स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी):** नाबार्ड देश भर में स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन, पोषण और ऋण लिंकेज के लिए विभिन्न साझेदार एजेंसियों को अनुदान सहायता प्रदान करता है।
  - **पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन:** महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और वित्तपोषित करने, क्षमता निर्माण और विपणन जैसी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 150 चिन्हित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) और पिछड़े जिलों में कार्यान्वित एक योजना।
  - **संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को प्रोत्साहन:** नाबार्ड संयुक्त देयता समूहों के गठन और पोषण तथा हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए बैंकों और अन्य पात्र एजेंसियों को अनुदान सहायता प्रदान करता है।
  - **आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी):** नाबार्ड स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु कौशल प्रदान करने और उन्नत करने हेतु सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) जैसी योजनाओं को कार्यान्वित करता है। एमईडीपी प्रस्तावों को डिजिटल बनाने के लिए एनएबीएंटरप्राइज़ पोर्टल लॉन्च किया गया।
- **भारत सरकार (जीओआई) की पहल**
  - **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):** अब इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) कर दिया गया है। यह निर्धनता उन्मूलन पर केंद्रित है। यह महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज में छूट प्रदान करता है, जिससे बैंक ऋण की प्रभावी लागत कम होती है।
  - **लखपति दीदी योजना:** 15 अगस्त, 2023 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 3 करोड़ परिपक्व स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ₹1 लाख या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने वाली व्यक्तिगत सूक्ष्म-उद्यमी बनने के लिए सशक्त बनाना है।
  - **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):** इस पहल ने औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करके सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के विकास को महत्वपूर्ण रूप से गति दी है।
  - **मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड):** सिडबी की एक सहायक कंपनी, मुद्रा सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को ऋण देने के लिए एमएफआई, बैंकों और एनबीएफसी को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है।
  - **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई):** यह योजना ऋण गारंटी प्रदान करके इस क्षेत्र का समर्थन करती है, जिसमें केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी सीमा ₹5 करोड़ से दोगुनी होकर ₹10 करोड़ प्रति ऋण हो गई है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को किन चुनौतियों और नियामक परिवर्तनों ने आकार दिया है? भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र ने हाल ही में लाभप्रदता और उल्लेखनीय वृद्धि कैसे हासिल की है? [250 शब्द] [15 अंक]

भारत में विदेशी निवेश

चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने कहा कि सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में हालिया गिरावट चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि धन के प्रत्यावर्तन में वृद्धि भारत में एक परिपक्व और सुचारू निवेश वातावरण को दर्शाती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का अवलोकन

- सकल FDI प्रवाह मज़बूत रहा, लेकिन **सकल FDI में भारी गिरावट देखी गई।**
- **सकल FDI प्रवाह:** वित्त वर्ष 2024-25 में यह 14% बढ़कर 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष के 71.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यह दर्शाता है कि भारत लगातार महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित कर रहा है।
- **सकल FDI:** वित्त वर्ष 2024-25 में यह तेजी से घटकर 0.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो एक वर्ष पहले के 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से उल्लेखनीय कमी है।
- **कमी के कारण:** सकल एफडीआई में गिरावट का कारण धन का अधिक प्रत्यावर्तन और सकल बाह्य एफडीआई में वृद्धि है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) या (एफआईआई) का अवलोकन

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
- वित्त वर्ष 2024-25 में एफपीआई प्रवाह में भारी गिरावट आई और यह 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।
- यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि विदेशी निवेशकों ने अपनी भारतीय इक्विटी होल्डिंग्स से मुनाफा कमाने का विकल्प चुना।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) या (एफआईआई) का अवलोकन

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
- वित्त वर्ष 2024-25 में एफपीआई प्रवाह में भारी गिरावट आई और यह 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।
- यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि विदेशी निवेशकों ने अपनी भारतीय इक्विटी होल्डिंग्स से मुनाफा कमाने का विकल्प चुना।

बाह्य क्षेत्र का लचीलापन और संभावनाएँ

- **चालू खाता घाटा (CAD)**
  - वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का चालू खाता घाटा कम रहने की संभावना है। चौथी तिमाही में व्यापार घाटा कम होने, सेवाओं के निर्यात में मजबूती और धन प्रेषण के तीव्र प्रवाह से इसे बल मिला है।
  - भविष्य में, सकल सेवाओं और धन प्रेषण प्राप्तियों के अधिशेष में रहने का अनुमान है, जो व्यापक वस्तु व्यापार घाटे के किसी भी दबाव का प्रभावी रूप से प्रतिसंतुलन करेगा।
  - वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चालू खाता घाटा संधारणीय स्तरों के भीतर रहने का अनुमान है।

- **वाणिज्यिक व्यापार**
  - बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापार तनावों के बावजूद, भारत के वाणिज्यिक व्यापार ने अप्रैल 2025 में लचीलापन प्रदर्शित किया।
  - हालाँकि, उस महीने के दौरान व्यापार घाटा बढ़ गया क्योंकि आयात निर्यात की तुलना में तेज़ी से बढ़ा।
- **विदेशी मुद्रा भंडार**
  - 30 मई, 2025 तक, **भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 691.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था**, जो पिछले सप्ताह के 692.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर से मामूली कमी है।
  - ये भंडार पर्याप्त माने जाते हैं, **जो 11 महीने से अधिक के माल आयात** और लगभग 96% बकाया विदेशी ऋण को कवर करने में सक्षम हैं।

उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में योगदान देने वाले कारक

- **प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार:** विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 2021 के 43वें स्थान से सुधरकर 40वें स्थान पर आ गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भी भारत 2015 के 81वें स्थान से बढ़कर 40वें स्थान पर पहुँच गया है, जो नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता में प्रगति को दर्शाता है।
- **वैश्विक निवेश स्थिति:** संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत 1,008 घोषणाओं के साथ ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का तीसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। इसने अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में 64% की वृद्धि दर्ज की, जो विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है।
- **बेहतर कारोबारी माहौल:** विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) 2020 में भारत की डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2014 के 142वें स्थान से सुधरकर 63वें स्थान पर आ गई है, जो नियमों को आसान बनाने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाता है।
- **नीतिगत सुधार:** सरकार अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देती है। 2024 में, आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन करके एंजेल टैक्स को समाप्त कर दिया गया और विदेशी कंपनी की आय पर आयकर की दर कम कर दी गई।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) के बीच अंतर

क्रम सं.	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)	विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई)
1.	कंपनियों द्वारा विदेशी संस्थाओं में किया गया निवेश।	संस्थागत निवेशक किसी देश के वित्तीय बाजार में निवेश करते हैं।
2.	निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी में दीर्घकालिक पूंजी का निवेश करता है।	मेजबान देश में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की पूंजी ला सकता है।
3.	रोज़गार सृजन, आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास में योगदान देता है।	बुनियादी ढाँचे या रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता है।
4.	विशिष्ट कंपनियों को लक्षित करता है।	ऐसे लक्षित निवेश नहीं करता।
5.	इसमें प्रवेश और निकास की जटिल प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं।	शेयर बाज़ार में प्रवेश और निकास आसान है।
6.	इसमें धन, संसाधन, प्रौद्योगिकी, रणनीतियों और तकनीकी जानकारी का हस्तांतरण सम्मिलित है।	इसमें मुख्य रूप से धन का हस्तांतरण सम्मिलित है।
7.	देश की उत्पादकता बढ़ाता है।	मुख्यतः पूँजी की उपलब्धता बढ़ाता है।
8.	निवेशित कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण की अनुमति देता है।	प्रबंधन नियंत्रण की अनुमति नहीं देता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को सामान्यतः अधिक स्थिर और दीर्घकालिक माना जाता है, जो मेजबान अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रोजगार सृजन में प्रत्यक्ष योगदान देता है।

कथन-II: विदेशी संस्थागत निवेश (FII) प्रायः अधिक अस्थिर और तरल होता है, जिसका मुख्य प्रभाव मेजबान देश के वित्तीय बाजारों पर पड़ता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(d) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

(प्) :ग्रन्थ

भारतीय विमानन क्षेत्र

चर्चा में क्यों: हाल ही में अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

संबंधित समाचार

अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। विमानन विश्लेषण फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड (OAG) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, भारत अब विमानन बाजार में तीसरे स्थान पर है।

भारत के विमानन क्षेत्र का अवलोकन

- अमेरिका और चीन के बाद **भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार** बनकर उभरा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ** (IATA) के अनुसार, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात दोनों को ध्यान में रखते हुए, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में भी स्थान रखता है।
- यह तीव्र विस्तार **बढ़ती माँग और सहायक सरकारी नीतियों से प्रेरित है।** पिछले

एक दशक में, भारत की घरेलू एयरलाइन क्षमता अप्रैल 2014 में 7.9 मिलियन सीटों से दोगुनी होकर अप्रैल 2024 में 15.5 मिलियन हो गई है, जिससे ब्राज़ील तीसरे स्थान पर आ गया है।

- पिछले एक दशक में शीर्ष पाँच देशों में भारत ने 6.9% की **उच्चतम वार्षिक औसत क्षमता वृद्धि** दर भी दर्ज की है।
- भारत में **चालू हवाई अड्डों की संख्या** 2014 में 74 से बढ़कर 2024 में 157 हो गई है।
- **कम लागत वाली एयरलाइनों (एलसीसी)** ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो अप्रैल 2024 में भारतीय घरेलू क्षमता का 78.4% हिस्सा होंगी, जो शीर्ष पाँच बाज़ारों में कम लागत वाली एयरलाइनों की ओर सबसे तेज़ बदलाव है।
- यह उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, **अनुमानित रूप से सकल घरेलू उत्पाद में 53.6 बिलियन** अमरीकी डॉलर का योगदान देता है और 2023 में 7.7 मिलियन नौकरियों का समर्थन करता है।

सुरक्षा और संरक्षा की चिंताएँ

मजबूत विकास के बावजूद, भारत का तेज़ी से विस्तारित होता विमानन क्षेत्र सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। 12 जून, 2025 को **एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171, जो एक बोइंग 787-8 थी**, के उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद घटना, वैश्विक स्तर पर जाँच और पड़ताल की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

यह घटना, जिसमें 11 साल से ज़्यादा पुराना एक विमान सम्मिलित था, जिसमें पर्याप्त एवियोनिक्स रिडंडेंसी और विश्वसनीय दोहरे इंजन थे, ने भार नियोजन संबंधी समस्याओं, परिवेशी वायु तापमान, इंजन के प्रदर्शन, पंखों की सतह की सेटिंग या पक्षी के टकराने जैसे कारणों के बारे में अटकलों को जन्म दिया है।

चूँकि सुरक्षा संबंधी चिंताएँ सुर्खियों में रहती हैं, इसलिए **वे उस व्यापक आर्थिक और नियामक परिवेश पर भी सवाल उठाती हैं** जिसमें भारतीय एयरलाइनें संचालित होती हैं।

- **एयरलाइन की लाभप्रदता की कोई गारंटी नहीं है,** और व्यापक नियामक परिवेश को सतत हवाई परिवहन विकास का समर्थन करना चाहिए।
- **बढ़ती लागत और कर अनिश्चितता** गंभीर चुनौतियाँ हैं, खासकर कराधान के संबंध में, जहाँ कर नियोजन के लिए अनिश्चितता का स्तर अधिक है। भारत में विमानन ईंधन, एयरलाइन के परिचालन व्यय का लगभग 40-50% है, जो बढ़ते कर बोझ के कारण वैश्विक औसत से कहीं अधिक है।
- **श्रम और कौशल संबंधी चुनौतियाँ**, विशेष रूप से अगले दो दशकों में लगभग 37,000 पायलटों और 38,000 रखरखाव तकनीशियनों की तत्काल आवश्यकता।
  - ➢ **प्रशिक्षित पायलटों की मौजूदा कमी है,** जो उच्च प्रशिक्षण लागत के कारण और भी बढ़ जाती है, जिससे एयरलाइनों की विस्तार और माँग को पूरा करने की क्षमता प्रभावित होती है।
- इंजनों और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) से संबंधित **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला** व्यवधानों के परिणामस्वरूप 2024 के अंत तक भारतीय बेड़े में 150 से अधिक विमान खड़े रहेंगे।
- **नौकरशाही की अक्षमताएँ,** असंगत नीति कार्यान्वयन, अनावश्यक ओवरलैप और दोहराव, और नियामक अनुमोदन में देरी एयरलाइन संचालन में बाधा डाल सकती है, लागत बढ़ा सकती है और विकास को बाधित कर सकती है।

इस संबंध में किए गए प्रयास

- **एयर इंडिया का परिवर्तन**: एयर इंडिया के नए मालिक, टाटा संस, **'विहान. एआई'** नामक एक पाँच-वर्षीय परिवर्तनकारी रोडमैप पर काम कर रहे हैं, जिसमें 'समूह सुरक्षा, संरक्षा और गुणवत्ता प्रमुख' की नियुक्ति सम्मिलित है।
- **नियामक निरीक्षण**: भारत का नागरिक उड्डयन नियामक निकाय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), एयरलाइन क्षेत्र की जाँच कर रहा है।
- **विधायी सुधार**: **अप्रैल 2025 में पारित विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025**, भारत के विमान पट्टे और वित्तपोषण ढाँचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है, जिसका उद्देश्य भारतीय वाहकों के लिए पट्टे की लागत को कम करना है। 1 जनवरी, 2025 को लागू हुए **भारतीय वायुयान अधिनियम 2024** ने औपनिवेशिक काल के 1934 के विमान अधिनियम को प्रतिस्थापित करके भारत के विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया। इसका उद्देश्य स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना, विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप बनाना और नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
- **अवसंरचना विकास**: परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2024 में 157 हो गई है, और 2047 तक 350-400 तक पहुँचने का लक्ष्य है। 2014 से अब तक **12 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों** का संचालन शुरू हो चुका है, और नोएडा (जेवर) और नवी मुंबई जैसे अन्य हवाई अड्डों पर भी तेज़ी से प्रगति हो रही है।
- **क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान**: 2016 में शुरू की गई, उड़ान का उद्देश्य मौजूदा हवाई पट्टियों को पुनर्जीवित करके, आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाकर, **असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों** को संपर्क प्रदान करना है। 31 अगस्त, 2024 तक, 583 आरसीएस मार्गों ने 86 हवाई अड्डों को जोड़ते हुए परिचालन शुरू कर दिया है, जिसमें हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डे सम्मिलित हैं, जिससे 1.43 करोड़ से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं। यात्रियों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण भोजन विकल्प प्रदान करने के लिए कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू किए गए हैं।
- **सुरक्षा और प्रौद्योगिकी संवर्द्धन:** घटना की जांच में सुधार के लिए नई दिल्ली में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) में **एक उन्नत डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (डीएफडीआर और सीवीआर) प्रयोगशाला** का उद्घाटन किया गया। **डिजी यात्रा** सेवाओं का विस्तार 24 हवाई अड्डों तक किया गया है, जो एक सहज, संपर्क रहित यात्रा अनुभव प्रदान करता है। 80 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने ऐप डाउनलोड किया है, दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों ने स्तर 4+ कार्बन मान्यता प्राप्त कर ली है, जिससे वे कार्बन तटस्थ हो गए हैं, जबकि बेंगलुरु हवाई अड्डे ने स्तर 5 हासिल किया है।
- **संधारणीयता पहल:** नागरिक उड्डयन मंत्रालय सतत विमानन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, और लगभग 80 हवाई अड्डे अब 100% हरित ऊर्जा पर संचालित हो रहे हैं। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों ने स्तर 4+ कार्बन मान्यता प्राप्त कर ली है, जिससे वे कार्बन-तटस्थ हो गए हैं, जबकि बेंगलुरु हवाई अड्डे ने स्तर 5 प्राप्त किया है।
- **एमआरओ हब विकास:** भारत को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक एमआरओ हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए विमान के पुर्जों पर 5% की एक समान एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) दर लागू की गई है।

सुझाव और आगे की राह

- **बुनियादी ढाँचे में निवेश**: अगले 20 वर्षों में यातायात में अपेक्षित तीन गुना वृद्धि को समायोजित करने के लिए हवाई अड्डों का विस्तार और आधुनिकीकरण जारी रखना। इसमें क्षमता और कनेक्टिविटी चुनौतियों में सक्रिय रूप से निवेश करना सम्मिलित है।
- **कराधान सुधार**: विमानन क्षेत्र के उच्च-लागत वाले परिवेश, विशेष रूप से कराधान से संबंधित, को संबोधित करना ताकि एयरलाइन की लाभप्रदता और

नेटवर्क संचालन को बढ़ाया जा सके। विमानन ईंधन और संचालन पर करों में और कमी या मानकीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **कौशल और श्रम विकास:** पायलटों और रखरखाव तकनीशियनों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास और मानव संसाधन विकास में पर्याप्त निवेश करना। इसमें उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का विस्तार और प्रशिक्षण की सामर्थ्य सुनिश्चित करना सम्मिलित है।
- **सतत विमानन:** हवाई अड्डों पर हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना और सार्वजनिक निवेश, वित्तीय प्रोत्साहनों और सहायक बाजार स्थितियों के माध्यम से एक सतत विमानन ईंधन (SAF) उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सुगम बनाना।
- **नियामक वातावरण:** अंतर्राष्ट्रीय नियामक संरचनाओं को सुव्यवस्थित करना, हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करें। नौकरशाही की अक्षमताओं, असंगत नीति कार्यान्वयन और नियामक अनुमोदनों में देरी को कम करने के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है, जो परिचालन में बाधा डालते हैं और लागत बढ़ाते हैं।
- **आर्थिक स्थिरता:** आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए घरेलू ऋण का प्रबंधन करना, क्योंकि बढ़ता घरेलू ऋण और घटती बचत दीर्घकालिक विकास के लिए जोखिम पैदा करती है।
- **लक्षित सुधार:** सुरक्षा, श्रम बाजार दक्षता, स्वास्थ्य अवसंरचना और आईसीटी तत्परता के साथ-साथ पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों सहित विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान देना।
- **उद्योग सहयोग:** एयरलाइनों, हवाई अड्डों, सरकारों और नियामक प्राधिकरणों को सम्मिलित करते हुए, संपूर्ण विमानन मूल्य श्रृंखला में प्रभावी और निरंतर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के तेज़ी से बढ़ते विमानन बाज़ार के सामने कौन-सी व्यापक सुरक्षा चुनौतियाँ हैं? भारत में विमानन क्षेत्र के और विस्तार के लिए उपाय सुझाएँ। [250 शब्द] [15 अंक]

प्रमुख आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष में संशोधन

चर्चा में क्यों: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने घोषणा की है कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के लिए नए आधार वर्ष 2026 की शुरुआत से लागू किए जाएँगे।

आधार वर्ष क्या है?

- आधार वर्ष किसी आर्थिक या वित्तीय सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला का प्रारंभिक वर्ष होता है, जिसे आमतौर पर 100 के मनमाने स्तर पर निर्धारित किया जाता है।
- **महत्व:** यह व्यावसायिक गतिविधि या आर्थिक/वित्तीय सूचकांक को मापने में गणना और तुलना के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- **उदाहरण के लिए,** 2016 और 2024 के बीच मुद्रास्फीति की दर निर्धारित करने के लिए, 2016 को आधार वर्ष माना जाएगा। विश्लेषक आमतौर पर हाल के वर्षों को आधार वर्ष के रूप में चुनते हैं।

आधार वर्ष में परिवर्तन की आवश्यकता

- **सटीक आर्थिक समझ और रिपोर्टिंग:** संशोधन अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को अधिक सटीक रूप से समझने और उसकी रिपोर्टिंग करने में मदद करते हैं, जो नीति निर्माताओं और बड़े व्यवसायों से लेकर उद्यमियों तक, सभी आर्थिक एजेंटों के लिए आवश्यक है।
- **आर्थिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना:** अर्थव्यवस्थाएँ समय के साथ मूलभूत परिवर्तनों से गुजरती हैं। संशोधन इन बदलावों को दर्शाते हैं, जिससे नए उद्योगों को सम्मिलित किया जा सकता है और पुराने उद्योगों को गणनाओं से हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान से बदलकर ऐसी अर्थव्यवस्था बन गई है जहाँ सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 55% का योगदान देता है, जिसके अनुमान के लिए अलग-अलग डेटासेट और पद्धतियों की आवश्यकता होती है।
- **सटीक "वास्तविक" आर्थिक वृद्धि प्रदान करना:** आधार वर्ष संशोधन "वास्तविक" आर्थिक वृद्धि की अधिक सटीक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जो मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने के बाद की वृद्धि है।
- **सांख्यिकीय सुझाव:** ऐतिहासिक रूप से, असंगठित क्षेत्र में कार्यबल अनुमानों के लिए आधार वर्षों को दशकीय जनसंख्या जनगणना (1 पर समाप्त होने वाले वर्ष) के साथ संरेखित किया जाता था।
  - 1999 से, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के रोज़गार और बेरोज़गारी सर्वेक्षणों से कार्यबल अनुमानों का उपयोग कर रहा है, जो हर पाँच साल में आयोजित किए जाते हैं।
  - इस बदलाव के कारण हर पाँच साल में आधार वर्ष बदले जाते हैं, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की इस सिफ़ारिश के अनुरूप है कि सभी आर्थिक सूचकांकों का हर पाँच साल में कम से कम एक बार "पुनर्निर्धारण" किया जाना चाहिए।
- **आँकड़ों की कमी और विश्वसनीयता पर ध्यान देना:** यह संशोधन भारत की वैश्विक स्थिति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2015 में किए गए पिछले संशोधन ने विवाद को जन्म दिया था, जिसमें विशेषज्ञों ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अति-आकलन पर सवाल उठाए थे।
  - 2011-12 से आधार वर्ष बदलने में देरी (2017-18 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के परिणामों में समस्याओं, और विमुद्रीकरण व जीएसटी के प्रभाव, उसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण) का अर्थ यह भी है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं।
  - आगामी संशोधनों का उद्देश्य भारत के व्यापक आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता में सुधार करना है, खासकर जब भारत वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

प्रमुख आर्थिक संकेतक

- **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)**
  - जीडीपी किसी देश में किसी विशिष्ट अवधि (जैसे, एक तिमाही या एक वर्ष) में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान बाजार मूल्य को मापता है।
  - "अंतिम" शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल अंतिम उपभोक्ताओं या उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, मध्यवर्ती और प्राथमिक उत्पादों को छोड़कर।

- **वर्तमान आधार वर्ष:** जीडीपी गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है।
- **नया आधार वर्ष और जारी करने की अनुसूची:** जीडीपी की नई श्रृंखला 27 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी, जिसका आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 होगा।
- यह आगामी संशोधन भारत के राष्ट्रीय आय (जीडीपी) अनुमानों के लिए आठवाँ संशोधन होगा।

- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)**
  - **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI),** घरों द्वारा सामान्यतः उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित श्रेणी की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है।
  - **वर्तमान आधार वर्ष:** CPI के लिए मौजूदा आधार वर्ष 2012 है।
  - **नया आधार वर्ष और जारी करने की समय-सारिणी:** वर्ष 2024 को CPI के लिए संशोधित आधार वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। नई CPI श्रृंखला 2026 की पहली तिमाही से प्रकाशित होने की संभावना है।
  - **संरचना और भारांक में परिवर्तन:** नई CPI श्रृंखला के लिए वस्तुओं की श्रेणी और वस्तुओं का भारांक 2023-24 में किए गए NSO के घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (HCES) के आधार पर तय किया जाएगा। प्रारंभ में, 2022-23 के HCES आँकड़ों पर विचार किया गया था, लेकिन मंत्रालय ने उपलब्ध होते ही नवीनतम 2023-24 के आँकड़ों का उपयोग करने का निर्णय लिया।
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)**
  - **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय** द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) औद्योगिक उत्पादन में अल्पकालिक परिवर्तनों पर नज़र रखता है। यह किसी विशिष्ट अवधि में औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि या गिरावट का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
  - आईआईपी को लासपेयर सूत्र का उपयोग करके उत्पादन सापेक्षों के एक सरल भारित अंकगणितीय माध्य के रूप में संकलित किया जाता है। आईआईपी एक क्वांटम सूचकांक है, जिसमें वस्तुओं के उत्पादन को भौतिक रूप में व्यक्त किया जाता है।
  - **वर्तमान आधार वर्ष:** आईआईपी के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है।
  - **नया आधार वर्ष:** आईआईपी के लिए, 2022-23 को अस्थायी रूप से संशोधित आधार वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। संशोधित आधार पर आईआईपी 2026-27 से जारी किया जाएगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आधार वर्ष की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. समय के साथ आर्थिक संकेतकों की तुलना करने के लिए आधार वर्ष को एक मानक सूचकांक मान, आमतौर पर 100, दिया जाता है।
2. आधार वर्ष हमेशा एक दशक में सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वाला वर्ष होना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

RBI मौद्रिक नीति अद्यतन

चर्चा में क्यों: भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 1% की भारी कटौती का फैसला किया है, जिससे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में ₹2.5 लाख करोड़ की तरलता उपलब्ध होगी।

मुख्य विवरण

- भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग प्रणाली को पर्याप्त तरलता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से **नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंकों (बीपीएस) से घटाकर सकल माँग और सावधि देयताओं (एनडीटीएल) के 3 प्रतिशत** तक लाने का निर्णय लिया गया है।
- यह कटौती 25 आधार अंकों की चार समान किस्तों में की जाएगी, जो 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले पाक्षिक से प्रभावी होगी।
- उच्च ऋण प्रवाह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% के चार साल के निचले स्तर पर पहुँच गया है।
- हालाँकि, RBI ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 18 प्रतिशत पर बनाए रखा।

संबंधित समाचार

RBI ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की तीन दिनों तक चली 55वीं बैठक के बाद अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति की घोषणा की है।

- नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंकों (BPS) घटाकर 5.50 प्रतिशत किया जा रहा है।
- तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर को 5.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर को 5.75 प्रतिशत किया जाएगा।

मुख्य अवधारणाएँ

- **नकद आरक्षित अनुपात:** नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा तरल नकदी के रूप में आरक्षित निधि के रूप में बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। नकद आरक्षित अनुपात यह सुनिश्चित करता है कि बैंक की जमा राशि का एक हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास रहे और इसलिए सुरक्षित रहे। सीआरआर का एक अन्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है। सीआरआर जितना अधिक होगा, बैंकों के पास तरलता उतनी ही कम होगी और इसके विपरीत। बैंक सीआरआर के रूप में जमा की गई राशि पर कोई प्रतिफल अर्जित नहीं करते हैं।
- **वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर):** वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) किसी बैंक की जमा राशि के उस न्यूनतम हिस्से को संदर्भित करता है जिसे नकदी, सोना या स्वीकृत प्रतिभूतियों जैसी तरल संपत्तियों के रूप में रखा जाना चाहिए। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि बैंक ऋण देने से पहले एक निश्चित स्तर की आरक्षित निधि बनाए रखें, जिससे अर्थव्यवस्था में ऋण विस्तार को विनियमित करने में मदद मिलती है। बैंक एसएलआर के रूप में जमा की गई राशि पर प्रतिफल अर्जित करते हैं।
- **सकल माँग और सावधि देयताएँ:** एनडीटीएल बैंकों द्वारा धारित कुल माँग और सावधि देयताओं (जमा) को संदर्भित करता है। इसमें आम जनता से प्राप्त जमाएँ और बैंक द्वारा अन्य बैंकों के पास रखी गई शेष राशि सम्मिलित होती है।
- **रेपो दर:** रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। अधिक विशेष रूप से, यह वह ब्याज दर

है जिस पर रिज़र्व बैंक तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत सभी LAF प्रतिभागियों को सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध तरलता प्रदान करता है।

- **स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर:** वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक सभी LAF प्रतिभागियों से एक दिन के लिए बिना संपार्श्विक जमा स्वीकार करता है। तरलता प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा, SDF एक वित्तीय स्थिरता उपकरण भी है। SDF दर नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक कम रखी गई है। अप्रैल 2022 में SDF की शुरुआत के साथ, SDF दर ने LAF कॉरिडोर के आधार के रूप में निश्चित रिवर्स रेपो दर का स्थान ले लिया।
- **सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर:** वह दंडात्मक दर जिस पर बैंक अपने सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में से एक पूर्वनिर्धारित सीमा (2 प्रतिशत) तक की राशि निकालकर रिज़र्व बैंक से ओवरनाइट आधार पर उधार ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता संकटो ं के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। MSF दर नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक अधिक रखी गई है।
- **तरलता समायोजन सुविधा (LAF):** एलएएफ रिज़र्व बैंक के उन कार्यों को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में/से तरलता का इंजेक्शन/अवशोषण करता है। इसमें ओवरनाइट के साथ-साथ सावधि रेपो/रिवर्स रेपो (स्थिर और परिवर्तनीय दरें), SDF और MSF सम्मिलित हैं। LAF के अलावा, तरलता प्रबंधन के साधनों में पूर्णतः खुले बाजार परिचालन (OMO), विदेशी मुद्रा स्वैप और बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS) सम्मिलित हैं।

मौद्रिक नीति समिति

- नई मुद्रास्फीति-लक्ष्यित मौद्रिक नीति रूपरेखा को लागू करने हेतु **भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन** के बाद मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की स्थापना की गई थी।
- **वित्त अधिनियम 2016** ने एमपीसी के लिए एक कानूनी और संस्थागत आधार तैयार करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया।
- संशोधित अधिनियम की धारा 45ZB के अनुसार, केंद्र सरकार को छह सदस्यीय एमपीसी गठित करने का अधिकार है।
- इसकी प्राथमिक भूमिका **मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर रखने के लिए मानक नीति दर (रेपो दर) निर्धारित करना है।** एमपीसी ने तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा प्रबंधित पूर्व प्रणाली का स्थान लिया।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के लिए कम से कम चार सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। इनमें RBI गवर्नर की उपस्थिति अनिवार्य है; यदि गवर्नर अनुपस्थित हों, तो डिप्टी गवर्नर, जो एमपीसी के सदस्य भी होते हैं, को उनकी जगह उपस्थित रहना होगा।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) **बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है।** यदि मतों की संख्या बराबर हो जाती है, तो RBI गवर्नर गतिरोध को तोड़ने के लिए दूसरा या निर्णायक मत देते हैं। एमपीसी द्वारा लिए गए निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक पर बाध्यकारी होते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में मौद्रिक नीति साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के रूप में रखे गए भंडार पर ब्याज अर्जित करते हैं।
2. वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा तरल परिसंपत्तियों में रखने की आवश्यकता के द्वारा ऋण वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(q) :उत्तर

गिग इकॉनमी

चर्चा में क्यों: एक सरकारी थिंक टैंक के नए अध्ययन के अनुसार, देश में गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यबल 2047 तक लगभग 62 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है, **जो कुल गैर-कृषि कार्यबल का लगभग 15% होगा।**

मुख्य विवरण

- यह वृद्धि **तकनीकी प्रगति, श्रम बाजार की बदलती प्राथमिकताओं और लचीली कार्य व्यवस्थाओं की बढ़ती आवश्यकता** से प्रेरित है।
- हाल के अवलोकनों को और अधिक महत्व देने के लिए, श्रम मंत्रालय से संबद्ध **वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई)** ने गिग वर्कर्स पर नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुमानों का उपयोग किया और घातीय समतलीकरण त्रुटि, प्रवृत्ति, मौसमी मॉडल का उपयोग करके पूर्वानुमान लगाया।
- अनुमान के अनुसार, चक्रवृद्धि वृद्धि के पैटर्न के अनुसार, **अगले 17 वर्षों में गिग वर्कर्स की संख्या दोगुनी से अधिक हो जाएगी**, जो दर्शाता है कि यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- इसकी शुरुआत खाद्य वितरण और राइड-शेयरिंग जैसे उद्योगों में हुई थी, लेकिन बाद में यह **पेशेवर परामर्श, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रचनात्मक सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में फैल गया।**
- आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में, भारत में लगभग 11 प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों ने 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया। **अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या बढ़कर 23 मिलियन हो जाएगी, जो कि सम्पूर्ण गैर-कृषि कार्यबल का 7% होगा।**

गिग इकॉनमी की विशेषता

- गिग इकॉनमी एक श्रम बाजार है जिसकी विशेषता **स्थायी पदों के बजाय अस्थायी, अनुबंधित और फ्रीलांस नौकरियां हैं। लोग मांग पर काम, सेवाएं या सामान उपलब्ध कराकर पैसा कमाते हैं।**
- गिग की श्रेणी में कई तरह के पद आते हैं। इन कार्यों में अल्पकालिक किराये का प्रबंधन, ट्यूशन देना, कोड लिखना, राइड-शेयर सेवाओं (ओला और उबर) के लिए गाड़ी चलाना, भोजन पहुँचाना (स्विगी और ज़ोमैटो), या फ्रीलांस लेख लिखना सम्मिलित हो सकता है।

हितधारकों के लिए अवसर

नियोक्ताओं के लिए

- दूरस्थ कार्य विकल्पों के कारण आवेदकों की विस्तृत श्रृंखला।
- मौसमी कार्य के आधार पर नियुक्ति और बर्खास्तगी अधिक आसानी से की जा सकती है।
- स्वास्थ्य बीमा या सवेतन अवकाश जैसे महंगे लाभ प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

कर्मचारियों के लिए

- व्यक्तियों को अपना कार्यक्रम स्वयं निर्धारित करने की अधिक लचीलापन।
- नियमित पूर्णकालिक नौकरियों में काम करने वालों के लिए विभिन्न अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है।
- दूरस्थ पदों के कारण गिग कर्मचारी इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी स्थान पर रह सकते हैं।

भारत में गिग इकॉनमी की चुनौतियाँ

- **कम स्थायित्व**: गिग इकॉनमी का चलन पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए करियर बनाना और दीर्घकालिक प्रतिष्ठा स्थापित करना कठिन बना सकता है।
- **श्रमिकों का बढ़ता शोषण**: गिग इकॉनमी अक्सर श्रमिकों के अधिकारों के हनन, स्वास्थ्य बीमा और बीमारी व छुट्टी के भुगतान के नुकसान से संबंधित होती है।
- **कम वेतन वृद्धि का दबाव**: नियोक्ताओं पर उच्च वेतन देने का बहुत कम दबाव होता है। दुनिया में कहीं भी रहने वाले लोगों के लिए, जिनमें रहने की लागत बहुत कम है, नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने से नियोक्ताओं को कम वेतन वाले स्थानों की तलाश करने की सुविधा मिलती है।
- **जीवन और कार्य के अन्य पहलुओं पर प्रभाव**: गिग इकॉनमी में काम करने का लचीलापन कार्य-जीवन संतुलन, नींद के पैटर्न और दैनिक जीवन को बाधित कर सकता है। श्रमिकों, नियोक्ताओं, ग्राहकों और विक्रेताओं के बीच दीर्घकालिक संबंध खराब हो सकते हैं।

आगे की राह: अध्ययन द्वारा दी गई प्रमुख सिफ़ारिशें

- **संघीकरण:** श्रमिकों को सामूहिक संगठन या यूनियन बनाने या उनमें सम्मिलित होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि **वे प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में बेहतर वेतन, बीमा, कार्य स्थितियों और अधिक पारदर्शिता के लिए सामूहिक रूप से सौदेबाजी कर सकें।**
- **वर्गीकरण**: रिपोर्ट गिग श्रमिकों के वर्गीकरण में स्पष्टता का आग्रह करती है, यह बताते हुए कि **उन्हें यूके, कनाडा, स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस और डेनमार्क सहित कई देशों में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।**
- **परिभाषा: यह नौकरी की सुरक्षा, वित्तीय निर्भरता और काम पर नियंत्रण जैसे तत्वों को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्र ठेकेदारों और कर्मचारियों के बीच अंतर करने के लिए सटीक मानकों** को परिभाषित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।
- इसके अलावा, **अध्ययन एल्गोरिदमिक जवाबदेही और समान कार्य वितरण, न्यूनतम वेतन और उचित कार्य घंटे, त्वरित शिकायत और विवाद समाधान, कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से श्रमिक सशक्तिकरण, और अनिवार्य व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों** की सिफारिश करता है।

निष्कर्ष

गिग इकॉनमी बाज़ार के 17 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की संभावना है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान काफ़ी बड़ा होने का अनुमान है, और 2030 तक इसमें 1.25 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में गिग अर्थव्यवस्था के उदय से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। इस क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

नए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम

चर्चा में क्यों: हाल ही में, **सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्रों** (SEZ) की स्थापना हेतु नियमों में कई बदलावों को अधिसूचित किया है।

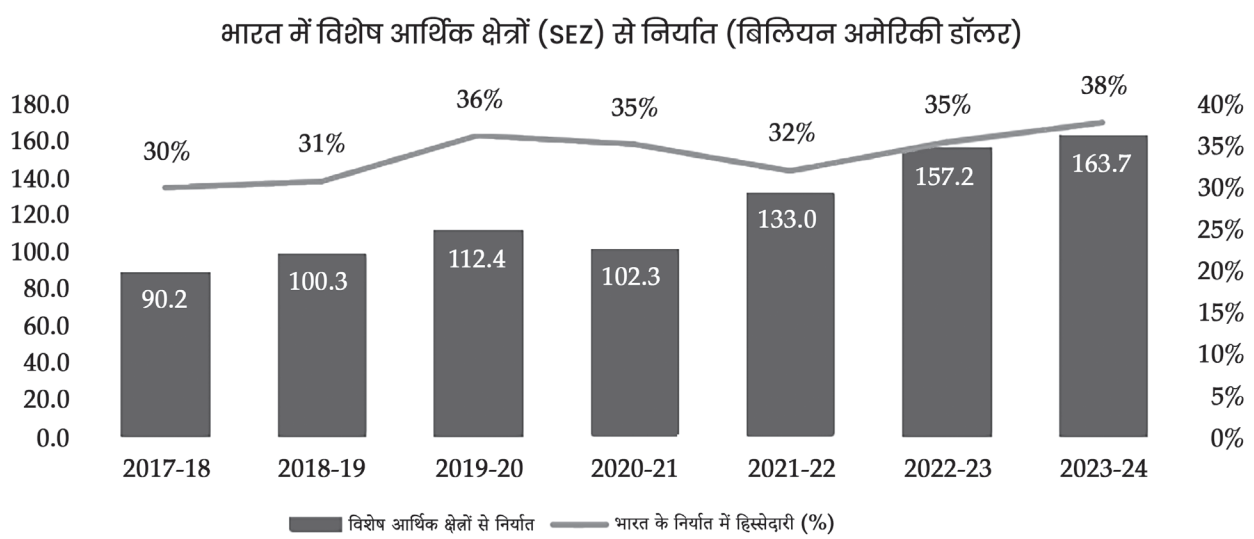
मुख्य विवरण

- **न्यूनतम भूखंड आकार में कमी: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 5 में संशोधन** का अर्थ है कि विशेष रूप से अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण के लिए स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लिए **अब न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जो पहले 50 हेक्टेयर थी।**
- **घरेलू बिक्री:** अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माण क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयों को केवल अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात करने की अनुमति देने के अलावा, **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के नियम 18 में संशोधन इन इकाइयों को लागू शुल्कों का भुगतान करने के बाद शेष भारत में घरेलू स्तर पर आपूर्ति करने की भी अनुमति देता है।**
- **भूमि अधिग्रहण: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 7 में संशोधन**, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के अनुमोदन बोर्ड को इस आवश्यकता में ढील देने का अधिकार देता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की भूमि केंद्र या राज्य सरकार या उनकी अधिकृत एजेंसियों को गिरवी या पट्टे पर दी गई हो, तो वह भूमि अधिग्रहण को आसान बना सके।
- इन परिवर्तनों की घोषणा के बाद, **13,100 करोड़ रुपये के संयुक्त निवेश के साथ**, गुजरात और कर्नाटक में दो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक SEZ सुविधाओं की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के बारे में

- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) किसी देश के भीतर निर्दिष्ट क्षेत्र होते हैं जो **वहाँ संचालित व्यवसायों को आसान व्यापार नियमन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।**
- SEZ का प्राथमिक लक्ष्य **आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना, घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे** के निर्माण के अलावा रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करना है।
- **1965 में, भारत ने गुजरात के कांडला में अपना पहला EPZ स्थापित किया**, और यह एशिया के पहले EPZ में से एक था।
- **अप्रैल 2000** में शुरू की गई **SEZ नीति** का लक्ष्य, देश के संघीय और राज्य स्तरों पर आर्थिक विकास के लिए SEZ को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करना है, जिसे प्रथम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे और प्रोत्साहनों के आकर्षक पैकेज का समर्थन प्राप्त हो।
- **इस कार्यक्रम ने आठ मौजूदा EPZ का कायाकल्प कर दिया**—जो गुजरात के कांडला और सूरत; महाराष्ट्र के मुंबई; केरल के कोचीन; तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित थे; विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश; फाल्टा, पश्चिम बंगाल; और नोएडा, उत्तर प्रदेश—को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में विभाजित किया गया।
- बाद में, मई 2005 में, भारतीय संसद ने **SEZ अधिनियम, 2005** पारित किया, जो SEZ नियमों की सहायता से 10 फ़रवरी, 2006 को लागू हुआ।
- 31 मार्च, 2024 तक भारत में 280 SEZ कार्यरत हैं।
- हाल के वर्षों में, भारत में SEZ **देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के स्तर को बढ़ाने** में भी महत्वपूर्ण रहे हैं।
- **देश के निर्यात को बढ़ावा देने** के अलावा, इन निर्दिष्ट आर्थिक क्षेत्रों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया।

- कर में छूट प्रदान करके और नियामक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके, **इस कार्यक्रम ने बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने में भी मदद की और निर्दिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों में नए उद्यमों के विस्तार को बढ़ावा दिया**, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी।



निष्कर्ष

संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम **भूमि मानदंडों को सरल बनाते हैं, घरेलू बिक्री की अनुमति देते हैं और अधिग्रहण प्रक्रियाओं को आसान बनाते हैं, जिससे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयाँ स्थापित करना आसान हो जाता है**। यह भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करने के लक्ष्य का समर्थन करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के संदर्भ में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों में हाल ही में किए गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। ये सुधार भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के दृष्टिकोण के साथ कैसे संरेखित हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

एग्री स्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन

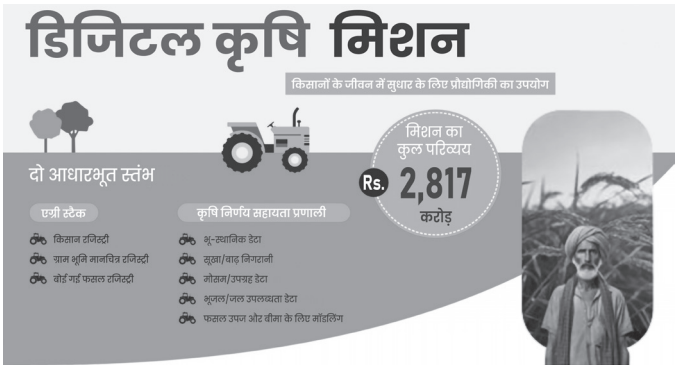
चर्चा में क्यों: एग्रीस्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन: **डेटा को वितरण में बदलना** ने ध्यान आकर्षित किया क्योंकि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव ने पारदर्शी, किसान-केंद्रित शासन के लिए **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, और बेहतर सेवा वितरण और जवाबदेही के लिए** डिजिटल कृषि प्लेटफार्मों को लागू करने के प्रयासों को प्रदर्शित किया।

मुख्य विवरण

- यह सम्मेलन केंद्र और राज्यों के प्रमुख हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम) के तहत एग्री स्टैक के कार्यान्वयन की प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करने हेतु एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य किया।
- **एग्री स्टैक अवलोकन और प्रमुख एकीकरण**
  - ➢ **किसान आईडी एकीकरण:** एग्री स्टैक में किसान आईडी को पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) और केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ एकीकृत किया गया है।
  - ➢ **डेटा मानक और गुणवत्ता:** जियोरेफरेंसिंग, मजबूत डेटा गुणवत्ता आश्वासन और एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस (यूएफएसआई) मानकों के अनुपालन के महत्व पर बल दिया गया।
  - ➢ **किसानों के लिए नई सेवाएँ:** सम्मेलन में किसान प्राधिकरण प्रणाली और डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य प्रमाणपत्र (डीवीसी) जैसी आगामी सेवाओं की शुरुआत की गई। ये सेवाएँ किसानों को अपनी भूमि और फसल की जानकारी सुरक्षित और चुनिंदा रूप से साझा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

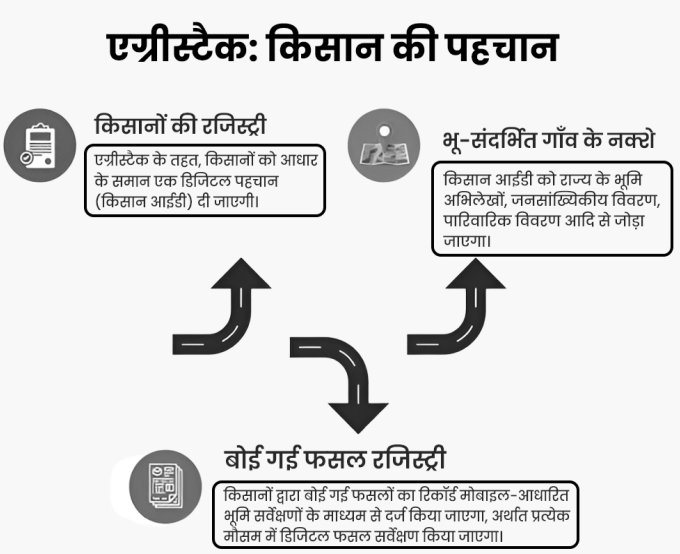
डिजिटल कृषि मिशन

- डिजिटल कृषि मिशन को विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक **व्यापक योजना** के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- इनमें **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) का कार्यान्वयन**, और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा आईटी पहलों का समर्थन सम्मिलित है।
- इसके अतिरिक्त, इस मिशन में **'मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रण'** भी सम्मिलित है और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए समय पर और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने हेतु किसान-केंद्रित डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाना है।



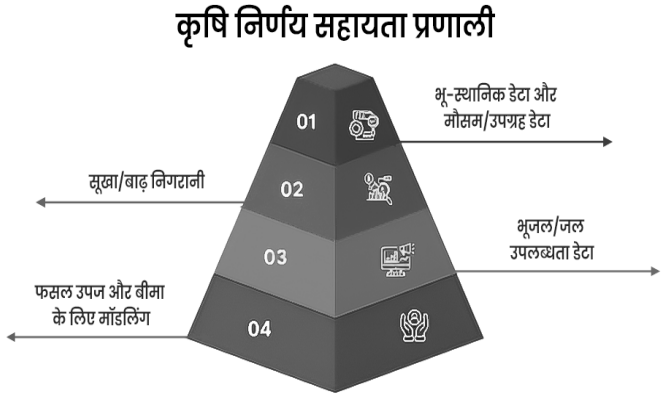
एग्रीस्टैक: किसानों की पहचान

- एग्रीस्टैक को किसानों तक सेवाओं और योजनाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक किसान-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- **इसमें तीन प्रमुख घटक सम्मिलित हैं:**
  - ➢ किसानों की रजिस्ट्री
  - ➢ भू-संदर्भित गाँव के नक्शे
  - ➢ बोई गई फसल की रजिस्ट्री



- एग्रीस्टैक की एक महत्वपूर्ण विशेषता आधार कार्ड के समान **'किसान आईडी' की शुरुआत** है, जो किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी।
- राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्मित और अनुरक्षित ये आईडी, **भूमि रिकॉर्ड, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसलों और प्राप्त लाभों सहित** विभिन्न किसान-संबंधी डेटा से जुड़ी होंगी।
- एग्रीस्टैक का **कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी के माध्यम** से प्रगति पर है, और 19 राज्यों ने कृषि मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- किसान पहचान पत्र और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के निर्माण का परीक्षण करने के लिए **छह राज्यों में पायलट परियोजनाएँ संचालित की गई हैं।**
- **प्रमुख लक्ष्य**
  - ➢ **तीन वर्षों में 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाना** (वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़)।
  - ➢ दो वर्षों के भीतर देश भर में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करना, वित्त वर्ष 2024-25 में 400 जिलों और वित्त वर्ष 2025-26 में सभी जिलों को कवर करना।

कृषि निर्णय सहायता प्रणाली: कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों पर रिमोट सेंसिंग डेटा को एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली में एकीकृत करेगी।



मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रण: मिशन के अंतर्गत, लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 1:10,000 पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रों की परिकल्पना की गई है, जिसमें 29 मिलियन हेक्टेयर मृदा प्रोफ़ाइल सूची का मानचित्रण पहले ही किया जा चुका है।



मिशन का महत्व/लाभ

- **डिजिटल प्रमाणीकरण के माध्यम से निर्बाध पहुँच:** सेवाओं और लाभों तक पहुँचने के लिए डिजिटल प्रमाणीकरण, कागजी कार्रवाई को कम करना और भौतिक यात्राओं की आवश्यकता को कम करना।
- **योजनाओं में बेहतर दक्षता और पारदर्शिता:** फसल क्षेत्र और उपज के सटीक आंकड़ों के माध्यम से सरकारी योजनाओं, फसल बीमा और ऋण प्रणालियों में बेहतर दक्षता और पारदर्शिता।
- **फसल मानचित्रण के माध्यम से बेहतर आपदा प्रतिक्रिया:** बेहतर आपदा प्रतिक्रिया और बीमा दावों के लिए फसल मानचित्र तैयार करना और निगरानी करना।
- **सलाहकार सेवाओं के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** मूल्य श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने और फसल नियोजन, स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और सिंचाई के लिए अनुकूलित सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

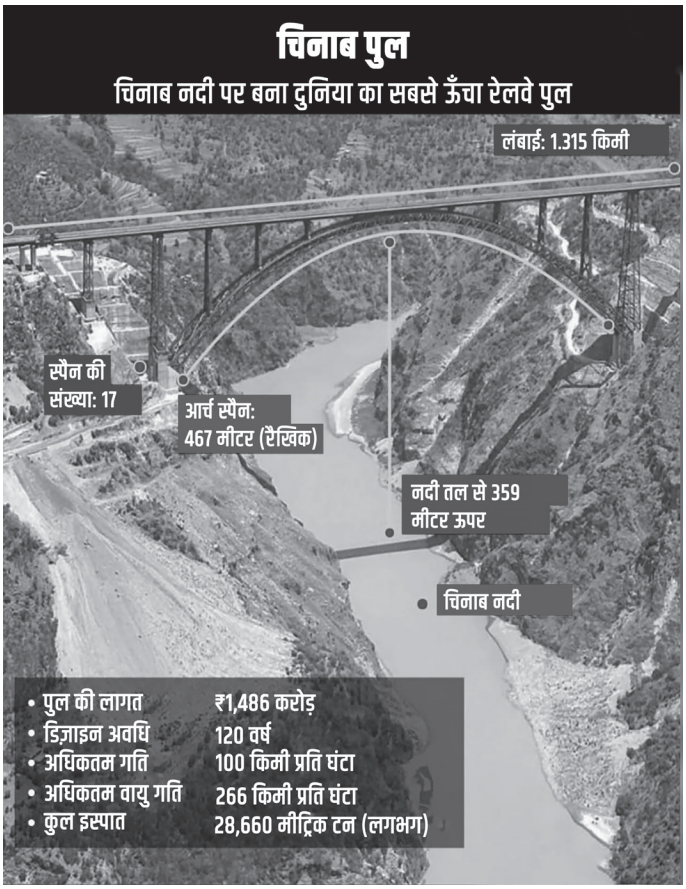
प्रश्न: एग्री स्टैक भारत में किसान-केंद्रित शासन और कृषि सेवा वितरण को कैसे बदलेगा? [150 शब्द] [10 अंक]

चिनाब और अंजी ब्रिज

चर्चा में क्यों: हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने **दुनिया के सबसे ऊँचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज** और **भारत के पहले केबल-स्टेड रेल ब्रिज, अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए जम्मू और कश्मीर का दौरा किया।**

चिनाब रेल पुल

- दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज, **चिनाब रेल पुल, चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित है**—जो इसे एफिल टॉवर से लगभग 35 मीटर ऊँचा बनाता है।
- **1,315 मीटर लंबे** इस स्टील आर्च ब्रिज को **हवा और भूकंपीय गतिविधियों को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**
- यह पुल **श्रीनगर और जम्मू के बीच संपर्क को बेहतर बनाने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इस पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की बदौलत **कटरा और श्रीनगर के बीच वर्तमान यात्रा समय में दो से तीन घंटे की कमी आएगी।**
- **डिज़ाइन और निर्माण:** IISc **बेंगलुरु** ने नींव का डिज़ाइन तैयार किया और **कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन** ने संरचना का निर्माण किया। **IIT दिल्ली और IIT रुड़की द्वारा भूकंपीय विश्लेषण किया गया और DRDO ने पुष्टि की** कि यह पुल विस्फोट-रोधी है।
- इसे 8 तीव्रता के भूकंप, 40 टन तक के टीएनटी विस्फोट, -20°C तक के न्यूनतम तापमान और 266 किमी/घंटा तक की हवा की गति को झेलने के लिए बनाया गया है।
- इसके आठ खंभों में से एक के टूट जाने पर भी ट्रेनें धीमी गति से चलती रह सकती हैं।



अंजी ब्रिज

- देश को दुर्गम इलाकों में सेवा प्रदान करने वाला अंजी ब्रिज, **देश का पहला केबल-स्टेड रेल ब्रिज और दूसरा सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज है।**
- यह अंजी नदी पर बना है, **जो चिनाब नदी की एक सहायक नदी है।**
- यह पुल **213 किमी/घंटा तक की तेज़ हवाओं को झेलने** और 100 किमी/घंटा तक की गति से सुरक्षित रेल यातायात सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नोट: दोनों पुल उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना का हिस्सा हैं, जो कश्मीर को सभी मौसमों में रेल द्वारा शेष भारत से जोड़ता है।

चिनाब नदी

- **हिमाचल प्रदेश** में, पश्चिमी (पंजाब) हिमालय में दो धाराएँ, **चंद्रा और भागा**, मिलकर चिनाब नदी बनाती हैं।
- शिवालिक पर्वतमाला (दक्षिण) और लघु हिमालय (उत्तर) की नुकीली चट्टानों के बीच, **यह नदी जम्मू और कश्मीर से होकर पश्चिम की ओर बहती है।**
- दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ते ही, यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ऊपरी इलाकों से पंजाब प्रांत के विस्तृत जलोढ़ निचले इलाकों में उतरती है।
- लिम्मू के पास झेलम नदी से मिलने के बाद, चिनाब नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी, सतलुज नदी में मिल जाती है।
- यह कई सिंचाई नहरों को पानी देती है और कुल मिलाकर लगभग 605 मील (974 किमी) लंबी है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चिनाब नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हाल ही में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग रेलवे आर्च ब्रिज बनाया गया है।
2. चिनाब नदी दो धाराओं, चंद्रा और भागा नदी से मिलकर बनी है।
3. यह भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब राज्य से होकर बहती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

ध्रुव (DHRUVA)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, **डाक विभाग** ने **राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के निर्माण हेतु** ध्रुव (संदर्भ और विशिष्ट आभासी पते के लिए डिजिटल केंद्र) का एक नीति दस्तावेज़ जारी किया।

मुख्य विवरण: ध्रुव के बारे में

- पते की जानकारी के **सुरक्षित, सहमति-आधारित और आसान आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए,** ध्रुव का लक्ष्य एक मानकीकृत, अंतर-संचालनीय और जियोकोडेड डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम बनाना है।
- इसका मूल विचार **एड्रेस-एज़-ए-सर्विस (AaaS) है,** जो पता डेटा प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के संग्रह को संदर्भित करता है जो **उपयोगकर्ताओं, सरकारी**

निकायों और व्यवसायों के बीच सुरक्षित और प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करता है।

- जियो-कोडेड फ्रेमवर्क का उपयोग करके, यह एक **सुरक्षित ऑनलाइन स्थान** स्थापित करता है जहाँ उपयोगकर्ता सटीक पता जानकारी का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

ध्रुव के घटक

- **डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN):** भौगोलिक निर्देशांकों (अक्षांश-देशांतर) को दर्शाने के लिए, भारतीय क्षेत्र में लगभग 4x4 मीटर के सुसंगत ग्रिड स्थापित करके एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड बनाया गया था। इसे सार्वजनिक डोमेन में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने का इरादा है और यह दिशात्मक गुणों वाले नामकरण पैटर्न के माध्यम से पतों के तार्किक स्थान को सक्षम बनाता है।
- **डिजिटल एड्रेस लेयर:** उपयोगकर्ता इस उपयोगकर्ता-केंद्रित, सहमति-आधारित प्रणाली का उपयोग करके, जो DIGIPIN पर आधारित है, अपने DIGIPIN और वर्णनात्मक पतों को दर्शाने के लिए वैयक्तिकृत लेबल बना सकते हैं।

महत्व

- **नागरिकों के लिए**
  - इस पहल के माध्यम से, पता सूचना प्रबंधन को एक मूलभूत सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में मान्यता दी जाएगी **जो समावेशी सेवा वितरण, कुशल शासन और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए आवश्यक है।**
  - उपयोगकर्ताओं को उनके पते के **डेटा पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान करके, यह नीति नवाचार, जीवन में आसानी और उपयोगकर्ता स्वायत्तता को बढ़ावा देती है।**
- **शासन के लिए**
  - मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से अपनाए जाने के माध्यम से, यह **वित्तीय समावेशन, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और शासन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना चाहता है।**
  - सरकारी अधिकारी इसका उपयोग **शहरी प्रबंधन और नियोजन में सुधार** के साथ-साथ **कल्याणकारी कार्यक्रमों को अधिक सटीक रूप से क्रियान्वित करने के लिए कर सकते हैं।**
- **निजी क्षेत्र के लिए**
  - सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच निर्बाध एकीकरण को सुगम बनाने के लिए, **इसका उद्देश्य पता डेटा प्रबंधन और साझाकरण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।**
  - इसके अतिरिक्त, ध्रुव का उद्देश्य एक सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है जहाँ सार्वजनिक और निजी हितधारक संयुक्त रूप से एक विश्वसनीय और सुरक्षित डिजिटल ढाँचे पर आधारित उपयोगकर्ता-केंद्रित समाधान विकसित करें।
  - यह **बैंकों, एनबीएफसी, दूरसंचार और फिनटेक व्यवसायों के लिए पतों का सत्यापन और केवाईसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित** करना आसान बनाता है।

निष्कर्ष

ध्रुव शासन को बेहतर बनाकर, सेवा वितरण में सुधार लाकर और नागरिकों को सशक्त बनाकर एक सुरक्षित, मानकीकृत और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजिटल पता प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक अग्रणी कदम है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डिजिटल डाक सूचकांक संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह बेहतर पता प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है।
2. यह निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

इकाई 4

पर्यावरण एवं भूगोल

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए)

चर्चा में क्यों: बड़ी बिल्ली प्रजातियों (बिग कैट) के संरक्षण के लिए रेंज देशों की अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की पहली महासभा **नई दिल्ली** में आयोजित की गई।

मुख्य विवरण: सभा के बारे में

- आईबीसीए की पहली सभा 16 जून, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की।
- इसमें **नौ देशों** के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, जिनमें भूटान, कंबोडिया, स्वाज़ीलैंड, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कज़ाकिस्तान सम्मिलित थे।
- सभा के दौरान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को सर्वसम्मति से आईबीसीए के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित किया गया।
- प्रमुख दस्तावेजों का अनुसमर्थन और अनुमोदन किया गया, जिससे गठबंधन के प्रभावी संचालन की नींव रखी गई:
  - **भारत के साथ मुख्यालय समझौता:** यह अनुसमर्थन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आईबीसीए को **भारत में अपना मुख्यालय** और अन्य आवश्यक कार्यालय स्थापित करने में सक्षम बनाता है, जिससे आईबीसीए की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहचान और आईबीसीए सचिवालय को मान्यता मिलती है।
  - कार्ययोजना
  - सभा की कार्यविधि नियमावली।
  - आईबीसीए के कर्मचारी और वित्तीय विनियमों की नियमावली।
- सभा ने **आईबीसीए की पहली अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक की कार्यवाही का भी समर्थन किया**, जो अप्रैल 2024 में हुई थी।

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस



- **अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस,** भारत द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
- **इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से की गई थी।
- आईबीसीए का प्राथमिक कार्य सात बिग कैट प्रजातियों का संरक्षण करना है।
  - बाघ
  - शेर
  - तेंदुआ
  - हिम तेंदुआ
  - चीता
  - जगुआर
  - प्यूमा
- आईबीसीए की स्थापना भारत सरकार द्वारा मार्च 2024 में की गई थी।
- **सदस्यता और पहुँच**
  - **बड़ी बिल्लियों का वैश्विक वितरण:** दुनिया भर में 95 देश इन बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के प्राकृतिक वितरण क्षेत्र में आते हैं, जिनमें कनाडा, चीन, ब्राज़ील, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश सम्मिलित हैं।
  - **वर्तमान सदस्यता:** सितंबर 2024 तक, पच्चीस देशों ने आईबीसीए के सदस्य बनने के लिए सहमति व्यक्त की है। इनमें बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, सूरीनाम, इक्वाडोर, पेरू, केन्या और रवांडा सम्मिलित हैं।
  - **सदस्यता प्रक्रिया:** संयुक्त राष्ट्र (UN) के सभी सदस्य देश आईबीसीए के सदस्य बनने के पात्र हैं। यह एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने और औपचारिक रूप से नोट वर्बल के माध्यम से सूचित करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है, जो राजनयिक संचार का एक तरीका है।

बड़ी बिल्लियों (बिग कैट्स) के संरक्षण का पारिस्थितिक महत्व

- **पारिस्थितिकी तंत्र विनियमन:** बड़ी बिल्लियाँ शिकार की आबादी को नियंत्रित करती हैं, जिससे भू-दृश्यों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है।
- **पारिस्थितिक आपदाओं की रोकथाम:** उनकी उपस्थिति अतिचारण को रोकती है, जिससे वनाग्नि और बीमारी जैसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।
- **आवास संरक्षण:** बड़ी बिल्लियों का संरक्षण स्वाभाविक रूप से उनके विचरण करने वाले आवासों की सुरक्षा करता है, जो कई अन्य प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **व्यापक पर्यावरणीय लाभ:** इन प्रजातियों के संरक्षण के व्यापक प्रभावों में सम्मिलित हो सकते हैं:
  - प्राकृतिक आपदाओं को कम करना।
  - मृदा का संरक्षण।
  - महामारियों को नियंत्रित करना।

- जलवायु अनुकूलन का समर्थन करना।
- कार्बन का भंडारण और पृथक्करण करके जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान देना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आईबीसीए भारत द्वारा संचालित एक पहल है जिसका उद्देश्य बिग कैट्स की सात प्रमुख प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना है।
2. यह गठबंधन वैश्विक स्तर पर बिग कैट्स के संरक्षण प्रयासों के लिए ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता हेतु एक मंच प्रदान करना चाहता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

गुजरात में एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, **गुजरात वन विभाग ने गुजरात में 16वीं शेर जनगणना की।**

मुख्य बिंदु:

- 2020 और 2025 के बीच शेरों की आबादी में **32% की वृद्धि हुई है, जो 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है।**
- राज्य वन विभाग ने अमरेली, भावनगर, बोटाद, देवभूमि, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, मोरबी, पोरबंदर, राजकोट और सुरेंद्रनगर जिलों में शेरों की जनगणना की।
- **वयस्क मादाओं की संख्या** - 330 - 2020 से 27% की वृद्धि।
- **वयस्क नरों की संख्या** - 196
- शेष में शावक और उप-वयस्क सम्मिलित हैं।

एशियाई शेर

- पर्यावास: मुख्यतः गुजरात के जूनागढ़ जिले के **गिर वन** में पाए जाते हैं। इनके आवास में **कांटेदार घास के मैदान, सागौन के वन और शुष्क पर्णपाती वन सम्मिलित हैं।**
- **सामुदायिक व्यवहार:** 2 से 5 मादा सदस्य। ये अकेले या छोटे समूहों में शिकार करते हैं।
- IUCN **स्थिति:** सुभेद्य
- CITES: परिशिष्ट I
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम:** अनुसूची I



यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: एशियाई शेरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. एशियाई शेरों को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में 'असुरक्षित' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
2. एशियाई शेरों का अयाल अफ्रीकी शेरों की तुलना में अपेक्षाकृत विरल और छोटा होता है।
3. जंगल में केवल कुछ सौ एशियाई शेर ही बचे हैं, और वे भारत के गिर वन तक ही सीमित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (p)

मगरमच्छ संरक्षण के 50 वर्ष

चर्चा में क्यों: भारत 2025 में अपने मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम के 50 वर्ष पूरे कर रहा है।

मुख्य विवरण:

- जब भारत सरकार ने **1 अप्रैल, 1975 को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की**, तो ओडिशा ही देश में **मगरमच्छों की तीनों स्थानीय प्रजातियों**—घड़ियाल

(गैवियलिस गैंगेटिकस), खारे जल के मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस) और मगर (क्रोकोडाइलस पैलस्ट्रिस)—को विलुप्त होने के कगार से बचाने के पहले वैज्ञानिक प्रयासों का केंद्र बनकर उभरा।

- प्रसिद्ध **सरीसृप विज्ञानी एच.आर. बस्टर्ड द्वारा 1974 के अंत में किए गए एक सर्वेक्षण के निष्कर्षों से चिंतित होकर कि मगरमच्छों की आबादी विलुप्त होने के कगार पर है,** संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की सहायता से वैज्ञानिक संरक्षण प्रयास शुरू किए गए।
- ओडिशा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ तीनों मगरमच्छ प्रजातियों—**घड़ियाल के लिए टिकरपाड़ा, खारे जल के मगरमच्छ के लिए डांगमाल और मगर के लिए रामतीर्थ**—के लिए संरक्षण केंद्र हैं।

भारत के गणतंत्र संरक्षण प्रयास: 50 वर्षों की सफलता

- **जंगली जनसंख्या की बहाली**
  - **घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस):** भारत में अब वैश्विक जंगली घड़ियाल की आबादी लगभग 80% है, अनुपातिक संख्या 3,000 है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ), कतरनिया घाट अभयारण्य, गंडक नदी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश में सोन घड़ियाल अभयारण्य जैसे प्रमुख पर्यावासों में 400 से अधिक अवशेष सम्मिलित हैं। यह पुनर्स्थापन दशकों के केंद्रीकृत संरक्षण और पर्यावास संरक्षण का परिणाम है।
  - **खारे जल का मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोस):** खारे जल के जंगलों की आबादी लगभग 2,500 तक पहुंच गई है, जिसमें ओडिशा के भीतरकनिका का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का स्थान है।
  - **मगर क्रोकोडाइल (क्रोकोडाइलस पालस्ट्रिस):** मगर क्रोकोडाइल, जिसकी संख्या कभी बहुत कम हो गई थी, अब इसके अधिकांश ऐतिहासिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है, और जंगल में इसकी संख्या 8,000 से 10,000 है।
- **नई घड़ियाल संरक्षण परियोजना (2025 की घोषणा)**
  - मार्च 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घड़ियालों के संरक्षण के लिए एक नई संरक्षण परियोजना शुरू करने की घोषणा की। इस परियोजना से गंगा और उसकी सहायक नदियों में इस प्रजाति की उपस्थिति को मज़बूत करने और ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियों सहित अपने पूर्व क्षेत्र में घड़ियालों को फिर से बसाने की संभावना है।

मगरमच्छ

- मगरमच्छ सबसे बड़े जीवित सरीसृप हैं और **मुख्यतः मीठे जल के पर्यावासों** जैसे दलदल, झीलों और नदियों में पाए जाते हैं, हालाँकि एक प्रजाति खारे जल में भी पाई जाती है।
- ये निशाचर और **पोइकिलोथर्मिक** होते हैं—अर्थात् इनके शरीर का तापमान आसपास के वातावरण के साथ बदलता रहता है, जो एक्टोथर्मिक या ठंडे खून वाले जानवरों का एक विशिष्ट लक्षण है।
- मगरमच्छों की सबसे बड़ी प्रजाति **खारे जल का मगरमच्छ**, क्रोकोडाइलस पोरोसस है, जिसकी लंबाई 6 मीटर (20 फीट) से अधिक हो सकती है। सबसे छोटी प्रजाति **कुविएर का बौना कैमन है;** वयस्क नर केवल 1.6 मीटर (5.2 फीट) की अधिकतम लंबाई तक ही पहुँच पाते हैं।

भारत में मगरमच्छों की प्रजाति

खारे पानी का मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस)

पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित सरीसृप, खुरदरी, बनावट वाली त्वचा और शक्तिशाली पूंछ वाला।

संरक्षण स्थिति:
- IUCN लाल सूची: कम चिंताजनक
- WPA, 1972: अनुसूची I।
- CITES: परिशिष्ट I।

पर्यावास और वितरण:
- भितरकनिका, सुंदरबन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है।
- तटीय मुहाना और मैंग्रोव दलदलों को पसंद करता है।



मगर (क्रोकोडाइलस पैलस्ट्रिस)

अपनी चौड़ी थूथन से पहचाना जाता है; घोंसले बनाने के लिए बिल या गड्ढे खोदने के लिए जाना जाता है।



संरक्षण स्थिति:
- IUCN लाल सूची: सुभेद्य
- WPA, 1972: अनुसूची I।
- CITES: परिशिष्ट I।

पर्यावास और वितरण:
- गंगा नदी के अधिकांश जल निकासी क्षेत्रों सहित 15 भारतीय राज्यों में पाया जाता है।
- मीठे पानी की झीलों, नदियों और दलदलों में निवास करता है।

घड़ियाल (गैवियलिस गैंगेटिकस)

इसकी लंबी, संकरी थूथन होती है जिसके सिरे पर एक बल्बनुमा गांठ होती है; यह मुख्य रूप से मछली खाता है।

संरक्षण स्थिति:
- IUCN लाल सूची: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- WPA, 1972: अनुसूची I।
- CITES: परिशिष्ट I।

पर्यावास और वितरण:
- मीठे पानी की नदियों में निवास करता है: चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन और गंडक।
- घोंसले बनाने के लिए रेतीले किनारों वाली गहरी, तेज़ बहने वाली नदियों को पसंद करता है।



यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में मगरमच्छ प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. खारे जल का मगरमच्छ भितरकनिका, सुंदरबन और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है।
2. मगर क्रोकोडाइल भारत के 15 राज्यों में पाया जाता है, जिसमें गंगा नदी का अधिकांश भाग सम्मिलित है।
3. घड़ियाल को IUCN की लाल सूची में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह दलदली आर्द्रभूमि को पसंद करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

दो नए रामसर स्थल

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत के दो और स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे देश में ऐसे स्थलों की संख्या 91 हो गई है।

नए स्थलों के बारे में

दोनों नव-मान्यता प्राप्त स्थल राजस्थान में स्थित हैं:

- **खीचन (फलोदी जिला):**
  - **हजारों प्रवासी डेमोइसेल क्रेन** को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध, खीचन एक प्रमुख पक्षी-दर्शन स्थल बन गया है।
  - इसमें दो जल निकाय - **रालि नदी (एक नदी) और विजयसागर तालाब (एक तालाब)** - के साथ-साथ तटवर्ती क्षेत्र और कांटेदार भूमि क्षेत्र सम्मिलित हैं।
  - यह आर्द्रभूमि समृद्ध जैव विविधता को सहारा देकर और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास प्रदान करके एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाती है।
- **मेनार (उदयपुर जिला):**
  - राजस्थान के **"पक्षी गाँव"** के रूप में लोकप्रिय, मेनार समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण प्रयासों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
  - यहाँ कई दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें **सिनेरियस गिद्ध, हिमालयन ग्रिफ़ॉन, डालमेशियन पेलिकन और ब्लैक-टेल्ड गॉडविट सम्मिलित हैं।**
  - **70 से अधिक पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं,** जिनमें ब्रह्म तालाब के पास आम के पेड़ (मैंगीफेरा इंडिका) भी सम्मिलित हैं, जो भारतीय उड़ने वाले लोमड़ियों (प्टेरोपस गिगेंटस) की एक बड़ी कॉलोनी का समर्थन करते हैं।

आर्द्रभूमि के बारे में

- आर्द्रभूमि भूमि का वह क्षेत्र है **जो या तो जल से ढका होता है या जल से संतृप्त होता है।** यह जल अक्सर भूजल होता है, जो किसी जलभृत या झरने से रिसता है।
- आर्द्रभूमि का जल पास की नदी या झील से भी आ सकता है। समुद्री जल भी आर्द्रभूमि का निर्माण कर सकता है, खासकर तटीय क्षेत्रों में जहाँ तेज़ ज्वार आते हैं।
- आर्द्रभूमि वर्ष के कम से कम कुछ समय के लिए **पूरी तरह से जल से ढकी रहती है।** इस मौसमी बाढ़ की गहराई और अवधि अलग-अलग होती है।
- आर्द्रभूमि संक्रमण क्षेत्र होता हैं। ये न तो पूरी तरह से शुष्क भूमि हैं और न ही पूरी तरह से जल के नीचे; इनमें दोनों की विशेषताएँ होती हैं।
- आर्द्रभूमि की मृदा की संतृप्ति उसके आसपास की वनस्पति को निर्धारित करती है। आर्द्रभूमि में रहने वाले पौधे अपनी **जलीय (हाइड्रिक) मृदा के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित होते हैं।**
- आर्द्रभूमि के पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। मौसमी रूप से शुष्क आर्द्रभूमि या धीमी गति से बहने वाले जल वाली आर्द्रभूमि अक्सर पेड़ों और अन्य मजबूत वनस्पतियों को सहारा दे सकती हैं। अधिक बार बाढ़ग्रस्त आर्द्रभूमियों में प्रमुख **हाइड्रोफाइट्स** के रूप में काई या घास होती है।

रामसर कन्वेंशन

- इसकी स्थापना **2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुई थी।**
- यह आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- रामसर स्थल के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक आर्द्रभूमि को **नौ मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा**—जैसे कि नियमित रूप से 20,000 से अधिक जलपक्षियों का पोषण करना या जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
- **मोंट्रेक्स रिकॉर्ड** उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जो गंभीर मानव-जनित खतरों का सामना कर रहे हैं और जिनके लिए तत्काल संरक्षण उपायों की आवश्यकता है।
- भारत ने **1982 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए,** और वर्तमान में तमिलनाडु में देश में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। भारत में एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं।
- ओडिशा में चिल्का झील देश का **पहला रामसर स्थल** था। वर्तमान में, भारत में 91 रामसर स्थल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 13.58 लाख हेक्टेयर है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: रामसर कन्वेंशन और भारत की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मोंट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन ढांचे का एक हिस्सा है और इसमें जलवायु परिवर्तनशीलता और सूखे जैसे प्राकृतिक कारणों से विशेष रूप से खतरे में पड़ी आर्द्रभूमियाँ सम्मिलित हैं।
2. देश के औपचारिक रूप से रामसर कन्वेंशन में सम्मिलित होने से पहले ही ओडिशा में चिल्का झील को भारत का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(q) :ɹǝʍsuV

तेल रिसाव

चर्चा में क्यों: लाइबेरिया के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज, जिस पर 13 खतरनाक माल सहित 640 कंटेनर थे, केरल तट के पास समुद्र में पलट गया और डूब गया। इस घटना से तेल रिसाव की आशंका बढ़ गई है।

तेल रिसाव क्या है?

तेल रिसाव तब होता है जब तेल जल में रिसता है, जो अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय भूल, या तेल टैंकरों या जहाजों से जुड़े उपकरणों की खराबी के कारण होता है।

पर्यावरणीय परिणाम

- **तेज़ी से फैलाव और परत निर्माण:** फैला हुआ तेल तेज़ी से फैलता है और अपने हल्के घनत्व के कारण जल के ऊपर एक परत बना लेता है।
- **प्रकाश संश्लेषण में व्यवधान:** यह तेल की परत सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करती है, जिससे समुद्री पौधों और फाइटोप्लांकटन में प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है, जो ऑक्सीजन उत्पादन के लिए आवश्यक हैं और कई खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनते हैं।
- **समुद्री जीवों को नुकसान**
  - तत्काल खतरों में विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना सम्मिलित है।
  - तेल से लिपटे पक्षियों के पंखों का इन्सुलेशन खत्म हो सकता है, जिससे हाइपोथर्मिया और डूबने का खतरा हो सकता है।
  - अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) के अनुसार, मछलियों और

अकशेरुकी जीवों को प्रजनन और विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

- **दीर्घकालिक प्रभाव**: गंभीर मामलों में, पर्यावरणीय प्रभाव दशकों तक रह सकता है।
- **गंभीरता को प्रभावित करने वाले कारक**: पर्यावरणीय परिणाम तेल के प्रकार और मात्रा, मौसम की स्थिति और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों से निकटता से प्रभावित होते हैं।

मनुष्यों पर प्रभाव

तटीय स्वदेशी समुदायों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों और आजीविका के नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि:

- दूषित समुद्री भोजन का सेवन।
- घटती मछली आबादी, जिससे आय और पोषण प्रभावित होता है।

ऐतिहासिक उदाहरण: 2010 में मैक्सिको की खाड़ी में डीपवाटर होराइजन तेल रिसाव हुआ था, जिसमें 87 दिनों में 4 मिलियन बैरल से अधिक तेल बह गया था, इसे इतिहास में सबसे बड़े आकस्मिक तेल रिसावों में से एक माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों वन्यजीवों की मृत्यु हो गई थी।

विनियम और प्रतिक्रिया तंत्र

- **अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय**: तेल रिसावों को जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (MARPOL) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। MARPOL पुराने समझौतों से विकसित हुआ है, और 1970 के दशक में कई तेल रिसाव आपदाओं के बाद 1978 में एक प्रोटोकॉल स्थापित किया गया था। भारत, MARPOL का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- **MARPOL अनुबंध:** MARPOL अभिसमय में छह अनुबंध सम्मिलित हैं जो जहाजों से विभिन्न पदार्थों, जैसे तेल, हानिकारक तरल पदार्थ, पैकेज्ड रूप में खतरनाक सामान, सीवेज, कचरा और वायु प्रदूषण से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम को कवर करते हैं।
- **भारत में घरेलू कार्यान्वयन:** भारत में, MARPOL को मर्चेंट शिपिंग अधिनियम जैसे घरेलू कानूनों के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसमें नागरिक दायित्व और प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्रों के प्रावधान सम्मिलित हैं। भारतीय जहाजों और भारतीय जलक्षेत्र में स्थित जहाजों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
- **राष्ट्रीय और स्थानीय प्रतिक्रिया**: भारतीय तटरक्षक बल तेल रिसाव प्रतिक्रिया के लिए नोडल एजेंसी है। बंदरगाह स्थानीय घटनाओं के प्रबंधन के लिए अपनी स्वयं की तेल रिसाव आकस्मिक योजनाएं भी बनाए रखते हैं।

तेल रिसाव सफाई के तरीके और चुनौतियाँ

- **सफाई के तरीके**
  - **स्किमिंग:** इस विधि में संवेदनशील तटीय क्षेत्रों तक पहुँचने से पहले समुद्र की सतह से तेल को हटा दिया जाता है।
  - **जैव-उपचार:** इसमें हाइड्रोकार्बन को विघटित करने के लिए तेल-अपघटक जीवाणुओं (जैसे, साइक्लोक्लास्टिकस, ओलीस्पिरा) का उपयोग किया जाता है; यह पर्यावरण के अनुकूल है और प्राकृतिक विषहरण को तेज़ करता है।
  - **इन सीटू दहन**: इस तकनीक में तेल के एक सांद्रित भाग को जलाया जाता है।
  - **रासायनिक परिक्षेपक**: ये रसायन तेल को छोटी बूंदों में तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों के लिए इसे अवशोषित करना और इसे कम हानिकारक यौगिकों में विघटित करना आसान हो जाता है।
- **सफाई में चुनौतियाँ:** तकनीकी प्रगति के बावजूद, तेल रिसाव की सफाई निम्न कारणों से कठिन बनी हुई है:
  - तेल का तेज़ी से फैलना।
  - उबड़-खाबड़ समुद्र और तेज़ धाराओं से होने वाली जटिलताएँ।
  - तेल के गुणों में भिन्नता, कुछ प्रकार के तेल जल में डूब जाते हैं या पायसीकृत हो जाते हैं, जिससे पृथक्करण चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
  - रासायनिक विसारकों जैसी विधियों से समुद्री जीवन को संभावित नुकसान।
  - श्रम-गहन मैनुअल सफ़ाई, जो अक्सर दूरस्थ क्षेत्रों में अप्रभावी होती है।

निष्कर्ष

तेल रिसाव एक गंभीर पर्यावरणीय और मानवीय खतरा है। हालाँकि MARPOL जैसे वैश्विक अभिसमयों और घरेलू उपायों का उद्देश्य नुकसान को कम करना है, लेकिन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता और सफाई की चुनौतियाँ रोकथाम और त्वरित प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण बनाती हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जब तेल जल में फैलता है, तो यह तेज़ी से फैलता है और अपने हल्के घनत्व के कारण, जल के ऊपर एक परत बना लेता है, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध होता है और समुद्री पौधों और पादप प्लवक में प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है।
2. तकनीकी प्रगति के बावजूद, तेल रिसाव को साफ़ करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है क्योंकि तेल के गुण अलग-अलग हो सकते हैं, कुछ प्रकार के तेल जल में डूब जाते हैं या पायसीकृत हो जाते हैं, जिससे पृथक्करण मुश्किल हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

महासागरीय अम्लीकरण

चर्चा में क्यों: वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के महासागरों की हालत अनुमान से भी बदतर है, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी है कि एक महत्वपूर्ण माप से पता चलता है कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए हमारे पास "समय कम होता जा रहा है"।

मुख्य विवरण

- यूके की प्लायमाउथ मरीन लेबोरेटरी, एनओएए और ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि **महासागरीय अम्लीकरण की ग्रहीय सीमा 2020 के आसपास पार हो गई थी।**
- अब तक, महासागरीय अम्लीकरण को इस सीमा को पार करने वाला नहीं माना गया था।
- इस खोज के साथ, अब **नौ में से सात ग्रहीय सीमाएँ पार हो चुकी हैं।**
- महासागरीय **अम्लीकरण की सीमा को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना** में समुद्री जल में कैल्शियम कार्बोनेट सांद्रता में 20% की गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ध्रुवीय क्षेत्र सतही महासागरीय अम्लीकरण में सबसे बड़े परिवर्तन दिखाते हैं, जबकि गहरे जल में ध्रुवों के ठीक बाहर और अपवेलिंग क्षेत्रों में सबसे बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं।

- अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यह विकास न केवल एक पर्यावरणीय चिंता का विषय है, बल्कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और तटीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी एक बड़ा खतरा है।

ग्रहीय सीमाएँ पृथ्वी की प्रमुख प्रणालियों—जैसे जलवायु, जैव विविधता और जल—के लिए सुरक्षित संचालन सीमाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनके पार उनकी स्थिरता खतरे में पड़ जाती है।

अन्योन्याश्रयता (Interdependence): ग्रहीय सीमाएँ अन्योन्याश्रित हैं, अर्थात एक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली क्रियाएँ अन्य प्रक्रियाओं के जोखिमों को प्रभावित कर सकती हैं। मानवता के लिए एक सुरक्षित संचालन क्षेत्र बनाए रखने के लिए सभी नौ सीमाओं का सम्मान करना आवश्यक है। महासागरीय अम्लीकरण को सातवीं ग्रहीय सीमा के रूप में पहचाना गया है, जो पृथ्वी की भयावह स्थिति को दर्शाता है।

महासागरीय अम्लीकरण के बारे में

- महासागरीय अम्लीकरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, जिसे अक्सर "जलवायु परिवर्तन का दुष्ट जुड़वां" कहा जाता है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और मानव समुदायों के लिए गंभीर खतरे पैदा करता है।
- इसमें **समुद्री जल के pH मान में निरंतर कमी सम्मिलित है**, जिसका मुख्य कारण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का बढ़ता अवशोषण है।

महासागरीय अम्लीकरण के कारण

- **CO_2 अवशोषण**: महासागर मानवीय गतिविधियों से वायुमंडल में उत्सर्जित CO_2 का लगभग 30% अवशोषित कर लेते हैं। पिछले 200 वर्षों में, महासागरों ने 150 अरब मीट्रिक टन से अधिक CO_2 अवशोषित कर ली है।
- **रासायनिक अभिक्रिया:** जब CO_2 समुद्री जल में घुलती है, तो यह कार्बोनिक अम्ल (H_2CO_3) बनाती है। यह दुर्बल अम्ल फिर हाइड्रोजन आयनों ($H+$) और बाइकार्बोनेट आयनों (HCO_3-) में विघटित हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है।
- **pH में कमी**: हाइड्रोजन आयनों में वृद्धि समुद्री जल के pH को कम कर देती है, जिससे यह अधिक अम्लीय हो जाता है। pH पैमाना लघुगणकीय होता है, जिसका अर्थ है कि pH में थोड़ी सी भी कमी अम्लता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।

महासागरीय अम्लीकरण के प्रभाव

- **समुद्री जीवन पर प्रभाव**
  - **कैल्सीफिकेशन करने वाले जीव**: प्रवाल, शंख मीन (जैसे सीप, क्लैम, मसल्स, डंगनेस केकड़े), समुद्री अर्चिन और कुछ प्लवक (जैसे टेरोपोड या "समुद्री तितलियाँ") जैसे जीव विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। ये अपने खोल और कंकाल के निर्माण और रखरखाव के लिए कार्बोनेट आयनों पर निर्भर करते हैं। जैसे-जैसे अम्लता बढ़ती है, कार्बोनेट की उपलब्धता कम होती जाती है, जिससे इन जीवों के लिए अपनी संरचनाएँ बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे विकास में कमी, प्रजनन में बाधा, और यहाँ तक कि pH स्तर बहुत कम होने पर खोल या कंकाल का विघटन भी हो सकता है।
  - **पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान**: प्रवाल भित्तियाँ, जो आर्थिक और जैविक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हैं, समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान और विरंजन के अलावा अम्लीकरण के अतिरिक्त खतरों का सामना करती हैं।
  - **कुछ प्रजातियों के लिए संभावित लाभ:** जहाँ कई प्रजातियों को नुकसान पहुँचता है, वहीं शैवाल और समुद्री घास को भूमि पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण के लिए उच्च CO_2 स्थितियों से लाभ हो सकता है।
- **मानव समुदायों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव**
  - **खाद्य सुरक्षा और आजीविका**: दुनिया भर में अरबों लोग प्रोटीन के अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में समुद्र से प्राप्त भोजन पर निर्भर हैं। कई नौकरियाँ और अर्थव्यवस्थाएँ मछलियों और शंख मीन पर निर्भर करती हैं, इसलिए समुद्री फसलों में गिरावट से कमज़ोर समुदायों पर, विशेष रूप से कम विकसित देशों में, जहाँ कृषि के सीमित विकल्प हैं, गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
  - **आर्थिक प्रभाव:** मछलियों की घटती आबादी और पर्यावास परिवर्तनों से मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यटन को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि समुद्री अम्लीकरण, भित्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली तूफान सुरक्षा को कम कर देता है। पर्यटन को बढ़ावा देने वाले शंख मीन उद्योग और प्रवाल भित्तियाँ अरबों डॉलर के आर्थिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती हैं।
  - **सामाजिक व्यवधान**: घटते समुद्री संसाधनों से संबंधित चुनौतियाँ अंतर्देशीय शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से आगे सामाजिक व्यवधान और यहाँ तक कि संघर्ष भी हो सकता है।

आगे की राह

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी**: सबसे महत्वपूर्ण कदम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, को कम करना है, क्योंकि यह महासागरीय अम्लीकरण के मूल कारण को सीधे कम करता है।
- **उन्नत अनुसंधान और निगरानी**: महासागरीय अम्लीकरण के बहुआयामी प्रभावों को समझने और ज्ञान के अंतराल की पहचान करने के लिए निरंतर अनुसंधान आवश्यक है।
- **अनुकूलन और संरक्षण रणनीतियाँ**
  - तटीय समुदायों के लिए विशिष्ट अनुकूलन रणनीतियाँ विकसित करना महत्वपूर्ण है।
  - संरक्षण उपायों में उन क्षेत्रों और प्रजातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अम्लीकरण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
  - समुद्री शैवाल उगाने जैसे समाधानों की खोज, जो CO_2 को अवशोषित कर सकते हैं, एक संधारणीय अध्ययन का क्षेत्र है।
- **नीति एकीकरण और लेखा परीक्षा**
  - सरकारों को महासागरीय अम्लीकरण को मुख्यधारा के नीतिगत एजेंडे में सम्मिलित करने की आवश्यकता है।
  - जलवायु परिवर्तन और महासागरीय अम्लीकरण से संबंधित सरकारी प्रयासों की लेखा परीक्षा में जोखिमों और कमजोरियों, अनुकूलन प्रयासों और एजेंसियों के बीच समन्वय का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  - लेखापरीक्षा में चुनौतियों में विशिष्ट कानूनों का अभाव, डेटा उपलब्धता में देरी, सरकारी कार्यक्रमों का विखंडन, सीमित लेखापरीक्षा विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएँ सम्मिलित हैं।
- **वित्तीय आवंटन**
  - महासागरीय अम्लीकरण से निपटने के लिए अधिक वित्तीय आवंटन और समर्पित कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
  - भारत की नीली क्रांति योजना और डीप ओशन मिशन, समुद्री संसाधनों की खोज और उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से की गई पहलों के उदाहरण हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. महासागरीय अम्लीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. महासागरीय अम्लीकरण मुख्यतः समुद्री जल द्वारा अतिरिक्त वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के अवशोषण के कारण होता है।
2. महासागरीय अम्लीकरण कैल्शियम कार्बोनेट की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे प्रवाल और शंख मीन जैसे समुद्री जीवों को लाभ होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(द) :उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: समुद्री जैव विविधता और मानव समुदायों पर इसके व्यापक प्रभावों के कारण महासागरीय अम्लीकरण को अक्सर जलवायु परिवर्तन का 'दुष्ट जुड़वाँ' कहा जाता है। महासागरीय अम्लीकरण के कारणों, पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक परिणामों पर चर्चा कीजिए। इसके प्रभाव को कम करने और इसे राष्ट्रीय जलवायु और महासागर नीतियों में एकीकृत करने के उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

समतापमंडलीय एरोसोल इंजेक्शन और ग्लोबल वार्मिंग

चर्चा में क्यों: हाल ही में, अर्थ्स फ्यूचर पत्रिका ने **समतापमंडलीय एरोसोल इंजेक्शन (SAI)** के उपयोग पर एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जो केवल उत्सर्जन कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, ग्रह को सीधे ठंडा करने के एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है।

SAI क्या है?

- SAI में **पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करने के लिए समताप मंडल में एरोसोल इंजेक्ट किया जाता है।** यह तकनीक ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रेरित है, जो वायुमंडल में एरोसोल छोड़कर ग्रह को ठंडा करते हैं।

यह कैसे काम करता है?

- आने वाला सौर विकिरण इन एरोसोल द्वारा आंशिक रूप से बिखरा और परावर्तित होता है।
- इससे पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाली ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है।
- ग्रह के एल्बिडो को बढ़ाकर, SAI ग्रीनहाउस गैसों के कारण होने वाली गर्मी को आंशिक रूप से कम कर सकता है।

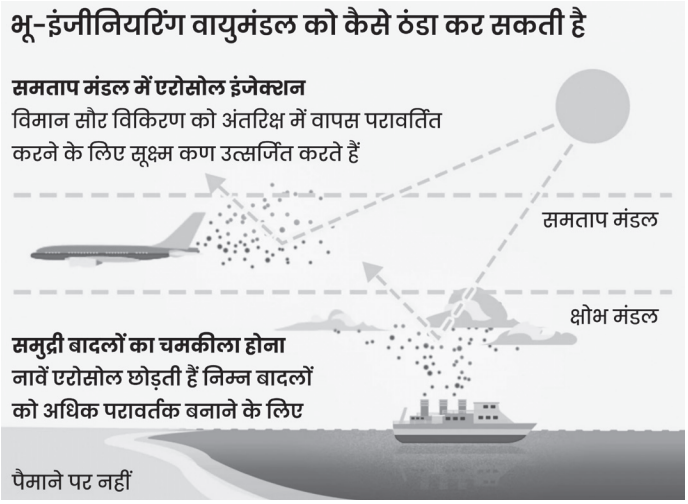
एसएआई की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक

- इंजेक्ट की गई सामग्री का प्रकार
- इंजेक्शन का समय और स्थान
- इंजेक्शन की ऊँचाई
  - ➢ अधिकांश शोध 20 किमी या उससे अधिक ऊँचाई पर, विशेष रूप से भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में, इंजेक्शन पर केंद्रित हैं।
  - ➢ कम ऊँचाई पर छोड़े गए कणों के बादलों में फँस जाने और वर्षा से बह जाने की संभावना अधिक होती है।
  - ➢ अधिक ऊँचाई पर इंजेक्शन आमतौर पर अधिक प्रभावी होता है क्योंकि कण महीनों से लेकर वर्षों तक समताप मंडल में बने रहते हैं।

एक अध्ययन के निष्कर्ष

- अध्ययन के अनुसार, यदि प्रत्येक गोलार्ध में स्थानीय वसंत और ग्रीष्म ऋतु के दौरान 13 किलोमीटर की ऊँचाई पर प्रतिवर्ष 12 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड डाला जाए, तो ग्रह लगभग 0.6° सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है।

भू-इंजीनियरिंग वायुमंडल को कैसे ठंडा कर सकती है



चुनौतियाँ

- **पर्यावरणीय जोखिम:** पर्यावरण के लिए जोखिमों में **सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा, ओज़ोन परत को नुकसान जिससे उसकी पुनर्प्राप्ति में देरी होती है, और असमान शीतलन (ध्रुवीय क्षेत्रों में ज़्यादा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कमज़ोर) सम्मिलित हैं।**
- **सीमित जलवायु लाभ:** शीतलन प्रभाव से **जलवायु परिवर्तन को उलटा नहीं किया जा सकेगा।** शीतलन ग्लोबल वार्मिंग को छुपा सकता है और **देशों को अपने उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में ढील देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।**
- **शासन संबंधी चुनौतियाँ:** यह तथ्य कि SAI के विश्वव्यापी परिणाम हैं—यदि कोई देश समताप मंडल में एरोसोल को अवमुक्त करता है, तो इसका सभी देशों पर प्रभाव पड़ेगा, और हमेशा सकारात्मक रूप से नहीं—इसे विवादास्पद बनाता है। इस तथ्य के कारण कि **इस तकनीक को "निष्पक्ष, लोकतांत्रिक और कुशल तरीके से नियंत्रित" नहीं किया जा सकता है।**

निष्कर्ष

हालाँकि SAI एक अस्थायी समाधान प्रस्तुत कर सकता है, यह उत्सर्जन न्यूनीकरण रणनीतियों का स्थान नहीं ले सकता और इसे मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय ढाँचों के अंतर्गत अत्यधिक सावधानी से अपनाया जाना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन (SAI) क्या है? जलवायु हस्तक्षेप उपकरण के रूप में इसकी क्षमता पर चर्चा कीजिए और इससे जुड़ी पर्यावरणीय और प्रशासनिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। [150 शब्द] [10 अंक]

भारत में शहरी वन

चर्चा में क्यों: हैदराबाद के बचे हुए शहरी वनों में से एक, कांचा गचीबोवली, उस समय विलुप्त होने के खतरे में था जब तेलंगाना सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए अपनी 400 एकड़ ज़मीन देने का फैसला किया।

मुख्य विवरण

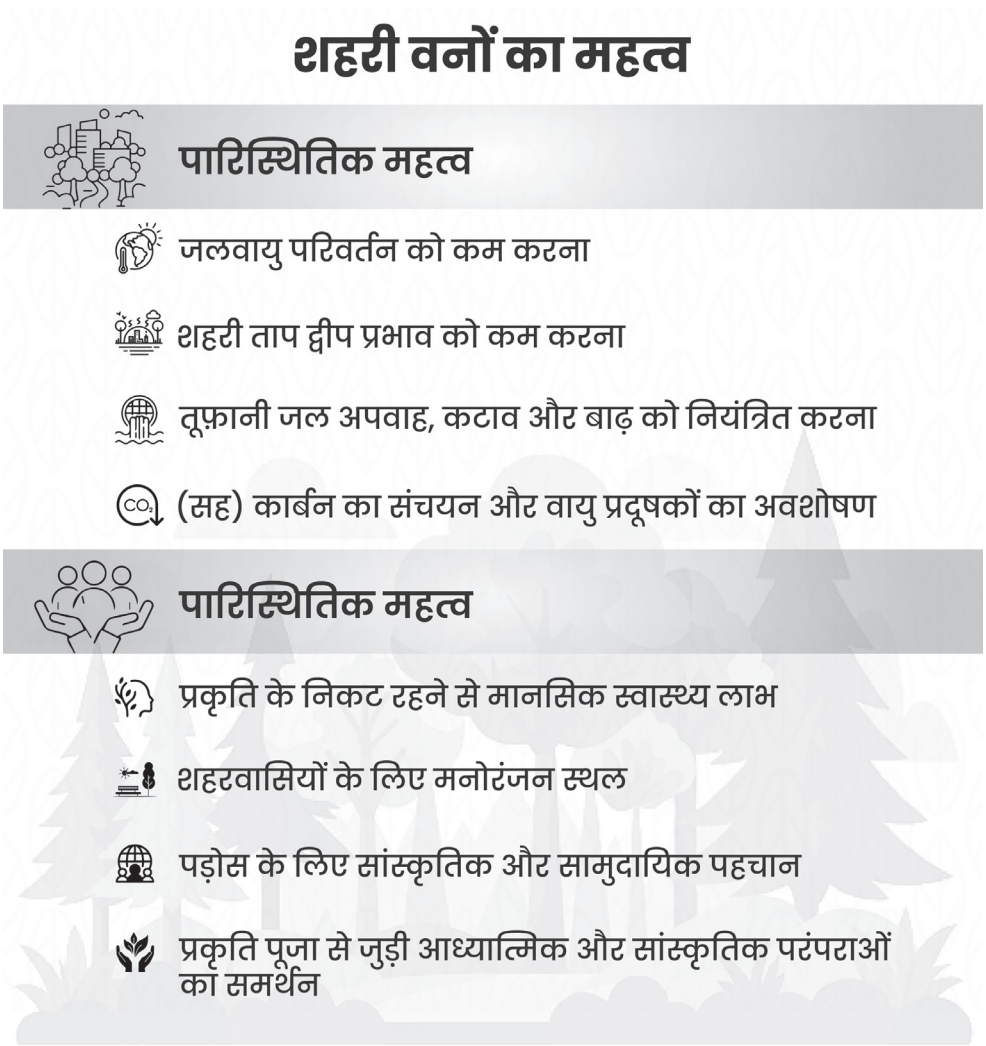
- जंगल पर स्वामित्व का दावा करके अपने कदम को उचित ठहराते हुए, सरकार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों को रियल एस्टेट हितों द्वारा गुमराह किया गया है।
- हालाँकि, **सर्वोच्च न्यायालय ने 100 एकड़ पेड़ों की कटाई का संज्ञान लिया** और राज्य सरकार को फटकार लगाई।
- इस मुद्दे ने **शहरी वनों की भेद्यता और शहरी विकास के पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील मॉडल को उजागर किया।**
- पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (भोपाल में) और इलाहाबाद उच्च न्यायालय (उत्तर प्रदेश में) द्वारा हाल ही में किए गए हस्तक्षेप शहरी हरियाली के लिए बढ़ते खतरे और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

शहरी वानिकी और उसके महत्व को समझना

- शहरी वानिकी को 'शहरी सामुदायिक पारिस्थितिकी तंत्रों में और उसके आसपास वृक्षों और वन संसाधनों के प्रबंधन की कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी' के रूप में परिभाषित किया गया है, ताकि वृक्ष समाज को शारीरिक, समाजशास्त्रीय, आर्थिक और सौंदर्यपरक लाभ प्रदान कर सकें।'
- **शहरी वानिकी का क्षेत्र** शहरी वन है। शहरी वन को शहरी क्षेत्रों में और उसके आसपास के **सभी वृक्ष-प्रधान हरित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित** किया गया है।
- इस प्रकार, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की परिभाषाओं के अनुसार, इसमें वन, अन्य वनाच्छादित भूमि और वनों के बाहर के वृक्ष सम्मिलित हैं, बशर्ते ये शहरी वातावरण में स्थित हों।
- **कांचा गाचीबोवली (हैदराबाद), आरे (मुंबई), तुराहल्ली (बेंगलुरु), नीला हौज और दिल्ली रिज (दिल्ली), और डोल का बाध (जयपुर)** जैसे शहरी वन क्षेत्र केवल दर्शनीय या मनोरंजक क्षेत्र नहीं हैं। वे जलवायु लचीलापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वायु शुद्धिकरण, भूजल पुनर्भरण और शहरी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शहरी वनों के लिए नीतिगत समर्थन

- भारत में शहरी वनों को नीतियों, मिशनों और न्यायिक हस्तक्षेपों में प्रमुखता दी गई है। **1988 की राष्ट्रीय वन नीति** और **2014 के राष्ट्रीय हरित भारत मिशन**, दोनों ने वनीकरण और सामाजिक वानिकी को बढ़ाने की अनिवार्यता पर ज़ोर दिया।
- **2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन और अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन** ने स्मार्ट शहरी डिज़ाइनों को पारिस्थितिक और सामाजिक विकास के साथ एकीकृत किया।



वन संरक्षण को सुदृढ़ बनाने में न्यायपालिका की भूमिका

न्यायिक निर्णयों ने वनों की कानूनी व्याख्या और संरक्षण को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

- **टी.एन. गोदावर्मन मामला (1996):** वनों की परिभाषा का विस्तार किया गया, और अधिक क्षेत्रों को संरक्षण के अंतर्गत लाया गया।
- **सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (2004):** सभी राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में वनों की पहचान, मानचित्रण और निगरानी करने का निर्देश दिया, जिससे एक राष्ट्रव्यापी वन सूची तैयार हुई।
- **दिल्ली उच्च न्यायालय (2015):** दिल्ली सरकार को दिल्ली रिज और अरावली वन्यजीव गलियारे की सुरक्षा करने का निर्देश दिया।
- **आरे वृक्ष कटाई पर सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन (2020):** मुंबई में आरे वन बचाओ आंदोलन के तहत नागरिकों की याचिकाओं पर सुनवाई की।
- **राजस्थान उच्च न्यायालय (2024):** जैव विविधता से भरपूर बारां जिले में जन विरोध के बाद वृक्ष कटाई का स्वतः संज्ञान लिया।

नगर वन योजना

- **भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)** ने 2020 में नगर वन योजना (शहरी वन योजना) शुरू की थी।
- इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वन क्षेत्रों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना था। **नगर वन योजना में वर्ष 2027 तक एक हज़ार शहरी वन विकसित करने का लक्ष्य है।**
- इस योजना की एक प्रमुख विशेषता **सामुदायिक भागीदारी है, जो स्थानीय निकायों, नागरिक समूहों और निवासी संघों** को इन वनों को अपनाने, विकसित करने और रखरखाव करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे संरक्षकता और सार्वजनिक स्वामित्व की भावना को बढ़ावा मिलता है।
- **भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023** के अनुसार, इस योजना के परिणामस्वरूप वृक्षों और वन क्षेत्र में 1445.81 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

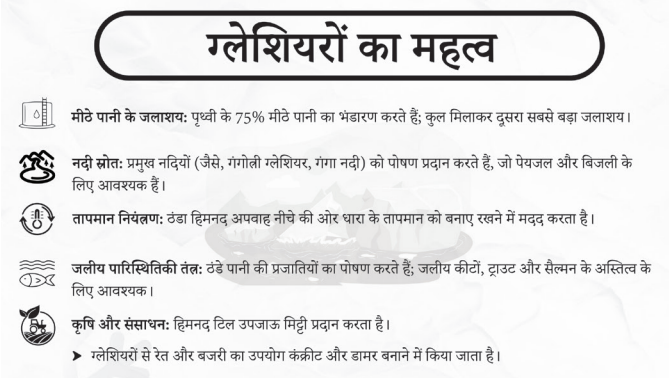
प्रश्न: शहरी वन पारिस्थितिक स्थिरता और जलवायु लचीलेपन के लिए आवश्यक हैं, फिर भी वे तीव्र शहरीकरण और कमज़ोर नियामक सुरक्षा उपायों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। इस संदर्भ में, शहरी वनों के पारिस्थितिक और सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व का परीक्षण कीजिए और उनके संरक्षण में नीतियों, न्यायपालिका और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

ग्लेशियर संरक्षण और जलवायु लचीलापन

चर्चा में क्यों: भारत ने दुशांबे में उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लेशियर संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्य विवरण

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (EFCC) ने ताजिकिस्तान गणराज्य के दुशांबे में आयोजित ग्लेशियर संरक्षण पर **उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** के पूर्ण सत्र को संबोधित किया।
- इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, नीति निर्माता और मंत्री ग्लेशियरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए, जो महत्वपूर्ण मीठे जल के भंडार और जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं।



हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने पर भारत की प्रतिक्रिया

- **हिमनदों का पिघलना और भारत की चिंताएँ:** विश्व स्तर पर हिमनदों का पिघलना तेज़ी से बढ़ रहा है, और हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों पर इसका असमान प्रभाव पड़ रहा है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र से गहराई से जुड़े भारत ने इस पर गहरी चिंता जताई है और लक्षित अनुकूलन एवं निगरानी रणनीतियों को लागू कर रहा है।
- **एनएपीसीसी के तहत रणनीतिक कार्रवाई:** भारत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई) के तहत प्रमुख पहल कर रहा है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का एक हिस्सा है। हिमनदों और हिमनद झीलों की निगरानी में सहायता के लिए क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) हिमनदों के द्रव्यमान और गतिशीलता पर नज़र रखने के लिए सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है।
  - ➤ राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान और जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान (एनआईएचई) जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के शोध द्वारा इसे संपूरित किया गया है। ये प्रयास संधारणीय जल संसाधन प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक समझ और नीति-निर्माण में सहायता करते हैं।
- **आपदा तैयारी और जीएलओएफ जोखिम मानचित्रण:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बना रहा है और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिमों का मानचित्रण कर रहा है। लचीलापन निर्माण, बेहतर डेटा साझाकरण और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियों के लिए समन्वित प्रतिक्रियाओं के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया गया है।
- **वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता:** भारत ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई में समानता और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। वैश्विक उत्सर्जन में दक्षिण एशिया के कम योगदान के बावजूद, यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है।

पेरिस समझौते के तहत जलवायु लक्ष्यों पर भारत की प्रगति

भारत ने अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप एक संतुलित और महत्वाकांक्षी जलवायु रणनीति अपनाई है। देश ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। **प्रमुख उपलब्धियों में सम्मिलित हैं:**

- **गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा:** स्थापित बिजली क्षमता का 48% से

अधिक अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है, जिनमें सौर, पवन, जल और परमाणु ऊर्जा सम्मिलित हैं।

- **उत्सर्जन तीव्रता में कमी**: भारत ने 2005 और 2020 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल की, जो 2030 तक 33-35% के पूर्व लक्ष्य को पार कर गया।
- **कार्बन सिंक निर्माण**: 2005 और 2021 के बीच, भारत ने वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि के माध्यम से 2.29 बिलियन टन CO_2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ग्लेशियर पारिस्थितिक संतुलन, जल सुरक्षा और जलवायु विनियमन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में, भारत के लिए ग्लेशियरों के महत्व पर चर्चा कीजिए और पेरिस समझौते के तहत ग्लेशियरों के क्षरण को रोकने और अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए देश द्वारा की गई पहलों का मूल्यांकन कीजिए। [250 अंक] [15 शब्द]

भारत पूर्वानुमान प्रणाली

चर्चा में क्यों: हाल ही में, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईआईटीएम द्वारा विकसित दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली 'भारत पूर्वानुमान प्रणाली' का अनावरण किया।

मुख्य विवरण

- भारत, जो अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत पूर्वानुमान प्रणाली को **संभावित नुकसान को कम करके और बेहतर मौसम पूर्वानुमान सटीकता के माध्यम से लाभ को अधिकतम करके आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**
- भारत पूर्वानुमान प्रणाली का **नेतृत्व चार महिला वैज्ञानिकों द्वारा** किया जा रहा है, जो भारत के वैज्ञानिक नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का उदाहरण है और 'नारी शक्ति' के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- अपने प्रयासों, तकनीक और लाभार्थियों के संदर्भ में **पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित** यह प्रणाली भारत की सच्ची आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक मील का पत्थर है।
- इस प्रणाली से न केवल भारत, बल्कि जटिल और परिवर्तनशील मौसम स्थितियों का सामना कर रहे अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को भी लाभ होने की संभावना है।
- **यह पहल "संपूर्ण विज्ञान" और "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण को दर्शाती है,** जिसमें भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अन्य जैसे संस्थानों के समन्वित प्रयास सम्मिलित हैं - जो एक एकीकृत राष्ट्रीय वैज्ञानिक रणनीति का प्रदर्शन करते हैं।

भारत पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में

- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे द्वारा विकसित।
- यह अत्याधुनिक प्रणाली **भारत के मौसम पूर्वानुमान रिज़ॉल्यूशन को 12 किमी से बढ़ाकर 6 किमी कर देती है, जिससे भारत के प्रत्येक गाँव को अधिक सटीक और स्थान-विशिष्ट पूर्वानुमान** प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- यह उन्नत पूर्वानुमान **प्रणाली IITM, पुणे और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, दिल्ली में स्थित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों 'अर्का' और 'अरुणिका' द्वारा संभव हुई है।**
  - ➢ IITM प्रणाली 11.77 पेटा फ्लॉप्स और 33 पेटाबाइट स्टोरेज क्षमता से सुसज्जित है, जबकि NCMRWF सुविधा में 24 पेटाबाइट स्टोरेज के साथ 8.24 पेटा फ्लॉप्स क्षमता है।
- **देश भर में 40 डॉपलर मौसम राडार** का एक नेटवर्क भारत पूर्वानुमान प्रणाली (बीएफएस) में डेटा फीड करेगा, जिससे अधिक सटीक, स्थानीयकृत पूर्वानुमान और अल्पकालिक नाउकास्ट - आगामी दो घंटों के लिए पूर्वानुमान - तैयार करना संभव होगा।
- यह प्रगति भारत की मौसम सेवाओं में एक बड़ी छलांग है और 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- 'विकास से विरासत' के विजन और कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ आधुनिक तकनीक के एकीकरण के अनुरूप, भारत पूर्वानुमान प्रणाली से फसल के नुकसान और विसंगतियों में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। यह उन्नत चरम मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं के माध्यम से ऐसा करता है - **जो चरम वर्षा पूर्वानुमानों में 30% सुधार और मुख्य कृषि क्षेत्रों में 64% वृद्धि दर्शाता है।**
  - ➢ ये प्रगति **त्रिकोणीय घन अष्टफलकीय ग्रिड (टीसीओजी) मॉडल** पर आधारित वास्तविक समय मॉडलिंग द्वारा संचालित होती हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत पूर्वानुमान प्रणाली (BFS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह त्रिकोणीय घन अष्टफलकीय ग्रिड (TCOG) मॉडल पर आधारित वास्तविक समय मॉडलिंग का उपयोग करके भारत के मौसम पूर्वानुमान रिज़ॉल्यूशन को 12 किमी से बढ़ाकर 6 किमी कर देता है।
2. यह 100 डॉपलर मौसम रडारों के नेटवर्क पर निर्भर करता है और इसरो के बेंगलुरु केंद्र में स्थित उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों द्वारा संचालित होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत

चर्चा में क्यों: कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग ने देश के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत (पीआरवी) के स्वदेशी निर्माण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

ध्रुवीय अनुसंधान पोत (पीआरवी)

- पीआरवी एक ऐसा जहाज है जिसे ध्रुवीय क्षेत्रों (उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के

आसपास के क्षेत्रों) में **अनुसंधान के लिए एक मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है।** यह व्यापक महासागरीय क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को भी सुगम बना सकता है।

- **सहयोग:** पीआरवी का डिज़ाइन और निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), जो भारत सरकार का उपक्रम है, और नॉर्वेजियन फर्म कोंग्सबर्ग के बीच साझेदारी के माध्यम से किया जाएगा।
- जीआरएसई **कोलकाता** स्थित अपने यार्ड में पीआरवी का निर्माण करेगा।

पीआरवी की क्षमताएँ और उद्देश्य

- **उन्नत अनुसंधान के लिए सुसज्जित:** पीआरवी को नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।
- **अनुसंधान का दायरा:** यह उपकरण शोधकर्ताओं को निम्नलिखित कार्यों में सक्षम बनाएगा:
  - महासागरों की गहराई का अन्वेषण।
  - समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन।
  - हमारे ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना।
  - **उपयोगकर्ता एजेंसी:** राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीओपीआर), जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन संचालित होता है, ध्रुवीय और दक्षिणी महासागरों में अपनी अनुसंधान गतिविधियों के लिए पीआरवी का उपयोग करेगा।

भारत के लिए महत्व

- **भारत की ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान क्षमताओं को उन्नत करना**
  - **वैज्ञानिक खोज के प्रति प्रतिबद्धता:** यह समझौता ज्ञापन वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा देने, ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को उन्नत करने और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देने की प्रतिबद्धता है।
  - **दीर्घकालिक आवश्यकता का समाधान:** भारत कुछ समय से अपना स्वयं का ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र (पीआरवी) स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो उसके ध्रुवीय अनुसंधान बुनियादी ढाँचे में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करेगा।
  - **चल रहे ध्रुवीय मिशनों का समर्थन:** यह पीआरवी राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा की परिचालन और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह भारत के स्थापित ध्रुवीय मिशनों को सहायता प्रदान करेगा, जिनमें सम्मिलित हैं: अंटार्कटिका: मैत्री (1989) और भारती (2011), आर्कटिक: हिमाद्री (2008)
  - **सामरिक महत्व:** यह पीआरवी ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक उपस्थिति को मज़बूत करेगा, जिससे वैश्विक ध्रुवीय शासन में भारत की आवाज़ और मज़बूत होगी।
- **भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा**
  - **जहाज निर्माण के लिए मील का पत्थर:** इस समझौता ज्ञापन को भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
  - **डिज़ाइन विशेषज्ञता और क्षमता:** युद्धपोतों, सर्वेक्षण और अनुसंधान पोतों जैसे जटिल समुद्री प्लेटफार्मों के निर्माण में अपने अनुभव के साथ, जीआरएसई को कोंग्सबर्ग से पीआरवी विकसित करने के लिए डिज़ाइन विशेषज्ञता प्राप्त होगी। यह सहयोग भारत की महत्वपूर्ण जहाज निर्माण क्षमताओं का प्रमाण होगा।
  - **मेक इन इंडिया पहल:** यह परियोजना सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देगी।

ध्रुवीय क्षेत्रों में भारतीय उपस्थिति

- अंटार्कटिका में **भारती और मैत्री** (दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, अब बर्फ में दब गया है)। ये अंटार्कटिक संधि द्वारा शासित हैं, जिसमें भारत 1983 में एक सलाहकार पक्ष के रूप में सम्मिलित हुआ था।
- आर्कटिक क्षेत्र में **हिमाद्रि** भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र, हिमाद्रि ने 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद, जुलाई 2008 में परिचालन शुरू किया।
- **ध्रुवीय क्षेत्रों का महत्व:** आर्कटिक और अंटार्कटिका विभिन्न वैज्ञानिक विषयों, जैसे वायुमंडलीय, महासागरीय, जैविक, भूवैज्ञानिक और हिमनद संबंधी अनुसंधान, में प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए अद्वितीय वातावरण प्रदान करते हैं। जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, विशेष रूप से आर्कटिक समुद्री बर्फ के संकुचन से संबंधित, इस विकास को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के ध्रुवीय मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों क्षेत्रों में स्थायी अनुसंधान केंद्र संचालित करता है।
2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) भारत के ध्रुवीय अनुसंधान के लिए नोडल एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

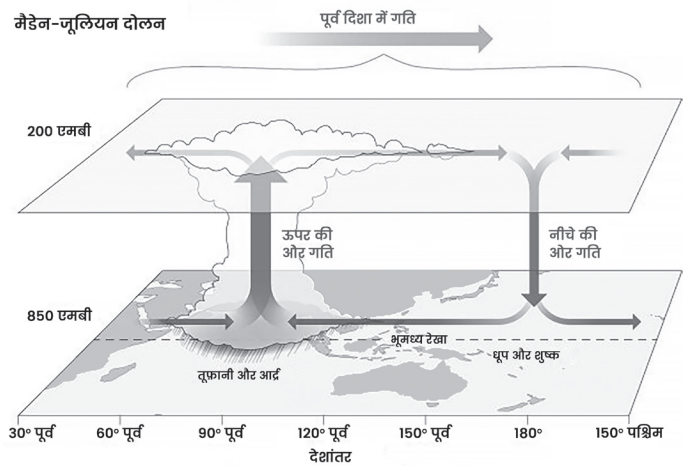
उत्तर: (c)

मैडेन-जूलियन दोलन

चर्चा में क्यों: मैडेन-जूलियन दोलन (MJO) ने मानसून के शीघ्र आगमन में मदद की।

मैडेन-जूलियन दोलन क्या है?

- एमजेओ हवाओं, बादलों और दबाव की एक गतिशील प्रणाली है जो भूमध्य रेखा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वर्षा लाती है।
- इस घटना का नाम 1971 में इसकी पहचान करने वाले दो वैज्ञानिकों - रोलांड मैडेन और पॉल जूलियन के नाम पर रखा गया है, जो उस समय बोल्डर, कोलोराडो स्थित राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र में कार्यरत थे।
- यह प्रणाली **आमतौर पर 4-8 मीटर प्रति सेकंड की गति से पूर्व की ओर यात्रा करती है।** यह औसतन 30-60 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है, लेकिन कभी-कभी इसमें 90 दिन भी लग सकते हैं।



चरण और वर्षा का प्रभाव

- गति करते समय, प्रबल MJO गतिविधि अक्सर ग्रह को दो भागों में विभाजित कर देती है - एक जिसमें MJO सक्रिय अवस्था में होता है और वर्षा लाता है, और दूसरा जिसमें यह वर्षा को दबा देता है। **सक्रिय अवस्था** में, MJO वर्ष के उस समय के औसत से अधिक वर्षा करता है, जबकि दबी हुई अवस्था में, क्षेत्र में औसत से कम वर्षा होती है।
- सक्रिय अवस्था के बाद आमतौर पर एक **कमज़ोर या दबा हुआ चरण** आता है, जिसमें MJO गतिविधि बहुत कम होती है।

भौगोलिक प्रभाव

- MJO का प्रभाव **मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखा** के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच की पट्टी में देखा जाता है, हालाँकि दोनों गोलार्धों के मध्य-अक्षांश क्षेत्र भी इसका प्रभाव महसूस करते हैं।
- भारत इसी क्षेत्र में आता है। चूँकि MJO चक्र केवल 30-60 दिनों तक चलता है, इसलिए एक मौसम में कई MJO घटनाएँ हो सकती हैं।

मैडेन-जूलियन दोलन और अल-नीनो

- कुछ प्रमाण हैं कि MJO और अल नीनो - दक्षिण अमेरिकी तट से दूर प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना - परस्पर संबंधित हैं।
- इस प्रकार, इस वर्ष की तरह, प्रबल MJO गतिविधि प्रबल अल नीनो वाले वर्ष में देखी जाती है। हालाँकि, यह सहसंबंध अनन्य नहीं है: एक प्रबल अल नीनो वर्ष - जिसकी प्रबलता एक समुद्री सतह के जल के तापमान में वृद्धि का माप — आमतौर पर खराब मानसून से संबंधित होता है।

MJO ने मानसून के जल्दी आगमन में कैसे योगदान दिया?

- उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, एमजेओ अपने सक्रिय चरण में लगातार चक्रवाती गतिविधि लाता है, और मानसून के आगमन की शुरुआत कर सकता है। उदाहरण के लिए, जून 2015 में, MJO के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में लगभग 20 दिनों तक बहुत अच्छी वर्षा हुई।
- इस साल भी ऐसा ही हो सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि 22 मई के आसपास, MJO, जो हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ था, **चरण 4 में था और इसका आयाम 1 से अधिक था**, जो आईएमडी के विस्तारित अवधि पूर्वानुमान के अनुसार, तेज़ वर्षा और तूफ़ान का संकेत है।

मानसून के शीघ्र आगमन में योगदान देने वाले अन्य कारक

- **मस्कारेने (Mascarene) उच्च**: आईएमडी, मस्कारेने उच्च को मानसून काल के दौरान मस्कारेने द्वीप समूह (दक्षिणी हिंद महासागर में) के आसपास पाए जाने वाले उच्च दाब क्षेत्र के रूप में वर्णित करता है। उच्च दाब की तीव्रता में परिवर्तन भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा के लिए उत्तरदायी है।
- **संवहन:** संवहनी गतिविधि, अर्थात् वायुमंडल में ऊष्मा और नमी का ऊर्ध्वाधर परिवहन, में वृद्धि भी वर्षा लाती है। उदाहरण के लिए, पिछले सप्ताह हरियाणा के ऊपर एक संवहनी प्रणाली दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ी और दिल्ली क्षेत्र में वर्षा हुई।
- **सोमाली जेट**: यह मॉरीशस और उत्तरी मेडागास्कर के पास उत्पन्न होने वाली एक निम्न-स्तरीय, अंतर-गोलार्धीय भूमध्यरेखीय पवन पट्टी है। मई के दौरान, अफ्रीका के पूर्वी तट को पार करने के बाद, यह अरब सागर और भारत के पश्चिमी तट तक पहुँचती है। एक प्रबल सोमाली जेट मानसूनी हवाओं के प्रबल होने से जुड़ा है।
- **ताप-निम्न**: सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर गति करने के साथ, जो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत को दर्शाता है, अरब सागर में एक निम्न-दाब क्षेत्र विकसित होता है। पाकिस्तान और उसके आस-पास के क्षेत्रों में एक गर्मी से उत्पन्न निम्न-दाब क्षेत्र का विकास, मानसून ट्रफ के साथ नम हवा को खींचने वाले उपकरण की तरह कार्य करता है, और इसकी मजबूत उपस्थिति अच्छे मानसूनी वर्षा को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष

इस वर्ष भारतीय मानसून का समय से पहले आगमन, **मैडेन-जूलियन दोलन के, विशेष रूप से इसके सक्रिय चरण में**, क्षेत्रीय वर्षा और चक्रवाती गतिविधि पर महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है। हालाँकि, मानसून एक जटिल परिघटना है जो मस्कारेन उच्च, सोमाली जेट, संवहनी प्रक्रियाओं और ताप-निम्न संरचनाओं सहित कई परस्पर क्रियाशील प्रणालियों द्वारा आकार लेती है। अल नीनो जैसे वैश्विक कारकों के साथ-साथ इन गतिशील अंतःक्रियाओं को समझना, भारत जैसे मानसून-निर्भर क्षेत्रों में मौसमी पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने और जलवायु लचीलापन बनाने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय मानसून के आगमन और परिवर्तनशीलता को प्रभावित करने में मैडेन-जूलियन दोलन (एमजेओ) जैसे अंतर-मौसमी दोलनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये अल नीनो, सोमाली जेट और मस्कारेन हाई जैसी अन्य वायुमंडलीय और महासागरीय घटनाओं के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं और मानसून के परिणामों को प्रभावित करते हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

शहरी बाढ़

चर्चा में क्यों: हाल ही में, मानसून-पूर्व भारी वर्षा से बेंगलुरु थम सा गया, शहर में 12 घंटों में 130 मिमी वर्षा दर्ज की गई - जो शहर में बाढ़ के बढ़ते खतरे को दर्शाती है।

भारत में शहरी बाढ़

- शहरी बाढ़ भारतीय शहरों में एक आवर्ती समस्या है जिसने बुनियादी ढाँचे, संपत्ति, जीवन और अर्थव्यवस्था पर इसके व्यापक प्रभाव के कारण नीतिगत चर्चाओं में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है।
- शहरी बाढ़ उन स्थितियों को संदर्भित करती है जहाँ शहरों में भारी वर्षा या अन्य स्रोतों जैसे तेज़ी से बर्फ पिघलने या तूफ़ानी लहरों से बड़ी मात्रा में जल जमा हो जाता है, साथ ही शहर का बुनियादी ढाँचा जल को जल्दी से निकालने में असमर्थ होता है।

शहरी बाढ़ के कारण

- **प्राकृतिक कारण:** अत्यधिक वर्षा, तेज़ी से बर्फ पिघलने और तूफ़ानी लहरों के कारण शहरी बाढ़ें और भी गंभीर हो जाती हैं। जलवायु परिवर्तन ने इन घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा दिया है, खासकर भारत के पश्चिमी तट पर। आईपीसीसी की रिपोर्टें ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानसूनी वर्षा और अत्यधिक आर्द्र घटनाओं में वृद्धि की पुष्टि करती हैं।
- **नियोजन की कमी:** गरीबी नियोजन की कमी प्रवासियों को नदी के किनारों और नालों जैसे बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में बसने के लिए मजबूर करती है, जिससे अतिक्रमण, नालों में गाद जमा होना और खराब वर्षा जल प्रणालियाँ होती हैं। कमज़ोर शहरी अर्थव्यवस्थाओं के कारण प्रवासी दबाव कुछ ही शहरों में केंद्रित है।
- **शासन की कमियाँ:** शहरी स्थानीय निकायों के पास सीमित शक्तियाँ हैं, जबकि कई एजेंसियाँ बिना समन्वय के सेवाओं का प्रबंधन करती हैं। बेंगलुरु में देखी गई यह खंडित प्रणाली, संकट प्रतिक्रिया और बाढ़ शमन में बाधा डालती है।
- **शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे के मुद्दे:** झीलों और आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण और कंक्रीटीकरण ने प्राकृतिक जल निकासी को नुकसान पहुँचाया है। वर्षा जल प्रणालियाँ अपर्याप्त और अवरुद्ध हैं। खराब अपशिष्ट प्रबंधन, अनधिकृत निर्माण और उपेक्षित बुनियादी ढाँचे के कारण बाढ़ की समस्या और भी बदतर हो जाती है। अत्यधिक घनत्व शहरी पारिस्थितिकी तंत्र पर और भी अधिक दबाव डालता है और बाढ़ की आशंका को बढ़ाता है।

शहरी बाढ़ के प्रभाव

- **नुकसान और क्षति:** इनसे बुनियादी ढाँचे, संपत्ति और जान-माल का भारी नुकसान होता है।
- **आर्थिक व्यवधान:** ये सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त कर देते हैं, आर्थिक अव्यवस्था का कारण बनते हैं, और विशेष रूप से आर्थिक केंद्रों वाले शहरों में, इनका व्यापक आर्थिक प्रभाव और वित्तीय नुकसान होता है।
- **सेवा विफलताएँ:** सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क निष्क्रिय हो सकते हैं, और सुरक्षा एहतियात के तौर पर बिजली की लाइनें काट दी जा सकती हैं।
- **स्वास्थ्य जोखिम:** जैसे-जैसे बाढ़ का जल कम होता है, शहरों में हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है।

शहरी बाढ़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **जल शक्ति अभियान (JSA):** वर्षा जल संचयन/भूजल पुनर्भरण पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।
- **अमृत सरोवर मिशन:** आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के प्रत्येक ज़िले में 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण हेतु शुरू किया गया।
- **अटल भूजल योजना:** केंद्र सरकार गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में राज्यों के सहयोग से ग्राम स्तर पर स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करते हुए अटल भूजल योजना लागू कर रही है।
- **अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) 2.0 योजना:** वर्षा जल को वर्षा जल नालियों के माध्यम से एक जलाशय (जिसमें सीवेज/अपशिष्ट नहीं आ रहा है) में संचयित करने और जलाशय के चारों ओर वर्षा जल नालियों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के प्रावधान किए गए हैं।
- **मॉडल बिल्डिंग उपनियम (एमबीबीएल), 2016:** 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार के प्लॉट वाले सभी भवनों में वर्षा जल संचयन का पूर्ण प्रस्ताव अनिवार्य रूप से सम्मिलित होगा।

आगे की राह

- **अंतर-एजेंसी समन्वय:** राज्यों को शहरी बाढ़ की तैयारी और उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपनी एजेंसियों और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए।
- **आपदा-पूर्व योजना:** अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील राज्यों को आपदा-पूर्व योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए और जलवायु परिवर्तन शमन को आपदा जोखिम प्रबंधन में एकीकृत करना चाहिए।
- **घनत्व पर राष्ट्रीय नीति:** भारत को एक स्थायी सीमा से आगे जनसांख्यिकीय घनत्व को हतोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है।
- **संधारणीय शहरी विकास:** बड़े शहरों पर प्रवासन के दबाव को कम करने और अन्यत्र संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे शहरों में निवेश और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

शहरी बाढ़ भारतीय शहरों के लिए एक बढ़ती और लगातार चुनौती है, जो जलवायु परिवर्तन, नियोजन की कमी और असंवहनीय शहरीकरण के कारण उत्पन्न होती है। इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक सक्रिय, एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मज़बूत आपदा-पूर्व योजना, अंतर-एजेंसी समन्वय और केंद्र-राज्य वित्तीय एवं तकनीकी सहायता सम्मिलित हो। हरित बुनियादी ढाँचे को लागू करना, नियमों को कड़ा करना और शहरी अति-घनत्व को दूर करना, लचीले और कार्यात्मक शहरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में शहरी बाढ़ के प्राथमिक कारण और योगदान कारक क्या हैं? शहरी बाढ़ से निपटने के लिए भारत में नीति और शासन कैसे विकसित हुए हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

पूर्वोत्तर भारत में बाढ़

चर्चा में क्यों: लगातार मानसूनी वर्षा के कारण भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में घातक भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई है, जिससे कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और 60,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

मुख्य विवरण: सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- **व्यापक तबाही:** बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है, बड़े पैमाने पर कृषि भूमि को नुकसान पहुँचाया है और कई जानवर बह गए हैं।
- **जीवन की हानि:** पूरे क्षेत्र में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार पाँच राज्यों में 24 घंटों में कम से कम 32 मौतें हुई हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम और मणिपुर सहित कई राज्यों में कुल मृतकों की संख्या 36 तक पहुँच गई है।
- **दैनिक जीवन में व्यवधान:** बाढ़ के जल ने प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें, स्कूल, कार्यालय और बाज़ार बंद कर दिए। असम में सड़क, रेल और नौका सेवाएँ बाधित हुईं।
- **आर्थिक नुकसान:** किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, उनकी सारी मछलियाँ गायब हो गईं और फसलें बर्बाद हो गईं। ऐसे झटकों से उबरने में एक दशक लग सकता है। शिक्षा प्रमाणपत्र भी बह गए, जिससे दीर्घकालिक समस्याएँ पैदा हो रही हैं।

पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से जुड़ी चुनौतियाँ

- **भौगोलिक और जलवायु कारक**
  - **पहाड़ी भूभाग और खड़ी ढलानें:** ये विशेषताएँ भारी वर्षा के दौरान तेज़ बहाव को बढ़ावा देती हैं, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन होता है। इस क्षेत्र को कमज़ोर बुनियादी ढाँचे वाला बताया गया है।
  - **उच्च वर्षा:** इस क्षेत्र में मानसून की पर्याप्त वर्षा होती है, जो अक्सर भूमि की अवशोषण क्षमता से अधिक होती है।
  - **नदी प्रणालियाँ:** ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी प्रमुख नदियाँ, अपनी सहायक नदियों के साथ, मानसून के मौसम में अक्सर उफान पर आ जाती हैं।
- **मानवीय गतिविधियाँ और बुनियादी ढाँचे से जुड़ी चुनौतियाँ**
  - **वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन:** मानवीय गतिविधियों ने प्राकृतिक वनस्पति आवरण को कम कर दिया है, जिससे भूमि की वर्षा जल अवशोषण क्षमता कम हो गई है।
  - **अपर्याप्त अपवाह प्रणालियाँ और अनियोजित बस्तियाँ:** गुवाहाटी जैसे शहरी केंद्रों को खराब अपवाह और संवेदनशील ढलानों पर अनियोजित बस्तियों के कारण अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चेतावनियों के बावजूद, कई निवासी गुवाहाटी में 366 चिन्हित भूस्खलन-प्रवण पहाड़ी स्थानों पर रह रहे हैं।
  - **तीव्र शहरीकरण:** गुवाहाटी और सिलचर जैसे शहर तेज़ी से शहरीकरण के कारण विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे उनकी जल निकासी की समस्याएँ और बढ़ गई हैं।
- **शासन और ग़ैरसरकारी व्यवस्था की विफलताएँ**
  - **क्रिस्टलीय आपदाओं का अभाव:** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मंजूरी का व्यापक अभाव है, जो आम बात हो रही है।
  - **तदर्थ उपाय:** सरकारी कार्रवाई अक्सर तात्कालिक उपायों तक सीमित रहती है, जैसे टूटे हुए तटबंधों को ठीक करने के लिए जेसीबी मशीनों का उपयोग करना या बेदखली अभियानों की शुरुआत करना, जो दीर्घकालिक समाधान नहीं माने जा सकते।
  - **अधिनियमों का खंडन:** मणिपुर बाढ़ क्षेत्र निर्धारण अधिनियम, 1978 जैसे कानूनों के बावजूद, जो राज्य को बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और वहां विकास को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, अब तक कोई उचित सीमांकन नहीं किया गया है, जिससे हर बाढ़ के साथ क्षति में लगातार वृद्धि हो रही है।
  - **सीमित सरकारी अधिकार क्षेत्र:** छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक संस्थाएँ व्यापक भू-भागों पर स्वायत्त रूप से नियंत्रण रखती हैं, लेकिन इनके पास स्पष्ट विनियमन या लागू करने योग्य दिशानिर्देशों की कमी होती है। राज्य की क्षेत्राधिकार सीमित होती है और वह स्वदेशी भूमि अधिकारों के संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे के कारण हस्तक्षेप करने से कतराता है, जिससे व्यापक पारिस्थितिकीय क्षरण हो रहा है।
  - **मीडिया का ध्यान न होना:** यूक्रेन के जीरो (Ziro) में करोड़ों के नुकसान के बावजूद, मीडिया का ध्यान इस ओर कम ही हुआ है। मुख्यधारा के मीडिया के लिए बाढ़ की कहानी आम तौर पर बाढ़ के साथ ही खत्म हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।
- **जलवायु परिवर्तन की भूमिका**
  - मौसम विज्ञानी और विश्लेषक जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर कारक मानते हैं। **पूर्वोत्तर भारत के सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है।**
  - बढ़ती हुई तीव्र और अनियमित वर्षा प्रवृत्तियों के प्रमाण लगातार मिल रहे हैं, जो बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं की संभावना और तीव्रता को बढ़ा देते हैं। इसमें जल-प्रणाली के संचालन में बाधा और बादल फटने जैसी अत्यधिक मौसमीय घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि भी शामिल है।

पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ प्रबंधन के लिए आगे की राह

- **सक्रिय योजना और दीर्घकालिक रणनीति**
  - बेहतर बाढ़ प्रबंधन और आपदा तैयारी योजनाएँ विकसित करना।
  - तदर्थ समाधानों के बजाय एक सूचित, दीर्घकालिक निवारक दृष्टिकोण अपनाना।
  - पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा प्रतिक्रिया ढाँचे में सुधार करना।
- **संधारणीय अवसंरचना विकास**
  - क्षेत्र के भूगोल और वहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के अवसंरचना का डिज़ाइन तैयार करना। इसका अर्थ है पारंपरिक इंजीनियरिंग समाधानों से दूर जाना जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित वर्तमान में अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।
  - भूस्खलन को रोकने और मानसून के दौरान उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए सड़कें बनाने से पहले पूर्व अध्ययन या आकलन करना।
  - प्रकृति को हुए नुकसान की भरपाई करें, यह स्वीकार करते हुए कि "हम प्रकृति को वश में नहीं कर सकते"। यह अधिक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील विकास की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **प्रभावी शासन और विनियमन**
  - मणिपुर बाढ़ क्षेत्र निर्धारण अधिनियम, 1978 जैसे अधिनियमों के अनुसार, बाढ़ क्षेत्रों का उचित सीमांकन लागू करें और इन क्षेत्रों में विकास को विनियमित करना।
  - अनियंत्रित उत्खनन जैसी गतिविधियों से होने वाले पारिस्थितिक क्षरण को रोकने के लिए, विशेष रूप से छठी अनुसूची के क्षेत्रों में, विशाल भूभागों को नियंत्रित करने वाले पारंपरिक संस्थानों और समुदायों के लिए स्पष्ट नियम और प्रवर्तनीय दिशानिर्देश स्थापित करना।
  - सीमित अधिकार क्षेत्र और राज्य प्राधिकरणों द्वारा हस्तक्षेप करने की इच्छा के मुद्दों का समाधान करना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए स्वदेशी भूमि अधिकारों की संवेदनशीलता को स्वीकार करना।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से अनियमित और तीव्र वर्षा पैटर्न के प्रभाव को स्वीकार करें और भविष्य की सभी योजनाओं और बुनियादी ढाँचे के विकास में एकीकृत करना।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर भारत बाढ़ जैसी चरम मौसम संबंधी घटनाओं के प्रति तेज़ी से **संवेदनशील** होता जा रहा है, जहाँ प्राकृतिक संवेदनशीलता, मानव-जनित पर्यावरणीय क्षरण और सक्रिय के बजाय **प्रतिक्रियात्मक आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण** का संयोजन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को और बढ़ा देता है। बाढ़ प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक, दीर्घकालिक दृष्टिकोण का अभाव इस बढ़ते संकट से निपटने में एक महत्वपूर्ण कमी है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ की संवेदनशीलता में योगदान देने वाले भौगोलिक, मानवजनित और शासन-संबंधी कारकों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस क्षेत्र में स्थायी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा रोधी अवसंरचना 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और पाँच प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला।

मुख्य विवरण: प्रधानमंत्री की 5 प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताएँ

- **आपदा प्रतिरोधक शिक्षा का एकीकरण:** प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा में आपदा प्रतिरोधक पाठ्यक्रमों, मॉड्यूल और कौशल विकास कार्यक्रमों को सम्मिलित करने के महत्व पर ज़ोर दिया। इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कुशल कार्यबल तैयार करना है।
- **एक वैश्विक डिजिटल रिपॉजिटरी की स्थापना:** एक विश्वव्यापी डिजिटल रिपॉजिटरी की आवश्यकता पर बल दिया। यह रिपॉजिटरी उन देशों से प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखों का दस्तावेजीकरण करेगी जिन्होंने आपदाओं का सफलतापूर्वक सामना किया है और लचीलेपन के साथ पुनर्निर्माण किया है।
- **नवोन्मेषी वित्तपोषण और कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम:** नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्र और कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रमों के निर्माण का आह्वान किया। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकासशील देशों को आपदा प्रतिरोधक प्रयासों के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त हो।
- **छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) पर विशेष ध्यान:** छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) को "बड़े महासागरीय देशों" के रूप में भारत द्वारा मान्यता दिए जाने की पुष्टि की। उन्होंने उनकी विशिष्ट कमजोरियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **पूर्व चेतावनी प्रणालियों और समन्वय को मज़बूत करना:** पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मज़बूत करने और समन्वय में सुधार की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। ये प्रणालियाँ समय पर निर्णय लेने और प्रभावी अंतिम-मील संचार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICDRI) 2025

- **विषय:** तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण
- ICDRI 2025 का उद्देश्य एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहाँ **तटीय क्षेत्र, विशेष रूप से लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS),** आर्थिक स्थिरता और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा देते हुए जलवायु-जनित खतरों का सामना करने में सक्षम हों।
- यह वैश्विक सम्मेलन जलवायु अनुकूलन, तटीय लचीलापन और संधारणीय विकास पर चर्चा और ठोस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
- विज्ञान, नीति और वित्त के बीच सेतु बनाकर, इसका उद्देश्य दुनिया भर के संवेदनशील तटीय समुदायों के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करना है।
- ICDRI 2025 ने वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा रणनीतिबद्ध **तटीय लचीलेपन के लिए कार्रवाई का आह्वान** किया है।

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई)

- सीडीआरआई एक वैश्विक गठबंधन है जो जलवायु और आपदा जोखिमों के विरुद्ध अवसंरचनागत लचीलेपन को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **सदस्य:** 46 सदस्य देशों और 8 सहयोगी संगठनों के साथ, यह राष्ट्रीय सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और व्यवसायों को ज्ञान के आदान-प्रदान, अनुसंधान को बढ़ावा देने और आपदा-रोधी अवसंरचना में निवेश करने के लिए एकजुट करता है।
- सदस्यों को वैश्विक विशेषज्ञता, वित्त पोषण, तकनीकी सहायता, अनुसंधान के अवसर, नवीन समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुँच प्राप्त होती है।
- नई दिल्ली, भारत में मुख्यालय वाला सीडीआरआई सचिवालय एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा रखता है।
- **मिशन:** सीडीआरआई का मिशन 2050 तक, बढ़ी हुई क्षमता, सूचित नीति, योजना और प्रबंधन के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति 10 ट्रिलियन डॉलर के नए और मौजूदा अवसंरचना निवेश और सेवाओं को बढ़ावा देना है, जिससे दुनिया भर में 3 अरब से अधिक लोगों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता, आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार हो सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका प्राथमिक उद्देश्य ऐसी अवसंरचना प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देना है जो आपदाओं और जलवायु प्रभावों का सामना कर सकें और उनसे शीघ्रता से उबर सकें।
2. यह भारत द्वारा आरंभ और नेतृत्व वाली एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है, जिसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

इकाई 5

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मेंडल का वंशानुक्रम नियम

चर्चा में क्यों: वैज्ञानिकों ने मेंडल के मटर के पौधों के लक्षणों के पीछे के 160 साल पुराने आनुवंशिक रहस्य को आखिरकार सुलझा लिया है, क्योंकि उन्होंने अंतिम तीन अज्ञात लक्षणों के लिए ज़िम्मेदार विशिष्ट जीन की पहचान कर ली है।

मटर के पौधों पर मेंडल का अग्रणी कार्य

- **प्रायोगिक काल और क्षेत्र:** ग्रेगर जोहान मेंडल ने 1856 में मटर के पौधों (पाइसम सैटिवम) पर अपने प्रयोग शुरू किए, और लक्षण वंशानुक्रम को समझने के लिए आठ साल तक 10,000 से ज़्यादा पौधों पर परीक्षण किया।
- 1884 में मेंडल की मृत्यु के सोलह साल बाद, 1900 में, तीन वैज्ञानिकों - ह्यूगो डी व्रीस, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन त्सचेरमक - ने स्वतंत्र रूप से उनके काम की फिर से खोज की। उन्होंने महसूस किया कि मेंडल ने वास्तव में इस सवाल का जवाब दे दिया था कि क्या माता-पिता के लक्षण अलग-अलग आवृत्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं।
- **प्रमुख अवलोकन और खोजें**
  - मेंडल ने मटर के पौधों में सात लक्षणों के वंशागति पैटर्न का अध्ययन किया, जिनमें से प्रत्येक के दो स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले रूप **थे। इन लक्षणों में सम्मिलित थे:**
    - बीज का आकार (गोल या झुर्रीदार)
    - बीज का रंग (पीला या हरा)
    - फूल का रंग (बैंगनी या सफेद)
    - फली का आकार (फूली हुई या सिकुड़ी हुई)
    - फली का रंग (हरा या पीला)
    - फूल की स्थिति (तने के साथ या सिरे पर)
    - पौधे की ऊँचाई (लंबा या छोटा)
  - **F1 पीढ़ी में प्रभुत्व:** उन्होंने देखा कि **विपरीत लक्षणों वाले पौधों के संकरण पर, एक रूप लगातार दूसरे पर हावी रहता है।** उदाहरण के लिए, गोल-बीज वाले और झुर्रीदार-बीज वाले पौधों के संकरण से हमेशा गोल बीज वाली पहली पीढ़ी (F1) की संतानें उत्पन्न होती थीं।
  - **F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात:** दो प्रथम पीढ़ी के पौधों के संकरण से उत्पन्न दूसरी पीढ़ी (F2) में, पहले छिपा हुआ रूप (जैसे झुर्रीदार) **कम आवृत्ति पर पुनः प्रकट हुआ, तथा लगातार प्रभावी से अप्रभावी लक्षणों (जैसे गोल से झुर्रीदार बीज) का 3:1 अनुपात प्रदर्शित हुआ।**

आनुवंशिकी पर प्रभाव

- लक्षण असतत इकाइयों (जिन्हें अब जीन कहा जाता है) के माध्यम से विरासत में मिलते हैं।
- प्रत्येक जीव प्रत्येक जीन के लिए दो एलील (allile) धारण करता है, प्रत्येक जनक से एक।
- ये एलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, और वंशागति पूर्वानुमेय पैटर्न का अनुसरण करती है।
- उनके कार्य ने बाद में वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत में योगदान दिया।

सदियों पुराना आनुवंशिकी रहस्य सुलझा

- **अनुत्तरित प्रश्न:** मेंडल के कार्य के गहन प्रभाव के बावजूद, उनके द्वारा अध्ययन किए गए सात लक्षणों के दो रूपों के लिए जिम्मेदार विशिष्ट आनुवंशिक अंतर लंबे समय तक अनुत्तरित रहे, जिसे वैज्ञानिक समुदाय को पूरी तरह से समझने में 108 वर्ष लग गए।

नए अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **पिसम वंश की आनुवंशिक जटिलता:** पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इसमें चार प्रजातियाँ सम्मिलित हैं, लेकिन आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला है कि पि**सम वंश वास्तव में आठ आनुवंशिक समूहों का निर्माण करता है**, और ये चारों प्रजातियाँ व्यापक संकरण और मिश्रण के कारण इन समूहों में वितरित हैं। यह पहले से ज्ञात की तुलना में अधिक जटिल जनसंख्या संरचना का संकेत देता है।
- **शेष लक्षणों के लिए जीन की पहचान:** अध्ययन ने पहले से अज्ञात तीन लक्षणों में सम्मिलित जीनों की सफलतापूर्वक पहचान की:
  - **फली का रंग:** ChlG जीन द्वारा क्लोरोफिल संश्लेषण को बाधित करने से पहले डीएनए के एक खंड का विलोपन, जिसके परिणामस्वरूप फलियाँ पीली हो जाती हैं।
  - **संकुचित फली का आकार:** MYB जीन के पास परिवर्तन और CLE-पेप्टाइड-एन्कोडिंग जीन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप यह लक्षण उत्पन्न होता है।
  - **पुष्प की स्थिति (तने के अंत में):** CIK-जैसे-कोरिसेप्टर-काइनेज जीन वाले डीएनए में एक छोटा सा विलोपन, एक संशोधक स्थान के साथ, इस विशेषता से जुड़ा है।
- **ज्ञात लक्षणों के लिए नए ऐलीलिक रूपांतर:** टीम ने अतिरिक्त ऐलीलिक रूपों की भी पहचान की जो पहले से पहचाने गए चार लक्षणों (बीज का आकार, बीज का रंग, पौधे की ऊँचाई और फूल का रंग) में योगदान करते हैं, जिससे पता चलता है कि आनुवंशिक चित्र मेंडल द्वारा मूल रूप से देखे गए से कहीं अधिक जटिल है। उदाहरण के लिए, सफेद फूल वाले पौधों में एक नया रूपांतर उन्हें फिर से बैंगनी फूल पैदा करने का कारण बन सकता है।

निहितार्थ और भविष्य की आशा

- **भविष्य के अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करना:** 160 साल पुराने रहस्य को सुलझाते हुए, इस अध्ययन ने भविष्य के अनुसंधान के लिए अपार संभावनाओं वाली गहन आनुवंशिक जानकारी प्रदान करते हुए, कुछ और भी बड़े द्वार खोले हैं।
- **कृषि और पर्यावरणीय अनुप्रयोग:** इन निष्कर्षों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं:
  - फसल उपज में वृद्धि

- रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि
- पर्यावरणीय अनुकूलन में सुधार

मेंडल के वंशानुक्रम के नियम

- **प्रभुत्व का नियम:** यह नियम बताता है कि जब किसी लक्षण के दो अलग-अलग एलील मौजूद होते हैं, तो एक एलील (प्रभावी एलील) फीनोटाइप में अभिव्यक्त होगा, जबकि दूसरा (अप्रभावी एलील) अभिव्यक्त नहीं हो सकता है।
- **पृथक्करण का नियम:** यह नियम बताता है कि युग्मक निर्माण (शुक्राणु और अंडाणु) के दौरान, किसी लक्षण के दो एलील अलग हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक को केवल एक एलील प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित करता है कि संतान को प्रत्येक जनक से एक एलील विरासत में मिले।
- **स्वतंत्र अपमिश्रण का नियम:** यह नियम बताता है कि युग्मक निर्माण के दौरान विभिन्न लक्षणों के एलील एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। सरल शब्दों में, एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मेंडल का पृथक्करण नियम कहता है कि युग्मक निर्माण के दौरान जीन के ऐलील पृथक हो जाते हैं।
2. स्वतंत्र अपयोजन नियम केवल समान गुणसूत्र पर स्थित जीनों पर लागू होता है।
3. मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पिसम सैटिवम (मटर का पौधा) का प्रयोग किया क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से विपरीत लक्षण दिखाई देते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

SPArc थेरेपी

चर्चा में क्यों: हाल ही में, अमेरिका के विशेषज्ञों की एक टीम ने **एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा से पीड़ित 46 वर्षीय एक मरीज के इलाज के लिए स्टेप-एंड-शूट-स्पॉट-स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी (SPArc) का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।**

SPArc थेरेपी क्या है?

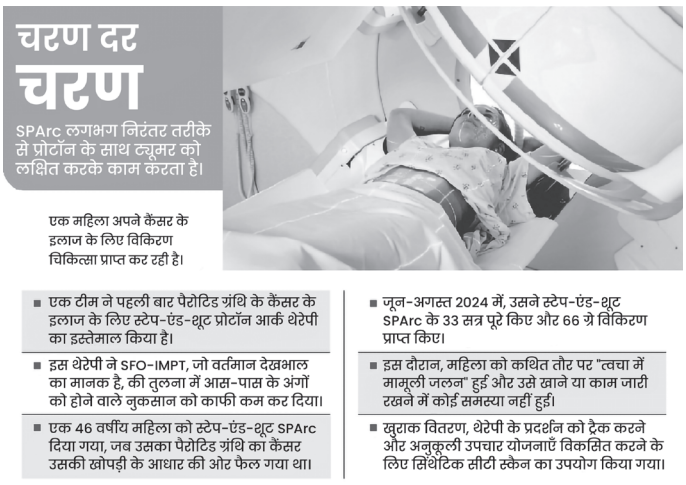
- SPArc प्रोटॉन थेरेपी का एक उन्नत रूप है **जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सटीक रूप से लक्षित प्रोटॉन किरणों का उपयोग करता है** और साथ ही आसपास के स्वस्थ ऊतकों को होने वाले नुकसान को कम करता है।

मुख्य विशेषताएँ और क्रियाविधि

- **सटीक लक्ष्यीकरण:** SPArc एक स्कैनिंग नोजल का उपयोग करके परत दर परत प्रोटॉन किरणें पहुँचाता है, ट्यूमर पर ध्यान केंद्रित करता है और आसपास के ऊतकों को बचाता है।
- **स्तरित ऊर्जा वितरण:** एक कंप्यूटर प्रोग्राम उन सभी संभावित स्थानों और ऊर्जा परतों का मानचित्रण करता है जहाँ प्रोटॉन किरणें निर्देशित की जा सकती हैं। प्रत्येक ऊर्जा परत एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर वाले प्रोटॉन के संपर्क में आने वाले ऊतक के एक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। एक परत पर कई लक्षित स्थानों पर विकिरण पहुँचाने के बाद, उपकरण थोड़ी गहरी रेंज वाले अगले ऊर्जा स्तर पर पहुँचता है और प्रक्रिया को दोहराता है।
- **क्रिया विधि:** विकिरण कैंसर कोशिकाओं के डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) को नुकसान पहुँचाता है, या तो उन्हें मार देता है या उनकी वृद्धि को बाधित करता है।
- **नैदानिक महत्व:** SPArc बड़े या जटिल ट्यूमर के मामलों में विशेष रूप से लाभकारी है, जहाँ यह आसन्न स्वस्थ ऊतकों को न्यूनतम क्षति पहुँचाते हुए घातक कोशिकाओं को सटीक रूप से लक्षित कर सकता है।

पारंपरिक तकनीकों (SFO-IMPT) की तुलना में लाभ:

- SPArc थेरेपी महत्वपूर्ण अंगों पर विकिरण के प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से कम करती है:
  - **ब्रेनस्टेम:** 10% तक कम
  - **ऑप्टिक चियास्म:** 56% तक कम
  - **ओरल कैविटी:** 72% तक कम
  - **स्पाइनल कैनाल:** 90% तक कम



चुनौतियाँ

- **छोटे ट्यूमर:** बहुत सटीक रेडियोथेरेपी देने में चिंता यह है कि **छोटे ट्यूमर छूट सकते हैं**, जिसे भौगोलिक चूक (Geographical miss) कहा जाता है, **क्योंकि साँस लेने जैसी सूक्ष्म गतिविधियाँ भी उनकी स्थिति बदल सकती हैं और उपचार के दौरान उन्हें छोटा कर सकती हैं, जिससे कैंसर के इलाज की दर कम हो जाती है।**
- **लागत: लागत एक और बड़ी चिंता का विषय है।** ये तकनीकें आमतौर पर केवल कम रोगी समूह के लिए ही उपयुक्त होती हैं और बहुत महंगी होती हैं। **इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भारी वित्तीय दबाव पड़ता है** और इस संभावना को बढ़ा देता है कि इसका उपयोग तब किया जाएगा जब इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है।

कैंसर के इलाज के अन्य तरीके

- **कीमोथेरेपी:** इसे कभी-कभी "कीमो" भी कहा जाता है और यह एक प्रकार का कैंसर उपचार है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है।
- **हार्मोन थेरेपी:** यह एक प्रकार का कैंसर उपचार है जो या तो शरीर की हार्मोन उत्पादन क्षमता को अवरुद्ध कर देता है या हार्मोन द्वारा कैंसर कोशिकाओं को प्रभावित करने के तरीके में हस्तक्षेप करता है।

- **हाइपरथर्मिया:** हाइपरथर्मिया नामक उपचार के एक प्रकार में शरीर के ऊतकों को 113°F तक गर्म किया जाता है ताकि कैंसर कोशिकाओं को मारकर नष्ट किया जा सके, जबकि स्वस्थ ऊतकों को बहुत कम या बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है।
- **फोटोडायनामिक थेरेपी:** कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, फोटोडायनामिक थेरेपी में एक दवा का उपयोग किया जाता है जिसे फोटोसेंसिटाइज़र या फोटोसेंसिटाइजिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है, जो प्रकाश द्वारा सक्रिय होता है। एक लेज़र या कोई अन्य प्रकार का स्रोत, जैसे एलईडी, प्रकाश का स्रोत हो सकता है।

निष्कर्ष

यद्यपि SPArc थेरेपी भविष्योन्मुखी, व्यक्तिगत कैंसर देखभाल की संभावनाओं को दर्शाती है, भारत में इसे व्यापक रूप से अपनाने से पहले लागत-प्रभावशीलता, सुलभता और स्वास्थ्य समानता को सम्मिलित करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: SPArc थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह ट्यूमर को लक्षित करने के लिए प्रोटॉन का उपयोग करता है और आसपास के स्वस्थ ऊतकों को होने वाले नुकसान को कम करता है।
2. SPArc थेरेपी अपनी उच्च परिशुद्धता के कारण छोटे, तेज़ी से सिकुड़ने वाले ट्यूमर के लिए अधिक प्रभावी है।
3. SPArc थेरेपी की एक बड़ी चुनौती ट्यूमर की गति के कारण "भौगोलिक चूक" का जोखिम है।
4. उच्च लागत और सीमित प्रयोज्यता इसे केवल रोगियों के एक छोटे समूह के लिए उपयुक्त बनाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

(q) :उत्तर

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस

चर्चा में क्यों: हाल ही में, केरल की राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने मुक्त-जीवित **अमीबा की पाँच सामान्य प्रजातियों की पहचान करने के लिए अपनी स्वयं की आणविक निदान परीक्षण किट विकसित की है, जो मनुष्यों के लिए विषाक्त हैं और अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का कारण बन सकती हैं।**

मुख्य विवरण

- अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के मामलों में, जीवन रक्षक उपाय **रोगज़नक़ की शीघ्र पहचान और उपचार** पर निर्भर करते हैं।
- हालाँकि पर्यावरण में मुक्त-जीवित अमीबा की 400 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही प्रजातियाँ मनुष्यों के लिए हानिकारक पाई गई हैं, जैसे कि **बालामुथिया मैंड्रिलारिस, पैरावहलकैम्पिया फ्रैन्सिना, वर्माअमीबा वर्मीफ़ॉर्मिस, नेग्लेरिया फाउलेरी, और एकैंथअमीबा प्रजातियाँ।**

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस

- यह **मस्तिष्क और मेनिन्जेस का संक्रमण** है, जो मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियाँ हैं।
- यह अमीबा नामक एक छोटे, एककोशिकीय जीव, **नेग्लेरिया फाउलेरी** के कारण होता है।
- संक्रमण पैदा करने वाला यह अमीबा **उथले सतही जल** और खराब रखरखाव वाले स्पा, हॉट टब और स्विमिंग पूल में पाया जाता है, खासकर गर्म जलवायु में।
- जब दूषित जल **नाक में चला जाता है, तो संक्रमण हो जाता है।** नाक के माध्यम से, **अमीबा मेनिन्जेस और मस्तिष्क** में प्रवेश करता है।
- युवा, सक्रिय लोग मुख्य रूप से इस असामान्य बीमारी से प्रभावित होते हैं। यह लगभग हमेशा घातक होता है।

निदान

- मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर स्थित **मस्तिष्कमेरु द्रव (सीएसएफ) की जाँच से संक्रमण का निदान** संभव हो पाता है क्योंकि संक्रमण का कारण बनने वाले अमीबा को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है।
- यद्यपि ठीक होना असामान्य है, शीघ्र निदान और कुछ एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के उपचार में सहायक हो सकता है।

अमीबा के बारे में

- **एककोशिकीय यूकेरियोटिक जीव** जो प्रोटोज़ोआ नामक जीवों के समूह से संबंधित है।
- **आवास:** हालाँकि अधिकांश अमीबा **मीठे जल** के पर्यावासों में रहते हैं, कुछ प्रजातियाँ **मिट्टी, खारे जल और यहाँ तक कि कृत्रिम जल प्रणालियों** में भी पाई जा सकती हैं।
- **गति और संरचना:** यह **अल्पकालिक उभारों को फैलाकर और सिकोड़कर गति करता है जिन्हें स्यूडोपोडिया या झूठे पैर** कहा जाता है। ये विस्तार तब उत्पन्न होते हैं जब गति की दिशा में आगे की ओर बहने वाले कोशिकाद्रव्य द्वारा एक ललाट उभार बनता है।
- **पोषण:** वे **सूक्ष्म प्रोटोज़ोआ, पादप कोशिकाओं, शैवाल और जीवाणुओं का सेवन करते हैं।** अमीबा भोजन प्रक्रिया के दौरान अपने शिकार को स्यूडोपोडिया से घेर लेता है, जिसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, जिससे एक खाद्य रिक्तिका बनती है जहाँ एंजाइम भोजन को तोड़ते हैं।
- **प्रजनन:** द्विखंडन अमीबा द्वारा उपयोग की जाने वाली **अलैंगिक प्रजनन** विधि है। इस प्रक्रिया में पहले अमीबा के नाभिक को दो भागों में विभाजित करके (माइटोसिस) और फिर कोशिकाद्रव्य को विभाजित करके (साइटोकाइनेसिस) दो आनुवंशिक रूप से समान अमीबा का निर्माण किया जाता है।

निष्कर्ष

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस एक दुर्लभ लेकिन घातक मस्तिष्क संक्रमण है। केरल द्वारा निदान किटों का विकास शीघ्र पहचान और समय पर उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह नेगलेरिया फाउलेरी नामक अमीबा के कारण होता है, जो आमतौर पर नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है।
2. यह रोग आमतौर पर उथले, गर्म मीठे जल के स्रोतों में पाए जाने वाले दूषित जल को पीने से फैलता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (द)

भारत की पहली जीन-संपादित भेड़

चर्चा में क्यों: श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (SKUAST) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत की पहली जीन-संपादित भेड़ तैयार की है।

अनुसंधान एवं विकास

- **प्रमुख संस्थान एवं शोधकर्ता:** यह शोध SKUAST-कश्मीर की एक टीम द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व पशु चिकित्सा विज्ञान संकाय के डीन प्रो. रियाज़ अहमद शाह ने किया।
- **वित्तपोषण:** इस परियोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- **प्रयुक्त तकनीक:** जीन संपादन CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करती है। CRISPR को 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला।
- **लक्षित जीन:** जीन-संपादित मेमने को 'मायोस्टैटिन' जीन के लिए संशोधित किया गया था, जो मांसपेशियों की वृद्धि का नियामक है।
- **परिणाम:** इस जीन को बाधित करके, पशु में मांसपेशियों का द्रव्यमान लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि का यह विशिष्ट गुण भारतीय भेड़ों की नस्लों में स्वाभाविक रूप से अनुपस्थित है, लेकिन टेक्सेल जैसी चुनिंदा यूरोपीय नस्लों में पाया जाता है।
  - ➢ इसका प्राथमिक तात्कालिक लाभ यह है कि भेड़ों का वज़न लगभग 30% ज़्यादा हो जाएगा, जिससे भेड़ें ज़्यादा भारी हो जाएँगी। इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ सकती है।

जीन संपादन

- जीन संपादन, जिसे जीनोम संपादन भी कहा जाता है, में ऐसी तकनीकें सम्मिलित हैं जो वैज्ञानिकों को **किसी जीव के डीएनए में सटीक परिवर्तन करने की अनुमति देती हैं।**
- ये तकनीकें जीनोम के भीतर विशिष्ट स्थानों पर **आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में सक्षम बनाती हैं।**
- जीनोम इंजीनियरिंग का प्राथमिक लक्ष्य न्यूक्लियोटाइड व्यवस्था में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों को रोकने के लिए किसी जीव के आनुवंशिक कोड में परिवर्तन करना है।
- जीन संपादन **डीएनए, आरएनए या एपिजेनेटिक स्तर** पर हो सकता है।

जीन संपादन विधियाँ और उपकरण

- **प्रतिबंधन एंजाइम (मूल जीनोम संपादक):** ये एंजाइम विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानते और काटते हैं, जिससे इन कटे हुए स्थानों पर नए डीएनए अनुक्रमों को स्थापित किया जा सकता है। प्रतिबंधन एंजाइमों की एक सीमा यह है कि वे केवल विशिष्ट, पूर्वनिर्धारित स्थानों पर ही काट सकते हैं, जिससे वांछित कटे हुए स्थान के आधार पर उनकी उपयोगिता सीमित हो जाती है।
- **ज़िंक फिंगर न्यूक्लिऐज़ (ZFN):** ZFN ने एक न्यूक्लिऐज़ डोमेन और एक विशिष्ट ज़िंक फिंगर डीएनए-बाइंडिंग डोमेन को सम्मिलित करके सटीक जीनोम संपादन को संबोधित किया, जो डीएनए पर 3-बेस पेयर साइटों को पहचानता है। कई ZFN को लंबे अनुक्रमों को पहचानने के लिए संयोजित किया जा सकता है, जिससे विशिष्टता बढ़ती है और उन्हें रुचि के लक्ष्य के लिए "अनुकूलन योग्य" बनाया जा सकता है। ZFN पौधों में जीनोम संपादन के लिए भी लाभकारी साबित हुए हैं।
- **TALENs (ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर-लाइक इफ़ेक्टर न्यूक्लिऐज़):** डीएनए-बाइंडिंग डोमेन अनुक्रमों से जुड़े न्यूक्लिऐज़ से बने होने के बावजूद, TALENs एकल न्यूक्लियोटाइड्स को पहचानते हैं, जिससे ZFNs की 3-बेस पेयर साइटों पर निर्भरता की तुलना में एक लाभ मिलता है। हालाँकि, ZFNs की डिज़ाइन और कार्यान्वयन प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से समय लेने वाली और कठिन थी।
- **CRISPR-Cas9:** CRISPR (क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स) तकनीक लक्ष्य साइट को पहचानने के लिए गाइड RNAs और कट बनाने के लिए एंडोन्यूक्लिऐज़ Cas9 पर निर्भर करती है, जिससे मरम्मत तंत्र को सुगम बनाया जा सकता है। इस तकनीक की विशिष्टता उच्च है, लक्ष्य से परे प्रभाव कम हैं, और उपयोग में आसानी है, जो इसे TALENs जैसी पुरानी विधियों का एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

जीन संपादन के अनुप्रयोग

- **चिकित्सा:** जीन संपादन स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तनकारी क्षमता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य रोगों की रोकथाम, अध्ययन और उपचार करना है।
  - ➢ **औषधि खोज:** यह औषधि लक्ष्यों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया को तेज़ करता है, जिससे वैज्ञानिक बड़ी संख्या में लक्ष्यों की जाँच कर सकते हैं और रोग की प्रगति या औषधि संवेदनशीलता में सम्मिलित जीनों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, CRISPR-Cas9 का उपयोग कैंसर इम्यूनोथेरेपी परीक्षणों में किया जा रहा है।
  - ➢ **चिकित्सा:** जीन संपादन आनुवंशिक कोड में उन त्रुटियों या टाइपिंग त्रुटियों को ठीक करके आनुवंशिक रोगों के उपचार के लिए "तैयार" किया गया है जो प्रोटीन के कार्य में कमी का कारण बनती हैं। इसमें वंशानुगत विकार और कैंसर जैसे उत्परिवर्तन भार से प्रेरित विकार सम्मिलित हैं।
  - ➢ **निदान:** अपनी लक्षित प्रकृति के कारण, CRISPR संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली नैदानिक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- **कृषि:** जीन संपादन खाद्य सुरक्षा और उपलब्धता के मुद्दों का समाधान करके खाद्य आपूर्ति के लिए लाभकारी परिणाम दे सकता है।
  - ➢ **पशुधन सुधार:** वैज्ञानिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, स्थायित्व बढ़ाने और उनके पोषण एवं चिकित्सीय मूल्य में सुधार के लिए जीनोम-संशोधित मवेशियों और सैल्मन का उपयोग कर रहे हैं।
  - ➢ **फसल संवर्धन:** जीनोम संपादन सिद्धांत, विशेष रूप से CRISPR, गेहूँ, चावल और कॉफ़ी जैसी फसलों पर खाद्य असहिष्णुता और खराब होने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए लागू किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, CRISPR-Cas9 का उपयोग गेहूँ की प्रतिरक्षाजनकता में सुधार के लिए किया जाता है, जो सीलिएक रोग का एक प्रमुख कारण है।
- **जैव ईंधन और पर्यावरण:** जीन संपादन जैव ईंधन अनुसंधान में सहायता करके वैज्ञानिकों को पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर रहा है। CRISPR का उपयोग करके सूक्ष्मजीवों के विशिष्ट आनुवंशिक हेरफेर का उपयोग जैव ईंधन के प्रति उनकी सहनशीलता में सुधार के लिए किया जा रहा है, जो कि आर्थिक रूप से अनुकूल ईंधन उत्पादन में एक सीमित कारक है।

जीन संपादन से जुड़ी नैतिक चिंताएँ

- **सुरक्षा**
  - ➢ एक प्रमुख चिंता लक्ष्य से परे प्रभावों (अनपेक्षित स्थानों पर संपादन) और

मोज़ेसिस (जब कुछ कोशिकाएँ संपादन को धारण कर लेती हैं जबकि अन्य नहीं) की संभावना है।

- शोधकर्ता और नैतिकतावादी आम तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि प्रजनन उद्देश्यों के लिए मानव जर्मलाइन जीनोम संपादन का प्रयास इस समय तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसे अनुसंधान द्वारा सुरक्षित न मान लिया जाए। संभावित जोखिमों को वर्तमान में संभावित लाभों के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

- **फिसलन ढलान और संवर्द्धन संबंधी चिंताएँ:** एक चिंता यह है कि किसी भी जीनोम संपादन, यहाँ तक कि चिकित्सीय उपयोगों के लिए भी, इसके गैर-चिकित्सीय और संवर्द्धन उद्देश्यों के लिए उपयोग को जन्म दे सकता है, जिसे कई लोग विवादास्पद मानते हैं।
- **सूचित सहमति:** जर्मलाइन चिकित्सा के लिए सूचित सहमति प्राप्त करना असंभव प्रतीत होता है क्योंकि प्रभावित रोगी भ्रूण और भावी पीढ़ियाँ हैं।
- **न्याय और समता**
  - कई नई तकनीकों की तरह, यह चिंता भी है कि जीनोम संपादन केवल धनी लोगों के लिए ही सुलभ होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में मौजूदा असमानताएँ और बढ़ेंगी।
  - चरम सीमा पर, जर्मलाइन संपादन संभावित रूप से व्यक्तियों के ऐसे वर्ग बना सकता है जो उनके इंजीनियर्ड जीनोम की गुणवत्ता के आधार पर परिभाषित होंगे।
- **भ्रूण से संबंधित जीनोम-संपादन अनुसंधान:** कई लोग अनुसंधान के लिए मानव भ्रूण के उपयोग पर नैतिक और धार्मिक आपत्तियाँ रखते हैं।

निष्कर्ष

भारत की पहली जीन-संपादित भेड़ जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, जिसका प्रभाव कृषि से परे, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण और अनुसंधान तक फैला हुआ है। नैतिक उपयोग, विनियमन और न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करना इसकी पूर्ण क्षमता को साकार करने की कुंजी होगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की जीन-संपादन प्रगति के कृषि भविष्य पर व्यापक प्रभाव क्या हैं? [150 शब्द] [10 अंक]

एक्सिओम-4 मिशन

चर्चा में क्यों: भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के एक्सिओम-4 मिशन को लेकर उत्सुकता बढ़ने के कुछ ही दिनों बाद, स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट में लीक का पता चलने के बाद प्रक्षेपण एक बार फिर स्थगित कर दिया गया।

मुख्य विवरण

- एक्सिओम-4 मिशन को मंगलवार, 10 जून को शुभांशु शुक्ला और तीन अन्य लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाना था, लेकिन विमान में रिसाव के कारण प्रक्षेपण स्थगित कर दिया गया।
- **इसरो अध्यक्ष** ने पुष्टि की कि प्रक्षेपण स्थल पर किए गए सात सेकंड के गर्म परीक्षण के दौरान प्रणोदन कक्ष में **तरल ऑक्सीजन** का रिसाव पाया गया।
- **एक्सिओम-4 मिशन की नई प्रक्षेपण तिथि अभी घोषित नहीं की गई है,** लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में जाने में कुछ समय लग सकता है। रिसाव ठीक होने के बाद, विमान को प्रक्षेपण के लिए मंजूरी देने से पहले आवश्यक सत्यापन परीक्षण किए जाएँगे।

एक्सिओम-4 मिशन के बारे में

- यह **नासा का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चौथा पूर्णतः निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन** है।
- यह मिशन **एक्सिओम स्पेस (एक निजी कंपनी), नासा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) का एक संयुक्त प्रयास** है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 14-दिवसीय प्रवास के दौरान, **चालक दल सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण प्रयोग करेगा, नई तकनीकों का परीक्षण** करेगा और आउटरीच गतिविधियों में भाग लेगा।
- चालक दल में **अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी** के सदस्य सम्मिलित हैं। कमांडर पैगी व्हिटसन, **पायलट शुभांशु शुक्ला** और हंगरी के विशेषज्ञ टिगोर कापू और पोलैंड के स्लावोज़ उज़्नान्स्की-विस्नीव्स्की एक्सिओम-4 मिशन पर जाने वाले थे।
- शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बनने वाले हैं।
- अंतरिक्ष में जाने वाले अंतिम भारतीय राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में सोवियत संघ के सोयुज अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)

- **20 नवंबर, 1998** को प्रक्षेपित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS), अंतरिक्ष में सबसे बड़ी कृत्रिम संरचना है और अंतरिक्ष यात्रियों के रहने और काम करने की जगह के रूप में कार्य करता है। 2011 से यह लगातार उपयोग में है।
- ISS **संयुक्त राज्य अमेरिका (NASA), रूस (Roscosmos), यूरोप (ESA), जापान (JAXA) और कनाडा (CSA)** की अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त उद्यम है।
- ISS का उद्देश्य अंतरिक्ष और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है, साथ ही वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- यह स्टेशन लगभग **400 किलोमीटर** की ऊँचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है।
- यह **लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है** और हर 90 मिनट में एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नासा, जाक्सा और ईएसए जैसी एजेंसियों से जुड़ा एक्सिओम-4 मिशन, स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट में हाइड्रोजन रिसाव के कारण स्थगित कर दिया गया था।
2. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस), छह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों की एक सहयोगी परियोजना है, जो 1998 में अपने प्रक्षेपण के बाद से लगातार मौजूद है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(p) :उत्तर

मूलभूत भौतिकी में ब्रेकथ्रू पुरस्कार

चर्चा में क्यों: भारत ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोगों को मूलभूत भौतिकी में ब्रेकथ्रू पुरस्कार मिलने का जश्न मनाया।

मुख्य विवरण

- मौलिक भौतिकी में 2025 का **ब्रेकथ्रू पुरस्कार, एटलस, सीएमएस, एलिस और एलएचसीबी जैसे प्रायोगिक सहयोगों द्वारा** 2015 और 15 जुलाई, 2024 के बीच जारी सर्न के **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर रन-2 डेटा पर आधारित प्रकाशनों** के सह-लेखकों को प्रदान किया जाता है।
- यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन सहयोगात्मक और परिवर्तनकारी शोध प्रयासों को सम्मानित करता है जिन्होंने **हिग्स बोसोन, क्वार्क-ग्लूऑन प्लाज्मा, पदार्थ-प्रतिपदार्थ विषमता और मानक मॉडल से परे भौतिकी के बारे में** हमारी समझ को गहरा किया है।
- दुनिया भर के कई संस्थानों से संबंधित वैज्ञानिक दल सर्न प्रयोगों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक तरीके से काम कर रहे हैं।
- एलएचसी कार्यक्रम में एक प्रतिबद्ध और सक्रिय भागीदार, **भारत इस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को गर्व से स्वीकार करता है** और प्रयोगों और एलएचसी अवसंरचना में अपने महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाता है।

लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर

- **CERN द्वारा संचालित**, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है, जो उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन और भारी-आयन टकरावों के माध्यम से पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम स्तर पर अन्वेषण करने में सक्षम बनाता है।
- यह **उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन और भारी-आयन टकरावों** के माध्यम से पदार्थ की संरचना का अन्वेषण करने में सक्षम बनाता है।

सर्न (यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन)

- सर्न की **स्थापना 1954 में हुई थी** और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह संगठन कण भौतिकी में अनुसंधान के लिए दुनिया के अग्रणी केंद्रों में से एक है।
- **23 यूरोपीय देशों के सदस्यों** के साथ, इसका मिशन पदार्थ के निर्माण खंडों, कणों का अध्ययन करके ब्रह्मांड की मूल संरचना को समझना है।
- भारत इसका एक **सहयोगी सदस्य** है।

भारत और सर्न

- सर्न के साथ भारत का जुड़ाव **1960 के दशक से है**, जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के वैज्ञानिकों ने सर्न प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का उपयोग करके पायन, काओन और प्रोटॉन किरणों के संपर्क में इमल्शन स्टैक्स को लाने के लिए सर्न का दौरा किया था।
- 1990 के दशक में, यह सहयोग भारी आयन भौतिकी तक विस्तारित हुआ, जहाँ **भारतीय समूहों ने एक सिंटिलेटर-पैड-आधारित फोटॉन बहुलता संसूचक का योगदान दिया**। भारतीय टीमों ने सर्न-एसपीएस में WA93 और WA98 प्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सामूहिक प्रवाह के प्रारंभिक मापन और अव्यवस्थित किरल संघननों की खोज में सफलता प्राप्त की।
- **1991 में, भारत (DAE) ने** CERN की अनुसंधान परियोजनाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के विकास हेतु **CERN के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए**, जिसके साथ 1991 में एक औपचारिक सहयोग समझौता भी हुआ।
  - ➢ **2009 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (MOU) द्वारा** इसे और मज़बूत किया गया, जिसने त्वरक प्रौद्योगिकी, डिटेक्टर अनुसंधान एवं विकास, कंप्यूटिंग अवसंरचना और मानव संसाधन प्रशिक्षण में विस्तारित सहयोग की नींव रखी।
- LHC परियोजना में महत्वपूर्ण भारतीय योगदान को मान्यता देते हुए, भारत को 2002 में "पर्यवेक्षक" का दर्जा दिया गया और अंततः, **भारत 2017 में CERN का एक सहयोगी सदस्य राज्य बन गया।**

भारत और सर्न के बीच दीर्घकालिक वैज्ञानिक सहयोग के प्रमाण के रूप में, जून 2004 में, भारत ने सर्न को नृत्य के देवता, **भारतीय देवता शिव नटराज की 2 मीटर ऊँची प्रतिमा भेंट की।** शिव नटराज की प्रतिमा का चयन करके, भारत सरकार ने शिव के नृत्य के रूपक के गहन महत्व को स्वीकार किया, जिसे कार्ल सागन ने उप-परमाण्विक कणों के ब्रह्मांडीय नृत्य के लिए गढ़ा था, जिसका सर्न के भौतिकविदों द्वारा अवलोकन और विश्लेषण किया जाता है।

ब्रेकथ्रू पुरस्कार क्या हैं?

- इन पुरस्कारों की स्थापना 2013 में मार्क ज़करबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन, गूगल के पूर्व प्रमुख सर्गेई ब्रिन, जीनोमिक्स कंपनी 23&Me की संस्थापक ऐनी वोज्स्की और तकनीकी निवेशक दंपत्ति यूरी और जूलिया मिलनर ने की थी।
- इन्हें विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है, ये पुरस्कार मूलभूत भौतिकी, जीवन विज्ञान और गणित में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हैं।
- अपने मिशन के तहत, यह पुरस्कार व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न मनाता है और वैज्ञानिकों को समाज के नायक के रूप में सम्मानित करता है, इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करना है, और «एक वैश्विक, गैर-राजनीतिक संगठन के रूप में सभी के लाभ के लिए विज्ञान" का अनुसरण करना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सर्न के साथ भारत के सहयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 2002 से पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने के बाद, भारत 2017 में सर्न का एक सहयोगी सदस्य देश बना।
2. 1991 में, भारत (परमाणु ऊर्जा विभाग) ने सर्न की अनुसंधान परियोजनाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के विकास हेतु सर्न के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1991 में एक औपचारिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

कार्लज़ूए ट्रिटियम न्यूट्रिनो प्रयोग और न्यूट्रिनो द्रव्यमान

चर्चा में क्यों: कार्लज़ूए ट्रिटियम न्यूट्रिनो प्रयोग में न्यूट्रिनो द्रव्यमान का अनुमान लगाने के लिए आणविक ट्रिटियम के विघटन का बारीकी से अवलोकन किया गया।

प्रयोग के बारे में

- सहयोग ने कहा कि **यह योग इलेक्ट्रॉन के भार के 8.8 x 10-7 गुना से अधिक नहीं हो सकता**, जो पिछले सर्वोत्तम प्रतिबंध से 2 गुना बेहतर है।
- कैट्रिन प्रयोग **न्यूट्रिनो के द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है**, जिसे ब्रह्मांड में सबसे कठिन उप-परमाणु कण माना जाता है।
- कैट्रिन न्यूट्रिनो के द्रव्यमान को मापने के प्रयास में एक विशाल संसूचक का उपयोग करता है।
- यह प्रयोग न्यूट्रिनो के द्रव्यमान का अनुमान लगाने के लिए **आणविक ट्रिटियम के विघटन का बारीकी से निरीक्षण करता है।**
- विशेष रूप से, यह ट्रिटियम के क्षय होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि ये ऊर्जाएँ न्यूट्रिनो के द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।
- नवीनतम प्रतिबंध निर्धारित करने के लिए, कैट्रिन ने कम से कम 36 मिलियन इलेक्ट्रॉनों से डेटा एकत्र किया।

न्यूट्रिनो

- न्यूट्रिनो एक मूलभूत कण है, जिसका अर्थ है कि **यह किसी छोटे कण से बना नहीं है।**
- यह इलेक्ट्रॉन के समान ही मूलभूत कणों के समूह का सदस्य है। हालाँकि, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, **न्यूट्रिनो में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है।**
- **विशेषताएँ और रहस्य**
  - **पदार्थ के साथ अन्योन्यक्रिया:** न्यूट्रिनो को अक्सर **भूत कण** कहा जाता है क्योंकि वे लगभग कभी भी अन्य पदार्थों के साथ अन्योन्यक्रिया नहीं करते हैं। **वे केवल गुरुत्वाकर्षण और दुर्बल बल के माध्यम से अन्योन्यक्रिया करते हैं**, जो केवल बहुत कम दूरी पर ही महत्वपूर्ण होता है।
  - **द्रव्यमान और दोलन:** हालाँकि वैज्ञानिकों ने शुरू में सोचा था कि न्यूट्रिनो द्रव्यमानहीन होते हैं, यह स्थापित हो चुका है कि तीन प्रकार के न्यूट्रिनो में से कम से कम दो का द्रव्यमान शून्य से अधिक होता है।
  - वैज्ञानिकों ने अब तक तीन प्रकार के न्यूट्रिनो खोजे हैं, जिनका नाम उन अन्य पदार्थ कणों के नाम पर रखा गया है जिनके साथ वे अन्योन्यक्रिया करते हैं: **इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो।**
- **न्यूट्रिनो के स्रोत**
  - परमाणु रिएक्टर
  - रेडियोधर्मी क्षय
  - कण त्वरक
  - सूर्य
  - पृथ्वी
  - ब्रह्मांड
  - बीटा क्षय

न्यूट्रिनो से संबंधित प्रमुख प्रयोग और अनुसंधान

- **कैट्रिन (KATRIN) प्रयोग:** इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो द्रव्यमान को सीधे मापना है।
- **प्रॉस्पेक्ट (PROSPECT):** यह प्रयोग रिएक्टरों से प्राप्त न्यूट्रिनो का उपयोग करके पहले से खोजे गए तीन से परे अज्ञात प्रकार के न्यूट्रिनो की खोज करता है।
- **फर्मिलैब शॉर्ट-बेसलाइन न्यूट्रिनो प्रोग्राम:** यह प्रोग्राम त्वरक से प्राप्त न्यूट्रिनो का उपयोग करके अज्ञात प्रकार के न्यूट्रिनो की खोज करता है।
- **मेजराना (MAJORANA) डेमोस्ट्रेटर प्रयोग:** पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित, यह प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्या न्यूट्रिनो अपने स्वयं के प्रतिकण हैं।
- **नोवा (NOvA) और डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट (DUNE):** ये प्रयोग न्यूट्रिनो दोलन की परिघटना का अध्ययन करते हैं, जो यह जाँच करता है कि विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिनो के बीच द्रव्यमान में कैसे अंतर होता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. न्यूट्रिनो विद्युत रूप से उदासीन और लगभग द्रव्यमानहीन उपपरमाण्विक कण हैं।
2. वे पदार्थ के साथ दृढ़ता से परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे उनका पता लगाना आसान हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (ब)

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)

चर्चा में क्यों: विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर, द हिंदू ने "भारत के ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने में BESS की भूमिका" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) की बढ़ती महत्ता पर प्रकाश डाला गया, जो उनकी सामर्थ्य, मापनीयता, तीव्र तैनाती और भौगोलिक लचीलेपन के कारण हैं।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)

- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) एक **बड़े पैमाने पर रिचार्जेबल बैटरी है** जो ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- यह अक्सर सूर्य और पवन जैसे **नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त बिजली का भंडारण करती है,** जब वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युतीकरण की बढ़ती मांग के साथ, BESS ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटक बन सकता है।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के प्रकार

- **पोर्टेबल पावर यूनिट:** लचीलेपन और क्षणिक सेटिंग्स के लिए डिज़ाइन की गई, एक सहज चार्जिंग अनुभव प्रदान करती हैं। ये यूनिट निरंतर बिजली प्रदान करती हैं, वर्तमान परिसंपत्ति और बेड़े प्रबंधन सेवाओं के साथ आसानी से एकीकृत होती हैं, ग्रिड से तेज़ी से जुड़ती हैं, और एक कॉम्पैक्ट और लागत-प्रभावी रूप में उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करती हैं।
- **स्थिर पावर यूनिट:** एक लागत-प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधान के साथ वाणिज्यिक और औद्योगिक स्थलों का अनुकूलन करती हैं।

लाभ

- **उत्सर्जन में कमी:** यह उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है और गैर-नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता कम करके एक हरित ग्रिड को बढ़ावा देता है।
- **लागत अनुकूलन:** बिजली की कीमतें कम होने पर (जैसे, रात में या उच्च नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान) ऊर्जा का भंडारण करता है और कीमतें अधिक होने पर व्यस्त समय में इसका उपयोग करता है, जिससे संभावित रूप से ऊर्जा बिल कम हो सकते हैं।
- **विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत:** बिजली कटौती या व्यवधान के दौरान बैकअप बिजली का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है, जिससे नवीकरणीय स्रोतों के रुक-रुक कर उपयोग होने पर भी निरंतर संचालन सुनिश्चित होता है।

- **ग्रिड स्थिरता:** ग्रिड को स्थिर करके, मांग-आपूर्ति में उतार-चढ़ाव को संतुलित करके और व्यस्त भार प्रबंधन को सक्षम करके ग्रिड संचालन को बढ़ाता है।
- **राजस्व सृजन:** व्यस्त समय के दौरान ग्रिड को अतिरिक्त ऊर्जा बेचकर ऊर्जा बाजार में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, जिससे अतिरिक्त ऊर्जा राजस्व में परिवर्तित होती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकरण:** नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता को कम करता है, जिससे बिजली प्रणालियों में उनका बड़े पैमाने पर एकीकरण संभव होता है।
- **विकेंद्रीकृत समाधान:** विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधानों और माइक्रोग्रिड का समर्थन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि नवीकरणीय ऊर्जा वहां पहुंचे जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है

भारत में BESS की आवश्यकता

- **नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण:** नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती क्षमता, उत्सर्जन कम करने और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद, इसकी अस्थायी प्रकृति के कारण बाधित है। BESS इस परिवर्तनशीलता को कम करने और ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान प्रदान करता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर एकीकरण संभव हो पाता है।
- **ऊर्जा परिवर्तन:** ग्रिड संचालन को बढ़ाकर और विश्वसनीय बिजली प्रदान करके BESS ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। यह अपनी सामर्थ्य, मापनीयता, तीव्र परिनियोजन और भौगोलिक लचीलेपन के कारण ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में सबसे अलग है।
- **उत्सर्जन में कमी और सतत विकास लक्ष्य 7:** BESS को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकृत करने से विद्युत क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है, जो स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच के लिए सतत विकास लक्ष्य 7 के अनुरूप है।
- **राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति:** भारत ने 2030 तक गैर-पारंपरिक ईंधनों से 500 गीगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। जनवरी 2025 तक, 217.62 गीगावाट क्षमता प्राप्त कर ली गई है। इन परिणामों को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए, BESS की तैनाती में तेज़ी लानी होगी। नवीकरणीय ऊर्जा की पूर्ण क्षमता का उपयोग ऊर्जा भंडारण के बिना नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा हेतु BESS आवश्यक है।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- **नियामक, तकनीकी, वित्तीय और बाज़ार संबंधी बाधाएँ:** ये BESS क्षमता के पूर्ण उपयोग में बाधा डालती हैं।
- **ग्रिड उन्नयन हेतु निवेश:** ग्रिड अवसंरचना के उन्नयन में निवेश की कमी एक गंभीर चुनौती है।
- **BESS परिनियोजन की गति:** बड़े ग्राहकों द्वारा BESS परिनियोजन की गति बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच:** भंडारण प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच में कठिनाई एक बाधा है।
- **बड़े पैमाने पर BESS समझौतों में देरी:** बड़े पैमाने पर BESS परियोजनाओं के लिए समझौतों को अंतिम रूप देने में देरी देखी जा रही है।
- **खरीद संबंधी चुनौतियाँ:** आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बैटरी भंडारण की खरीद में चुनौतियों के समाधान के लिए नवाचार और निवेश पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया है।

आगे की राह

- **नवोन्मेषी साझेदारियाँ:** सार्वजनिक, निजी और परोपकारी संस्थाओं के बीच गठजोड़ का लाभ उठाकर रियायती वित्तपोषण और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सकती है।
- **पहलों को सुगम बनाना:** ऐसी और अधिक सहयोगी पहलों को प्रोत्साहित करना BESS की तैनाती बढ़ाने, सतत विकास लक्ष्य 7 की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और ग्रिड स्थिरता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **व्यापक दृष्टिकोण:** भारत को केंद्रीय और राज्य ग्रिडों के लिए बड़े पैमाने पर BESS परियोजनाओं पर शीघ्रता से ध्यान केंद्रित करने, रियायती वित्तपोषण सुनिश्चित करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने, विनिर्माण स्थानीयकरण को बढ़ावा देने और BESS का पूर्ण उपयोग करने के लिए पुनर्चक्रण के अवसरों का पता लगाने की आवश्यकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** GEAPP द्वारा स्थापित BESS संघ के सदस्य के रूप में, भारत ऊर्जा भंडारण की तैनाती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में किसी भी वृद्धि का उसकी पूरी क्षमता तक उपयोग किया जा सके। अधिक गठबंधन भारत को लचीले ग्रिड और बढ़ी हुई नवीकरणीय तैनाती के साथ एक ऊर्जा-सुरक्षित राष्ट्र के रूप में उभरने में सहायता कर सकते हैं।

सरकारी पहल

- **बीईएसएस परिनियोजन लक्ष्य:** सरकार ने 2032 तक 47 गीगावाट बीईएसएस स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सके और ग्रिड के साथ इसका एकीकरण किया जा सके।
- **वित्तीय सहायता योजनाएँ**
  - बीईएसएस परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ)।
  - जून 2025 तक चालू होने वाली बीईएसएस परियोजनाओं के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क में छूट।

निष्कर्ष

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (बीईएसएस) नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड स्थिरता को सक्षम बनाकर **भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं।** हालाँकि, सीमित ग्रिड अवसंरचना निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच जैसी चुनौतियाँ भी हैं। साझेदारी, वित्तपोषण और तकनीकी सहायता के साथ एक समन्वित रणनीति, कार्यान्वयन में तेज़ी लाने और भारत को एक सतत ऊर्जा नेता के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आधुनिक ऊर्जा सुरक्षा में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ क्या भूमिका निभाती हैं? भारत में BESS की तैनाती के लिए प्राथमिक चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

दुनिया का पहला संलयन-विखंडन हाइब्रिड रिएक्टर

चर्चा में क्यों: हाल ही में, चीन ने दुनिया के पहले हाइब्रिड संलयन-विखंडन परमाणु संयंत्र, ज़िंगहुओ के निर्माण की घोषणा की है।

मुख्य विवरण

- चीन ने हाल ही में **ज़िंगहुओ** (जिसका मंदारिन में अर्थ "चिंगारी" होता है) के निर्माण की अपनी अभूतपूर्व योजना की घोषणा की है, **जो इतिहास का पहला हाइब्रिड संलयन-विखंडन परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा।**
- **यह आविष्कार ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व**

करता है और इसमें व्यापक भू-राजनीतिक और आर्थिक परिणामों वाली एक तकनीकी क्रांति को जन्म देने की क्षमता है।

- **संलयन और विखंडन दोनों प्रतिक्रियाओं को मिलाकर**, ज़िंगहुओ की **हाइब्रिड प्रकृति रेडियोधर्मी अपशिष्ट को न्यूनतम करते हुए ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करने का वादा करती है**, जिससे परमाणु ऊर्जा की स्थिरता और दक्षता के लिए एक नया मानक स्थापित होता है।

संलयन-विखंडन संकर रिएक्टर संबंधी विज्ञान

- **विखंडन**, एक ऐसी प्रक्रिया जो **यूरेनियम जैसे भारी परमाणु नाभिकों को विभाजित करके ऊर्जा मुक्त करती है**, आधुनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी का मूल है।
- दूसरी ओर, हमारा सूर्य संलयन द्वारा संचालित होता है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और साथ ही भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं।
  - संलयन एक अत्यंत कुशल ऊर्जा स्रोत है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से यह विखंडन की तुलना में प्रति किलोग्राम ईंधन में चार गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है।
- ज़िंगहुओ संयंत्र की इन दोनों अभिक्रियाओं को संयोजित करने की क्षमता इसे विशेष बनाती है।
- **संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न उच्च-ऊर्जा न्यूट्रॉन का उपयोग आसपास के पदार्थों में विखंडन आरंभ करने के लिए किया जाता है**, जिससे एक आत्मनिर्भर चक्र बनता है जो ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करता है।
- इस चतुराई से डिज़ाइन की गई **द्वि-चरणीय रिएक्टर प्रणाली** में प्रत्येक कण का अधिकतम उपयोग करके परमाणु ऊर्जा के उपयोग के तरीके को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है।

मुख्य विशेषताएँ

- **संलयन और विखंडन के लाभों के बीच के अंतर का लाभ उठाता है:** जहाँ विखंडन रिएक्टर "न्यूट्रॉन विहीन" और "शक्ति समृद्ध" होते हैं, वहीं संलयन रिएक्टर "न्यूट्रॉन समृद्ध" और "शक्ति विहीन" होते हैं।
- **ईंधन आपूर्ति:** प्रजनन द्वारा, एक संकर रिएक्टर पर्याप्त विखंडनीय ईंधन उत्पन्न करेगा। उपजाऊ पदार्थों को संलयन न्यूट्रॉन द्वारा विखंडनीय पदार्थों (जैसे यूरेनियम-233 या प्लूटोनियम-239) में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे ईंधन की आपूर्ति बढ़ जाती है।
- **कम ऊर्जा आवश्यकताएँ:** चूँकि संकर रिएक्टरों का प्राथमिक कार्य ऊर्जा के बजाय न्यूट्रॉन का उत्पादन है, इसलिए उन्हें शुद्ध रिएक्टरों की तुलना में कम संलयन शक्ति की आवश्यकता होती है।
- **कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट:** कंबल के न्यूट्रॉन प्रवाह में दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट को अल्पकालिक, कम खतरनाक और निपटान में आसान अपशिष्ट में बदलने की क्षमता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में, 'शिंगहुओ' शब्द चर्चा में रहा। यह है:

(a) दुनिया का पहला हाइब्रिड फ्यूजन-विखंडन परमाणु संयंत्र

(b) जापान द्वारा विकसित एक नया एआई सुपरकंप्यूटर

(c) थोरियम आधारित ऊर्जा पर एक संयुक्त भारत-चीन परियोजना

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

भारतजेन

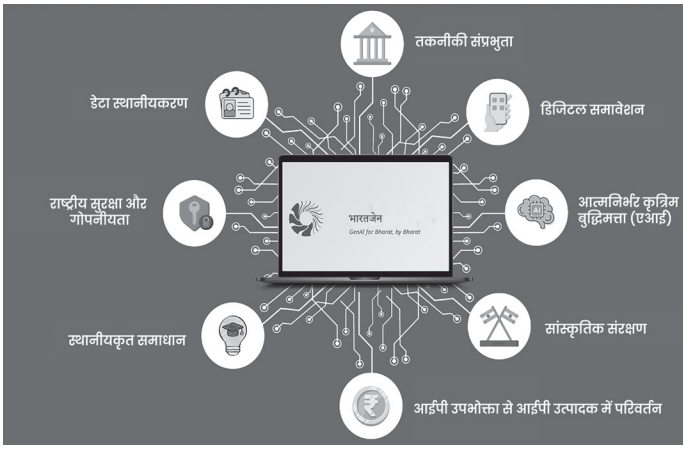
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतजेन शिखर सम्मेलन में भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टीमॉडल एलएलएम - 'भारतजेन' लॉन्च किया।

मुख्य विवरण

- **राष्ट्रीय अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस)** के तहत विकसित और आईआईटी बॉम्बे में टीआईएच फाउंडेशन फॉर आईओटी और आईओई के माध्यम से कार्यान्वित, भारतजेन का उद्देश्य भारत के भाषाई और सांस्कृतिक स्पेक्ट्रम में एआई विकास में क्रांति लाना है।
- यह पहल **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)** द्वारा समर्थित है और अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों, विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों के एक मजबूत संघ को एक साथ लाती है।
- यह पहल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सशक्त बनाएगी, और क्षेत्र-विशिष्ट एआई समाधान प्रदान करेगी जो प्रत्येक भारतीय को समझते हैं और उनकी सेवा करते हैं।

भारतजेन के बारे में

- **यह भारत का पहला मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) है** जिसे सरकारी सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसमें **22 भारतीय भाषाएँ** सम्मिलित हैं।
- **उद्देश्य:** भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप नैतिक, समावेशी और बहुभाषी एआई को आगे बढ़ाना; स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा और शासन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय समाधान प्रदान करना; और स्थानीय भाषाओं में संवाद करने वाले एआई-संचालित डॉक्टरों के माध्यम से ग्रामीण टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना।
- भारतजेन पहल को **25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों (टीआईएच) के नेटवर्क** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनमें से चार को प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क (टीटीआरपी) का दर्जा दिया गया है।
- यह मिशन **चार प्रमुख स्तंभों** पर आधारित है: तकनीकी उन्नति, उद्यमिता को बढ़ावा देना, कौशल और मानव संसाधन विकास, और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना।



मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या हैं?

- एक मॉडल को मल्टीमॉडल माना जाता है **यदि वह विभिन्न मोडैलिटीज़ से जानकारी को संभाल और एकीकृत कर सकता है।** उदाहरण के लिए, एक

MLLM किसी टेक्स्ट विवरण की व्याख्या कर सकता है, संबंधित छवि का विश्लेषण कर सकता है, और एक ऐसा उत्तर उत्पन्न कर सकता है जो दोनों प्रकार के इनपुट को समाहित करता हो।

- यह क्षमता MLLM को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाती है जिनके लिए विभिन्न प्रकार के डेटा की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है, जिससे वे अधिक बहुमुखी और शक्तिशाली बन जाते हैं।



यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत-जन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत-जन भारत का पहला सरकार समर्थित, स्वदेशी रूप से विकसित मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) है, जिसमें 22 भारतीय भाषाएँ सम्मिलित हैं।
2. भारत-जन पहल को 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों (TIH) के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनमें से चार को प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क (TTRP) में अपग्रेड किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

क्वांटम कुंजी वितरण

चर्चा में क्यों: हाल ही में, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने 1 किमी से अधिक दूरी पर क्वांटम उलझाव-आधारित मुक्त-स्थान क्वांटम सुरक्षित संचार (Quantum Entanglement-Based Free-Space Quantum Secure Communication) का प्रदर्शन किया।

मुख्य विवरण

- इस प्रयोग में 7% **से कम की क्वांटम बिट त्रुटि दर** और **लगभग 240 बिट प्रति सेकंड की सुरक्षित कुंजी दर प्राप्त हुई।**
- यह उलझाव-सहायता प्राप्त क्वांटम सुरक्षित संचार, भविष्य के क्वांटम इंटरनेट, लंबी दूरी के क्वांटम कुंजी वितरण (QKD), और क्वांटम नेटवर्क के निर्माण जैसे वास्तविक समय के क्वांटम साइबर सुरक्षा अनुप्रयोगों के द्वार खोलता है।
- देश के विकास के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के भारत के बड़े लक्ष्य इन पहलों के अनुरूप हैं।
- **भारत में विंध्याचल और प्रयागराज के बीच पहला अंतर-शहर क्वांटम संचार लिंक**, इससे पहले DRDO द्वारा 2022 में वाणिज्यिक-ग्रेड भूमिगत डार्क ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके प्रदर्शित किया गया था।
- हाल ही में, 2024 में, टीम ने डीआरडीओ द्वारा समर्थित एक अन्य परियोजना में 100 किमी दूरसंचार-ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर स्पूल में क्वांटम कुंजियों को सफलतापूर्वक वितरित करने के लिए उलझाव का उपयोग किया।

क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है?

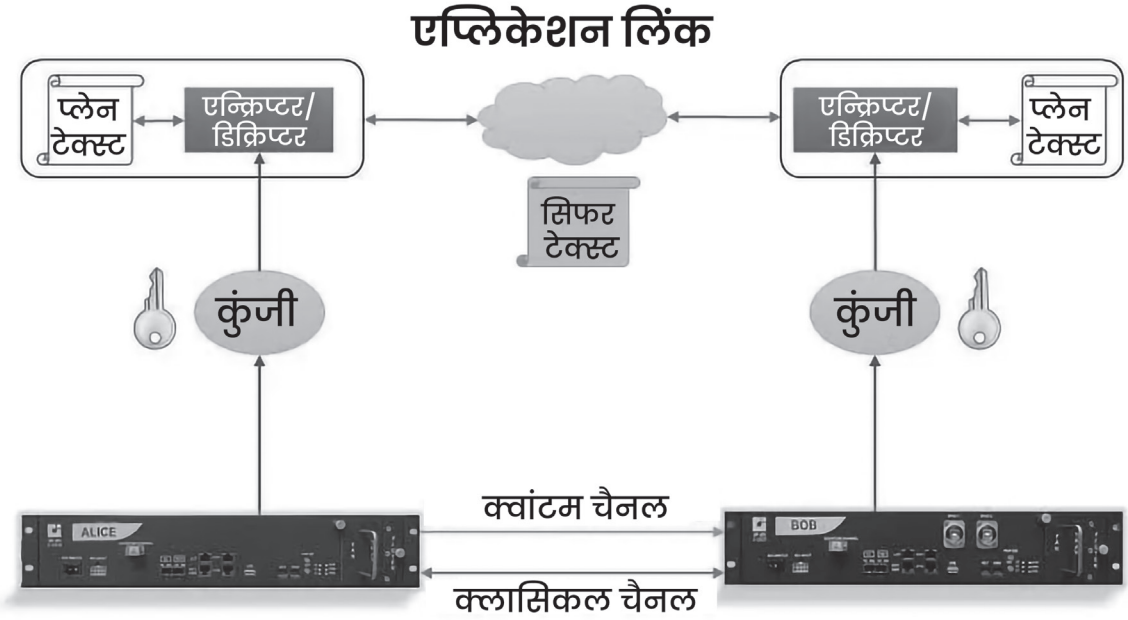
क्वांटम कंप्यूटर सूचना को संग्रहीत और संसाधित करने के लिए क्यूबिट नामक विशेष इकाइयों का उपयोग करते हैं। सामान्य कंप्यूटरों के विपरीत, जहाँ **बिट्स केवल 0 या 1 हो सकते हैं,** क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। एक साथ कई अवस्थाओं में रहने की यह क्षमता क्वांटम कंप्यूटरों को पारंपरिक कंप्यूटरों से अलग और संभावित रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाती है।

क्वांटम कुंजी वितरण (QKD)

- क्वांटम कुंजी वितरण मुख्यतः एक **सुरक्षित संचार तकनीक है** जो उच्च सुरक्षा के साथ एन्क्रिप्शन कुंजियों के आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए **क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत** पर आधारित क्रिप्टोग्राफ़िक प्रोटोकॉल का उपयोग करती है।
- सुरक्षा और कार्यक्षमता में सुधार करके, क्वांटम उलझाव-आधारित QKD पारंपरिक तैयारी-और-माप दृष्टिकोण की तुलना में कई उल्लेखनीय लाभ प्रदान करता है।
- **क्वांटम उलझाव का उपयोग** क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण उपकरणों के मामले में भी कुंजी वितरण की सुरक्षा की गारंटी देता है।
  - ➢ क्वांटम उलझाव एक ऐसी घटना है जिसमें दो उप-परमाणु कण आपस में गहराई से जुड़ जाते हैं, जिससे एक कण की स्थिति दूसरे कण की स्थिति को तुरंत प्रभावित करती है - चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो - जिससे वे एक एकल, एकीकृत प्रणाली के रूप में व्यवहार करते हैं।
- **अधिकृत उपयोगकर्ता किसी गुप्तचर की उपस्थिति की पहचान कर सकते हैं** क्योंकि उलझे हुए फोटॉनों को मापने या रोकने का कोई भी प्रयास क्वांटम स्थिति को बाधित करता है।
- अपने अनिवार्य रूप से अटूट एन्क्रिप्शन के कारण, क्वांटम संचार एक दोहरे उपयोग वाली तकनीक है **जिसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संचार की**

रक्षा के साथ-साथ रक्षा, वित्त और दूरसंचार जैसे रणनीतिक उद्योगों में डेटा को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है।

- मुक्त-स्थान क्यूकेडी **ऑप्टिकल फाइबर स्थापना की आवश्यकता को समाप्त करता है,** जो विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में महंगा और विघटनकारी हो सकता है।



क्वांटम प्रौद्योगिकी विषयगत केंद्र

- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु: क्वांटम कंप्यूटिंग
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के सहयोग से: क्वांटम संचार
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे: क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली: क्वांटम सामग्री और उपकरण

क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (QTRC)

- हाल ही में, भारत के **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन** (DRDO) ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (QTRC) का उद्घाटन किया।
- यह नई सुविधा **महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में संप्रभु क्वांटम प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है,** जो भारत के राष्ट्रीय क्वांटम बुनियादी ढांचे में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
- QTRC में **क्वांटम लेज़र, सिंगल-फोटॉन स्रोत, क्षार वाष्प सेल लक्षण वर्णन और क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उन्नत प्रयोगात्मक सेटअप हैं।**
- ये क्षमताएँ **उत्तर-क्वांटम क्रिप्टोग्राफ़िक परिदृश्य में अति-सुरक्षित संचार प्रोटोकॉल के विकास में सहायता करेंगी।**
- इस पहल का नेतृत्व **DRDO के वैज्ञानिक विश्लेषण समूह** (SAG) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप किया जा रहा है।
- QTRC में DRDO का निवेश **भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन** में इसकी अग्रणी भूमिका को पुष्ट करता है। इस केंद्र से स्वदेशी विकास पर स्पष्ट ध्यान देते हुए क्वांटम सेंसिंग, सुरक्षित नेटवर्क और दोष-सहिष्णु प्रणालियों में नवाचार को उत्प्रेरित करने की संभावना है।

निष्कर्ष

क्वांटम कुंजी वितरण में भारत की प्रगति **सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकियों में उसकी बढ़ती सामर्थ्य को दर्शाती है।** डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली की मुक्त-अंतरिक्ष क्वांटम संचार में सफलता राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा को मज़बूत करती है और भारत की क्वांटम तकनीक संबंधी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: क्वांटम कुंजी वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) एक सुरक्षित संचार विधि है जो एन्क्रिप्शन कुंजियों के आदान-प्रदान के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है।
2. क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) में क्वांटम उलझाव का उपयोग संचार उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने पर भी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

इकाई 6

रक्षा एवं सुरक्षा

पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद

चर्चा में क्यों: हाल ही में, सुरक्षा बलों ने अरुणाचल प्रदेश में भारत-म्यांमार सीमा पर उग्रवाद-विरोधी अभियान शुरू किया।

पूर्वोत्तर भारत के बारे में

- पूर्वोत्तर भारत, जिसे अक्सर "**सात बहनों की भूमि**" कहा जाता है, देश का एक भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र है।
- यह क्षेत्र विविध **भौगोलिक विशेषताओं और पारिस्थितिक जलवायु से युक्त है,** जो भारत के अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के लिए एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- **भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, अनुच्छेद 244 के अंतर्गत,** पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के शासन का प्रावधान करती है।
- यह क्षेत्र भारत की **लगभग 3.8% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और देश के कुल भू-भाग के लगभग 8% भाग पर फैला हुआ है।** यह पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से भारतीय मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, जो एक संकरी भूमि पट्टी है जिसे आमतौर पर "चिकन नेक" के रूप में जाना जाता है।

भारत के पूर्वोत्तर में सुरक्षा खतरे

- **शरणार्थियों का आगमन:** म्यांमार में राजनीतिक अशांति, विशेष रूप से 2021 में सैन्य अधिग्रहण के बाद, शरणार्थियों, विशेष रूप से जातीय चिन और रोहिंग्याओं की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ा और स्थानीय वैमनस्य को बढ़ावा मिला।
- **विद्रोही गतिविधियाँ:** म्यांमार कई विद्रोही संगठनों, जिनमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड - खापलांग (NSCN-K), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम- इंडिपेंडेंट (ULFA-I), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) शामिल हैं, के लिए भारतीय सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने, पुनर्गठित करने और उनके खिलाफ हमले करने के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल रहा है।
- **मादक पदार्थों की तस्करी:** गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस और थाईलैंड) हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स का एक प्रमुख स्रोत है। ये ड्रग्स म्यांमार के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करते हैं, जिससे नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या और बढ़ जाती है।
- **मानव तस्करी:** इस क्षेत्र में मानव तस्करी बढ़ रही है और पीड़ितों को अक्सर यौन कार्य या जबरन मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- **हथियारों की तस्करी:** विद्रोही समूह अक्सर सीमा पार के देशों से अपने हथियार प्राप्त करते हैं, जिससे अवैध हथियारों की तस्करी एक लगातार समस्या बन जाती है।
- **वन्यजीव तस्करी:** अवैध वन्यजीव व्यापार भी सीमा पार करता है, जिससे जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है।

भारत में उग्रवाद-विरोधी आंदोलन के अस्तित्व के कारण

- **जातीय विविधता:** इस क्षेत्र की समृद्ध जातीय विविधता अक्सर पहचान-आधारित संघर्षों का कारण बनी है। विभिन्न जातीय समूहों की स्वायत्तता या अलग राज्य की माँग ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया है।
- **भौगोलिक अलगाव:** यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से शेष भारत से अलग-थलग है, और इसके दुर्गम भूभाग और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं ने नियंत्रण और प्रशासन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
- **आर्थिक पिछड़ापन:** आर्थिक वृद्धि और विकास की कमी के कारण, यह क्षेत्र हाशिए पर चला गया है, जिससे असंतोष पैदा हुआ है और उग्रवाद के अनुकूल माहौल बना है।
- **अपर्याप्त कानून-व्यवस्था:** अपर्याप्त पुलिस व्यवस्था और अनुचित निगरानी के कारण उग्रवादी अक्सर पुलिस कार्रवाई से बच निकलते हैं।
- **सीमा पार से समर्थन:** रिपोर्टों के अनुसार, कुछ उग्रवादी समूह चीन और म्यांमार से हथियार, आश्रय और प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने अभियान जारी रखने में सफल रहे हैं।

आगे की राह

- **सैन्य कार्रवाई:** सीमा पार विद्रोही शिविरों को नष्ट करने के लिए आतंकवाद-रोधी अभियान, साथ ही नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय अभियान चलाना।
- **कानूनी और नीतिगत उपाय:** म्यांमार में मुक्त आवागमन व्यवस्था का उन्मूलन और अनधिकृत प्रवासियों की पहचान के लिए असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का कार्यान्वयन।
- **सीमावर्ती अवसंरचना:** सीमा चौकियों की किलेबंदी, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के तहत स्मार्ट बाड़ लगाना, आदि। धन शोधन, हथियारों की तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा को बढ़ाना।
- **नागरिक समाज की भूमिका:** शांति वार्ता में प्रगति के बावजूद, विद्रोही समूहों के साथ संबंध सुधारने के नागरिक समाज के प्रयास जारी रहने चाहिए।
- **राज्यों की आंतरिक सीमा:** विभिन्न जातीय समूहों के बीच विवादों को रोकने और आंतरिक सद्भाव बनाए रखने के लिए राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

इन मुद्दों, जिनमें **राजनीतिक संवाद, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल हैं,** के समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए विकास, संवाद और रक्षा की त्रि-आयामी रणनीति आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद समस्या के आंतरिक और बाह्य आयामों पर चर्चा कीजिए। इसके समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति सुझाइए। [150 शब्द] [10 अंक]

सशस्त्र बलों में महिलाएँ

चर्चा में क्यों: हाल ही में, एनडीए से 148वां कोर्स - स्प्रिंग टर्म 2025 पूरा करने के बाद 17 महिला कैडेटों का पहला बैच पास आउट हुआ।

मुख्य विवरण

- यह कार्यक्रम ध्वजवाहक **चेतक हेलीकॉप्टरों, सुपर डिमोना मोटराइज्ड ग्लाइडरों और राजसी सुखोई-30 लड़ाकू विमानों** की एक भव्य फ्लाईपास्ट के साथ संपन्न हुआ, जो प्रशिक्षण की परिणति और कैडेटों की अपनी सैन्य यात्रा के अगले चरण के लिए तत्परता का प्रतीक था।
- स्प्रिंग टर्म 2025 पीओपी भविष्य के सैन्य प्रमुखों को तैयार करने के लिए अकादमी की स्थायी प्रतिबद्धता का एक गौरवपूर्ण प्रमाण है, जो अब सम्मान और वीरता के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए नियत महिला कैडेटों को शामिल करने से समृद्ध हो गया है।
- यह **कार्यक्रम ऐतिहासिक महत्व रखता है** क्योंकि इसने अकादमी से 17 महिला कैडेटों के पहले बैच को उत्तीर्ण किया - एनडीए की राष्ट्र निर्माण की विरासत में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर।

सशस्त्र बलों में महिलाओं का महत्व

- **विविधता:** सेना में महिलाओं की भागीदारी विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने लाकर नेतृत्व और रणनीति को बढ़ाती है।
- **लैंगिक समानता:** संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार, सेना में महिलाओं का समावेश समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और इसे अधिक समावेशी बनाता है।
- **प्रतिभा पूल और भर्ती:** साइबर युद्ध और डिजिटल हथियारों के युग में महिलाएं हथियारों को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम हैं।
- **प्रेरणा:** अन्य युवतियां सफल महिला सैनिकों से प्रेरणा लेती हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** मानव संसाधनों के उपयोग में वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करती है।
- **रक्षा बलों की मानवीय भूमिका:** जहाँ सामाजिक मानदंड पुरुष सैनिकों की भूमिका को प्रतिबंधित करते हैं, वहीं महिलाएं स्थानीय आबादी के साथ जुड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, सैन्य नागरिक जुड़ाव पहल।

चुनौतियाँ

- **शारीरिक तनाव:** जैविक भिन्नताओं और वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के कारण, लड़ाकू भूमिकाओं के लिए अक्सर उच्च स्तर की शारीरिक शक्ति और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हासिल करना मुश्किल हो सकता है।
- **कार्य-जीवन संतुलन:** महिलाओं के करियर की निरंतरता और तैनाती के विकल्प विवाह, गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल से संबंधित मुद्दों से प्रभावित हो सकते हैं।
- **रूढ़िवादिता:** यह महिला अधिकारियों, विशेष रूप से नेतृत्वकारी पदों पर आसीन महिलाओं, के अधिकार, मनोबल और पेशेवर उन्नति को कमज़ोर करता है, जो सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह का परिणाम हो सकता है।
- **लड़ाकू भूमिकाओं के लिए सीमित अवसर:** महिलाओं को अभी भी सेना में पैदल सेना, बख्तरबंद कोर या विशेष बलों में सेवा करने की अनुमति नहीं है, जबकि 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान किया था।
- **बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ:** लिंग-संवेदनशील स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श तक सीमित पहुँच, साथ ही कुछ इकाइयों में, विशेष रूप से क्षेत्रीय या दूरस्थ पोस्टिंग में, अपर्याप्त पृथक आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएँ।

आगे की राह

- **नीतिगत बदलाव:** यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं को उच्च-स्तरीय पदों और स्थायी कमीशन तक समान पहुँच प्राप्त हो।
- **संरचनात्मक सुधार:** सैन्य सुविधाओं में लैंगिक-संवेदनशील प्रथाओं को प्रोत्साहित करें, जिसमें मातृत्व अवकाश और पृथक्करण शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ:** इज़राइल रक्षा बल (आईडीएफ) द्वारा एक मिश्रित-लिंग बटालियन मॉडल का उपयोग किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार भूमिकाएँ सौंपी जाती हैं। अपने विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक और रणनीतिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, भारत को इन मॉडलों को संशोधनों के साथ अपनाना चाहिए।
- **कार्य-जीवन संतुलन:** नियमित परामर्श सत्र और बाल देखभाल सुविधाएँ महिला कर्मचारियों को एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।
- **जागरूकता और प्रशिक्षण:** सेना और समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए, प्रशिक्षण पहल और जागरूकता अभियान लागू करना।

निष्कर्ष

सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करती है, समानता को बढ़ावा देती है और एक आधुनिक, प्रगतिशील रक्षा दृष्टिकोण को दर्शाती है। सहायक सुधारों के साथ, उनकी भूमिका को और विस्तृत और सशक्त बनाया जा सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती के महत्व पर चर्चा कीजिए। उनके पूर्ण एकीकरण में कौन सी चुनौतियाँ बाधा डालती हैं, और रक्षा सेवाओं में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं? [150 शब्द] [10 अंक]

एकीकृत थिएटर कमांड (आईटीसी)

चर्चा में क्यों: भारत ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 के तहत महत्वपूर्ण नियमों को अधिसूचित किया है, जो तीनों सेनाओं के संगठनों और भविष्य के थिएटर कमांड के कमांडरों को उनके अधीन कार्यरत थलसेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों पर पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।

थिएटर कमांड

- थिएटर कमांड मौजूदा खंडित संरचना से एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ थलसेना, नौसेना और वायुसेना अपनी-अपनी कमांड के भीतर बड़े पैमाने पर स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। इसके बजाय, **तीनों सेनाओं की इकाइयाँ विशिष्ट भौगोलिक या कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए एक ही थिएटर कमांडर के अधीन मिलकर काम करेंगी।**
- **उद्देश्य:** प्राथमिक लक्ष्य **परिचालन दक्षता में सुधार, दोहराव को कम करना**

और संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग करना है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता, कमांड दक्षता और समग्र परिचालन तालमेल को मज़बूत करना है।

- **वर्तमान संरचना:** भारत में वर्तमान में तीनों सेनाओं में 19 कमांड हैं: थलसेना और वायुसेना के लिए सात-सात, और नौसेना के लिए तीन।
  - ➢ वर्तमान में केवल दो त्रि-सेवा कमांड मौजूद हैं: अंडमान और निकोबार कमांड और सामरिक बल कमांड।
- **प्रस्तावित पुनर्गठन:** योजना इन मौजूदा कमांडों में से कई को पुनर्गठित करके तीन मुख्य प्रस्तावित थिएटरों में समाहित करने की है:
  - ➢ **पश्चिमी थिएटर कमांड:** पाकिस्तान का सामना करने हेतु।
  - ➢ **उत्तरी थिएटर कमान:** चीन का सामना करने हेतु।
  - ➢ **समुद्री थिएटर कमान:** हिंद महासागर क्षेत्र को कवर करने हेतु।
- **प्रस्तावित मुख्यालय:** रिपोर्टों से पता चलता है कि पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय जयपुर में, उत्तरी थिएटर कमान का लखनऊ में और समुद्री कमान का मुख्यालय संभवतः कोयंबटूर में हो सकता है।

कानूनी ढाँचा और सशक्तिकरण

- **अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 (आईएसओ अधिनियम):** सरकार ने इस अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित करके कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
- **कमांडरों का सशक्तिकरण:** ये नियम, जो 10 मई, 2024 से प्रभावी हो गए हैं, तीनों सेनाओं के संगठनों और भविष्य के थिएटर कमांड के सैन्य कमांडरों को उनकी संयुक्त कमान के तहत सेवारत सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों पर पूर्ण प्रशासनिक और अनुशासनात्मक अधिकार प्रदान करते हैं।
- **कानूनी स्पष्टता:** आईएसओ अधिनियम, सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम के उन हिस्सों का स्थान लेता है जो आईएसओ से संबंधित हैं, और संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढाँचा स्थापित करता है।
- **प्रभाव:** इस कदम का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता को मजबूत करते हुए आईएसओ की प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है। यह अनुशासनात्मक मामलों के शीघ्र निपटान को भी सक्षम बनाता है और कार्यवाही के दोहराव से बचने में मदद करता है।

नेतृत्व संरचना और भूमिकाएँ

- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस):** सीडीएस पद और सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) का गठन सैन्य सेवाओं के एकीकरण की दिशा में शुरुआती कदम थे। सीडीएस को संचालन, रसद, प्रशिक्षण और सहायता सेवाओं जैसे विभिन्न कार्यों में "संयुक्तता" सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।
- **उत्तरदायित्व विभाजन:** प्रस्तावित संरचना के तहत, दो समानांतर और पूरक धाराएँ होंगी:
  - ➢ **थिएटर कमांडर:** ये कमांडर "बल प्रयोग" या युद्ध के संचालन संबंधी पहलुओं के लिए ज़िम्मेदार होंगे।
    - ♦ उन्हें तीन-सितारा अधिकारी माना जाता है, और उप-सीडीएस के साथ उन्हें चार-सितारा अधिकारी बनाने की प्रबल अनुशंसा की जाती है।
  - ➢ **सेवा प्रमुख:** अपनी परिवर्तित भूमिका में, सेवा प्रमुख "बल निर्माण, प्रशिक्षण और निरंतरता (आरटीएस)" कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होंगे, जिसे आम बोलचाल की भाषा में "बल निर्माण" कहा जाता है।
- **रिपोर्टिंग संरचना:** तीनों थिएटर कमांडरों द्वारा राष्ट्रीय रक्षा समिति को रिपोर्ट करने की संभावना है, जिसकी अध्यक्षता संभवतः रक्षा मंत्री करेंगे।
- **अतिरिक्त पद:** रणनीतिक योजना, खरीद, संचालन और खुफिया जानकारी की देखरेख के लिए वाइस सीडीएस और डिप्टी सीडीएस जैसे अतिरिक्त पदों के सृजन पर विचार किया जा रहा है।

रणनीतिक आवश्यकता और लाभ

- **उभरते खतरे:** भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाएँ जटिल और उभरते खतरे प्रस्तुत करती हैं। भविष्य के संघर्षों में साइबर अभियानों सहित युद्ध के सभी आयाम शामिल होने की आशंका है।
- **एकीकृत युद्ध:** थिएटर कमांड एक एकीकृत, कुशल युद्ध दृष्टिकोण के लिए संसाधनों को एकीकृत करने की एक व्यवस्था प्रदान करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य के किसी भी संघर्ष में पाँच से अधिक सैन्य कमांडों को सहयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।
- **युक्तिकरण:** नियोजित थिएटर कमांड रसद और बुनियादी ढाँचे को भी युक्तिसंगत बनाएगी, जिससे अतिरेक समाप्त होगा और परिचालन सामंजस्य में सुधार होगा।
- **समग्र लक्ष्य:** इन सुधारों को "वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए आवश्यक" माना जाता है, जो भारत के रक्षा बलों को एक अधिक चुस्त और समन्वित लड़ाकू बल में बदलने का वादा करते हैं।

एकीकरण की दिशा में चुनौतियाँ और प्रगति

- **कार्यान्वयन में देरी:** स्पष्ट रणनीतिक लाभों के बावजूद, थिएटर कमांड का कार्यान्वयन धीमा रहा है। ऐसा सेनाओं के बीच आम सहमति की कमी और पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद गतिरोध और उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति में देरी के कारण हुआ।
- **संस्थागत प्रतिरोध:** थिएटर कमांड के स्वरूप, दायरे और नियंत्रण को लेकर सेनाओं के बीच मतभेद बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, वायु सेना ने शुरुआत में सीमित स्क्वाड्रन क्षमता और वायु संपत्तियों के विभाजन की चिंताओं के कारण वायु रक्षा कमान के विचार का विरोध किया था।
- **सांस्कृतिक और संगठनात्मक परिवर्तन:** शीर्ष स्तर पर संरचनात्मक परिवर्तन से वैचारिक और सांस्कृतिक परिवर्तन तो होंगे ही, साथ ही निचले स्तरों पर संगठनात्मक परिवर्तन भी होंगे, जिनके साथ अपनी चुनौतियाँ भी आएंगी।

निष्कर्ष

एकीकृत थिएटर कमांड का उद्देश्य भारत के सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता और परिचालन दक्षता को बढ़ाना है। कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के बावजूद, ये उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक एकीकृत, चुस्त और आधुनिक सैन्य संरचना के निर्माण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने में एकीकृत थिएटर कमांड के महत्व पर चर्चा कीजिए। इस सुधार को लागू करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है? [250 शब्द] [15 अंक]

रुद्रास्त्र यूएवी

चर्चा में क्यों: हाल ही में, नागपुर स्थित निजी रक्षा कंपनी **सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (एसडीएएल)** ने **राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में अपने हाइब्रिड यूएवी, रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण करके** एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। **यह रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक बड़ा कदम है।**

रुद्रास्त्र की प्रमुख विशेषताएँ और क्षमताएँ

- **हाइब्रिड वीटीओएल तकनीक: वीटीओएल क्षमता** का अर्थ है कि यूएवी बिना किसी रनवे की आवश्यकता के, लंबवत उड़ान भर सकता है और उतर सकता है। यह इसे प**हाड़ी और दुर्गम इलाकों** में अत्यधिक उपयोगी बनाता है।
- **मिशन त्रिज्या और सीमा:**
  - इसका **मिशन त्रिज्या 50 किमी से अधिक है, और इसकी कुल परिचालन सीमा 170 किमी से अधिक है,** जिसमें लक्ष्य क्षेत्र पर मँडराते समय बिताया गया समय भी शामिल है।
- **सहनशक्ति:** यूएवी **लगभग 1.5 घंटे** तक हवा में रह सकता है, जो इसे सामरिक निगरानी और सटीक हमलों के लिए आदर्श बनाता है।
- **स्वचालित वापसी प्रणाली:** एक बार मिशन पूरा हो जाने पर, **रुद्रास्त्र स्वचालित रूप** से अपने बेस स्टेशन पर वापस लौट सकता है, जिससे **जटिल मिशनों में भी संचालन में आसानी और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।**

युद्ध और निगरानी भूमिका

- **सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री:** रुद्रास्त्र **एंटी-पर्सनल एयरबर्स्ट वारहेड्स** से लैस है, जिन्हें **कम ऊँचाई पर विस्फोट करके व्यापक दायरे में अधिकतम प्रभाव डालने** के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **दुश्मन के इलाके में गहराई तक निशाना साधना:**
  - यह **दुश्मन की सीमा के अंदर 50-100 किलोमीटर तक के लक्ष्यों,** विशेष रूप से दुश्मन के **तोपखाने के ठिकानों, आतंकवादी ठिकानों और बुनियादी ढाँचे** पर हमला करने में सक्षम है।
- **लाइव वीडियो रिले:** रुद्रास्त्र **वास्तविक समय में वीडियो फ़ीड भेज** सकता है, जिससे यह **ख़ुफ़िया जानकारी जुटाने, निगरानी और लक्ष्य की पुष्टि** के लिए उपयोगी है।
- **बहु-उपयोगी प्लेटफ़ॉर्म:** युद्धक भूमिकाओं के अलावा, इसका डिज़ाइन **मानचित्रण, आपूर्ति वितरण और आपदा निगरानी** की सुविधा भी देता है, जो इसकी **परिचालन बहुमुखी प्रतिभा** को प्रमाणित करता है।

रुद्रास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है?

भारतीय सशस्त्र बल विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने के लिए **स्वदेशी ड्रोन प्रणालियों** की माँग तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। रुद्रास्त्र प्रमुख **सामरिक आवश्यकताओं** को पूरा करता है, खासकर **सीमा पार अभियानों में,** और यह निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:

- परिस्थितिजन्य जागरूकता
- सटीक प्रहार क्षमता
- परिचालन स्वतंत्रता

यह रक्षा क्षेत्र में सरकार के '**मेक इन इंडिया**' दृष्टिकोण के अनुरूप भी है।

सामरिक महत्व

रुद्रास्त्र और भार्गवस्त्र, दोनों ही **भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक नए चरण** का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ **निजी क्षेत्र का नवाचार, स्वदेशी क्षमता और सशस्त्र बलों की सामरिक ज़रूरतें** एक साथ आती हैं। ये सिर्फ़ युद्ध के उपकरण ही नहीं, बल्कि **तकनीकी संप्रभुता के प्रतीक भी हैं।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रास्त्र क्या है?

(a) कम दूरी की सामरिक क्रूज मिसाइल
(b) लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल
(c) मानवरहित हवाई वाहन
(d) रॉकेट लांचर

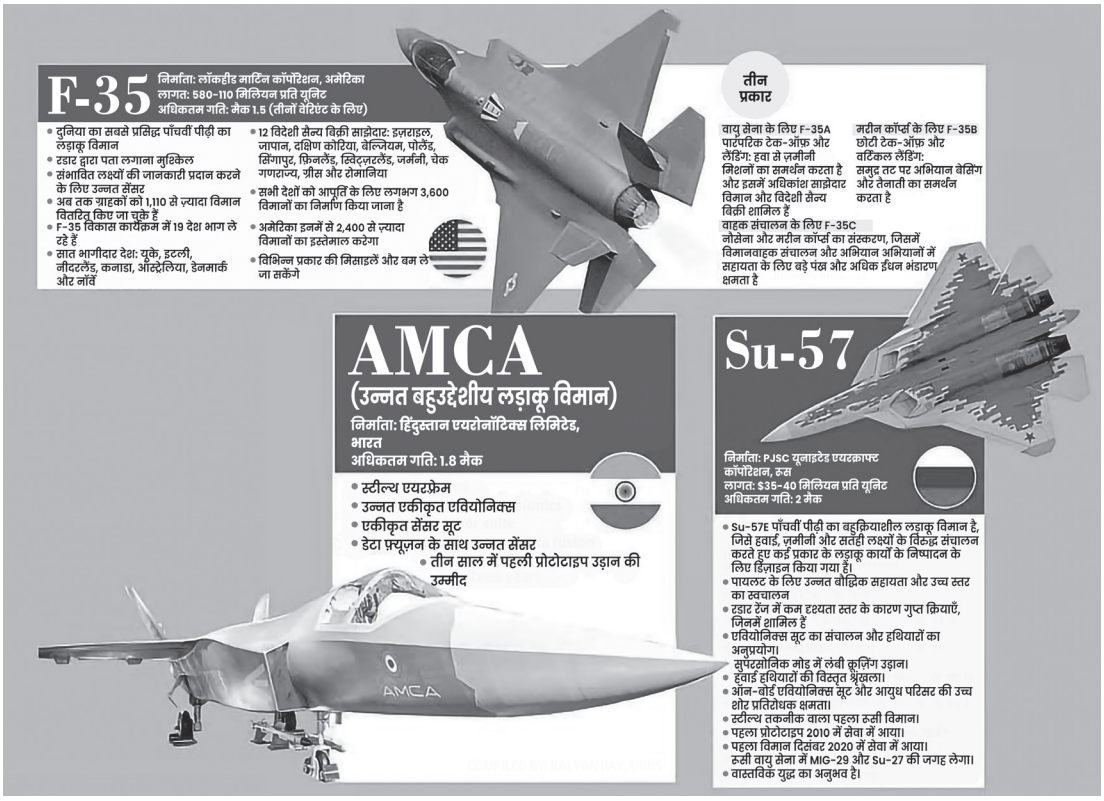
उत्तर: (c)

एएमसीए लड़ाकू विमान

चर्चा में क्यों: हाल ही में, **रक्षा मंत्री ने** उद्योग के साथ गठजोड़ के माध्यम से **उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के कार्यान्वयन मॉडल** को मंजूरी दी।

उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए): मुख्य विशेषताएँ

- **प्रेरण समय-सीमा**
  - 2034 तक भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल करने का लक्ष्य।
- **प्रदर्शन और क्षमताएँ**
  - **गति:** सुपरसोनिक; मैक 2.15 तक
  - **युद्ध सीमा:** 1,620 किमी
  - **इंजन प्रकार:** दोहरे इंजन वाला विन्यास
- **पेलोड क्षमता**
  - **बाह्य पेलोड:** 5,500 किलोग्राम तक
  - **आंतरिक पेलोड:** 1,500 किलोग्राम तक
- **बहुउद्देशीय युद्ध क्षमताएँ**
  - हवा से हवा में संचालन
  - हवा से स्थल पर हमला
  - इलेक्ट्रॉनिक युद्ध
- **गुप्तचर सुविधाएँ**
  - रडार-अवशोषित सामग्री का उपयोग
  - रडार परावर्तकता को कम करने के लिए विशेष पेंट कोटिंग्स
  - अवरक्त उत्सर्जन को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए निकास नोजल
- **युद्ध सिद्धांत - "पहले देखो, पहले मारो"**
  - शीघ्र पता लगाने और संलग्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया
  - AMCA को दुश्मन के विमानों का पता लगाने या निशाना बनाए जाने से पहले उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम बनाता है



पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान

- अब तक निर्मित सबसे तकनीकी रूप से उन्नत जेट पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं।
- **दोहरे इंजन से संचालित**: एक इंजन के खराब होने की स्थिति में, विशेष रूप से रात में, दोहरे इंजन वाला प्लेटफ़ॉर्म हवाई सुरक्षा और उत्तरजीविता का उच्च स्तर प्रदान करता है।
- **स्टील्थ**: कम-अवरोधन-संभावना (LPIR) रडार का उपयोग करने की क्षमता, उन्हें विरोधी रडार के लिए पता लगाना अधिक कठिन बना देती है।
- **फुर्तीले एयरफ्रेम में सुपरक्रूज़र प्रदर्शन**: उत्कृष्ट गतिशीलता और सुपरसोनिक गति पर आफ्टरबर्नर के बिना उड़ान भरने की क्षमता।
- **उन्नत एवियोनिक्स**: लक्ष्यीकरण, संचार और नियंत्रण के लिए परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ
- **एकीकृत कंप्यूटर प्रणालियाँ**: एकीकृत कंप्यूटर प्रणालियों की सहायता से, पायलट अन्य प्रणालियों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं और बिना किसी युद्धाभ्यास के पूरे युद्धक्षेत्र को देख सकते हैं।

सामरिक महत्व

- **क्षेत्रीय खतरों का जवाब:** पाकिस्तान के J-10C (चीन निर्मित) और चीन के J-20 की तैनाती को रोकता है।
- **भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण**: यह भारतीय वायुसेना की कम हुई स्क्वाड्रन संख्या (31 बनाम अधिकृत 42) को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है और मिग-29 और मिराज के चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने के बाद एक महत्वपूर्ण क्षमता अंतर को पाटता है।
- **स्वदेशी तकनीक**: भारत में निर्मित होने से, तकनीकी संप्रभुता दीर्घकालिक रक्षा स्वायत्तता में सुधार करती है और विदेशी प्लेटफार्मों पर निर्भरता कम करती है।

निष्कर्ष

एएमसीए परियोजना भारतीय वायुसेना के भविष्य के लिए आधारशिला का काम करेगी और इसकी तकनीकी बढ़त को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के लिए उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) परियोजना के सामरिक महत्व पर चर्चा कीजिए। एएमसीए जैसे पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में किस प्रकार योगदान देता है? [250 शब्द] [15 अंक]

अभ्यास ख़ान क्वेस्ट

चर्चा में क्यों: भारतीय सेना का एक दल बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ख़ान क्वेस्ट के लिए मंगोलिया पहुँचा।

अभ्यास ख़ान क्वेस्ट के बारे में

- यह अभ्यास वर्ष 2003 में **अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय आयोजन** के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद, वर्ष 2006 से यह अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया, जिसका वर्तमान वर्ष 22वाँ संस्करण है।
- भारतीय सेना के 40 कर्मियों वाले दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से **कुमाऊँ रेजिमेंट की एक बटालियन** के सैनिकों के साथ-साथ अन्य सेनाओं और सेवाओं के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। **एक महिला अधिकारी और दो महिला सैनिक** भी इस दल का हिस्सा होंगी।
- अभ्यास ख़ान क्वेस्ट का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को बहुराष्ट्रीय वातावरण में संचालन करते हुए **शांति स्थापना अभियानों** के लिए तैयार करना है, जिससे **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII** के तहत शांति समर्थन अभियानों में अंतर-संचालन और सैन्य तत्परता बढ़े। यह अभ्यास उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यासों पर केंद्रित होगा।
- अभ्यास ख़ान क्वेस्ट **भाग लेने वाले देशों को संयुक्त अभियानों के संचालन के**

लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाएगा। इस अभ्यास से भाग लेने वाले देशों के सैनिकों के बीच अंतर-संचालन, सौहार्द और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी।

अन्य देशों के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास

अभ्यास	देश
एकुवेरिन	मालदीव
गरुड़ शक्ति	इंडोनेशिया
हैंड-इन-हैंड	चीन
बोल्ड कुरुक्षेत्र	सिंगापुर
युद्ध अभ्यास	अमेरिका
मित्र शक्ति	श्रीलंका
नोमैडिक एलिफेंट	मंगोलिया
शक्ति	फ्रांस
सूर्य किरण	नेपाल

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

	अभ्यास	संबंधित देश
1.	एकुवेरिन	मालदीव
2.	गरुड़ शक्ति	इंडोनेशिया
3.	हैंड-इन-हैंड	चीन

उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

CHAHAL ACADEMY

'इंडियन एक्सप्रेस' का एडिटोरियल एनालिसिस

क्यू आर कोड स्कैन करें

The Indian EXPRESS

इकाई 7

सामाजिक मुद्दे

डार्क पैटर्न

चर्चा में क्यों: भारत के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने हाल ही में **50 से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म** को अपने ऐप्स और वेबसाइटों से **डार्क पैटर्न** हटाने को कहा है। इन प्लेटफ़ॉर्म को **तीन महीने के भीतर स्व-ऑडिट** करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके डिजिटल डिज़ाइन उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी हों।

डार्क पैटर्न क्या हैं?

सरल शब्दों में, डार्क पैटर्न वेबसाइटों, ऐप्स या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर इस्तेमाल की जाने वाली धूर्त और भ्रामक डिज़ाइन तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल लोगों को उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है जो वे नहीं करना चाहते।

उदाहरण के लिए:

- बिना जाने अतिरिक्त सेवाएँ खरीदना।
- अनजाने में चीज़ों की सदस्यता लेना।
- पूरी जानकारी के बिना व्यक्तिगत जानकारी साझा करना।

ये तरकीबें उपयोगकर्ता के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए चतुराई से **मनोवैज्ञानिक हेरफेर** और भ्रामक लेआउट का इस्तेमाल करती हैं। यह उपयोगकर्ता के कल्याण की कीमत पर प्लेटफ़ॉर्म के हितों की पूर्ति के लिए तकनीक और डिज़ाइन का दुरुपयोग है।

डार्क पैटर्न के प्रकार और वे आपको कैसे प्रभावित करते हैं:

झूठी जल्दबाजी

- आपको यह बताकर जल्दबाजी का दिखावा करना कि समय या स्टॉक खत्म हो रहा है - जिससे आप घबराकर जल्दी से खरीदारी कर लेते हैं।
- **उदाहरण:** "सिर्फ़ 2 कमरे बचे हैं! 30 लोग इसे अभी देख रहे हैं!" यह आपको जल्दी से फ़ैसला लेने के लिए मजबूर करता है, भले ही आपको इसकी आवश्यकता न हो।

गुप्त रूप से टोकरी में वस्तु जोड़ना

- चेकआउट के समय आपकी स्पष्ट अनुमति के बिना आपकी कार्ट में अतिरिक्त आइटम या सेवाएँ जोड़ना।
- **उदाहरण:** आप एक फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं, और आपकी जानकारी के बिना ही यात्रा बीमा अपने आप जुड़ जाता है।

पुष्टि करना शर्मसार करना

- जब आप वास्तव में 'नहीं' कहना चाहते हैं, तो आपको 'हाँ' कहने के लिए मजबूर करने के लिए अपराधबोध या डर का इस्तेमाल करना।
- **उदाहरण:** जब आप किसी अतिरिक्त सेवा के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, तो "नहीं, **धन्यवाद, मुझे पैसे बर्बाद करना पसंद है**" जैसा संदेश।

ज़बरदस्ती की कार्रवाई

- आपको आपकी इच्छित गतिविधि से असंबंधित कुछ करने के लिए मजबूर करना।
- **उदाहरण:** कोई उत्पाद खरीदने से पहले आपको न्यूज़लेटर की सदस्यता लेने के लिए मजबूर करना।

सदस्यता जाल

- सदस्यता रद्द करना मुश्किल बनाना, या जटिल मेनू में रद्द करने का विकल्प छिपाना।
- **उदाहरण:** आप एक 'मुफ़्त परीक्षण' शुरू करते हैं, लेकिन रद्द करने की प्रक्रिया इतनी भ्रामक होती है कि आप अनजाने में ही भुगतान कर देते हैं।

इंटरफ़ेस में दखलअंदाज़ी

- वेबसाइट लेआउट को इस तरह डिज़ाइन करना कि कुछ जानकारी हाइलाइट हो और कुछ ज़रूरी विवरण छिप जाएँ।
- **उदाहरण:** किसी महंगी योजना के फ़ायदों को हाईलाइट करना और बुनियादी योजना को छिपाकर रखना या ढूँढ़ना मुश्किल।

लालच और धोखा

- वादा एक चीज़ का, लेकिन देना कुछ और।
- **उदाहरण:** कोई ऑनलाइन स्टोर छूट वाला उत्पाद दिखाता है, लेकिन जब आप भुगतान करने के लिए तैयार होते हैं, तो वह कहता है कि उत्पाद स्टॉक में नहीं है और एक महंगा विकल्प पेश करता है।

ड्रिप प्राइसिंग

- चेकआउट के आखिरी चरण तक अतिरिक्त शुल्क छिपाना।
- **उदाहरण:** एक हवाई जहाज़ का टिकट शुरू में सस्ता लगता है, लेकिन भुगतान के समय सामान शुल्क, सीट चयन और कर जैसे अतिरिक्त शुल्क दिखाई देते हैं।

छद्म विज्ञापन

- किसी विज्ञापन को सामान्य सामग्री या समाचार जैसा दिखाना, जिससे उपयोगकर्ता उसे क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएँ।

तंग करना

- उपयोगकर्ताओं को लगातार अनावश्यक पॉप-अप, अनुरोध या संदेशों से भर देना, जिससे ब्राउज़िंग अनुभव बाधित हो।
- **उदाहरण:** आपको बार-बार ऐप डाउनलोड करने या नोटिफिकेशन चालू करने के लिए कहना, बिना अस्वीकार करने का उचित विकल्प दिए।

ये डार्क पैटर्न उपभोक्ताओं का शोषण कैसे करते हैं?

- डार्क पैटर्न हमारे **मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों** का फ़ायदा उठाते हैं—जैसे कुछ छूट जाने का डर (FOMO), भ्रम, अपराधबोध और आलस्य।
- ये हमें ऐसे विकल्पों की ओर सूक्ष्मता से निर्देशित करते हैं जो प्लेटफ़ॉर्म या विक्रेता के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, भले ही वे विकल्प हमारे अपने हितों के ख़िलाफ़ हों।

डार्क पैटर्न से निपटने के लिए भारत का कानूनी ढाँचा

- **डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत CCPA द्वारा जारी**, ये दिशानिर्देश डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर डार्क पैटर्न को स्पष्ट रूप से परिभाषित और प्रतिबंधित करते हैं।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** डार्क पैटर्न को "अनुचित व्यापार प्रथाओं" के रूप में वर्गीकृत करता है और अधिकारियों को ऐसी भ्रामक प्रथाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDPA): सूचित सहमति, पारदर्शिता और उपयोगकर्ता स्वायत्तता की रक्षा** पर ध्यान केंद्रित करके इन नियमों का पूरक भी है।

निष्कर्ष

डार्क पैटर्न **अदृश्य लेकिन खतरनाक तरकीबें हैं** जो डिजिटल डिज़ाइन का दुरुपयोग करके उपभोक्ताओं को गुमराह करती हैं। जैसे-जैसे हमारी दैनिक गतिविधियाँ ऑनलाइन होती जा रही हैं, **लोगों को इन चालाकी भरी तरकीबों के बारे में जागरूक करना ज़रूरी है।** भारत के नए दिशानिर्देश और कानून निष्पक्ष, पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं।

उपभोक्ताओं को सतर्क रहना चाहिए, बारीक अक्षरों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और भ्रामक ऑनलाइन तरकीबों से प्रेरित जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डिजिटल डार्क पैटर्न क्या हैं? डार्क पैटर्न के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए। डिजिटल डार्क पैटर्न उपयोगकर्ताओं का शोषण कैसे करते हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

भारत को एक समावेशी पेंशन प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता

चर्चा में क्यों: हाल ही में द हिंदू में "भारत को एक समावेशी पेंशन प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें वृद्धावस्था वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, एक व्यापक और समावेशी पेंशन ढाँचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था।

भारत में पेंशन प्रणाली और कवरेज रुझान

- **आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026** के अनुसार, **भारत में पेंशन परिसंपत्तियाँ सकल घरेलू उत्पाद का केवल 17% हिस्सा बनाती हैं**, जबकि कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, यह 80% तक पहुँच सकती हैं।
- वर्तमान में **केवल लगभग 12% भारतीय श्रमिक आधिकारिक पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आते हैं।**
- सार्वजनिक और संगठित निजी क्षेत्रों के श्रमिकों को कई समानांतर कार्यक्रमों के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप असमान कवरेज होता है।
- दूसरी ओर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना **असंगठित क्षेत्र के लिए सुरक्षा के रूप में केवल स्वैच्छिक अपनाने की सुविधा प्रदान करती हैं।** वित्त वर्ष 2024 में, इन दोनों योजनाओं ने **कुल जनसंख्या का लगभग 5.3% हिस्सा बनाया।**
- **देश के सकल घरेलू उत्पाद का आधे से अधिक हिस्सा लगभग 85% असंगठित श्रम बल द्वारा उत्पादित किया जाता है।** बाजारों में बदलाव के साथ गिग अर्थव्यवस्था बढ़ती रहेगी, इसलिए सार्वभौमिक बीमा आवश्यक है।

सामाजिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में पेंशन का महत्व

- **सामाजिक सुरक्षा और वृद्धजन सम्मान:** पेंशन यह गारंटी देती है कि लोग सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रख सकें।
- **अर्थव्यवस्था की स्थिरता:** नियमित पेंशन भुगतान आय का एक विश्वसनीय स्रोत है, जो अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाता है और घरेलू उपभोग में सहायता करता है।
- **आधिकारिक रोजगार को बढ़ावा:** प्रभावी पेंशन योजनाएँ कर्मचारियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश के लिए प्रेरित कर सकती हैं, कर राजस्व में वृद्धि कर सकती हैं और श्रम कानूनों का पालन बढ़ा सकती हैं।
- **कल्याणकारी राज्य की भूमिका:** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41), जो वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने के राज्य के दायित्व पर बल देते हैं, पेंशन प्रणाली के अनुरूप हैं।
- **निर्भरता के बोझ में कमी:** पेंशन, विशेष रूप से संयुक्त परिवार व्यवस्था में, वृद्धजनों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके परिवार के युवा सदस्यों पर वित्तीय दबाव को कम करती है।
- **आर्थिक अस्थिरता के समय सहायता:** पेंशन भुगतान आपात स्थिति (जैसे COVID-19) के दौरान जीवन रेखा के रूप में कार्य कर सकता है, जो लचीलापन और चल रहे घरेलू उपभोग की गारंटी देता है।

भारत में पेंशन प्रणाली की चुनौतियाँ

- **सरकार पर भारी वित्तीय दबाव:** पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित पेंशन योजनाएँ, जैसे कि पुरानी पेंशन योजना (OPS), राज्य के वित्त पर भारी बोझ डालती हैं। जैसे-जैसे सेवानिवृत्त लोगों की संख्या बढ़ती है, सार्वजनिक धन का एक बड़ा हिस्सा पेंशन भुगतान में जाता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का कम समावेश:** भारत का अधिकांश कार्यबल बिना किसी औपचारिक सेवानिवृत्ति लाभ के अनौपचारिक नौकरियों में लगा हुआ है। हालाँकि अटल पेंशन योजना (APY) जैसी योजनाओं का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है, लेकिन अनियमित आय और श्रमिकों में सीमित जागरूकता के कारण भागीदारी कम बनी हुई है।
- **पेंशन राशि अक्सर बहुत कम होती है:** कई सरकारी पेंशन, विशेष रूप से सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली पेंशन, बुनियादी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कम होती हैं। परिणामस्वरूप, सेवानिवृत्त व्यक्ति गरीबी और वित्तीय स्वतंत्रता की कमी से जूझते रहते हैं।
- **लिंग-आधारित असमानताएँ:** महिलाओं को अक्सर पेंशन लाभों से बाहर रखा जाता है क्योंकि उनके अवैतनिक या अनौपचारिक भूमिकाओं में काम करने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा, छोटे कार्यकाल और वेतन में अंतर के कारण, पात्र होने पर भी उन्हें कम पेंशन मिलती है।
- **कम जन जागरूकता और वित्तीय साक्षरता:** कई लोग अपने लिए उपलब्ध पेंशन योजनाओं से अनजान हैं या उनमें सम्मिलित होने या योगदान करने के लिए आवश्यक वित्तीय साक्षरता का अभाव है। यह ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से सच है।

आगे की राह

- **न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन योजना लागू करना:** सेवानिवृत्त लोगों के लिए, विशेष रूप से आर्थिक मंदी के समय में, एक स्थिर आय बनाए रखना।
- **अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सम्मिलित करना:** उन कर्मचारियों को पेंशन पूल में सम्मिलित करना जो सरकार द्वारा नियोजित नहीं हैं।

- **कार्यकाल के लिए लचीली आवश्यकताएँ:** पेंशन योजनाएँ बनाते समय करियर में आने वाली बाधाओं और कार्यबल में देर से आने वालों को समायोजित करना।
- **एक मज़बूत नियामक वातावरण बनाना:** निधि प्रबंधन की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, एक स्वतंत्र पेंशन नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए।
- **वित्तीय ज्ञान और मार्गदर्शन में सुधार:** लोगों को पेंशन संबंधी निर्णय लेने में सहायता के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करना

निष्कर्ष

भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव के दौर से गुज़रते हुए, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों सहित सभी के लिए न्यूनतम पेंशन गारंटी और एक सुव्यवस्थित पेंशन प्रणाली, सेवानिवृत्ति के दौरान बुनियादी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। नीति निर्माताओं को सभी के लिए, चाहे उनकी व्यावसायिक स्थिति कुछ भी हो, एक वास्तविक समावेशी पेंशन प्रणाली तैयार करने के लिए अभी से कदम उठाने चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अनेक योजनाओं के बावजूद, भारत की पेंशन प्रणाली, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, खंडित और बहिष्कृत बनी हुई है। इस कथन के आलोक में, भारत के पेंशन परिदृश्य के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और एक समावेशी एवं संधारणीय पेंशन प्रणाली के निर्माण हेतु उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत में सामाजिक सुरक्षा में उछाल

चर्चा में क्यों: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ILOSTAT डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जो पिछले एक दशक में अभूतपूर्व 45 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत की प्रगति

- **उल्लेखनीय विस्तार रुझान**
  - **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट (WSPR) 2024-26 के अनुसार,** भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8% हो गया है।
  - हाल ही में, ILO के ILOSTAT डेटाबेस से पता चलता है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जो एक दशक में अभूतपूर्व 45 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में सबसे तेज़ विस्तार को दर्शाती है।
  - **श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, लगभग 92 करोड़ लोग (जनसंख्या का 65%)** अब केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा, चाहे नकद हो या वस्तु के रूप में, के अंतर्गत आते हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत बनाना: भारत की प्रगति और वैश्विक मान्यता**
  - भारत की प्रगति ने **वैश्विक सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि में योगदान दिया है।**
  - **लाभार्थियों की संख्या के मामले में भारत अब विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है,** जो लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के महानिदेशक ने गरीबों और श्रमिक वर्ग के लिए भारत की केंद्रित कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की है।
  - भारत, **ILOSTAT डेटाबेस में अपने 2025 के सामाजिक सुरक्षा कवरेज डेटा को अद्यतन करने वाला विश्व का पहला देश भी है,** जो डिजिटल शासन और पारदर्शिता में इसकी अग्रणी भूमिका को दर्शाता है।
  - **गरीबी उन्मूलन:** पिछले एक दशक में, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों के कारण 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए हैं, जो सरकारी हस्तक्षेपों के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है।

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा, या सामाजिक सुरक्षा, जीवन चक्र में आने वाले जोखिमों (जैसे, बेरोज़गारी, दिव्यांगता, जाति, आदि) के आधार पर लोगों को और सामान्य गरीबी और सामाजिक बहिष्करण से पीड़ित लोगों को लाभ प्रदान किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा परिभाषा का सारांश वेतन (सामाजिक बीमा) से प्राप्त अंशदान या सामान्य कराधान (सामाजिक सहायता) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रमुख सरकारी पहल

- **स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा**
  - **आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY):** प्रति परिवार ₹5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। 26 मार्च, 2025 तक, 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो देश भर के 24,810 सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध हैं।
  - **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):** कोविड-19 महामारी के दौरान वंचित वर्ग को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। दिसंबर 2024 तक, 80.67 करोड़ लोग निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, जो इसके लक्षित 81.35 करोड़ लाभार्थियों के कवरेज के करीब है।
- **रोजगार और पेंशन सहायता**
  - **ई-श्रम पोर्टल: असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) बनाने के लिए 26 अगस्त, 2021 को शुरू किया गया।** यह बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) प्रदान करता है। 3 मार्च, 2025 तक, 30.68 करोड़ से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के कामगार पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 53.68% महिलाएँ हैं।
  - **अटल पेंशन योजना (APY):** 9 मई, 2015 को शुरू की गई APY का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 31 दिसंबर, 2024 तक, 7.25 करोड़ लाभार्थियों ने नामांकन कराया है, और कुल जमा राशि ₹43,369.98 करोड़ है। यह योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के साथ मिलकर, देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में पिछले एक दशक में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस विस्तार के पीछे प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए और सामाजिक सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन को सुदृढ़ बनाने में सरकारी पहलों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

मातृत्व अवकाश और अधिकार

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश महिला के प्रजनन अधिकारों का एक अभिन्न अंग है, जिसमें एक महिला को उसके तीसरे बच्चे के जन्म के लिए अवकाश देने से इनकार कर दिया गया था।

निर्णय के मुख्य बिंदु और तर्क

- **मातृत्व अवकाश एक संवैधानिक अधिकार:** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मातृत्व अवकाश केवल निष्पक्षता या सामाजिक न्याय से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक गारंटी है। इसे मातृत्व लाभों का एक अभिन्न अंग और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। कोई भी संस्था किसी महिला को मातृत्व अवकाश के उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।
- **महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की सुरक्षा:** न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि मातृत्व अवकाश कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गर्भावस्था एक महिला के शरीर और मन, दोनों को प्रभावित करती है और मातृत्व और बचपन, दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए।
- **प्रजनन संबंधी विकल्प का अधिकार सुरक्षित:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना एक महिला के प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने के अधिकार की रक्षा करता है। यह अधिकार मानवीय गरिमा के विचार का केंद्रबिंदु है, और प्रजनन स्वास्थ्य सेवा या भावनात्मक व शारीरिक स्वास्थ्य तक पहुँच से वंचित करना महिलाओं की गरिमा को भी ठेस पहुँचाता है।
- **मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटना और विशिष्ट मामला:** मद्रास उच्च न्यायालय ने शिक्षिका को छुट्टी देने से इनकार कर दिया था क्योंकि तमिलनाडु सरकार की नीति जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति नहीं देती थी। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि शिक्षिका छुट्टी की हकदार है।
- **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की व्याख्या:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017, दो से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश पर रोक नहीं लगाता है। इसके बजाय, यह अवकाश की अवधि को सीमित करता है: दो बच्चों तक वाली महिलाओं के लिए 26 सप्ताह और अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए 12 सप्ताह। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चों की संख्या के आधार पर मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जाता है। इस संशोधन ने सभी महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया और बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को भी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया।
- **जनसंख्या नियंत्रण और प्रजनन अधिकारों में सामंजस्य:** जनसंख्या नियंत्रण उपायों के महत्व को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि "जनसंख्या नियंत्रण और प्रजनन अधिकार परस्पर अनन्य लक्ष्य नहीं हैं। इन्हें तर्कसंगत और मानवीय तरीके से संतुलित किया जाना चाहिए"। यह सर्वोच्च न्यायालय के इस रुख की पुष्टि करता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर अधिकारों के मामले में नीतियों को संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए।
- **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार):** सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि "पूर्ण अर्थों में जीवन" में वह सब सम्मिलित है जो जीवन को सार्थक बनाता है, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, मानवीय सम्मान के साथ जीने का अधिकार और निजता का अधिकार, जो अब अनुच्छेद 21 के स्वीकृत पहलू हैं।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान

- **प्रयोज्यता:** यह अधिनियम कारखानों, खदानों, बागानों और कलाबाज़ी या घुड़सवारी जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। यह दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों सहित पिछले 12 महीनों में 10 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले किसी भी संगठन को भी कवर करता है। अधिनियम के प्रावधान पूरे भारत में लागू हैं, जिनमें सार्वजनिक अस्पताल, नर्सिंग होम और स्कूल सम्मिलित हैं।
- **पात्रता:** लाभों की हकदार होने के लिए, एक महिला को अपनी अपेक्षित प्रसव तिथि से ठीक पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों की अवधि के लिए प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए।
- **मातृत्व अवकाश लाभ**
  - 2017 में संशोधनों के बाद अवकाश अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था।
  - इस 26 सप्ताह की अवधि का लाभ प्रसव की नियत तिथि से 8 सप्ताह पहले तक और प्रसव के बाद शेष सप्ताहों तक लिया जा सकता है।
  - दो या अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाओं के लिए, अधिकतम अवकाश अवधि 12 सप्ताह है, जो प्रसव तिथि से छह सप्ताह पहले से अधिक नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की संख्या के आधार पर मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जाता है, केवल अवधि सीमित होती है।
  - दत्तक माताएँ (तीन महीने से कम उम्र के बच्चे के लिए) और कमीशनिंग माताएँ भी बच्चे को सौंपे जाने की तिथि से 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं।
  - **भुगतान:** मातृत्व लाभ का भुगतान वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए औसत दैनिक वेतन की दर से किया जाता है।
- **गर्भपात/गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के लिए अवकाश:** गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के तुरंत बाद एक महिला छह सप्ताह के सवेतन अवकाश की हकदार होती है।
- **नसबंदी ऑपरेशन के लिए अवकाश:** नसबंदी ऑपरेशन के बाद दो सप्ताह का वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाता है।
- **बीमारी के लिए अवकाश:** गर्भावस्था, प्रसव, समय से पहले जन्म, गर्भपात, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति, या नसबंदी ऑपरेशन से उत्पन्न बीमारी के लिए अधिकतम एक महीने का अतिरिक्त वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाता है।
- **घर से काम:** नियोक्ता, मातृत्व लाभ प्राप्त करने के बाद, आपसी सहमति से शर्तों के आधार पर, किसी महिला को घर से काम करने की अनुमति दे सकते हैं।
- **नर्सिंग अवकाश:** प्रसव के बाद ड्यूटी पर लौटने वाली प्रत्येक महिला को अपने बच्चे की देखभाल के लिए प्रतिदिन दो अवकाश दिए जाते हैं, जब तक कि बच्चा 15 महीने का न हो जाए।
- **शिशुगृह सुविधा:** 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को एक निर्धारित दूरी के भीतर शिशुगृह सुविधा प्रदान करनी होगी, जिससे महिलाओं को दिन में चार बार शिशुगृह में जाने की अनुमति मिल सके।
- **बर्खास्तगी के विरुद्ध संरक्षण:** किसी नियोक्ता द्वारा मातृत्व अवकाश के दौरान या उसके अनुपस्थित रहने के कारण किसी महिला को बर्खास्त करना या बर्खास्त करना गैरकानूनी है, या उसकी सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन करने के लिए। गर्भावस्था के दौरान बर्खास्तगी आमतौर पर उसे मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस से वंचित नहीं करती, जब तक कि निर्धारित घोर कदाचार के लिए न हो।
- **चिकित्सा बोनस:** यदि नियोक्ता निःशुल्क प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल

प्रदान नहीं करता है, तो महिलाएं एक हजार रुपये के चिकित्सा बोनस की हकदार हैं। केंद्र सरकार इस राशि को बीस हजार रुपये तक बढ़ा सकती है।

- **वेतन में कोई कटौती नहीं:** गर्भावस्था के कारण सौंपे गए कार्य की प्रकृति या नर्सिंग अवकाश के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है।
- **सूचना प्रावधान:** नियोक्ताओं को महिलाओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी लाभों के बारे में सूचित करना होगा।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि मातृत्व अवकाश केवल कार्यस्थल पर मिलने वाला लाभ नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है जो महिला की प्रजनन स्वतंत्रता और गरिमा पर आधारित है। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि नीतियों को अनुच्छेद 21 के अनुरूप होना चाहिए और मानवाधिकारों, विशेष रूप से कामकाजी माताओं के अधिकारों, को बनाए रखना चाहिए। मातृत्व लाभ अधिनियम की अधिकार-आधारित दृष्टि से व्याख्या करके, न्यायालय सभी महिलाओं के लिए, चाहे उनके कितने भी बच्चे हों, समावेशी, मानवीय और न्यायसंगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "प्रजनन अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और सम्मान के अधिकार का एक अनिवार्य घटक हैं।" इस कथन के आलोक में, मातृत्व अवकाश पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह भी चर्चा कीजिए कि यह निर्णय मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के उद्देश्यों के साथ किस प्रकार संरेखित है। [250 शब्द] [15 अंक]

गोवा और मिज़ोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की

चर्चा में क्यों: हाल ही में, मिज़ोरम और गोवा को ULLAS - नव भारत साक्षरता अभियान (नया भारत साक्षरता कार्यक्रम) के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया।

मुख्य विवरण

- **सरल पाठों को पढ़ने और लिखने की क्षमता और साथ ही इन कौशलों का दैनिक जीवन में सफलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता** को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता कहा जाता है।
- इसमें **मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल सम्मिलित हैं** जो लोगों को दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक सरल गणितीय संक्रियाओं को समझने, संवाद करने और उन्हें करने में सक्षम बनाते हैं।
- आवश्यक जीवन कौशल, करियर प्रशिक्षण और डिजिटल जागरूकता के संयोजन से, कार्यात्मक साक्षरता बुनियादी शिक्षा से आगे बढ़कर लोगों को सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित होने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।
- यह **स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने, रोजगार क्षमता में सुधार लाने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने** के लिए आवश्यक है।

पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का महत्व

- **जन सशक्तिकरण**: यह नागरिकों को पढ़ने, लिखने और अंकगणित के मूलभूत कौशल प्रदान करता है जिनकी उन्हें दैनिक जीवन, कार्यस्थल और सामुदायिक मुद्दों से आत्मविश्वास के साथ जुड़ने के लिए आवश्यकता होती है।
- **आर्थिक उत्पादकता**: कार्यात्मक साक्षरता वाले श्रमिक अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से सूक्ष्म व्यवसायों और असंगठित क्षेत्र में, अधिक उत्पादक योगदान देते हैं।
- **लैंगिक न्याय**: महिलाओं की साक्षरता उनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है और भावी पीढ़ियों को शिक्षा तक पहुँच प्रदान करती है।
- **जन भागीदारी**: साक्षर लोगों के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, सरकारी कार्यक्रमों का उपयोग करने और संस्थाओं को ज़िम्मेदार ठहराने की संभावना अधिक होती है।
- **समावेशी विकास**: यह सुनिश्चित करता है कि कम प्रतिनिधित्व वाले समूह—विशेषकर महिलाएँ और ग्रामीण समुदाय—देश की सामाजिक-आर्थिक उन्नति में पीछे न रहें।
- **डिजिटल समावेशन**: डिजिटल साक्षरता की आधारशिला कार्यात्मक साक्षरता है, जो उपयोगकर्ताओं को डिजिटल बैंकिंग, ई-लर्निंग, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है।
- **विकसित भारत विजन 2047**: विकसित, समावेशी और सशक्त भारत के व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य तक पहुंचने के लिए पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की आवश्यकता है।

उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)

- वे शिक्षार्थी जो **डिजिटल और वित्तीय साक्षरता** (केवल हस्ताक्षर करने या नाम लिखने की क्षमता ही नहीं) के साथ-साथ पढ़ने, लिखने और सरल गणित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें साक्षर माना जाता है।
- केंद्र प्रायोजित योजना
- **अवधि:** वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक।
- **प्रशासनिक मंत्रालय**: शिक्षा मंत्रालय।
- **लक्षित समूह**: सभी पृष्ठभूमियों के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्क जो स्कूल नहीं जा सके।
- **पाँच घटक:** बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, सतत शिक्षा, और आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता।
- **विजन**: कर्तव्य बोध की भावना पर आधारित, उल्लास योजना का विजन स्वयंसेवा के माध्यम से भारत को जन-जन साक्षर बनाना है।
- **मूल्यांकन और प्रमाणन**: स्थानीय स्कूल वर्ष में दो बार या आवश्यकतानुसार FLNAT (आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा) आयोजित करते हैं। अब तक, देश भर में 1.77 करोड़ से अधिक छात्र (नव साक्षर) आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) दे चुके हैं।
- **क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग**: DIKSHA पोर्टल और ULLAS मोबाइल ऐप/पोर्टल के माध्यम से शैक्षिक संसाधन प्राप्त करने के लिए।
- **2.40 करोड़ से अधिक छात्रों और 41 लाख स्वयंसेवी शिक्षकों** ने उल्लास मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराया है।

निष्कर्ष

उल्लास पहल के माध्यम से, भारत 2030 तक पूर्ण साक्षरता के अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लक्ष्य के करीब पहुँच रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि देश की विकास यात्रा में कोई भी वयस्क पीछे न छूटे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: उल्लास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
2. इसका प्रशासन सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
3. इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में साक्षरता को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "कार्यात्मक साक्षरता समावेशी और सहभागी शासन की आधारशिला है।" उल्लास - नव भारत साक्षरता अभियान के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

भारत में दुर्लभ रोग और अनिवार्य लाइसेंसिंग की भूमिका

चर्चा में क्यों: हाल ही में दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सरकार से अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधान लागू करने का आग्रह किया है, जिससे अन्य कंपनियों को पेटेंट धारक की सहमति के बिना जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण करने की अनुमति मिल सके।

दुर्लभ रोग

- दुर्लभ रोग वह रोग है **जो जनसंख्या के एक छोटे प्रतिशत को प्रभावित करता है।** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, किसी रोग को दुर्लभ माना जाता है यदि वह प्रति 1,000 लोगों में से 1 से अधिक को प्रभावित नहीं करता है।
- दुनिया के कुछ हिस्सों में, **अनाथ रोग** शब्द एक दुर्लभ रोग का वर्णन करता है जिसकी दुर्लभता के कारण उपचार के लिए बहुत कम या कोई धन या अनुसंधान उपलब्ध नहीं होता है, और न ही सरकारों या अन्य एजेंसियों से वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है।
- **अनाथ औषधियाँ** अनाथ रोगों को लक्षित करने वाली दवाएँ हैं। अधिकांश दुर्लभ रोग मूल रूप से आनुवंशिक होते हैं और इस प्रकार व्यक्ति के पूरे जीवन में मौजूद रहते हैं, भले ही लक्षण तुरंत प्रकट न हों।

दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी)

- **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** ने मार्च 2021 में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी) शुरू की। एनपीआरडी, 2021 की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- दुर्लभ रोगों की पहचान की गई है और उन्हें नीचे दिए गए अनुसार 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
  - ➢ **समूह 1**: एक बार के उपचारात्मक उपचार से ठीक होने वाले विकार।
  - ➢ **समूह 2:** अपेक्षाकृत कम लागत वाले दीर्घकालिक/आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले रोग।
  - ➢ **समूह 3**: वे रोग जिनका निश्चित उपचार उपलब्ध है, लेकिन लाभ, अत्यधिक लागत और आजीवन उपचार के लिए इष्टतम रोगी चयन करना चुनौतीपूर्ण है।
- अब तक **12 (बारह) उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई)** की पहचान की गई है, जो दुर्लभ रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार की सुविधाओं वाले प्रमुख सरकारी तृतीयक अस्पताल हैं।
- दुर्लभ रोग के उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, रोगी पंजीकरण कराने के लिए अपने आस-पास के या किसी भी उत्कृष्टता केंद्र से संपर्क कर सकता है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए और उत्कृष्टता केंद्र (CEO) के माध्यम से दुर्लभ रोगों के लिए आयातित दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) और मूल सीमा शुल्क व्यय विभाग से छूट प्राप्त की है।
- नीति में परिकल्पित अनुसार, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने दुर्लभ रोगों के लिए अनुसंधान गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु दुर्लभ रोगों के लिए चिकित्सा विज्ञान पर अनुसंधान और विकास हेतु राष्ट्रीय संघ (NCRDTRD) की स्थापना की है।
- वर्तमान में, दुर्लभ रोगों के लिए केंद्रीय तकनीकी समिति (CTCRD) की सिफारिश पर दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत 63 दुर्लभ रोगों को सम्मिलित किया गया है। दुर्लभ रोगों की सूची अनुबंध II में दी गई है।
- दुर्लभ रोगों के लिए अधिसूचित उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) में **उपचार के लिए प्रति रोगी 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।

अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या है?

- अनिवार्य लाइसेंसिंग तब होती है जब कोई सरकार पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को पेटेंट प्राप्त उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति देती है या पेटेंट-संरक्षित आविष्कार का उपयोग करने की योजना बनाती है।
- यह पेटेंट संरक्षण के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते - TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलू) समझौते में सम्मिलित लचीलेपन में से एक है।

भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग

- भारत में, अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें **भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अध्याय XVI (धारा 84 से 92)** में उल्लिखित हैं।
  - ➢ **बौद्धिक संपदा अधिनियम, 1970 की धारा 84**: यह धारा किसी भी व्यक्ति को पेटेंट प्रदान करने की तिथि से तीन वर्ष बाद अनिवार्य लाइसेंस के लिए पेटेंट नियंत्रक के पास आवेदन करने की अनुमति देती है, यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:
    - ♦ पेटेंट प्राप्त आविष्कार के संबंध में जनता की उचित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा है।
    - ♦ पेटेंटकृत आविष्कार जनता के लिए उचित रूप से किफायती मूल्य पर उपलब्ध नहीं है।
    - ♦ पेटेंटकृत आविष्कार भारत के क्षेत्र में निर्मित (अर्थात निर्मित या उपयोग) नहीं किया जा रहा है।
  - ➢ **आईपी अधिनियम, 1970 की धारा 92:** इस धारा के अंतर्गत, नियंत्रक राष्ट्रीय आपातकाल, अत्यधिक तात्कालिक परिस्थितियों, या सार्वजनिक गैर-व्यावसायिक उपयोग के मामलों में केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद स्वप्रेरणा से (अपनी पहल पर) अनिवार्य लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में दुर्लभ रोगों के संदर्भ में अनिवार्य लाइसेंसिंग के महत्व पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 ऐसी स्थितियों से पीड़ित रोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कैसे करती है? [250 शब्द] [15 अंक]

इकाई 8

इतिहास और संस्कृति

असम में नवपाषाणकालीन खोजें

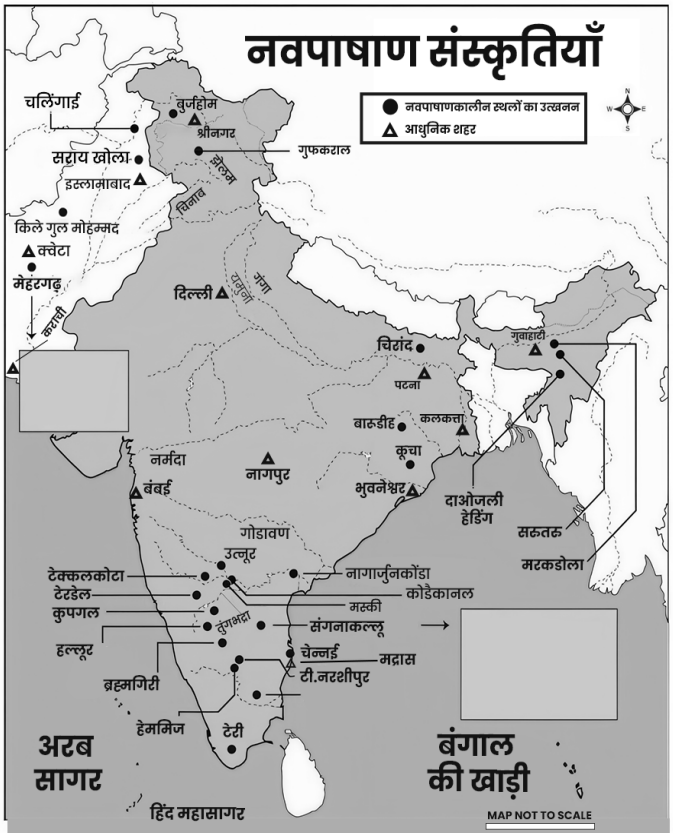
चर्चा में क्यों: असम के दीमा हसाओ ज़िले में नवपाषाणकालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जो इस क्षेत्र में प्रारंभिक मानव बस्तियों और सांस्कृतिक प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं।

मुख्य विवरण: दाओजाली हेडिंग स्थल के बारे में

- एक **भट्टी और लौह धातुमल की खोज, जो धातुकर्म गतिविधियों का संकेत देती है,** ने उन पूर्व परिकल्पनाओं को "पर्याप्त समर्थन" प्रदान किया है कि दाओजाली हेडिंग भारत के उत्तरपूर्वी भाग में एक प्रमुख प्रागैतिहासिक बस्ती थी।
- ये कलाकृतियाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से दूर लांगटिंग-मुपा आरक्षित वन की पहाड़ियों पर **दाओजाली हेडिंग में हाल ही में एक पुरातात्विक सर्वेक्षण** के दौरान एक बहु-विषयक टीम द्वारा पाई गई कई कलाकृतियों में से थीं।
- **लांगटिंग-मुपा आरक्षित वन** लंबे समय से अपने नवपाषाणकालीन महत्व के लिए जाना जाता है। 1960 के दशक में लुमडिंग-हाफलोंग रोड के निर्माण के दौरान, आसपास के क्षेत्र में **दाओजली हेडिंग स्थल** का पता चला था, जिसके बाद 1962 से 1964 तक गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग के प्रोफेसरों टी.सी. शर्मा और एम.सी. गोस्वामी द्वारा व्यवस्थित खुदाई की गई।
- इन जाँचों में पॉलिश किए हुए **दोहरे कंधों वाले सेल्ट्स, डोरी से चिह्नित मृदभांड, ओखल और मूसल, और जेडाइट पत्थर मिले, जिससे इस स्थल के नवपाषाण काल से जुड़े होने की पुष्टि हुई।** उत्खनित कलाकृतियों ने इस स्थल को व्यापक पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई नवपाषाण सांस्कृतिक परिसर से जोड़ा।

नवपाषाण काल के बारे में

- नवपाषाण काल **पाषाण युग के अंतिम चरण** का प्रतीक है। यह महापाषाण संरचनाओं के विकास, कृषि के व्यापक उपयोग और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों के उपयोग के लिए उल्लेखनीय है।
- यह युग मानव सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि लोग **प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता से हटकर** अपने लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सक्रिय रूप से दोहन और प्रबंधन करने लगे।
- पुरापाषाण काल के विपरीत, नवपाषाण काल के लोगों ने पॉलिश किए हुए **पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिन्हें आमतौर पर सेल्ट्स के रूप में जाना जाता है।** इसके अतिरिक्त, नवपाषाण समुदाय हड्डियों से बने औजारों और हथियारों का भी उपयोग करते थे।
- नवपाषाण क्रांति की अवधारणा **कृषि की शुरुआत, पशुओं के पालन और एक स्थायी जीवन शैली की ओर बदलाव को संदर्भित करती है।**
- यह मानव समाज के शिकार और संग्रहण अर्थव्यवस्था से खेती और पशुपालन के माध्यम से खाद्य उत्पादन पर आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का प्रतीक है।
- कृषि की शुरुआत के साथ, लोगों को कटे हुए अनाज को संग्रहित करने, खाना पकाने, पीने के पानी की उपलब्धता और तैयार भोजन का सेवन करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी आवश्यकता के कारण **नवपाषाण युग में मृदभांड (मिट्टी के बर्तनों)** का उदय हुआ।
- **नवपाषाण युग, महापाषाण वास्तुकला के विकास** के लिए भी उल्लेखनीय है।



यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नवपाषाण क्रांति शिकार-संग्रह जीवनशैली से कृषि और पशुपालन पर आधारित जीवनशैली में परिवर्तन को संदर्भित करती है।
2. नवपाषाण काल में पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, मृदभांड और हड्डी के औजार आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

कच्छ के प्राचीन शैल इतिहास

चर्चा में क्यों: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर (IITGN) और सहयोगी संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिनसे हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के मानव निवास का पता चला है।

स्थल विवरण

- **स्थान:** अध्ययन गुजरात के कच्छ क्षेत्र पर केंद्रित था, जिसमें विशेष रूप से **खादिर और आसपास के द्वीप** शामिल थे। खादिर द्वीप हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा के निवास के लिए भी जाना जाता है।
- **भूदृश्य:** ये प्रारंभिक समुदाय **मैंग्रोव-प्रधान भूदृश्य** में निवास करते थे।
- **स्थल प्रकार:** यह अध्ययन इन स्थलों की पहचान शैल-मध्य स्थल के रूप में करने वाला पहला अध्ययन है, जो मानव उपभोग से छोड़े गए सीपों के ढेर हैं। हालाँकि ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं ने पहले भी सीपों के संचय का उल्लेख किया था, लेकिन उन्होंने शैल-मध्य स्थल के रूप में उनके सांस्कृतिक महत्व को नहीं पहचाना था।
  - ➢ नए पहचाने गए स्थल कच्छ क्षेत्र में एक परिभाषित सांस्कृतिक और कालानुक्रमिक संदर्भ के साथ अपनी तरह के पहले दस्तावेज भी हैं।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- **पूर्व मानव उपस्थिति**
  - ➢ इस अध्ययन से **ऐसे पुख्ता पुरातात्विक साक्ष्य सामने आए हैं जो इस क्षेत्र में मानव उपस्थिति को हड़प्पा सभ्यता के आगमन से कम से कम पाँच हज़ार साल पहले** का बताते हैं।
  - ➢ शंख-मिट्टी के ये स्थल हड़प्पा काल से भी काफ़ी पहले के हैं, जो बहुत पहले के मानव बसावट के दुर्लभ प्रमाण प्रदान करते हैं।
- **शिकारी-संग्राहक समुदाय और जीविका**
  - ➢ यह क्षेत्र समृद्ध प्रागैतिहासिक शिकारी-संग्राहक समुदायों का निवास स्थान था।
  - ➢ ये समुदाय मुख्य रूप से **शंख प्रजातियों (सीप और गैस्ट्रोपोड जैसे द्विकपाटी)** पर निर्भर थे, जो स्वाभाविक रूप से मैंग्रोव वातावरण के अनुकूल थीं, और एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में।
- **औज़ार प्रौद्योगिकी**
  - ➢ सीपों के बिखराव और जमाव के अलावा, टीम ने विभिन्न प्रकार के पत्थर के औज़ारों की खोज की।
  - ➢ इन औज़ारों का उपयोग काटने, खुरचने और चीरने के लिए किया जाता था।
  - ➢ प्रयुक्त कोर, जिनसे औज़ार बनाए जाते थे, भी मिले, जिससे पता चलता है कि ये समुदाय **दैनिक कार्यों के लिए औज़ारों के प्रचुर निर्माण में लगे हुए थे।**
  - ➢ इन औज़ारों के लिए कच्चा माल खादिर द्वीप से प्राप्त किया गया होगा, हालाँकि अन्य स्रोत भी संभव हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध और विकास**
  - ➢ ये निष्कर्ष **पाकिस्तान और ओमान प्रायद्वीप के लास बेला और मकरान क्षेत्रों के तटीय पुरातात्विक स्थलों** के साथ समानताएँ दर्शाते हैं। इससे पता चलता है कि इस व्यापक क्षेत्र के प्रारंभिक तटीय समुदायों ने भोजन संग्रह और जीवनयापन के लिए तुलनीय रणनीतियाँ विकसित की होंगी।
  - ➢ यह अध्ययन इस आम धारणा को चुनौती देता है कि कच्छ में शहरीकरण मुख्यतः सिंध क्षेत्र के प्रभाव में विकसित हुआ। इसके बजाय, यह अनुकूलन और सांस्कृतिक विकास की एक क्रमिक, स्थानीय रूप से निहित प्रक्रिया का संकेत देता है।
  - ➢ स्थानीय भूविज्ञान, जल संसाधनों और नौवहन के इस संचित ज्ञान ने बाद में हड़प्पावासियों को अपनी बस्तियों की योजना अधिक प्रभावी ढंग से बनाने और लंबी दूरी के व्यापार में संलग्न होने में मदद की होगी।

अध्ययन की प्रासंगिकता

- **पुराजलवायु अध्ययनों के लिए प्रासंगिकता**
  - ➢ शोधकर्ताओं का मानना है कि शैल मिडेंस और स्कैटर पुराजलवायु अध्ययनों में महत्वपूर्ण होंगे।
  - ➢ **शैल जैसी प्राकृतिक सामग्री उन संकेतों को संरक्षित करती है जो अतीत के वातावरण के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं,** जो महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन सहस्राब्दियों में धीरे-धीरे घटित होता है।
  - ➢ इन मिडेंस का आगे का विश्लेषण उन जलवायु परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जिनमें प्रारंभिक मानव रहते थे।
- **वर्तमान चुनौतियों के लिए सामयिक प्रासंगिकता**
  - ➢ यह अध्ययन वर्तमान के लिए सामयिक प्रासंगिकता प्रदान करता है, यह दर्शाता है कि कैसे अतीत में मानव ने आधुनिक तकनीकों के बिना विभिन्न जलवायु क्षेत्रों और पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ अनुकूलन किया।
  - ➢ अपनी पारिस्थितिक सीमाओं का अवलोकन करने, प्रतिक्रिया करने और उनके भीतर रहने की उनकी क्षमता आज, विशेष रूप से वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, सीखने योग्य है।

मधुबनी चित्रकला और गोंड चित्रकला

चर्चा में क्यों: हाल ही में मधुबनी और गोंड कला में विशेषज्ञता रखने वाले कलाकारों ने 'आर्टिस्ट्स इन रेजिडेंस' कार्यक्रम के तहत भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

मुख्य विवरण

- भारत के पारंपरिक कला रूपों को उनके मूल स्वरूप में कलाकारों के निवास कार्यक्रम - **कला उत्सव में प्रदर्शित किया जा रहा है।**
- इस कला उत्सव ने राष्ट्रपति भवन में भारत के लोक, आदिवासी और पारंपरिक कलाकारों को भी एक मंच प्रदान किया है, जिन्होंने पीढ़ियों से कला के विविध रूपों को जारी रखा है।

मधुबनी चित्रकला

- मधुबनी चित्रकला (जिसे मिथिला कला भी कहा जाता है) भारत और नेपाल के **मिथिला क्षेत्र** में प्रचलित चित्रकला की एक शैली है। इसका नाम भारत के **बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले के नाम पर रखा गया है,** जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई और यह इसके उत्पादन का सबसे सक्रिय केंद्र है।
- **जितवारपुर, रांटी और रसीदपुर** मधुबनी कला की परंपरा और विकास से जुड़े तीन सबसे उल्लेखनीय शहर हैं।
- यह **कला पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा निभाई** जाती थी।
- कलाकार इन चित्रों को विभिन्न माध्यमों से बनाते हैं, जिनमें **अपनी उंगलियाँ, टहनियाँ, ब्रश, निब-पेन और माचिस की तीलियाँ शामिल हैं।** रंग प्राकृतिक रंगों और रंगों जैसे गेरू और कालिख का उपयोग करके बनाया जाता है, जिनका उपयोग क्रमशः लाल-भूरे और काले रंग के लिए किया जाता है।
- इन चित्रों की विशेषता उनके **आकर्षक ज्यामितीय पैटर्न हैं।** इनके विषय हिंदू पौराणिक कथाओं और रामायण के दृश्यों के साथ-साथ भारत के दैनिक जीवन को भी दर्शाते हैं।

- इनमें अक्सर कृष्ण, दुर्गा और सरस्वती जैसे देवताओं को दर्शाया जाता है, और अक्सर होली और तुषार जैसे उत्सवों को भी दर्शाया जाता है। ये कलाकृतियाँ उर्वरता, समृद्धि और शुभता से जुड़े प्रतीकात्मक अर्थ भी व्यक्त करती हैं।

गोंड चित्रकला

- गोंड कला, मध्य भारत में मध्य प्रदेश के पास रहने वाले मूल निवासी, **परधान गोंडों की चित्रकला है।**
- वे **गाँवों के कथावाचक** भी थे, जो युवा पीढ़ी को अपनी पौराणिक कथाओं और संस्कृति के बारे में शिक्षित करते थे। गोंड कला की उत्पत्ति उनके दैनिक जीवन के एक अंग के रूप में उनके घरों में की जाने वाली दीवार की सजावट से हुई है।
- गोंड चित्रकला की विशेषता पौराणिक और लोककथाओं से जुड़े रूपांकनों, पुष्प और जीव-जंतुओं से जुड़े रूपांकनों और प्रत्येक रूपांकन को सूक्ष्मता से भरने वाले पैटर्न वाले डिज़ाइनों से है।
- **इसमें प्रकृति के तत्वों जैसे जंगल, रंग-बिरंगे जानवर, सूर्य, चंद्रमा और तारों को दर्शाया जाता है।** इसमें भीम और पार्वती जैसे देवताओं के साथ-साथ शची पक्षी जैसे काल्पनिक प्राणियों से जुड़ी पौराणिक कथाएँ भी शामिल हैं।

गोंड जनजाति भारत के **सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है।** "गोंड" शब्द "कोंड" से बना है, जिसका अर्थ है हरे पहाड़। उनकी मुख्य आजीविका कृषि या दिहाड़ी मज़दूरी से आती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मधुबनी चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी उत्पत्ति मिथिला क्षेत्र में हुई थी और शुरुआत में इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा एक सामुदायिक कला के रूप में किया जाता था।
2. मधुबनी चित्रकला में अक्सर हिंदू महाकाव्यों और त्योहारों के दृश्य शामिल होते हैं, जो उर्वरता और समृद्धि जैसे विषयों का प्रतीक होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

तेरहवीं शताब्दी का पांड्यकालीन शिव मंदिर

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के उदमपट्टी गाँव में उत्तर पांड्यकालीन 800 साल पुराना एक शिव मंदिर खोजा गया है।

खोजों के मुख्य विवरण

- आधारशिला पर उत्कीर्णन और संदर्भ के रूप में शिल्प शास्त्रम की सहायता से, यह पाया गया कि मंदिर **भगवान शिव को समर्पित था।**
- मंदिर का **निर्माण 1217-1218 ईस्वी में, मारवर्मन सुंदर पांड्या के शासनकाल के दौरान हुआ था।**
- शिलालेख में गाँव के नाम के रूप में अत्तुर का उल्लेख है, और मंदिर को **थेन्नावनीश्वरम कहा जाता था। (थेन्नावन पांड्यों द्वारा प्रयुक्त एक उपाधि है)**
- ये शिलालेख कलावलिनाडु के **सरदार अलगपेरुमल द्वारा नंबी पेरम्बल कुथन उर्फ कांगेयन को एक जलाशय के विक्रय विलेख हैं।** नागनकुडी नामक इस जलाशय को गीली और सूखी भूमि सहित 64 कासु (सिक्कों) में बेचा गया था।
- बेची गई **भूमि और जलाशय की चार सीमाओं को शिलालेखों में परिभाषित किया गया है।** यह भी उल्लेख किया गया है कि **भूमि पर देय कर अत्तूर के थेन्नावनीश्वरम देवता** को उसके दैनिक खर्चों के लिए दिया जाना चाहिए।
- ये शिलालेख उदमपट्टी के पुराने नाम, जिसे पहले अत्तूर के नाम से जाना जाता था, के साथ-साथ उत्तर पांड्य काल के दौरान कार्यरत सामाजिक-आर्थिक शक्तियों का भी खुलासा करते हैं।

पांड्य साम्राज्य - उत्पत्ति और स्रोत

- कालभ्रों के बाद, छठी **शताब्दी ईस्वी के अंत तक पांड्यों ने दक्षिणी तमिलनाडु पर अपना राजवंशीय नियंत्रण** मजबूत कर लिया।
- पूर्व-आधुनिक काल तक, पांड्य, **मुवेंद्रों में से एक थे जिन्होंने भारत के दक्षिणी क्षेत्र पर, यद्यपि छिटपुट रूप से, शासन किया।**
- तीन शासक परिवारों—**चोल, चेर और पांड्य—के मुखियाओं को मुवेंद्र कहा जाता है,** जो एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन प्रमुख।
- महापाषाणकालीन अंत्येष्टि, तमिल ब्राह्मी में शिलालेख और संगम साहित्य की तमिल कविता सहित कई स्रोतों का उपयोग संगम काल के दौरान पांड्यों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए किया गया है, जो लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक चला।
- **मार्को पोलो, वासाफ़ और इब्न-बतूता** जैसे यात्रियों ने ऐसे वृत्तांत लिखे हैं जो इस युग के राजनीतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को समझने में सहायक हैं।

पांड्यों का पुनरुत्थान

- **तेरहवीं शताब्दी** में, चोलों के पतन के बाद पांड्य साम्राज्य **एक प्रमुख तमिल राजवंश के रूप में उभरा।**
- **सदैयवर्मन सुंदरपांड्यन** (1251-1268) **द्वितीय पांड्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे।** उन्होंने पूरे तमिलनाडु पर शासन किया और आंध्र के नेल्लोर तक अपनी शक्ति का विस्तार किया।
- सुंदरपांड्यन के बाद, **मारवर्मन कुलशेखरन** ने 40 वर्षों तक प्रभावशाली शासन किया और राज्य में समृद्धि और शांति लाई।
- मलिक काफूर के आक्रमण के कारण अंततः पांड्य साम्राज्य का विभाजन और पतन हुआ।

पांड्य साम्राज्य - प्रशासन

- प्राचीन और मध्यकालीन काल में **मदुरै पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी।**
- राजनीतिक विभाजन की दृष्टि से, **पांड्य मंडलम** या पांड्य नाडु कई वलनाडुओं से मिलकर बना था, जिन्हें आगे कई **नाडु और कुर्रम (गाँवों के समूह)** में विभाजित किया गया था।
- राजाओं और स्थानीय सरदारों ने **मंगलम या चतुर्वेदीमंगलम** नामक ब्राह्मण बस्तियाँ बनाईं।
- प्रधानमंत्री को **उत्तरमंत्री** के नाम से जाना जाता था।
- शाही सचिवालय को एलुट्टु मंडपम के नाम से जाना जाता था।
- तेन्नावन तमिज़हावेल, मारन अदित्तन, परंतकन पल्लीवेलन और पल्ली वेलन सैन्य कमांडरों की उपाधियाँ थीं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पांड्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मदुरै पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी।
2. पांड्य साम्राज्य का सबसे छोटा राजनीतिक प्रभाग नाडु और कुर्रम था।
3. पांड्य साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को उत्तरमंत्री के नाम से जाना जाता था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

करणी माता मंदिर

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे देशनोक में करणी माता मंदिर के दर्शन किए।

करणी माता मंदिर के बारे में



- करणी माता मंदिर, राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे **देशनोक में स्थित एक ऐतिहासिक पूजा स्थल है।**
- यह "**चूहों का मंदिर**" के नाम से लोकप्रिय है क्योंकि यह हज़ारों कबा (चूहों) का घर है जिन्हें पवित्र और संरक्षित माना जाता है।
- करणी माता मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण 20वीं शताब्दी के आरंभ में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था।
- **करणी माता के बारे में**
  - करणी माता को **रिद्धि कंवर या रिधु बाई** के नाम से भी जाना जाता है।
  - ऐसा माना जाता है कि वह **14वीं-15वीं शताब्दी** की एक ऋषि और देवी दुर्गा का अवतार थीं।
  - उनका जन्म 1387 ई. में देशनोक से लगभग 100 किलोमीटर दूर फलोदी के निकट सुवाप गाँव में एक चारण परिवार में हुआ था। चारण पारंपरिक रूप से भाट, दरबारी कवि और वंशावली लेखक होते हैं।
  - ऐसा कहा जाता है **कि देवी दुर्गा ने उनकी माँ** को स्वप्न में आकर उनके आगमन की भविष्यवाणी की थी, और रिद्धि कंवर 21 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहीं।
  - अपने पालन-पोषण के दौरान अनेक चमत्कार करने के कारण उन्हें करणी माता नाम दिया गया।

सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व

- **चारणों के बीच महत्व**
  - चारण करणी माता को न केवल एक देवी, बल्कि अपनी कुलदेवी भी मानते हैं।
  - मंदिर के पुजारी पारंपरिक रूप से चारण रहे हैं, जिनका वंश करणी माता के परिवार से जुड़ा है, और यह समुदाय मंदिर की देखभाल करता है।
- **राठौर राजपूतों के बीच महत्व**
  - करणी माता, इस क्षेत्र की प्रमुख योद्धा जाति, राठौर राजपूतों द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं।
  - राठौर राजाओं राव जोधा और राव बीका को उनके आशीर्वाद के कारण राजस्थान के कई राजपूत वंश उन्हें अपनी शाही रक्षक और कुलदेवी मानने लगे।
- **व्यापक पूजा और प्रासंगिकता**
  - करणी माता की पूजा मेघवाल और माली सहित अन्य जातियों द्वारा भी की जाती है।
  - एक न्यायप्रिय, चमत्कारी संत के रूप में उनकी प्रतिष्ठा, जिन्होंने अपने लोगों की रक्षा की, जातिगत सीमाओं से परे है।
  - मंदिर सभी भक्तों को समान पहुँच प्रदान करता है।
  - विभाजन के बाद से भारत में उनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है, क्योंकि हिंगलाज माता मंदिर (51 शक्तिपीठों में से एक) पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और वहाँ की तीर्थयात्रा अक्सर दोनों देशों के बीच संबंधों से प्रभावित होती है।

सशस्त्र बलों के लिए मंदिर की प्रासंगिकता

- करणी माता ऐतिहासिक रूप से **तत्कालीन बीकानेर राज्य की सशस्त्र सेनाओं की देवी रही हैं**, जिनमें करणी बटालियन, सादुल इन्फैंट्री, डूंगर लांसर्स, विजय बैटरी और गंगा रिसाला शामिल हैं।
- सादुल इन्फैंट्री और करणी बटालियन को बाद में **19 राजपूत बटालियन** में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे कभी-कभी आज भी **19 राजपूत करणी बटालियन** कहा जाता है।
- इसी प्रकार, विजय बैटरी को 41 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में मिला दिया गया और इसे कभी-कभी **41 फील्ड करणी रेजिमेंट** के रूप में भी जाना जाता है।
- परंपरा के अनुसार, 19 राजपूत बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर अपनी कमान संभालने के बाद मंदिर में आते हैं।
- नवरात्रि के दौरान, बटालियन की ओर से विशेष प्रसाद चढ़ाने के लिए दो गैर-कमीशन अधिकारी (एनसीओ) मंदिर भेजे जाते हैं।
- **सैनिकों के लिए प्रतीकात्मकता**
  - **करणी माता को** दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
  - उनका आह्वान साहस, सुरक्षा और सफलता के लिए किया जाता है, विशेष रूप से राजस्थानी मूल के सैनिकों द्वारा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: करणी माता मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. करणी माता मंदिर राजस्थान के देशनोक में स्थित है और हजारों पवित्र माने जाने वाले चूहों के निवास के लिए जाना जाता है।
2. करणी माता, जिन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, का जन्म 15वीं शताब्दी ईस्वी में एक चारण परिवार में हुआ था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(द) :उत्तर

सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (एसआईएस)

चर्चा में क्यों: गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान (जीआईपीई) ने औपचारिक रूप से मांग की है कि उसकी मूल संस्था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (एसआईएस) को एक तटस्थ प्रशासक के अधीन रखा जाए।

सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (एसआईएस) के बारे में

- **स्थापना**
  - सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून, 1905 को पुणे, महाराष्ट्र के फर्ग्यूसन हिल में की थी।
  - गोखले ने तीन आजीवन सदस्यों: **नटेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत विनायक पटवर्धन** के साथ मिलकर इस सोसाइटी की स्थापना की।

सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी (एसआईएस) की प्रमुख विशेषताएँ और सिद्धांत

- **धर्मनिरपेक्षता:** इस सोसाइटी को भारत का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन माना जाता था जिसने वंचितों, ग्रामीण और आदिवासी आबादी और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए स्वयं को समर्पित किया। इसने कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता के एकीकरण में प्रत्यक्ष रूप से सहायता मिली।
- **गैर-राजनीतिक और गैर-सांप्रदायिक प्रकृति:** "राजनीतिक शिक्षा और आंदोलन" से संबंधित उद्देश्यों के बावजूद, सोसाइटी को "गैर-राजनीतिक और गैर-सांप्रदायिक" बताया गया है। इससे पता चलता है कि इसका प्राथमिक ध्यान सामाजिक और शैक्षिक माध्यमों से देश की भलाई पर था, दलगत राजनीति या धार्मिक विभाजन से ऊपर उठकर।
- **शिक्षा और सशक्तिकरण पर ज़ोर:** एसआईएस का मूल रूप से मानना था कि शिक्षा और नागरिकों का सशक्तिकरण भारत की प्रगति और विकास की कुंजी है। उनका उद्देश्य लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध युवा नेताओं का निर्माण करना था। संगठन ने सभी स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित हुई।
- **समाज सेवा और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहन:** सोसाइटी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि समाज सेवा नागरिकता का एक अनिवार्य पहलू है और युवाओं को सामाजिक सेवा गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इसने नागरिक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया, यह मानते हुए कि यह लोकतंत्र और सुशासन के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार करें:

1. जी.के. देवधर 2. ए.वी. पटवर्धन

3. एन.ए. द्रविड़

उपर्युक्त में से कितने लोग सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (SIS) के सदस्य थे?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(ग) :उत्तर



इकाई 9

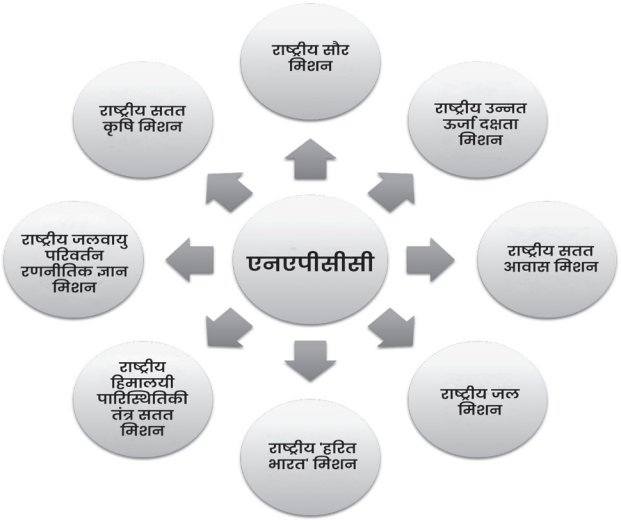
सरकारी योजनाएँ

हरित भारत मिशन

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, जिसे हरित भारत मिशन (GIM) के नाम से भी जाना जाता है, के लिए एक संशोधित रोडमैप जारी किया।

हरित भारत मिशन (GIM) के बारे में

- GIM को **2014 में भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत आठ मिशनों** में से एक के रूप में शुरू किया गया था।
- इसका **मुख्य उद्देश्य वन और वृक्षावरण को बढ़ाकर और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों और वनों की पारिस्थितिक बहाली** करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है।
- इसका उद्देश्य **वन उपज पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार** करना भी है।
- विशेष रूप से, इसका **उद्देश्य 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन और वृक्षावरण को बढ़ाना और अन्य 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनावरण की गुणवत्ता** में सुधार करना था।
- GIM के अंतर्गत **गतिविधियाँ पारिस्थितिक भेद्यता, पृथक्करण (वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे और पेड़ प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके कार्बन संग्रहीत करते हैं), वन और भूमि क्षरण, और पुनर्स्थापन क्षमता के मानचित्रण के आधार पर राज्यों में केंद्रित हैं।**



मिशन की प्रमुख उपलब्धियाँ

- 2015-16 और 2020-21 के बीच, **इस मिशन ने केंद्रीय और राज्य योजनाओं के माध्यम से 11.22 मिलियन हेक्टेयर (mha) भूमि पर वृक्षारोपण और वनीकरण गतिविधियों को सुगम बनाया।**
- इस फरवरी में लोकसभा में प्रस्तुत पर्यावरण मंत्रालय के एक जवाब के अनुसार, **2019-20 और 2023-24 के बीच, केंद्र ने GIM के तहत हस्तक्षेप के लिए 18 राज्यों को 624.71 करोड़ रुपये जारी किए और 575.55 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।**

संशोधित रोडमैप में क्या सम्मिलित है?

- हरित भारत मिशन दस्तावेज़ को **ज़मीनी जलवायु प्रभावों और कार्यान्वयन भागीदार राज्यों एवं वैज्ञानिक संस्थानों से प्राप्त फीडबैक** को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।
- संशोधित मिशन योजना का मुख्य फोकस **क्षेत्रीय रूप से अनुकूल सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से संवेदनशील भू-दृश्यों की बहाली और संतृप्ति पर होगा।**
- **इसमें तीन महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं** - अरावली, पश्चिमी घाट और भारतीय हिमालय, के साथ-साथ मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्र और भू-दृश्य-विशिष्ट बहाली गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी।
- उदाहरण के लिए, **जीआईएम हस्तक्षेपों को केंद्र द्वारा हाल ही में शुरू की गई अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के साथ समन्वयित किया जाएगा,** जिसका उद्देश्य दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो थार मरुस्थल के विरुद्ध एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती है, में क्षरण और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना है।

अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी घाट में केंद्रित पुनर्स्थापन

- भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि **अरावली पर्वतमाला में मौजूद 12 गैप वनों के क्षरण और क्षरण के कारण और चौड़े हो गए हैं।**
- इन अंतरालों के कारण दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और यहाँ तक कि पंजाब में भी **लगातार रेतीले तूफ़ान और धूल प्रदूषण होता रहता है।**
- **ग्रीन वॉल परियोजना** के तहत, शुरुआत में 29 जिलों और चार राज्यों में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पुनर्स्थापन कार्यों की योजना बनाई गई है।
- यह **वन क्षेत्रों, घास के मैदानों, जल प्रणालियों और उनके जलग्रहण क्षेत्रों में, और देशी, स्थानीय रूप से अनुकूल प्रजातियों के वृक्षारोपण** के माध्यम से किया जाएगा।
- इस परियोजना की अनुमानित लागत **16,053 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 5 किलोमीटर का एक बफर ज़ोन** बनाना है, जो 6.45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा।
- पश्चिमी घाटों में, जहां वनों की कटाई, **वनों की कटाई और अवैध खनन प्रचलित हैं,** जीआईएम वनीकरण, भूजल पुनर्भरण और परित्यक्त खनन क्षेत्रों के पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन के माध्यम से संरक्षण पर जोर देगा।

संशोधित जीआईएम भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से कैसे निपटेगा?

- **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस** के अनुसार, 2018-19 के दौरान भारत के लगभग **एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र – 97.85 मिलियन हेक्टेयर – में भूमि क्षरण हुआ।**
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में प्रस्तुत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार, भारत का लक्ष्य

2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से **2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है।**

- वनों, पुनर्स्थापित घास के मैदानों, आर्द्रभूमि और पर्वतीय पारिस्थितिकी के **प्राकृतिक कार्बन सिंक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगे** और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अवशोषित करने में प्राकृतिक स्पंज और अवरोध के रूप में कार्य करेंगे।
- भारत ने **2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने की महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता भी जताई है।**
- जीआईएम और ग्रीन वॉल परियोजना जैसे संबद्ध हस्तक्षेप, **इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।** इस वर्ष लोकसभा में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार, 2005-2021 की अवधि के दौरान, 2.29 बिलियन टन CO_2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के अनुमानों पर आधारित संशोधित GIM रोडमैप में कहा गया है कि **वनों और बंजर भूमि के बड़े हिस्से को पुनर्स्थापित करने के लिए, क्षतिग्रस्त खुले वनों की बहाली CO_2 पृथक्करण के लिए महत्वपूर्ण,** लागत प्रभावी और उच्च प्रभाव वाली है।
- FSI के अनुसार, **अकेले इस दृष्टिकोण में लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर में 1.89 बिलियन टन CO_2 को संग्रहित करने की क्षमता है।**
- यह भी अनुमान है कि मौजूदा योजनाओं को संरेखित करके और वनीकरण प्रयासों को तेज़ करके, जीआईएम **भारत को अपने वन और वृक्ष आच्छादन को 24.7 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने में मदद कर सकता है।** एफएसआई के अनुमानों के अनुसार, यह 2030 तक 3.39 बिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

निष्कर्ष

संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन एक अधिक केंद्रित और क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाता है, जिसका उद्देश्य अरावली, पश्चिमी घाट और मैंग्रोव जैसे संवेदनशील भू-भागों को पुनर्स्थापित करना है। भूमि क्षरण से निपटने और कार्बन सिंक को बढ़ावा देकर, यह मिशन भारत को 2030 तक अपने जलवायु और पुनर्स्थापन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में भूमि क्षरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में संशोधित हरित भारत मिशन के महत्व पर चर्चा कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)

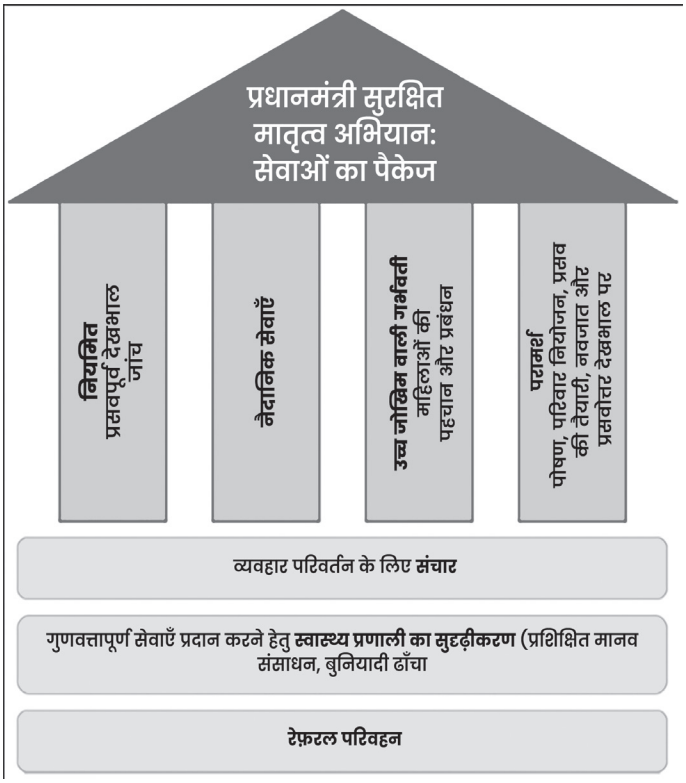
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के नौ वर्षों में भारत के मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में 50 अंक की गिरावट आई है।

योजना के बारे में

- **2016** में शुरू किया गया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** की एक प्रमुख पहल है।
- इसे हर महीने की 9 तारीख को, विशेष रूप से दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान, सभी गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- PMSMA राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत **प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (RMNCAH+N) रणनीति** के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाकर और शीघ्र प्रबंधन करके मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है।
- यह कार्यक्रम निजी क्षेत्र के साथ जुड़ने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें **निजी चिकित्सकों को अभियान के लिए स्वयंसेवा करने** के लिए प्रेरित करना, जागरूकता फैलाने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करना और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में अभियान में भाग लेना सम्मिलित है।
- अब तक, पीएमएसएमए के तहत **6.19 करोड़ गर्भवती महिलाओं** की जांच की जा चुकी है।

मुख्य विशेषताएँ

- सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर महीने की 9 तारीख को **मासिक प्रसवपूर्व जाँच।**
- निजी क्षेत्र के सहयोग से ओबीजीवाई विशेषज्ञों, रेडियोलॉजिस्ट और चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
- **प्रत्येक महिला के लिए न्यूनतम पैकेज**: आवश्यक जाँचें (दूसरी तिमाही के अल्ट्रासाउंड सहित) और दवाएँ (आईएफए, कैल्शियम)।
- सभी एएनसी सेवाओं और जाँचों के लिए **एकल खिड़की प्रणाली।**
- **इन पर विशेष ध्यान:**
  - अपंजीकृत या छूटी हुई एएनसी महिलाएँ
  - बीच में ही प्रसव कराने वाली महिलाएँ
  - उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाएँ
- मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिकाओं का वितरण।
- **उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान:**
  - हरा स्टिकर: कोई जोखिम नहीं
  - लाल स्टिकर: उच्च जोखिम



विस्तारित पीएमएसएमए (ई-पीएमएसएमए)

- ई-पीएमएसएमए रणनीति जनवरी 2022 में शुरू की गई थी ताकि **सुरक्षित प्रसव होने तक उच्च जोखिम वाली गर्भवती (एचआरपी) महिलाओं का पता लगाया जा सके और उनकी ट्रैकिंग की जा सके।** इसके लिए चिन्हित एचआरपी महिलाओं और उनके साथ आने वाली मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को पीएमएसएमए के अतिरिक्त 3 अतिरिक्त दौरों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया।
- 31 दिसंबर, 2024 तक, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 78.27 लाख से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की जा चुकी है।
- ई-पीएमएसएमए की मुख्य विशेषताएँ
  - ➢ एचआरपी की नाम-आधारित लाइन सूची।
  - ➢ अतिरिक्त पीएमएसएमए सत्र का प्रावधान (महीने में अधिकतम 4 बार)।
  - ➢ स्वस्थ परिणाम (प्रसव के 45वें दिन तक) तक एचआरपी की व्यक्तिगत ट्रैकिंग।
  - ➢ एचआरपी के पंजीकरण और अनुवर्ती दौरों के लिए लाभार्थी के साथ-साथ आशा को एसएमएस अलर्ट।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है।
2. केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की गर्भवती महिलाएं ही इस योजना के तहत मुफ्त सेवाओं के लिए पात्र हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत के लक्षित दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसकी विशेषताओं, उपलब्धियों और सुधार के क्षेत्रों पर चर्चा कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के साथ एकीकरण

पीएमएसएमए सरकार के निम्नलिखित कार्यक्रमों का पूरक है।

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई):** सशर्त नकद हस्तांतरण के माध्यम से संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई। इस योजना से मार्च 2025 तक 11.07 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ हुआ है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके):** निःशुल्क संस्थागत प्रसव और नवजात शिशु देखभाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। 2014-15 से अब तक 16.60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सेवा प्रदान की जा चुकी है।
- **लक्ष्य:** प्रसव कक्षों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु पहल।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन):** गर्भवती महिलाओं के लिए सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल को सुदृढ़ करने के लिए शुरू किया गया। मार्च 2025 तक देश भर में 90,015 सुमन स्वास्थ्य केंद्रों को अधिसूचित किया गया है।
- **पोषण अभियान:** पोषण सेवाओं में सुधार करके सबसे कमज़ोर वर्गों - बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं - को लक्षित करने के लिए शुरू किया गया। वर्तमान में, देश भर में 6.97 करोड़ पोषण पखवाड़ा मनाए जा रहे हैं।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ₹5,000 का प्रत्यक्ष नकद लाभ प्रदान करती है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) मातृ स्वास्थ्य के प्रति एक लक्षित और संरचित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। हर महीने एक निश्चित दिन पर गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) प्रदान करके, एचआरपी की पहचान करके और ई-पीएमएसएमए के माध्यम से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके, यह योजना पूरे भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने और सुरक्षित गर्भधारण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

संशोधित ब्याज सहायता योजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) को मौजूदा 1.5% ब्याज सहायता** के साथ जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी।

योजना के बारे में

- केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **मूल मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- इस योजना का कार्यान्वयन और निगरानी **RBI और NABARD** द्वारा की जाती है।
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि किसान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से **उचित ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकें।**
- **ऋण का प्रावधान:** 7% **रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक** के अल्पकालिक ऋण।
- **ब्याज सहायता:** योग्य ऋणदाता संस्थानों को **1.5% ब्याज सहायता** मिलती है।
- **शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन:** समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को **3% तक** का प्रोत्साहन मिल सकता है।
- विशेष रूप से **मत्स्य पालन या पशुपालन के लिए** लिए गए ऋणों पर **2 लाख रुपये तक** का ब्याज उपलब्ध है।

योजना के लाभ

- **सतत ऋण प्रवाह:** ब्याज अनुदान में वृद्धि से कृषि क्षेत्र में किसानों को सस्ती दर पर ऋण प्रवाह की स्थिरता सुनिश्चित होगी।
- **ऋण देने वाली संस्थाओं की वित्तीय स्थिति:** बैंक निधियों की लागत में वृद्धि को वहन करने में सक्षम होंगे और किसानों को अल्पकालिक कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

- **रोज़गार सृजन:** चूँकि मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गीपालन और पशुपालन सहित सभी उद्योगों के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध हैं, इसलिए कृषि ऋण में वृद्धि से रोज़गार सृजन होगा।

कृषि ऋण की मुख्य विशेषताएँ

- **संस्थागत ऋण की राशि:** दिसंबर 2024 तक, केसीसी के माध्यम से वितरित संस्थागत ऋण की राशि 2014 के 4.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर **10.05 लाख करोड़ रुपये** हो गई थी।
- वित्त वर्ष 2023-2024 में, **कृषि ऋण प्रवाह की कुल राशि** वित्त वर्ष 2013-14 के 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर **25.49 लाख करोड़ रुपये** हो गई।
- अगस्त 2023 में शुरू किया गया **किसान ऋण पोर्टल (केआरपी)** एक डिजिटल सुधार का उदाहरण है जिसने दावा प्रसंस्करण दक्षता और पारदर्शिता में सुधार किया है।

निष्कर्ष

संशोधित ब्याज अनुदान योजना के जारी रहने से किसानों के लिए किफायती अल्पकालिक ऋण सुनिश्चित होता है, ऋण देने वाली संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा मिलता है। 7.75 करोड़ से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों के साथ, ऐसे उपाय कृषि उत्पादकता को बनाए रखने और छोटे व सीमांत किसानों के वित्तीय समावेशन को मज़बूत करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर विशेष ध्यान देते हुए, यात्री कारों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक दूरदर्शी योजना को मंजूरी दी है।

मुख्य विवरण

- **प्रशासनिक मंत्रालय:** भारी उद्योग मंत्रालय
- **स्थानीय विनिर्माण:** इस योजना का उद्देश्य **भारत को ई-वाहन विनिर्माण** के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करना है।
- **रोज़गार सृजन और "मेक इन इंडिया" आंदोलन को आगे बढ़ाने के साथ-साथ,** यह योजना भारत को वैश्विक ईवी विनिर्माण बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।

मुख्य विशेषताएँ

- **सीमा शुल्क रियायत:** स्वीकृत कंपनियाँ कम से कम 35,000 अमेरिकी डॉलर की लागत वाली इलेक्ट्रिक कारों का आयात 15% कम शुल्क पर, प्रति वर्ष 8,000 इकाइयों तक, 5 वर्षों के लिए वैध कर सकती हैं। सभी अप्रयुक्त वार्षिक आयात सीमा को आगे ले जाने की अनुमति होगी।
- **निवेश:** कंपनियों को **3 वर्षों के भीतर कम से कम 4,150 करोड़ रुपये** का निवेश करना होगा, विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करनी होंगी और उत्पादन शुरू करना होगा।
- **घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA):** कंपनियों को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए PLI योजना के अनुरूप, 3 वर्षों में 25% और 5 वर्षों में 50% स्थानीय मूल्य संवर्धन प्राप्त करना होगा।
- **पात्रता मानदंड: वैश्विक समूह ऑटोमोटिव राजस्व** - आवेदन के समय लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपये और वैश्विक स्तर पर कम से कम 3,000 करोड़ रुपये का **अचल संपत्ति निवेश।**

निष्कर्ष

यह ऐतिहासिक पहल **भारत के 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने,** सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को गति देने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में इलेक्ट्रिक यात्री वाहन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्वीकृत योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह नेट-ज़ीरो लक्ष्य के अंतर्गत भारत के सतत गतिशीलता, आर्थिक विकास और जलवायु प्रतिबद्धताओं के लक्ष्यों के साथ किस प्रकार संरेखित है? [250 शब्द] [15 अंक]

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG)

चर्चा में क्यों: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG) 2025 का शुभारंभ किया, जो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा किया जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2025 के उद्देश्य

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G) के चरण II मानकों के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के प्रदर्शन को रैंक करना।
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G) के चरण II मानकों पर अंतर- और अंतर-जिला प्रदर्शन की तुलना करना।
- गाँवों, घरों, सार्वजनिक स्थानों, SGLR स्थलों और विभिन्न संयंत्रों के नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से स्वच्छता प्रगति का आकलन करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G) कवरेज का अनुमान लगाना (भारत-स्तरीय प्रक्षेपण)।

मूल्यांकन पद्धति और मानदंड

- इस मूल्यांकन में गाँवों के नमूने लेकर मूल्यांकन करना और गाँवों के भीतर घरों (HH) और सार्वजनिक स्थानों का सर्वेक्षण करना सम्मिलित है।
- यह विभिन्न स्वच्छता मानदंडों के आधार पर उनकी स्थिति का गहन मूल्यांकन करता है।
- **कार्यक्षमता के लिए मूल्यांकन किए जाने वाले प्रमुख बुनियादी ढाँचे और पहलों में सम्मिलित हैं:**
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ (PWMU)
  - मल कीचड़ प्रबंधन (FSM) संयंत्र/प्रणालियाँ
  - गोबरधन संयंत्र
  - स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) स्थल
- सर्वेक्षण ओडीएफ प्लस मॉडल गाँवों, स्कूलों, सार्वजनिक भवनों, सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) और अन्य संस्थानों की स्थिति की भी पुष्टि करता है।

रैंकिंग के लिए चार प्रमुख घटक

- **सेवा-स्तरीय प्रगति (एसएलपी):** यह घटक जिला स्व-मूल्यांकन रिपोर्टों और

ओडीएफ प्लस मॉडल सत्यापित गाँवों के डेस्कटॉप सत्यापन के आंकड़ों पर आधारित है।

- **गाँवों की स्वच्छता स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन:** इसमें चयनित गाँवों, घरों और स्कूलों तथा सीएससी सहित सार्वजनिक स्थानों का क्षेत्र-आधारित अवलोकन सम्मिलित है।
- **स्वच्छता अवसंरचना की कार्यक्षमता का प्रत्यक्ष अवलोकन:** यह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों, गोबरधन संयंत्रों और मल कीचड़ प्रबंधन प्रणालियों जैसे प्रमुख स्वच्छता अवसंरचना की कार्यक्षमता का आकलन करता है।
- **एसएसजी 2025 नागरिक प्रतिक्रिया:** यह महत्वपूर्ण घटक एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन और क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से नागरिकों से सीधे प्रतिक्रिया एकत्र करता है।

फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और फोटो संग्रह

चर्चा में क्यों: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खेतों की तस्वीरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-आधारित मॉडलों का उपयोग करके फसलों की जानकारी एकत्र करने हेतु एक अध्ययन कार्यक्रम, CROPIC शुरू करने की योजना बना रहा है।

CROPIC क्या है?

- CROPIC का अर्थ है **फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और फ़ोटो का संग्रह।**
- इसका मुख्य कार्य फसलों के विकास चक्र के दौरान चार से पाँच बार उनकी तस्वीरें लेना है।
- फिर इन तस्वीरों का विश्लेषण करके फसल के स्वास्थ्य का आकलन किया जाएगा और मध्य-मौसम में संभावित नुकसान की पहचान की जाएगी।

धरातलीय स्तर पर CROPIC कैसे काम करता है

- **डेटा संग्रह:** इस अध्ययन में फसल के मौसम के दौरान CROPIC मोबाइल ऐप नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके खेतों की तस्वीरें एकत्र करने की परिकल्पना की गई है। इस ऐप को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
- **क्राउड-सोर्सिंग:** खेतों से ली गई तस्वीरें सीधे किसानों से क्राउड-सोर्स की जाएँगी।
- **विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन:** एकत्रित तस्वीरों का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाएगी, जिसमें फसल का प्रकार, फसल की अवस्था, फसल को हुए नुकसान और उसकी सीमा सम्मिलित है। CROPIC मॉडल इस फोटो विश्लेषण और सूचना निष्कर्षण के लिए एक AI-आधारित क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करेगा, जिसे विज़ुअलाइज़ेशन के लिए एक वेब-आधारित डैशबोर्ड द्वारा पूरक किया जाएगा।
- **मुआवज़े में अनुप्रयोग:** CROPIC मोबाइल ऐप का उपयोग अधिकारियों द्वारा किसानों को मुआवज़ा या बीमा भुगतान देय होने पर तस्वीरें एकत्र करने के लिए भी किया जाएगा।

उद्देश्य और महत्व

- CROPIC, भारत की प्रमुख फसल बीमा योजना, **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है।
- इसके प्राथमिक उद्देश्यों में **फसल स्वास्थ्य और तनाव की निगरानी, फसल हानि आकलन को स्वचालित करना, और कंप्यूटर विज़न तकनीक और फोटो-एनालिटिक मॉडल के उपयोग** के माध्यम से प्रभावित किसानों के लिए समय पर दावा निपटान को सक्षम बनाना सम्मिलित है।
- इसके अतिरिक्त, इस पहल का उद्देश्य **फसल हस्ताक्षरों की एक व्यापक निर्देशिका तैयार करना**, कृषि में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना और किसानों के लिए वित्तीय लचीलापन मजबूत करना है।

वित्तपोषण

- CROPIC के लिए वित्तपोषण PMFBY के अंतर्गत संचालित नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) से आएगा। FIAT ने फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी नवाचारों के लिए कुल 825 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय CROPIC पहल शुरू करने के लिए उत्तरदायी है?

(a) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(b) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(c) सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(d) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

उत्तर: (p)

इकाई 10

महत्वपूर्ण रिपोर्ट

कार्बन मूल्य निर्धारण की स्थिति और रुझान 2025

चर्चा में क्यों: विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है कार्बन मूल्य निर्धारण की स्थिति और रुझान 2025, के अनुसार, देश तेजी से कार्बन मूल्य निर्धारण को अपना रहे हैं, जो अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- **कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरणों में वृद्धि:** परिचालन कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरणों की संख्या में **उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो 2005 में 5 से बढ़कर आज 80 हो गई है,** और भारत, ब्राज़ील और तुर्की सक्रिय रूप से इनका विकास कर रहे हैं।
- **राजस्व साधन के रूप में कार्बन मूल्य निर्धारण:** विश्व बैंक के अनुसार, सरकारें कार्बन मूल्य निर्धारण को न केवल उत्सर्जन कम करने के एक साधन के रूप में, बल्कि **वित्तीय रूप से सीमित सरकारों के लिए राजस्व के एक संभावित स्रोत के रूप में भी देखती हैं।**
- **वैश्विक उत्सर्जन कवरेज:** कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण **अब वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 28 प्रतिशत को कवर करते हैं।** रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश नए और नियोजित उपकरण उत्सर्जन व्यापार प्रणालियाँ (ETS) हैं।
  - 2024 में, **भारत सरकार ने अपने नियोजित ETS के लिए नियम स्थापित किए,** जिनका लक्ष्य भारत के औद्योगिक क्षेत्र में उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाना होगा। हालाँकि, भारत का ETS दर-आधारित होगा, जिसका अर्थ है कि उत्सर्जन पर कोई सीमा नहीं होगी। इसके बजाय, उत्सर्जकों को एक प्रदर्शन मानक आवंटित किया जाता है जो उनके शुद्ध उत्सर्जन पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है।
- **कार्बन मूल्य निर्धारण का क्षेत्रीय कवरेज:** विभिन्न क्षेत्रों में, **कार्बन मूल्य निर्धारण कवरेज सबसे अधिक बिजली क्षेत्र में था,** उसके बाद उद्योग, खनन और निष्कर्षण क्षेत्र, भवन, भूमि परिवहन और विमानन का स्थान था। हालाँकि, **अपशिष्ट और कृषि बड़े पैमाने पर कार्बन मूल्य निर्धारण के अंतर्गत नहीं आते हैं।**
- **कार्बन क्रेडिट बाज़ार और निजी वित्त:** रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन क्रेडिट बाज़ार, वायुमंडल से **उत्सर्जन को कम करने या हटाने वाली विकास परियोजनाओं के लिए निजी वित्त को आकर्षित कर सकते हैं।** इन परियोजनाओं में, प्रकृति-आधारित कार्बन निष्कासन परियोजनाओं को 2024 की पहली-तीसरी तिमाही में जुटाए गए अनुमानित 14 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ।

कार्बन मूल्य निर्धारण और उसकी प्रक्रियाओं को समझना

- कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण **ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की बाहरी लागतों को दर्शाते हैं।** ये बाहरी लागतें—जैसे फसलों को होने वाला नुकसान, गर्मी और सूखे से होने वाला स्वास्थ्य सेवा खर्च, और बाढ़ और समुद्र के स्तर में वृद्धि से होने वाली संपत्ति की हानि— आम तौर पर जनता द्वारा वहन की जाती हैं। कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र **इन लागतों को उनके स्रोतों से जोड़ता है, आमतौर पर उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) पर मूल्य के माध्यम से।**
- **रिपोर्ट में तीन प्रकार के कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण शामिल हैं:**

उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS), कार्बन कर और कार्बन क्रेडिट व्यापार तंत्र।

  - ETS में सरकारें उत्सर्जकों द्वारा उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा या तीव्रता पर एक सीमा या कैप निर्धारित करती हैं। कंपनियों को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्सर्जन इकाइयों का व्यापार करने की अनुमति है। यदि वे अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए आंतरिक उपाय लागू करती हैं, तो वे इन इकाइयों को अन्य उत्सर्जकों को बेच सकती हैं।
  - **कार्बन कर** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन या जीवाश्म ईंधन की कार्बन सामग्री पर कर की दर को परिभाषित करके कार्बन का स्पष्ट रूप से मूल्य निर्धारण करता है। सरकारें कंपनियों पर उनके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए यह शुल्क लगा सकती हैं।
  - **क्रेडिटिंग तंत्र** उन गतिविधियों से उत्पन्न क्रेडिट (प्रत्येक 1 टन कार्बन समतुल्य) के व्यापार की अनुमति देता है जो उत्सर्जन को कम करती हैं (जैसे, लैंडफिल से मीथेन को इकट्ठा करना) या उन्हें हटाना (जैसे, वनरोपण के माध्यम से कार्बन को अलग करना)। कंपनियाँ फिर अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिए ये क्रेडिट खरीद सकती हैं।

विश्व जनसंख्या की स्थिति (SOWP) रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने विश्व जनसंख्या की स्थिति (SOWP) रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था 'वास्तविक प्रजनन संकट'।**

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- **जनसंख्या का आकार और वृद्धि**
  - भारत की जनसंख्या **2025 में 1.46 अरब** तक पहुँचने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बनी रहेगी, जबकि **कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 रह गई है,** जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है।
  - **अगले 40 वर्षों में जनसंख्या के 170 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जिसके बाद इसमें गिरावट शुरू होगी।**
- **प्रजनन संकट**
  - तीन में से एक वयस्क भारतीय **(36%) अनचाही गर्भावस्था का सामना करता है,** जबकि **30% लोग ज़्यादा या कम बच्चे पैदा करने की अधूरी इच्छा** का अनुभव करते हैं।
  - लगभग **10 में से 4 लोगों** ने कहा कि **वित्तीय सीमाएँ** उन्हें मनचाहा परिवार बनाने से रोक रही हैं।
  - नौकरी की असुरक्षा (21%), आवास की कमी (22%), और विश्वसनीय चाइल्डकैअर की कमी (18%) के कारण माता-पिता बनना उनकी पहुँच से बाहर लग रहा है।
- **स्वास्थ्य सेवा**
  - **खराब सामान्य स्वास्थ्य (15%), बांझपन (13%), और गर्भावस्था संबंधी देखभाल तक सीमित पहुँच (14%)** जैसी स्वास्थ्य बाधाएँ और भी तनाव बढ़ाती हैं।

- कई लोग **भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता के कारण** भी पीछे हट रहे हैं – जलवायु परिवर्तन से लेकर राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता तक – जबकि 19% को अपने साथी या परिवार द्वारा अपनी इच्छा से कम बच्चे पैदा करने के दबाव का सामना करना पड़ा।

- **किशोर प्रजनन दर**
  - **भारत** की किशोर प्रजनन दर **15-19 वर्ष की आयु की 1,000 महिलाओं में 14.1** के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जबकि चीन (6.6), श्रीलंका (7.3) और थाईलैंड (8.3) जैसे देशों की तुलना में यह दर उच्च बनी हुई है।
  - किशोरों में प्रजनन दर की यह उच्च दर **मातृ और शिशु स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डालती है** और शिक्षा और रोजगार के परिणामों को प्रभावित करती है।

- **क्षेत्रीय विविधताएँ**
  - **31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे गिर गई है**; हालाँकि, **यह अभी भी बिहार (3.0), मेघालय (2.9) और उत्तर प्रदेश (2.7) में उच्च है।**
  - सात राज्यों ने अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्थापन कुल प्रजनन दर (TFR) हासिल नहीं किया है, और **शहरी-ग्रामीण अंतर** अभी भी मौजूद हैं।
  - दो उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों - **बिहार (TFR 3.0; TWFR 2.2) और मेघालय (TFR 2.9; TWFR 2.2)** - के लिए **कुल प्रजनन दर (TFR) और कुल वांछित प्रजनन दर (TWFR)** में राज्य-स्तरीय अंतर वांछित और वास्तविक प्रजनन दर के बीच अंतर दर्शाते हैं। इसके विपरीत, **सिक्किम जैसे कम प्रजनन दर वाले राज्यों में अपेक्षाकृत कम भिन्नता है (TFR 1.0 और TWFR: 0.91.0)।**

रिपोर्ट की प्रमुख सिफ़ारिशें

- **स्वास्थ्य सेवा:** गर्भनिरोधक, सुरक्षित गर्भपात, मातृ स्वास्थ्य और बांझपन देखभाल तक सार्वभौमिक पहुँच के साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
- **संरचनात्मक सुधार:** बाल देखभाल, शिक्षा, आवास और कार्यस्थल लचीलेपन में निवेश करके संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना।
- **समावेशिता:** अविवाहित व्यक्तियों, LGBTQIA+ व्यक्तियों और अन्य हाशिए के समूहों तक सेवाएँ पहुँचाने वाली समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)

- **यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य** के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, यूएनएफपीए, की स्थापना 1967 में हुई थी।
- **यूएनएफपीए का लक्ष्य** एक ऐसा विश्व बनाना है जहाँ हर युवा की क्षमता साकार हो, हर गर्भावस्था वांछनीय हो, और हर प्रसव सुरक्षित हो।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का औपचारिक नाम 1987 में बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधियाँ कोष (यूएनएफपीए) कर दिया गया। हालाँकि, मूल यूएनएफपीए संक्षिप्त नाम को बरकरार रखा गया।
- यूएनएफपीए का **मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका** में स्थित है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विश्व जनसंख्या की स्थिति (SOWP) रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन कोष (UNFPA) द्वारा प्रकाशित की गई थी।
2. रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है।
3. भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 हो गई, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

वैश्विक रुझान रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ने हाल ही में अपनी वैश्विक रुझान रिपोर्ट प्रकाशित की है।

रिपोर्ट के मुख्य विवरण

- 2024 के अंत तक, **दुनिया भर में अनुमानित 123.2 मिलियन (लगभग 49 मिलियन बच्चे) लोग** उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली घटनाओं के कारण **जबरन विस्थापित हुए।**
- इनमें से, **आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पिछले वर्ष के अंत तक 9% से अधिक बढ़कर 73.5 मिलियन** हो गई।
- लगभग **36.8 मिलियन शरणार्थी हैं, 8.4 मिलियन शरणार्थी हैं और 5.9 मिलियन अन्य लोग** हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है।
- **69% शरणार्थी** केवल पाँच देशों, अर्थात् **वेनेजुएला, सीरिया, अफ़ग़ानिस्तान, यूक्रेन और दक्षिण सूडान से आते हैं।**
- **37% शरणार्थी** पाँच देशों, अर्थात् **ईरान, तुर्की, कोलंबिया, जर्मनी और युगांडा में शरण लिए हुए हैं।**
- 2018 और 2024 के बीच, **औसतन 337,800 बच्चे प्रति वर्ष शरणार्थी के रूप में पैदा हुए।**
- 2023 के दौरान **1.6 मिलियन से अधिक शरणार्थी अपने मूल देशों में लौट आए**, जबकि 188,800 को पुनर्स्थापित किया गया (UNHCR की सहायता से या उसके बिना)।
- **निम्न और मध्यम आय वाले देश दुनिया के 73% शरणार्थियों** और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता वाले अन्य लोगों **की मेजबानी करते हैं।** सबसे कम विकसित देश कुल 23% लोगों को शरण प्रदान करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर)

- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- **स्थापना:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में यूएनएचसीआर की स्थापना की, जिसे पहले शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के रूप में जाना जाता था।
- **उद्देश्य:** संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों से भागने को मजबूर लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करना।
- 135 देशों में मौजूद।
- 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. UNHCR प्रत्येक वर्ष एक वैश्विक रुझान रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
2. UNHCR का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025

चर्चा में क्यों: विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है जो पिछले वर्ष की तुलना में दो स्थान नीचे है।

भारत का समग्र प्रदर्शन

- **रैंकिंग और स्कोर:** 2025 के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है जिसका समग्र लैंगिक समानता स्कोर 64.4% है। एक अन्य स्रोत के अनुसार भारत का स्कोर 64.1% है।
- **पिछले वर्ष की तुलना:** भारत 2024 में 146 देशों में 129वें स्थान से दो स्थान नीचे खिसक गया है। यह सापेक्ष गिरावट अन्य अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन के कारण है, हालाँकि भारत के समग्र प्रदर्शन में पूर्ण रूप से +0.3 अंकों का सुधार हुआ है।
- **दक्षिण एशियाई संदर्भ**: भारत का लैंगिक समानता स्कोर 64.1% या 64.4% है, जो इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे निचले स्थान वाले देशों में से एक बनाता है। दक्षिण एशिया में, बांग्लादेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश है, जो विश्व स्तर पर 24वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान सबसे नीचे 148वें स्थान पर है। अन्य पड़ोसी देशों में चीन (103), भूटान (119), नेपाल (125), और श्रीलंका (130) शामिल हैं।

प्रमुख आयामों में भारत का प्रदर्शन

- **आर्थिक भागीदारी और अवसर**
  - इस उप-सूचकांक में 2025 के लिए भारत का स्कोर 40.7% है, जिसकी रैंक 144 है।
  - भारत ने इस आयाम में समानता बढ़ाई है, इसके स्कोर में +0.9 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ है।
  - भारत में अनुमानित अर्जित आय में समानता 28.6% से बढ़कर 29.9% हो गई है।
  - श्रम बल भागीदारी दर स्कोर 45.9% पर बना हुआ है, जो भारत का अब तक का सर्वोच्च स्तर है।
  - सुधारों के बावजूद, **भारत इस उप-सूचकांक में सबसे निचले पाँच देशों में से एक है (सूडान, पाकिस्तान, ईरान और मिस्र के साथ)**। इन देशों की विशेषता यह है कि महिलाओं को पुरुषों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का एक-तिहाई से भी कम उपयोग मिलता है, कार्यस्थल पर वरिष्ठ पदों पर न्यूनतम लैंगिक समानता (महिला-पुरुष अनुपात 0.4 से अधिक नहीं), और श्रम-बल भागीदारी दरों में महिलाओं और पुरुषों के बीच आधे से भी कम समानता दिखाई देती है।
- **शैक्षिक उपलब्धि**
  - 2025 में शैक्षिक उपलब्धि के लिए भारत का स्कोर **97.1% है, जो 110वें स्थान पर है।**
  - यह साक्षरता और उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए महिलाओं की हिस्सेदारी में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है, जिससे उप-सूचकांक के स्कोर में सकारात्मक सुधार हुआ है।
- **स्वास्थ्य और उत्तरजीविता**
  - 2025 में स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के लिए भारत का स्कोर 95.4% है, जो 143वें स्थान पर है।
  - भारत ने इस आयाम में उच्च समानता दर्ज की, जो जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में बेहतर स्कोर के कारण है।
  - हालाँकि, यह समानता पुरुषों और महिलाओं दोनों की जीवन प्रत्याशा में समग्र कमी के बावजूद हासिल की गई है। भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात में 2006 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट (-0.01) देखी गई है, जो 2006 और 2025 दोनों संस्करणों में शामिल देशों में शामिल है।
- **राजनीतिक सशक्तिकरण**
  - 2025 में राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भारत का स्कोर **24.5% है, जो 69वें स्थान पर है।**
  - पिछले संस्करण के बाद से इस आयाम में भारत की समानता में मामूली गिरावट (-0.6 अंक) दर्ज की गई है।
  - संसद में महिला प्रतिनिधित्व 14.7% से गिरकर 2025 में 13.8% हो गया, जिससे संकेतक स्कोर लगातार दूसरे वर्ष 2023 के स्तर से नीचे चला गया।
  - इसी प्रकार, मंत्रिस्तरीय भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से घटकर 5.6% हो गई, जिससे संकेतक स्कोर (5.9%) 2019 के अपने उच्चतम स्तर 30% से और दूर हो गया।

वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक के बारे में

- **विश्व आर्थिक मंच** (WEF) द्वारा 2006 से प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, **चार प्रमुख आयामों** में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास का आकलन करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, और राजनीतिक सशक्तिकरण।
- सूचकांक **0 और 1 के बीच के स्कोर** का उपयोग करता है, जहाँ 1 पूर्ण समानता को दर्शाता है।
- रिपोर्ट का 19वाँ संस्करण, 2025, 148 अर्थव्यवस्थाओं को कवर करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

(a) संयुक्त राष्ट्र महिला (b) विश्व आर्थिक मंच (WEF)

(c) विश्व बैंक (d) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

उत्तर: (b)

SIPRI रिपोर्ट 2025

चर्चा में क्यों: स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI), एक वैश्विक थिंक टैंक, ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में कहा है कि भारत और पाकिस्तान सहित लगभग सभी नौ परमाणु-सशस्त्र देशों ने 2024 में गहन परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम जारी रखा है, मौजूदा हथियारों को उन्नत किया है और नए संस्करण जोड़े हैं।

परमाणु शस्त्रागार का अवलोकन (SIPRI रिपोर्ट 2025)

- **वैश्विक हथियार:** जनवरी 2025 तक, SIPRI रिपोर्ट के अनुसार, कुल वैश्विक परमाणु हथियार भंडार 12,241 है, जिनमें से लगभग 9,614 सैन्य भंडार में संभावित उपयोग के लिए हैं।
- **प्रमुख शक्तियाँ:** संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास संयुक्त रूप से दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार हैं। रूस के पास सबसे बड़ा सैन्य भंडार 5,459 है, जिसके बाद अमेरिका के पास 5,177 हैं, जिनमें सेवानिवृत्त हथियार भी शामिल हैं।
- **आधुनिकीकरण का रुझान:** सभी नौ परमाणु-सशस्त्र देश (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इज़राइल) 2024 में अपने परमाणु बलों के आधुनिकीकरण, मौजूदा प्रणालियों के उन्नयन और नई तकनीकों को लागू करने में भारी निवेश कर रहे हैं।
- **कमी का उलटाव:** शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से, रूस और अमेरिका ने आम तौर पर तैनात किए गए हथियारों की तुलना में ज़्यादा हथियार नष्ट किए हैं, जिसके कारण वैश्विक परमाणु भंडार में धीमी कमी आई है। हालांकि, यह प्रवृत्ति उलट सकती है, क्योंकि हथियारों के नष्ट होने की प्रक्रिया धीमी हो रही है और नए हथियारों की तैनाती बढ़ रही है।
- **चीन:** उसके पास 600 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 24 मिसाइलों या परिचालन ठिकानों पर तैनात हैं।
- **भारत:** उसके पास 180 परमाणु हथियार हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में आठ की वृद्धि है, और 2024 में इसमें मामूली वृद्धि दिखाई देती है।
- **पाकिस्तान:** उसके पास अनुमानित 170 परमाणु हथियार हैं।

वैश्विक हथियार आयात रुझान

- **प्रमुख हथियार प्राप्तकर्ता (2020-2024):** 162 देशों को प्रमुख हथियार प्राप्त हुए।
- **शीर्ष पाँच आयातक:** यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान।
  - ➢ इन पाँच देशों का वैश्विक हथियार आयात में 35% योगदान है।

स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI)

- SIPRI एक **स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है** जो संघर्ष, शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध के लिए समर्पित है।
- **1966 में स्थापित**, SIPRI नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों पर आधारित डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है।
- स्टॉकहोम स्थित, SIPRI को नियमित रूप से दुनिया भर के सबसे सम्मानित थिंक टैंकों में स्थान दिया जाता है।
- **विज़न:** SIPRI का विज़न एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जिसमें असुरक्षा के स्रोतों की पहचान और समझ हो, संघर्षों को रोका या हल किया जा सके, और शांति बनी रहे।
- **मिशन**
  - ➢ सुरक्षा, संघर्ष और शांति पर अनुसंधान और गतिविधियाँ करना।
  - ➢ नीति विश्लेषण और सुझाव प्रदान करना।
  - ➢ संवाद को सुगम बनाना और क्षमता निर्माण करना।
  - ➢ पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
  - ➢ वैश्विक दर्शकों तक आधिकारिक जानकारी पहुँचाना।
- **क़ानून:** ये क़ानून SIPRI के कार्य के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इन्हें स्वीडिश सरकार द्वारा अपनाया गया था।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. SIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो संघर्ष, आयुध, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है।
2. SIPRI मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित है और इसका मुख्यालय स्वीडन में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) 2.0

चर्चा में क्यों: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) 2.0 रिपोर्ट में चंडीगढ़ को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है, जबकि मेघालय सबसे निचले पायदान पर है।

प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) 2.0 के बारे में

- प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विकसित एक मूल्यांकन ढांचा है।
- यह प्रदर्शन को मापने के लिए संकेतकों के एक समूह का उपयोग करता है और गहन विश्लेषण के लिए एक सूचकांक तैयार करता है।
- पीजीआई 2.0 पूरी तरह से एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) के अनुरूप है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS), पीएम पोषण पोर्टल, प्रबंध पोर्टल और विद्यांजलि पोर्टल के डेटा।
- यह अब UDISE+/NAS रिपोर्ट से सीधे 65 संकेतकों के मानों को स्वचालित रूप से भरने में सक्षम बनाता है ताकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश डेटा भरने की प्रक्रिया को दोहराने के बजाय मानों के सत्यापन पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
- PGI संरचना में **73 संकेतकों में कुल 1000 अंकों का भार शामिल है**, जिन्हें 2 श्रेणियों, अर्थात् परिणाम और शासन एवं प्रबंधन, के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।
- PGI 2.0 का निर्माण **6 डोमेन** वाली 2 श्रेणियों के 73 संकेतकों के आधार पर किया गया है।

- सीखने के परिणाम (एलओ) डोमेन
- पहुँच (ए) डोमेन
- बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ (आईएफ) डोमेन
- समानता (ई) डोमेन
- शासन प्रक्रियाएँ (जीपी) डोमेन
- शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीईएंडटी) डोमेन

श्रेणियाँ	डोमेन	संकेतक	कुल भार
1. परिणाम	सीखने के परिणाम और गुणवत्ता (एलओ)	12	240
	पहुँच (ए)	7	80
	बुनियादी ढांचा और सुविधाएं (आईएफ)	15	19
	इक्विटी (ई)	16	260
2. गवर्नेंस इक्विटी (ई) प्रबंधन (जीएम)	शासन प्रक्रियाएँ (जीपी)	15	130
	शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीईएंडटी)	8	100
कुल		73	100

स्कोर (कुल अंकों का%)	स्कोर रेंज	श्रेणी	संबंधित ग्रेड प्राप्त करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या
91% से 100%	941-1000	दक्ष	कोई नहीं	शून्य
81% से 90%	881-940	उत्कर्ष	कोई नहीं	शून्य
71% से 80%	821-880	अति-उत्तम	कोई नहीं	शून्य
61% से 70%	761-820	उत्तम	कोई नहीं	शून्य
51% से 60%	701-760	प्रचेस्टा-1	चंडीगढ़	1
41% से 50%	641-700	प्रचेस्टा-2	कोई नहीं	शून्य
51% से 40%	581-640	प्रचेस्टा-3	पंजाब, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, केरल, डीएनएच एंड डीडी, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान	10
21% से 30%	521-580	आकांशी-1	पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख	14
11% से 20%	461-520	आकांशी-2	तेलंगाना, असम, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	10
10% तक	401-460	आकांशी-3	मेघालय	1

प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) 2.0 का महत्व

- **सुधार के लिए आधारभूत:** पीजीआई 2.0 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप और मध्यक्रम सुधार के लिए एक आधारभूत मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ तालमेल बिठाते हुए, परिवर्तनकारी बदलावों के लिए आवश्यक विशिष्ट हस्तक्षेपों की पहचान करने में मदद करता है। इसकी संरचना पाठ्यक्रम सुधार के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करने हेतु संकेतकों की नियमित निगरानी का समर्थन करती है।
- **बेहतर तुलना:** यह जटिल मूल्यांकनों को एक सामान्य ग्रेडिंग स्केल वाली सरल प्रणाली में परिवर्तित करके राज्यों के प्रदर्शन की तुलना करने में आने वाली कठिनाई का समाधान करता है।
- **गुणात्मक मापन और समानता पर ध्यान:** पीजीआई 2.0 गुणात्मक संकेतकों

जैसे सीखने के परिणाम, समानता और शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण महत्व (600अंक) देता है, जिससे स्कूल के प्रदर्शन का अधिक गुणात्मक मापन संभव होता है। इसने पिछले कुछ वर्षों में अंतर-राज्यीय प्रदर्शन असमानता को कम करने में भी योगदान दिया है, जिससे अंकों में अधिकतम विचलन 2017-18 में 51% से घटकर 2023-24 में 41% हो गया है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI) 2.0, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

(a) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(b) प्रथम फाउंडेशन

(c) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT)

(d) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)

उत्तर: (a)

आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: मज़बूत आय वृद्धि, विशेष रूप से विदेशी स्रोतों से अच्छी कमाई के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की बैलेंस शीट वर्ष 2024-25 में 8.2% बढ़कर 76.25 लाख करोड़ रुपये हो गई।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- **आरबीआई की बैलेंस शीट का विस्तार और प्रमुख कारक (वित्त वर्ष 24- वित्त वर्ष 25):** आरबीआई की बैलेंस शीट 31 मार्च, 2024 तक 11.08% बढ़कर ₹70.48 लाख करोड़ हो गई। यह महामारी-पूर्व के स्तर पर भी सामान्य हो गई और मार्च 2024 के अंत तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 24.1% हिस्सा बन गई, जो मार्च 2023 में 23.5% थी। बैलेंस शीट में साल-दर-साल 8.20% की वृद्धि हुई, और 31 मार्च, 2025 तक ₹76.25 लाख करोड़ तक पहुँच गई।
  - परिसंपत्तियों के मामले में वृद्धि मुख्यतः **स्वर्ण धारिता (52.09%), घरेलू निवेश (14.32%) और विदेशी निवेश (1.70%)** में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई।
  - देनदारियों के मामले में विस्तार का श्रेय जारी किए गए नोटों (6.03%), पुनर्मूल्यांकन खातों (17.32%) और अन्य देनदारियों (23.31%) में वृद्धि को दिया गया।
- **वैश्विक आर्थिक रुझान (2024-25):** वैश्विक आर्थिक विस्तार 2024 में लगातार जारी रहा, हालाँकि भू-राजनीतिक तनावों, भू-आर्थिक विखंडन, बढ़ते व्यापार तनाव और बढ़े हुए सार्वजनिक ऋण के बीच विकास असमान रहा।
  - वस्तुओं की कीमतों में नरमी, आपूर्ति की स्थिति में सुधार और 2022 की मौद्रिक सख्ती के विलंबित प्रभावों के साथ मुद्रास्फीति में कमी आई।
  - 2025 में वैश्विक विकास दर 3.7% के ऐतिहासिक औसत से नीचे और 2024 के 3.3% से भी नीचे गिरने की उम्मीद है, जो नीतिगत अनिश्चितता और संरक्षणवाद के कारण है।
- **भारत का आर्थिक प्रदर्शन:** चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिवेश के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2024-25 के दौरान मज़बूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढाँचों और सक्रिय नीतिगत उपायों के बल पर लचीलापन प्रदर्शित किया।
  - निजी उपभोग में वृद्धि, बैंकों और कॉर्पोरेट्स की मज़बूत बैलेंस शीट, सुगम वित्तीय स्थिति और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर ज़ोर दिए जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 के दौरान सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है।
- **बाहरी व्यापार:** भारत का व्यापारिक निर्यात 2024-25 में मामूली रूप से 0.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक वर्ष पहले इसमें 3.1 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
  - दूसरी ओर, इस अवधि के दौरान व्यापारिक आयात में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले इसमें 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
  - परिणामस्वरूप, भारत का व्यापारिक घाटा 2024-25 के दौरान बढ़कर 282.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 241.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य: वित्त वर्ष 25 का प्रदर्शन

- **उपभोग:** निजी उपभोग में 7.6% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण भारत (जैसे दोपहिया वाहन, ट्रैक्टर) था, जो अच्छे कृषि मौसम के कारण था, जबकि शहरी खर्च में कमी आई।
- **सरकारी खर्च:** सरकारी खर्च में 3.8% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की 8.1% वृद्धि से कम थी।
- **निवेश:** सकल घरेलू उत्पाद में निवेश का हिस्सा वित्त वर्ष 23 के 32.6% से थोड़ा कम होकर वित्त वर्ष 24 में 31.4% हो गया, जिसका मुख्य कारण विदेशी निवेशकों की वापसी थी। वित्त वर्ष 25 में निवेश वृद्धि भी और धीमी हो गई, बुनियादी ढाँचे और मशीनरी पर खर्च केवल 6.1% (8.8% से कम) बढ़ा।
- **बचत:** परिवारों ने अपनी व्यय योग्य आय का लगभग 30% बचाया, जबकि शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत बढ़कर 5% हो गई।
- **कृषि:** वित्त वर्ष 25 कृषि के लिए एक सुधार वर्ष रहा, समय पर और उदार मानसून के कारण जिससे जलाशयों को फिर से भरने में मदद मिली। इससे खाद्यान्न और तिलहन की बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि करके किसानों का भी समर्थन किया ताकि उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
- **औद्योगिक और सेवा क्षेत्र:** विनिर्माण क्षेत्र में मंदी के कारण औद्योगिक विकास दर 11% से घटकर 4.3% हो गई। सेवा क्षेत्र ने भी शुरुआत में कुछ गति खो दी, हालाँकि बाद में इसमें सुधार हुआ।
- **मुद्रास्फीति**
  - मुख्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 25 में पिछले वर्ष के 5.4% से घटकर 4.6% हो गई।
  - हालाँकि, खाद्य मुद्रास्फीति बार-बार आने वाले आपूर्ति झटकों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है, जिससे मुख्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ शीघ्रता से संरेखित करने में बाधा आ रही है।
  - आरबीआई ने 12 महीने की अवधि में मुख्य मुद्रास्फीति के 4% के लक्ष्य के साथ संधारणीय संरेखण में अधिक विश्वास व्यक्त किया है, जो आपूर्ति-श्रृंखला के दबावों में कमी, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में नरमी और सामान्य से बेहतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण उच्च कृषि उत्पादन से संभव हुआ है।
- **रोज़गार बाज़ार:** श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गए, जिसका आंशिक कारण कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। शहरी बेरोज़गारी में कमी आई, हालाँकि ग्रामीण बेरोज़गारी में थोड़ी वृद्धि देखी गई।

वैश्विक सूखा परिदृश्य

चर्चा में क्यों: OECD का वैश्विक सूखा परिदृश्य यह आकलन करता है कि देश बदलती जलवायु के अनुकूल होने के लिए सूखा प्रबंधन को कैसे मज़बूत कर सकते हैं।

मुख्य विवरण

- यह रिपोर्ट सूखे के बढ़ते मानवीय, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है और नुकसान को कम करने, दीर्घकालिक लचीलापन बनाने और शुष्क भविष्य के लिए अनुकूलन का समर्थन करने हेतु व्यावहारिक नीतिगत समाधान प्रस्तुत करती है।



प्रमुख चुनौतियाँ

- **जलवायु परिवर्तन**: जलवायु परिवर्तन सूखे के इस बढ़ते जोखिम का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि **बढ़ते तापमान के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव आता है और वाष्पीकरण में तेज़ी आती है, जिससे मीठे पानी की उपलब्धता कम हो जाती है।** 4°C तापमान वृद्धि के साथ, सूखे औद्योगिक काल से पहले की तुलना में सात गुना तक ज़्यादा बार और तीव्र हो सकते हैं।
- **पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बढ़ता जोखिम**: भूमि के क्षरण से, सूखा मरुस्थलीकरण को भी बढ़ाता है और जैव विविधता के नुकसान में योगदान देता है। **1980 के बाद से, वैश्विक भूमि के 37% हिस्से में मिट्टी की नमी में उल्लेखनीय कमी आई है,** जबकि वैश्विक स्तर पर कई नदियों और जलभृतों में जल स्तर में गिरावट आई है। कृषि सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ विशेष रूप से शुष्क वर्षों में फसल की पैदावार 22% तक गिर जाती है।
- **आर्थिक नुकसान**: जैसे-जैसे सूखा बढ़ता है, उसका आर्थिक नुकसान भी बढ़ता है। आज सूखे की घटना की लागत **2000 की तुलना में कम से कम दोगुनी है,** और 2035 तक लागत 35% से 110% तक बढ़ने का अनुमान है।
- **सामुदायिक जोखिम:** सूखा आपदा से संबंधित 34% मौतों के लिए जिम्मेदार है और गरीबी, असमानता और विस्थापन को बढ़ाता है।

प्रमुख नीतिगत सुझाव

- **सूखा सहनशीलता में निवेश**: सूखा सहनशीलता में निवेश किया गया प्रत्येक डॉलर दस डॉलर तक का आर्थिक लाभ दे सकता है। इसका तात्पर्य है कि सही नीतियों और निवेशों के साथ, सरकारें सूखे के तत्काल प्रभावों को कम कर सकती हैं और साथ ही दीर्घकालिक लाभ भी प्राप्त कर सकती हैं।
- **जल प्रबंधन:** जल आपूर्ति और भंडारण प्रणालियों की सहनशीलता को मज़बूत करना और महत्वपूर्ण जल स्रोतों के रूप में काम करने वाले पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना, बदलती जलवायु में स्थायी जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की कुंजी है।
- **वन संरक्षण:** स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और संधारणीय भूमि प्रबंधन मिट्टी की नमी बनाए रखने, जल चक्रों को नियंत्रित करने और भूदृश्य स्तर पर लचीलापन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, वनों और आर्द्रभूमि का संरक्षण भूजल पुनर्भरण में सहायक होता है और सूखे के प्रभावों से बचाव में मदद करता है।
- **जलवायु-अनुकूल खेती**: पारंपरिक सतही सिंचाई से **अधिक कुशल स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई प्रणालियों में बदलाव से वैश्विक जल उपयोग में क्रमशः 54% और 76% की कमी आ सकती है।** सूखा-सहिष्णु फसलें, जैसे कि उप-सहारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उपयोग की जाने वाली लचीली मक्का किस्में, पानी की मांग को और कम करती हैं, साथ ही पैदावार की रक्षा करती हैं और सूखे के वर्षों में भी जोखिम को कम करती हैं।

प्रमुख वैश्विक पहल

- **यूएनसीसीडी की सूखा पहल:** यह पहल सूखा प्रबंधन को प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय दृष्टिकोण में बदलने पर केंद्रित है जिसमें रोकथाम और तैयारी को प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य सूखा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपकरण विकसित करना और देशों को रणनीतिक ढाँचे बनाने में मदद करना है।
- **एकीकृत सूखा प्रबंधन कार्यक्रम (IDMP):** विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और वैश्विक जल भागीदारी (GWP) के बीच एक संयुक्त पहल, IDMP सूखे से निपटने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एकीकृत सूखा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नीति और प्रबंधन मार्गदर्शन के साथ देशों का समर्थन करता है।
- **G20 वैश्विक भूमि पहल**: इस पहल का उद्देश्य भूमि क्षरण को रोकना, रोकना और उलटना और 2040 तक क्षरित भूमि को 50% तक कम करना है। यह प्रकृति-आधारित समाधानों और पुनर्वनीकरण प्रयासों सहित स्थायी भूमि और जल प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

भारतीय पहल

- भारत ने कई सूखा निवारण और शमन पहलों को लागू किया है, जिनमें पीएमकेएसवाई का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई), अटल भूजल योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), और राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली (एनएडीएएमएस) शामिल हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वैश्विक सूखा आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी।
2. रिपोर्ट के अनुसार, विश्व का 40% भू-भाग लगातार और गंभीर सूखे का सामना कर रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

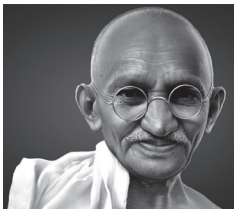
इकाई 11

समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व

आज की दुनिया में महात्मा गांधी का दर्शन

चर्चा में क्यों: भारत के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान, महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की निरंतर प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित बढ़ते सीमापार आतंकवाद के संदर्भ में।

सत्याग्रह: महात्मा गांधी का मूल दर्शन



- **अर्थ:** सत्याग्रह दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है: "सत्य" (सत्य, जिसका अर्थ "सत्" है) और "आग्रह" (दृढ़ पकड़, समर्पण, या अटूट खोज)। इस प्रकार, इसका अर्थ है **सत्य के प्रति समर्पण,** सत्य पर अडिग रहना और सक्रिय रूप से लेकिन अहिंसक रूप से असत्य का प्रतिरोध करना।
- **उद्देश्य और लक्ष्य:** सत्याग्रह एक **नैतिक हथियार** है जो शारीरिक बल की तुलना में आत्मिक बल पर अधिक बल देता है। इसका मुख्य उद्देश्य **प्रेम और धैर्यपूर्वक कष्ट सहकर अपने विरोधी पर विजय प्राप्त करना,** उसे कुचलने, दंडित करने या बदला लेने के बजाय उसका धर्मांतरण और उपचार करना है।

सत्याग्रह के तीन स्तंभ

- **सत्य**
  - **गांधीजी की परिभाषा:** गांधीजी ने सत्य को "अंतरात्मा की आवाज़ जो आपको बताती है" और "किसी विशेष समय में एक शुद्ध हृदय जो महसूस करता है" के रूप में परिभाषित किया, जिसे **अपनी अंतरात्मा के प्रति आज्ञाकारिता** के रूप में समझा जा सकता है।
  - **सत्य की सापेक्षता:** गांधीजी ने स्वीकार किया कि "जो किसी के लिए सत्य हो सकता है, वह दूसरे के लिए असत्य हो सकता है" क्योंकि मानव विकास और समझ अलग-अलग होती है। इसलिए, **पारस्परिक सहिष्णुता "आचरण का स्वर्णिम नियम" है।** इसके बावजूद, वे परम सत्य की खोज के लिए निरंतर प्रयास में विश्वास करते थे, जिसे वे ईश्वर के समान मानते थे।
  - **सत्य की खोज:** गांधीजी के लिए, सत्य की खोज के लिए धैर्यपूर्ण प्रयास और मौन प्रार्थना, और एक शुद्ध जीवन की अग्नि से प्रज्वलित एक तीव्र दृढ़ विश्वास की आवश्यकता थी। सच्चे सत्याग्रही को **स्वार्थ, पूर्वाग्रह या क्षणिक भावना से मुक्त होना चाहिए,** जो लंबी और विनम्र आत्म-खोज के बाद गहराई से दृढ़ हो। सत्य बोलने के अधिकार की ओर ले जाने वाले प्रयोग में सत्य, पवित्रता, अहिंसा, गरीबी और अपरिग्रह की प्रतिज्ञाएं शामिल हैं।
- **अहिंसा**
  - **पूर्ण अहिंसा:** अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना ही नहीं है; इसका तात्पर्य **पूर्ण अहिंसा से है, जिसमें शब्द और विचार भी शामिल हैं।** हिंसा न करने का इरादा संयमित होना चाहिए।
  - **बलवान की अहिंसा:** गांधीजी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अहिंसा बलवानों के लिए है, कमज़ोर या कायरों के लिए नहीं। अहिंसा प्रहार करने की क्षमता को पूर्व निर्धारित करती है। यह प्रतिशोध की इच्छा पर एक सचेत, जानबूझकर लगाया गया संयम है। **गांधीजी के लिए कायरता "सबसे बड़ी हिंसा" थी।** उनका मानना था कि **शुद्ध निर्भयता के बिना सच्ची अहिंसा असंभव है,** और अन्याय के सामने कायरतापूर्ण समर्पण की तुलना में हिंसक प्रतिरोध बेहतर है।
  - **बुराई और बुराई करने वाले के बीच अंतर:** एक सत्याग्रही को हमेशा बुराई और बुरे व्यक्ति में अंतर करना चाहिए, और बुरे व्यक्ति के प्रति कभी भी द्वेष या कटुता नहीं रखनी चाहिए। उन्हें अनावश्यक रूप से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग या चरित्र हनन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य हमेशा समझाना, सुधारना और मेल-मिलाप कराना होता है, न कि दबाव डालना। गांधी का असहयोग प्रेम पर आधारित था, घृणा पर नहीं, इस विश्वास के साथ कि इस दुनिया में कोई भी इतना पतित नहीं है जिसे प्रेम से परिवर्तित किया जा सके।
- **आत्म-पीड़ा (तपस्या)**
  - **स्वैच्छिक और उत्कृष्ट:** इसमें दूसरों पर कष्ट डाले बिना स्वेच्छा से कष्ट स्वीकार करना शामिल है। गांधीजी इसे **जीवन को कमतर आंकने के रूप में नहीं, बल्कि महान और नैतिक रूप से समृद्ध करने वाला मानते थे,** जिससे अंततः "जीवन की न्यूनतम हानि" होती है।
  - **उद्देश्य:** स्वयं कष्ट सहना (self-suffering) सत्यनिष्ठा को दर्शाता है और विरोधी के हृदय को पिघलाकर उसकी अंतरात्मा को जागृत करने का उद्देश्य रखता है। यह प्रतिरोध का एक सक्रिय साधन है, न कि निष्क्रिय। गांधी के लिए, पीड़ा सहना विरोधी को बदलने और उसकी उन कानों को खोलने की शक्ति रखता है जो सामान्यतः तर्क की आवाज़ के लिए बंद रहते हैं। यह जंगल के कानून की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली है।

सत्याग्रह का व्यवहार (तरीके और अनुप्रयोग)

- **सविनय अवज्ञा और असहयोग:** ये अन्यायपूर्ण कानूनों और प्राधिकारियों को चुनौती देने के प्रत्यक्ष तरीके थे। उदाहरण के लिए, गांधीजी ने रौलट अधिनियम और नमक कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी अवज्ञा खुली और अहिंसक होनी चाहिए।
- **रचनात्मक सेवा:** गांधीजी का कार्यक्रम केवल ब्रिटिश शासन का विरोध करने से कहीं अधिक था; इसमें भारतीय जीवन के भीतर अनेक रचनात्मक आंदोलन शामिल थे, जिन्हें वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते थे।
  - **अस्पृश्यता उन्मूलन:** उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध अथक संघर्ष किया, इसे एक "अभिशाप" मानते हुए और यह मानते हुए कि भारत स्वतंत्रता ("स्वराज") प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि इसका "विष" राष्ट्रीय शरीर को क्षत-विक्षत कर रहा है।
  - **हिंदू-मुस्लिम एकता:** गांधीजी हिंदू-मुस्लिम मैत्री को भारत की स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और मुस्लिम हितों के लिए असहयोग आंदोलन को संगठित किया, इसे सुलह और राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक कदम के रूप में देखा।

- **मद्यनिषेध आंदोलन:** उन्होंने मादक पेय पदार्थों का कड़ा विरोध किया, महिलाओं को उनकी बिक्री के खिलाफ आंदोलन करने और शराब की लत से जूझ रहे लोगों की प्रेमपूर्वक सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- **स्वदेशी और खादी:** स्वदेशी का तात्पर्य सभी घरेलू वस्तुओं के उपयोग से था, विशेष रूप से उन उद्योगों से जो भारत की गरीबी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण थे। खादी घर में बुना हुआ कपड़ा था, और गांधी ने प्रत्येक भारतीय से अपना खुद का कपड़ा बुनने का आग्रह किया, इसे सत्याग्रह कार्यक्रम के केंद्र में रखा।

- **त्याग:** त्याग के सिद्धांत में भौतिक मामलों में स्वयं को शून्य तक सीमित करना शामिल है। गांधी ने अत्यधिक तपस्या का जीवन अपनाया, गरीबी, न्यूनतम वस्त्र और भोजन, और भौतिक सुख-सुविधाओं को अपनाया।
- **साधनों का उत्थान:** गांधी के लिए, साधन और साध्य परिवर्तनीय शब्द थे; "जैसे साधन वैसा साध्य"। साधन और साध्य के बीच कोई विभाजन की दीवार नहीं थी, तथा लक्ष्य की प्राप्ति साधन के अनुपात में ही थी।

आज की दुनिया में गांधी जी के सत्याग्रह की प्रासंगिकता

- **हिंसा और आतंकवाद का मुकाबला**
  - गांधी का अहिंसा दर्शन आज अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया आतंकवाद और हिंसा के अन्य रूपों से जूझ रही है।
  - सत्याग्रह **संघर्ष का एक नैतिक विकल्प** प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य शोषण जैसे मूल कारणों को संबोधित करके विवादों का समाधान करना है।
  - धार्मिक कट्टरवाद और नस्लवाद के प्रचलन को देखते हुए, अहिंसक तकनीकों की तत्काल आवश्यकता है।
- **वैश्विक मुद्दों का समाधान:** सत्याग्रह **असत्य को सत्य से और हिंसा को अहिंसा से परास्त करने** की एक व्यावहारिक तकनीक प्रदान करता है। गांधीवादी विचारधारा, विशेष रूप से सत्याग्रह, समकालीन वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला के समाधान प्रस्तुत करती है, जिनमें शामिल हैं:
  - मानवाधिकार
  - संधारणीय विकास और पर्यावरणीय चिंताएँ जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का ह्रास
  - सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल और अस्थिरता
  - युद्ध और शांति
  - आतंकवाद
  - राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार
- **सामाजिक परिवर्तन और न्याय को बढ़ावा देना**
  - सत्याग्रह आधुनिक राजनीति में प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली तरीका है।
  - यह बुराई और अन्याय से लड़ने, सकारात्मक उद्देश्यों को बढ़ावा देने और मौलिक सामाजिक परिवर्तन लाने के एक साधन के रूप में कार्य करता है।
  - यह सत्ता के दुरुपयोग पर एक महत्वपूर्ण अंकुश और जनमत को शिक्षित करने के एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है।
- **शांति और सुलह को बढ़ावा देना**
  - **संघर्षोत्तर उपचार:** सत्याग्रह संघर्ष के बाद उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह क्षमा, समझ और विभाजित लोगों या समुदायों के बीच विश्वास के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है।
  - **सर्वधर्म सद्भाव:** गांधी सभी धर्मों का सम्मान करने में विश्वास करते थे। उनके विचार आज के विविध और बहुसांस्कृतिक समाजों में शांति और एकता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जहाँ धार्मिक सहिष्णुता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
  - **युवा जुड़ाव:** सत्याग्रह युवाओं को सत्य, अनुशासन और परिवर्तन लाने के शांतिपूर्ण तरीकों का महत्व सिखाता है। यह उन्हें एक बेहतर समाज के लिए काम करने वाले जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है।

निष्कर्ष

गांधी के विचार और दर्शन दुनिया भर के नेताओं और आम लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा करते रहेंगे। अनेक जटिल समस्याओं से जूझ रही दुनिया को जीवन और प्रशासन के सभी पहलुओं में गांधीवादी दर्शन को शामिल करने से बहुत लाभ होगा। प्रत्येक व्यक्ति के सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, शांतिपूर्ण और स्थायी भविष्य के लिए मूल गांधीवादी विचारधाराएँ आवश्यक हैं। भारत में स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसी आधुनिक पहल, गांधीजी के स्वच्छता और स्वदेशी पर ज़ोर को दर्शाती हैं। दुनिया को ऐसे सहिष्णु व्यक्तियों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है जो विविध धर्मों और आस्थाओं को स्वीकार करें, जो गांधीवाद का एक केंद्रीय सिद्धांत है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सत्याग्रह के प्रमुख स्तंभ क्या हैं? गांधीवादी सत्याग्रह समकालीन वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए हिंसा का विकल्प कैसे प्रदान करता है? [250 शब्द] [15 अंक]

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका

चर्चा में क्यों: न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका हाल ही में 3 वर्ष 9 महीने के कार्यकाल के बाद सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए।

न्यायाधीश के रूप में करियर

- उन्हें अगस्त 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- वे मई 2005 में स्थायी न्यायाधीश बने और 13 वर्षों से अधिक समय तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में कार्यरत रहे।
- उन्हें मई 2019 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और वे अगस्त 2021 तक इस पद पर रहे।
- उन्हें अगस्त 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।
- उनकी पदोन्नति न्यायिक योग्यता के लिए एक कठिन जीत थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन के नेतृत्व में लंबे समय से चल रहे गतिरोध के बाद हुई, जिन्होंने उनकी पदोन्नति पर ज़ोर दिया था।

प्रमुख योगदान और उल्लेखनीय निर्णय



- **उच्च न्यायालय का कार्यकाल**
  - उन्होंने **पर्यावरण संरक्षण और बैंगलोर तथा बॉम्बे में जीवन स्तर में सुधार से संबंधित** कई आदेश पारित किए।
  - टीकाकरण से संबंधित एक मामले में, उन्होंने एक निर्णय लिखा जिसमें राज्य सरकार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 25 के अनुसार दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया और अधिकारियों को दिशानिर्देश प्रदान किए।

- मुख्य न्यायाधीश ओका के नेतृत्व में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेलूर तालुक में बंदरों की मौत का स्वतः संज्ञान लिया और पशु क्रूरता को रोकने के लिए दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर बल दिया।

- **सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल**

  - **पति/पत्नी द्वारा परित्याग:** न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के साथ देबानंद तामुली बनाम काकुमोनी काताकी मामले में, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परित्याग प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करता है।
  - **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के लिए ग्रेच्युटी:** मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम जिला विकास अधिकारी दाहोद मामले में, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के साथ, उन्होंने उनके जमीनी स्तर के काम के महत्व पर जोर दिया और कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी की हकदार हैं।
  - **बहिष्कार अधिकार (दाऊदी बोहरा समुदाय):** जिस संविधान पीठ का वे हिस्सा थे, उसने दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों को बहिष्कृत करने के अधिकार के मामले को सबरीमाला संदर्भ की सुनवाई कर रही नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया।
  - **अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) की वैधता:** उनकी पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज में एआईबीई की वैधता को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि एआईबीई का आयोजन 'कानून के मापदंडों' के भीतर है। उन्होंने परीक्षाओं में बैठने वाले कानून के छात्रों और स्नातकों के लिए दिशानिर्देशों की भी सिफारिश की।
  - **जम्मू और कश्मीर परिसीमन:** न्यायमूर्ति एस.के. कौल और ए.एस. ओका ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

- **सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल**

  - **पति/पत्नी द्वारा परित्याग:** देबानंद तामुली बनाम काकुमोनी काताकी मामले में, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के साथ, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परित्याग प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करता है।
  - **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के लिए ग्रेच्युटी:** मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम जिला विकास अधिकारी दाहोद मामले में, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के साथ, उन्होंने उनके जमीनी स्तर के काम के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी की हकदार हैं।**
  - **बहिष्कार अधिकार (दाऊदी बोहरा समुदाय):** जिस संविधान पीठ का वे हिस्सा थे, उसने दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों को बहिष्कृत करने के अधिकार के मामले को सबरीमाला मामले की सुनवाई कर रही नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया।
  - **अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) की वैधता:** उनकी पीठ ने **बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज मामले** में एआईबीई की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि एआईबीई का आयोजन 'कानून के मानदंडों' के अंतर्गत है। उन्होंने परीक्षा में बैठने वाले विधि छात्रों और स्नातकों के लिए दिशानिर्देशों की भी सिफारिश की।
  - **जम्मू-कश्मीर परिसीमन:** न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति ए.एस. ओका की खंडपीठ ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। फैसले में स्पष्ट किया गया कि यह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की वैधता से संबंधित नहीं है।

न्यायमूर्ति ओका द्वारा रेखांकित मूल्य

- **न्यायिक सत्यनिष्ठा और पेशेवर ईमानदारी:** एक वकील के रूप में भी उनकी सत्यनिष्ठा स्पष्ट थी। चंद्रकांत गोविंद सुतार बनाम एम.के. एसोसिएट्स (2002) मामले में, तत्कालीन **अधिवक्ता ओका ने न्यायाधीश के ध्यान में ऐसे प्रासंगिक उदाहरण लाए जो उनके अपने मुवक्किल के मामले के विरुद्ध थे,** जिसके कारण याचिका खारिज कर दी गई। न्यायमूर्ति खानविलकर ने उनकी "एकांत भावना" और न्यायालय के प्रति कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की।
- **संवैधानिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन:** उन्होंने पीठ पर अपने अंतिम दिन स्पष्ट रूप से कहा, "मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक न्यायाधीश को बहुत दृढ़ होना चाहिए; एक न्यायाधीश को बहुत सख्त होना चाहिए। और एक न्यायाधीश को किसी को भी ठेस पहुँचाने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं केवल एक कारण से कठोर था। **मैं हमारे संविधान द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करना चाहता था।" इससे लोकप्रियता या राजनीतिक समायोजन की तुलना में संवैधानिक निष्ठा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।**
- **न्याय और लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता:** उनका मानना था कि कानून को संस्थागत सुविधा को बनाए रखने के बजाय न्याय प्रदान करना चाहिए। इसका उदाहरण उनके अपने अंतिम कार्यदिवस पर 11 फैसले सुनाने के फैसले से मिलता है, जबकि वे ठीक एक दिन पहले अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे।
- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की रक्षा:** न्यायमूर्ति ओका ने स्वतंत्रता की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका पर लगातार चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि लोगों को मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों में भी ज़मानत नहीं मिल रही है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना पड़ रहा है। उन्होंने ज़मानत की सुनवाई की "लंबी रस्म" की आलोचना की और चेतावनी दी कि "एक लोकतांत्रिक देश को पुलिस राज्य की तरह काम नहीं करना चाहिए"।
- **न्यायपालिका की संस्थागत ईमानदारी और आत्म-आलोचना:** वे न्यायपालिका की संस्थागत विफलताओं की खुले तौर पर आलोचना करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के कुछ कार्यरत न्यायाधीशों में से एक थे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: न्यायमूर्ति अभय एस. ओका का करियर न्यायिक अखंडता, संवैधानिक निष्ठा और सुविधा के बजाय न्याय के प्रति प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों को दर्शाता है। उनके द्वारा प्रदर्शित प्रमुख मूल्यों पर चर्चा कीजिए और परीक्षण कीजिए कि ये लोकतंत्र में लोक सेवकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। [150 शब्द] [10 अंक]

दीनदयाल उपाध्याय

चर्चा में क्यों: हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 'एकात्म मानववाद' दर्शन की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय स्मृति संगोष्ठी को संबोधित किया।



दीनदयाल उपाध्याय के बारे में

- **25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्मे** पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रतिष्ठित **भारतीय राजनीतिज्ञ और विचारक थे।** वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से घनिष्ठ रूप से जुड़े

थे, **जिससे वे 1937 में जुड़े** और अपना जीवन संगठन के राष्ट्रसेवा के दृष्टिकोण को समर्पित कर दिया।

- उन्हें शुरुआती पहचान तब मिली जब उन्होंने **पारंपरिक धोती-कुर्ता और टोपी पहनकर सिविल सेवा परीक्षा दी**, जिससे उन्हें "पंडितजी" की सम्मानजनक उपाधि मिली।
- 1951 में, जब **श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ (बीजेएस) की स्थापना की**, जो आज की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का पूर्ववर्ती था, तो आरएसएस ने उपाध्याय को नई पार्टी के निर्माण और उसे मज़बूत करने में मदद करने के लिए नियुक्त किया।
- उनके असाधारण संगठनात्मक कौशल ने उन्हें शीघ्र ही पार्टी की **उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव और अंततः अखिल भारतीय महासचिव** के पद तक पहुँचाया।
- **1953 में मुखर्जी के निधन के बाद**, उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख वास्तुकार के रूप में उभरे और देश भर में इसके विस्तार का नेतृत्व किया। उन्होंने 15 वर्षों से अधिक समय तक महासचिव के रूप में कार्य किया और इसकी वैचारिक नींव और राजनीतिक रणनीति को आकार दिया।
- एक दूरदर्शी व्यक्ति जिन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन पर अमिट छाप छोड़ी, **उनका जीवन दुखद रूप से अधूरे रह गया जब 11 फरवरी 1968 को उनकी हत्या कर दी गई।**

एकात्म मानववाद का सिद्धांत

- अपने मूल में, दीनदयाल उपाध्याय का **एकात्म मानववाद दर्शन व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच एकता और सामंजस्य पर**, साथ ही व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन पर ज़ोर देता है। यह समग्र विकास की वकालत करता है जो सच्ची मानवीय पूर्णता के लिए इन सभी आयामों का पोषण करता है।
- इस सिद्धांत का एक प्रमुख तत्व **चार पुरुषार्थों**, या मानव जीवन के मूलभूत लक्ष्यों की अवधारणा है: धर्म (धार्मिकता), अर्थ (आर्थिक कल्याण), काम (इच्छा), और मोक्ष (मुक्ति)। एकात्म मानववाद नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित, इन चारों की संतुलित खोज का प्रयास करता है।
- **एकात्म मानववाद का अंतर्निहित सिद्धांत** एक एकीकृत चेतना में विश्वास है, जो सभी प्राणियों को जोड़ती है और मानव अस्तित्व का आध्यात्मिक आधार बनाती है।

समकालीन समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता

- **एक समग्र विकास मॉडल की आवश्यकता:** दशकों के वैश्विक विकास के बावजूद, गरीबी और असमानता बनी हुई है। मौजूदा मॉडल अक्सर अस्थिर या एक-आयामी रहे हैं। एकात्म मानववाद व्यक्तिगत गरिमा और सामाजिक कल्याण, दोनों पर केंद्रित एक संतुलित ढाँचा प्रदान करता है, जो भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित है।
- **संसाधनों का संधारणीय उपयोग:** यह दर्शन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसी दर पर करने की वकालत करता है जिससे उनकी पुनःपूर्ति हो सके और मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को बढ़ावा मिले - यह एक ऐसा सिद्धांत है जो जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक क्षरण के युग में अत्यंत प्रासंगिक है।
- **अधिकार, कर्तव्य और सामाजिक समरसता:** एकात्म मानववाद व्यक्तिगत अधिकारों को समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्वों के साथ संतुलित करता है। यह लोकतंत्र के दायरे को राजनीति से परे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, समावेशी और कर्तव्य-सचेत नागरिकता को प्रोत्साहित करता है।
- **भारतीय लोकाचार बनाम पश्चिमी व्यक्तिवाद:** पश्चिमी मॉडल अक्सर अति व्यक्तिवाद पर ज़ोर देते हैं, जिससे सामाजिक विखंडन होता है। इसके विपरीत, एकात्म मानववाद परिवार और समुदाय जैसी पारंपरिक संस्थाओं को कायम रखता है और सामाजिक एकता और नैतिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है।
- **आध्यात्मिक पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक चेतना:** नदियों, पहाड़ों और प्राकृतिक तत्वों के प्रति श्रद्धा रखने की भारतीय परंपरा आध्यात्मिक और पारिस्थितिक सद्भाव की आवश्यकता को दर्शाती है। एकात्म मानववाद भौतिक विकास को आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़ता है, जिससे यह भारत के सभ्यतागत मूल्यों के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त है।
- **आंतरिक और सामाजिक संतुलन का मार्ग:** स्वयं (व्यष्टि), समाज (समष्टि), प्रकृति (सृष्टि) और परमात्मा (परमेष्ठी) को एकीकृत करके, एकात्म मानववाद एक ऐसे विकास मॉडल का रोडमैप प्रस्तुत करता है जो न केवल आर्थिक, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक भी है।

निष्कर्ष

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का **एकात्म मानववाद का दर्शन, प्रचलित विकास प्रतिमानों का एक सामयिक और स्वदेशी विकल्प प्रस्तुत करता है।** भारतीय लोकाचार में निहित, यह एक संतुलित ढाँचा प्रदान करता है जो आर्थिक विकास को सामाजिक सद्भाव, पारिस्थितिक स्थिरता और आध्यात्मिक कल्याण के साथ एकीकृत करता है। विखंडन और भौतिकवाद से जूझते विश्व में, यह समग्र दृष्टि समकालीन भारत में समावेशी और नैतिक शासन को आकार देने के लिए अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चर्चा कीजिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रस्तावित एकात्म मानववाद का दर्शन शासन, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं के समाधान में किस प्रकार योगदान दे सकता है। [250 शब्द] [15 अंक]

संत कबीर दास

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री ने संत कबीर दास की 648वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और सामाजिक सद्भाव और सुधार के प्रति उनके आजीवन समर्पण को याद किया।

संत कबीर दास के बारे में



- कबीर दास **15वीं शताब्दी के एक प्रभावशाली भारतीय रहस्यवादी कवि, संत और समाज सुधारक थे।**
- **हिंदू, सिख और मुसलमान**, सभी उन्हें समान रूप से पूजते हैं, और उनके शब्दों की सार्वभौमिक गुणवत्ता के कारण सभी उन्हें अपना मानते हैं।
- **पेशा:** अपने दत्तक माता- पिता की तरह, कबीर भी बुनकर बन गए, हालाँकि उनका मन इस पेशे में नहीं लगा और उन्होंने औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली।

प्रमुख योगदान और शिक्षाएँ

- **निर्गुण भक्ति:** उनके शब्द अपनी निर्गुण भक्ति के लिए जाने जाते हैं, जो निराकार और निराकार ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर ज़ोर देते हैं, एक ऐसा गुण जो समय और धार्मिक सीमाओं से परे है।

- **धार्मिक एकाधिकार को चुनौती:** उन्होंने इस धारणा को चुनौती दी कि किसी एक धर्म का परम सत्य पर एकाधिकार हो सकता है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि सत्य उन सभी के लिए सुलभ है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं।
- **सामाजिक सुधार**
  - कबीर ऐसे समय में रहे जहाँ धार्मिक विविधता तो काफ़ी थी ही, साथ ही मुसलमानों और हिंदुओं के बीच राजनीतिक अशांति और तनाव भी था, जिससे असमानता और सत्ता का दुरुपयोग बढ़ रहा था।
  - उन्होंने एक सामाजिक आलोचक के रूप में कार्य किया और दोनों धर्मों के लोगों द्वारा प्रदर्शित पाखंडों के विरुद्ध आवाज़ उठाई।
  - उनके दोहों का उद्देश्य सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना और अंधविश्वास का उन्मूलन करना था।
  - उन्होंने स्वतंत्र विचारों को अपनाया और अपनी काव्य रचनाओं में सरल, स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया।
- **कबीर पंथ की स्थापना:** उन्होंने कबीर पंथ नामक एक आध्यात्मिक समुदाय की स्थापना की, जो उनकी शिक्षाओं का सम्मान करता है।

रचनाएँ

- **उल्लेखनीय संग्रह:** उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में अनुराग सागर, कबीर ग्रंथावली, बीजक और साखी ग्रंथ शामिल हैं।
- **बीजक:** कबीरपंथियों द्वारा बीजक को प्राथमिक ग्रंथ माना जाता है।
- **सिख धर्म पर प्रभाव:** कबीर की रचनाओं का एक महत्वपूर्ण भाग पाँचवें सिख गुरु, गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया था और सिख धर्मग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था।
- **दोहे:** उनके दो-पंक्ति वाले दोहे, जिन्हें 'कबीर के दोहे' के नाम से जाना जाता है, अपने गहन आध्यात्मिक और सामाजिक संदेशों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं।

कबीर जयंती

- कबीर की जयंती, कबीरदास जयंती (जिसे कबीर प्रकट दिवस भी कहा जाता है), **प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह (आमतौर पर मई या जून) की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है।**
- इस उत्सव में **आध्यात्मिक प्रवचन, उनकी कविताओं और दोहों का पाठ, और उनकी शिक्षाओं पर विचार-विमर्श करने वाले सेमिनार शामिल होते हैं,** जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक ज्ञान की उनकी विरासत जारी रहे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संत कबीर दास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संत कबीर दास की काव्य रचनाएँ, जो निर्गुण भक्ति पर ज़ोर देने के लिए प्रसिद्ध हैं, सामाजिक समानता और धार्मिक सद्भाव की वकालत करती थीं, जिसने भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया।
2. कबीर की रचनाओं का एक महत्वपूर्ण भाग पाँचवें सिख गुरु, गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया था और सिख धर्मग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

राम प्रसाद बिस्मिल

चर्चा में क्यों: भारत भर के नेताओं ने राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई।

राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में



- राम प्रसाद बिस्मिल एक **महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, कवि और लेखक थे** जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें उनके अदम्य त्याग और साहस के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है।
- राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून, 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था।
- **आर्य समाज:** छोटी उम्र में ही बिस्मिल आर्य समाज की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हो गए और उसके कट्टर अनुयायी बन गए। वे आर्य समाज युवा संघ में शामिल हो गए और स्वामी दयानंद की शिक्षाओं का सक्रिय रूप से प्रचार किया।
- भाई परमानंद की मृत्युदंड की कहानी पढ़ने के बाद **स्वतंत्रता और क्रांति के उनके आदर्श** और भी गहरे हो गए, जिसके कारण उन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में **"मेरा जन्म"** नामक कविता लिखी।
- **क्रांतिकारी गतिविधियाँ और संगठन**
  - वे 1918 के **मैनपुरी षडयंत्र** में शामिल थे, जहाँ पुलिस ने उन्हें और अन्य युवाओं को सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें बेचते हुए पाया। ब्रिटिश दमन के दौरान वे भागने और भूमिगत होने में सफल रहे।
  - 1924 में, बिस्मिल ने सचिंद्रनाथ सान्याल, अशफाकउल्लाह और चटर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना की, जो बाद में **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)** बन गया। HSRA का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से लड़ना और आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
- **काकोरी ट्रेन एक्शन**
  - बिस्मिल कुख्यात काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे काकोरी षडयंत्र के नाम से भी जाना जाता है, के पीछे के मास्टरमाइंड थे।
  - यह **ट्रेन डकैती 9 अगस्त, 1925 को लखनऊ के पास,** अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के समर्थन के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से हुई थी।
  - इस कार्रवाई के दौरान, बिस्मिल ने **अशफाकउल्ला खान, सचिंद्र बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी** जैसे साथियों के साथ मिलकर गार्डों को वश में कर लिया और खजाने के लिए रखी नकदी लूट ली।
  - इस घटना के सिलसिले में 40 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया।
  - मुक़दमे के बाद, बिस्मिल और उनके साथियों को ब्रिटिश साम्राज्य के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने का दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई।
  - राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर, 1927 को 30 साल की उम्र में गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

राम प्रसाद बिस्मिल का योगदान

- **क्रांतिकारी आंदोलनों के सूत्रधार:** हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) जैसे क्रांतिकारी संगठनों के गठन और पुनर्गठन में उनकी प्रमुख भूमिका थी।
- **रणनीतिक योजनाकार:** उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी उद्देश्यों के लिए धन जुटाना था।
- **प्रेरक नेता:** उन्होंने अपने साहसी कार्यों और नेतृत्व के माध्यम से अनगिनत युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

- **प्रखर कवि और लेखक:** 'बिस्मिल', 'राम' और 'अज्ञात' जैसे उपनामों से लिखी गई उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताओं और लेखन ने लोगों में राष्ट्रवादी जोश और क्रांतिकारी भावना का संचार किया। उनकी कविताएँ आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं।

राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन के मूल्य और सीख

- **अटूट देशभक्ति और समर्पण:** बिस्मिल का पूरा जीवन भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित था।
- **साहस और निडरता:** बिस्मिल एक निडर देशभक्त थे जिन्होंने साहसपूर्वक क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के परिणामों का सामना किया। उन्होंने औपनिवेशिक शासन को सीधे चुनौती दी, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी।
- **प्रेरणादायक नेतृत्व:** उनके कार्यों और शब्दों ने अनगिनत लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने लोगों को एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित और एकजुट किया।
- **आदर्शों में दृढ़ विश्वास:** बिस्मिल दृढ़ विश्वास रखते थे, यहाँ तक कि उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा था कि "स्वतंत्रता अहिंसा के माध्यम से प्राप्त नहीं होगी," जो महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के विपरीत था। यह स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा चुने गए मार्ग में उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।
- **बलिदान और निस्वार्थता:** अंततः बिस्मिल का जीवन उनकी शहादत में परिणत हुआ, जिसने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को उजागर किया।

निष्कर्ष

राम प्रसाद बिस्मिल केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि निर्भीक प्रतिरोध, बौद्धिक प्रखरता और अटूट देशभक्ति के प्रतीक थे। क्रांतिकारी संगठनों के गठन, काकोरी रेल षडयंत्र जैसे साहसिक कार्यों और प्रेरक साहित्यिक कृतियों के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का मार्ग अक्सर केवल कर्म ही नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास, साहस और बलिदान की भी माँग करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल के योगदान पर चर्चा कीजिए। उनकी क्रांतिकारी विचारधारा और कार्य उस समय के मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलन से किन मायनों में भिन्न थे? [150 शब्द] [10 अंक]

लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर

चर्चा में क्यों: भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती मनाई गई।

मुख्य विवरण



- सरकार ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक **स्मारक डाक टिकट** और एक विशेष सिक्का जारी किया।
- 300 रुपये के इस सिक्के पर अहिल्याबाई होल्कर का चित्र होगा। आदिवासी, लोक और पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए एक महिला कलाकार को **राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया गया।**
- 2024 में, सरकार ने **पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना** शुरू की, जिसके तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  - ➢ इस योजना के तहत कुल प्रावधानों का 25% सरकार द्वारा निर्दिष्ट **पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से संवेदनशील वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।**

अहिल्याबाई होल्कर का जीवन परिचय

- राजमाता अहिल्याबाई होल्कर मालवा साम्राज्य की होल्कर महारानी थीं। उन्हें भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक माना जाता है।
- 18वीं शताब्दी में, **मालवा की महारानी** के रूप में, उन्होंने धर्म का संदेश प्रसारित करने और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वह अपनी **बुद्धिमत्ता, साहस और प्रशासनिक कौशल** के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं। विवाह के बारह वर्ष बाद, कुम्हेर किले की घेराबंदी के दौरान उनके पति खंडेराव की मृत्यु हो गई।
- अहिल्याबाई इतनी दुखी हुईं कि उन्होंने सती होने का निर्णय लिया। उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें ऐसा कठोर कदम उठाने से रोका। इसके बजाय, उन्होंने उन्हें अपने संरक्षण में लिया और सैन्य तथा प्रशासनिक मामलों में प्रशिक्षित किया।
- उनके ससुर मल्हार राव का 1766 में निधन हो गया और अगले वर्ष, उनके पुत्र माले राव का भी निधन हो गया।
- 1767 में पेशवा ने अहिल्याबाई को मालवा पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 11 दिसंबर, 1767 को **वे गद्दी पर बैठीं और इंदौर की शासक बनीं।**

शासन और प्रशासन

- **अहिल्याबाई के शासन में शांति और समृद्धि:** अहिल्याबाई के शासन में, मालवा में अपेक्षाकृत शांति, समृद्धि और स्थिरता थी, और उनकी राजधानी महेश्वर, साहित्यिक, संगीत, कलात्मक और औद्योगिक गतिविधियों का एक रमणीक स्थल बन गई थी।
- **कला और विद्वत्ता का संरक्षण:** कवियों, कलाकारों, मूर्तिकारों और विद्वानों का उनके राज्य में स्वागत किया जाता था, क्योंकि वह उनके कार्यों को बहुत सम्मान देती थीं।
- **कल्याण-उन्मुख प्रशासन:** आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए वह प्रतिदिन जनसभाएँ करती थीं। वह न केवल एक योग्य शासक साबित हुईं, बल्कि अपनी प्रजा की संरक्षक और मार्गदर्शक भी रहीं। उनका शासन इंदौर से भी आगे तक फैला हुआ था, और उनकी पहल करुणा और दूरदर्शिता दोनों को दर्शाती थी।

राष्ट्र निर्माण में योगदान

- **उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** अहिल्याबाई ने महेश्वर में एक कपड़ा उद्योग की स्थापना की, जो आज अपनी माहेश्वरी साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
- **धार्मिक योगदान और मंदिर जीर्णोद्धार:** उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान 1780 में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और मरम्मत था। देवी अहिल्याबाई को गुजरात में पुराने (जूना) सोमनाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह मंदिर अहिल्याबाई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। धर्म और दान में गहरी रुचि के साथ, उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें बारह ज्योतिर्लिंगों में से दो भी शामिल हैं। उनका दान उनके क्षेत्र से आगे बढ़कर शेष भारत तक फैला हुआ था।
- **पूरे भारत में दान और तीर्थयात्रा का बुनियादी ढांचा:** अहिल्याबाई ने पूरे भारत में सड़कों और विश्राम गृहों के निर्माण की पहल की और हरिद्वार, काशी, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थलों पर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया।

- **महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा पहल:** अपने समय के एक क्रांतिकारी कदम के रूप में, उन्होंने एक महिला सेना का गठन किया और उन्हें युद्ध, आत्मरक्षा और प्रशासनिक सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया। यह सेना राज्य की रक्षा, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: होलकर राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना मल्हार राव होलकर ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा संघ के एक भाग के रूप में की थी।
2. अहिल्याबाई होलकर के शासन में, राजवंश की राजधानी इंदौर में स्थापित की गई और यह शहर एक प्रमुख सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र बन गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

बिरसा मुंडा

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और आदिवासी अधिकार आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अपार योगदान को याद किया। आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए बिरसा मुंडा का बलिदान और समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

बिरसा मुंडा के बारे में



- 15 नवंबर, 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा ने **झारखंड के आदिवासियों के बीच 'उलगुलान' (महान विद्रोह) नामक आंदोलन का नेतृत्व किया।** 1899 में हुए इस विद्रोह के दौरान, उनके हज़ारों अनुयायियों ने अपनी मातृभाषा में उद्घोषणा की: "दिकु राज टुंटू जाना - अबुआ राज एते जाना", जिसका अर्थ है **"बाहरियों का शासन समाप्त, हमारा अपना शासन शुरू।"** इस आंदोलन से भयभीत होकर अंग्रेजों ने क्रूर दमन का सहारा लिया।
- आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजे जाने वाले, वे **एक असाधारण नेता थे जिन्होंने आदिवासी परंपराओं पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव को पहचाना।** रांची स्थित जनजातीय शोध संस्थान के शोधकर्ता विवेक आर्यन के अनुसार, बिरसा मुंडा ने स्कूली छात्र रहते हुए ही आदिवासी अधिकारों के हनन को महसूस कर लिया था। उनकी सक्रियता के कारण **1890 में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया।** दृढ़ निश्चयी होकर, उन्होंने आदिवासी समुदायों में जागरूकता फैलाना शुरू किया और उन्हें उनके अधिकारों के लिए एकजुट किया।
- 1895 तक, बिरसा मुंडा अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे, जिसके कारण 24 अगस्त, 1895 को उन्हें चलकद गाँव से गिरफ्तार कर लिया गया। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि 19 नवंबर, 1895 को **उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।** 30 नवंबर, 1897 को उनकी रिहाई के बाद, मुंडा जनजातियाँ एक बार फिर उनके नेतृत्व में एकजुट हुईं, जिससे एक बड़े पैमाने पर विद्रोह का मंच तैयार हुआ।

उलगुलान आंदोलन और बिरसा मुंडा का विद्रोह

- 24 दिसंबर, 1899 को, बिरसा मुंडा ने **जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासियों के अधिकारों का दावा करने के लिए उलगुलान (अर्थात "महा-उग्रवाद") शुरू किया।** जनवरी 1900 तक, विद्रोह छोटानागपुर क्षेत्र में फैल गया था।
- यह विद्रोह 9 जनवरी, 1900 को अपने चरम पर पहुँच गया, **जब हज़ारों मुंडा आदिवासी पारंपरिक हथियारों से लैस होकर डोंबारी बुरु पहाड़ी पर एकत्र हुए।**
- मुखबिरों से मिली सूचना पर, अंग्रेजों ने भारी हथियारों से लैस होकर पहाड़ी को घेर लिया। इसके बाद हुई हिंसक झड़प में **लगभग 400 आदिवासी मारे गए और पास की तजना नदी कथित तौर पर खून से लाल हो गई।** हालाँकि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन बिरसा मुंडा भागने में सफल रहे।
- हालाँकि, 3 फ़रवरी, 1900 को उन्हें चाईबासा के जंगलों से सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गुप्त रूप से रांची ले जाया गया, एक नकली मुकदमे में उन पर मुकदमा चलाया गया और रांची जेल में कैद कर दिया गया, जहाँ उन्हें क्रूर यातनाएँ दी गईं। 9 जून, 1900 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई, जिसका कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने हैजा बताया। उनके पार्थिव शरीर को रांची के आज के डिस्टिलरी ब्रिज के पास दफनाया गया, जहाँ अब एक स्मारक है।
- रांची जेल को तब से **बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय** में बदल दिया गया है, जो उनकी शहादत और भारत के आदिवासी प्रतिरोध आंदोलन में उनके योगदान को याद करता है।

निष्कर्ष

बिरसा मुंडा औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध आदिवासी प्रतिरोध और स्वदेशी लोगों के संघर्ष का एक सशक्त प्रतीक बने हुए हैं। उनका उलगुलान केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि आदिवासी पहचान, भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक गरिमा के लिए एक दूरदर्शी संघर्ष था। लाखों लोगों द्वारा भगवान के रूप में पूजित, उनकी विरासत भारत में सामाजिक न्याय, स्वशासन और हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण के आंदोलनों को प्रेरित करती रही है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बिरसा मुंडा का उलगुलान एक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन था जिसने औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी और स्वदेशी अधिकारों का दावा किया। इस आंदोलन के सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव और समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

इकाई 12

'योजना' से महत्वपूर्ण आलेख (जून 2025)

ऑपरेशन सिंदूर - भारत की रणनीतिक स्पष्टता और सुनियोजित शक्ति

I. ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि और कारण

- **पहलगाम हमला - 22 अप्रैल, 2025**
  - पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम के एक गाँव पर धावा बोला।
  - हमलावरों ने ग्रामीणों से उनका धर्म पूछा और 26 लोगों की हत्या कर दी।
  - उनका लक्ष्य सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था, जो सामान्य सीमा पार आतंकवाद से आंतरिक अस्थिरता की ओर बदलाव का संकेत था।
- **धार्मिक स्थलों पर हमले**
  - **पाकिस्तान ने ड्रोन और तोपखाने से धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ाए:**
    - जम्मू में शंभू मंदिर
    - पुंछ में गुरुद्वारा
    - ईसाई कॉन्वेंट
    - ये भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने के लिए जानबूझकर, समन्वित प्रयास थे।

II. भारत की प्रतिक्रिया - ऑपरेशन सिंदूर शुरू

- **ऑपरेशन की प्रकृति**
  - 7 मई को एक संतुलित, गैर-उग्र, केंद्रित सैन्य प्रतिक्रिया के रूप में घोषित।
  - उन्होंने आतंकवादी ढाँचे को निशाना बनाया, न कि नागरिक या असंबंधित सैन्य संपत्तियों को।
  - उन्होंने दोहराया कि भारतीय सैन्य ठिकानों पर किसी भी हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा।
- **जवाबी हवाई हमले**
  - **प्रमुख लक्ष्य नष्ट:**
    - लाहौर में रडार प्रतिष्ठान
    - गुजरांवाला के पास रडार सुविधाएँ
- **युद्धविराम की घोषणा - 10 मई, 2025**
  - पाकिस्तान के DGMO ने युद्धविराम का अनुरोध किया।
  - दोनों पक्ष 1700 बजे IST से ज़मीन, हवा और समुद्र में गोलीबारी रोकने पर सहमत हुए।
- **युद्धविराम के बाद ड्रोन घुसपैठ**
  - युद्धविराम के बावजूद, पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक/सैन्य क्षेत्रों में यूएवी भेजे।
  - भारतीय रक्षा प्रणालियों ने सभी घुसपैठों को रोक दिया।
  - फील्ड कमांडरों को किसी भी उल्लंघन का जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया।

III. सूचना युद्ध का आयाम

- **पाकिस्तान का दुष्प्रचार अभियान**
  - हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया आक्रामक गलत सूचना अभियान।
  - **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करना, आख्यान बदलना और आक्रमण को उचित ठहराना।
- **भारत की डिजिटल प्रतिक्रिया**
  - तथ्यों का पारदर्शी संचार।
  - पाकिस्तान के छेड़छाड़ करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का पर्दाफाश किया।
  - नागरिकों को फर्जी खबरों की पहचान करने में मदद करने के लिए मीडिया साक्षरता अभियान शुरू किए।
  - रणनीतिक शांति और डिजिटल सतर्कता बनाए रखी।

IV. गैर-सैन्य उपाय और सामरिक कूटनीति

(i) जल का लाभ - सिंधु जल संधि का निलंबन

- **1960 में हस्ताक्षरित संधि की समाप्ति**
  - तब तक निलंबित जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना अपरिवर्तनीय रूप से बंद नहीं कर देता।
- **पाकिस्तान पर प्रभाव**
  - **सिंधु बेसिन के लिए महत्वपूर्ण:**
    - 80% कृषि योग्य भूमि
    - 93% जल उपयोग
    - 237 मिलियन लोगों का भरण-पोषण, सकल घरेलू उत्पाद का 25%
  - **कमज़ोरियाँ:**
    - मंगला और तरबेला बांधों में केवल 10% जीवित भंडारण है।
    - व्यवधान से खाद्यान्न की कमी, बिजली कटौती और औद्योगिक गतिरोध हो सकता है।
  - **भारत के लिए लाभ**
    - झेलम और चिनाब पर प्रतिबंध हटाता है।
    - जम्मू-कश्मीर,लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में बांध और जलाशय निर्माण को सक्षम बनाता है।
    - सिंचाई और जलविद्युत को बढ़ावा देता है।
    - **राष्ट्रीय संदेश को पुष्ट करता है:** "रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते।"

(ii) व्यापार और आवागमन पर प्रतिबंध

- • अटारी-वाघा सीमा बंद
  - ➢ चेक पोस्ट बंद; केवल 1 मई तक ही विदेशी आवाजाही की अनुमति।
- **व्यापार निलंबन**
  - ➢ प्याज जैसे निर्यात बंद।
  - ➢ सीमेंट और वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध।
  - ➢ पाकिस्तान की नाज़ुक अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई।
- **निर्वासन और वीज़ा रद्द**
  - ➢ सभी पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित किया गया।
  - ➢ पाकिस्तानियों के लिए SVES (सार्क वीज़ा छूट योजना) निलंबित।
- **सांस्कृतिक अलगाव**
  - ➢ पाकिस्तानी कलाकारों और सामग्री पर प्रतिबंध।
  - ➢ स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर पाकिस्तानी मीडिया की मेजबानी पर रोक।

(iii) राजनयिक और ख़ुफ़िया दबाव

- **वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान का अलगाव**
  - ➢ आतंकवादी संबंधों का सार्वजनिक रूप से पर्दाफ़ाश।
  - ➢ कई देशों से समर्थन प्राप्त।
- **राजनयिक उपस्थिति में कमी**
  - ➢ भारत में पाकिस्तान के सैन्य सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया।
  - ➢ दूतावास के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई।

V. रणनीतिक नेतृत्व और सिद्धांत परिवर्तन

(i) प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व

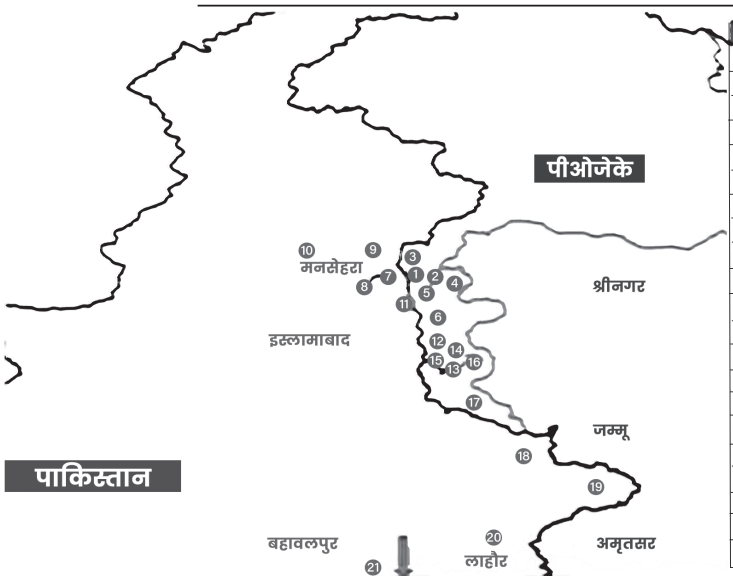
- **त्वरित, संयमित निर्णय**
  - ➢ विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
  - ➢ भावनात्मक प्रतिशोध से परहेज किया; रणनीतिक अनिश्चितता पर ज़ोर दिया।
- **उद्देश्य की स्पष्टता**
  - ➢ आतंकवाद और युद्ध समान हैं, आतंकवादी समूहों और उनके राज्य प्रायोजकों के बीच कोई अंतर नहीं।
  - ➢ निर्णायक, नैतिक और भारत-केंद्रित सिद्धांत अपनाया गया।
- **प्रतिक्रिया का सिद्धांत**
  - ➢ आतंकवादी हमला = युद्ध की कार्रवाई
  - ➢ परमाणु ब्लैकमेल प्रतिक्रिया को नहीं रोक पाएगा
  - ➢ राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच कोई अंतर नहीं
  - ➢ आतंक और बातचीत / आतंक और व्यापार / पानी और खून —एक साथ नहीं रह सकते
- **सार्वजनिक संबोधन - 12 मई**
  - ➢ ऑपरेशन सिंदूर न्याय और एकता का प्रतीक है।
  - ➢ "हमने हमेशा पाकिस्तान को हराया है; यह ऑपरेशन एक नया आयाम जोड़ता है।"

VI. ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियाँ



- **नौ आतंकी शिविर नष्ट**
  - ➢ पीओजेके और पाकिस्तान में; 100 से ज़्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया।

पीओजेके और पाकिस्तान में आतंकवादी शिविर



क्रम संख्या	शिविर
1.	सवाई नाला
2.	सैयद ना बिलाल
3.	मास्कर-ए-अक्सा
4.	चेलाबंदी
5.	अब्दुल्ला बिन मसूद
6.	दुलाई
7.	गढ़ी हबीबुल्लाह
8.	बन्नासी
9.	बालाकोट
10.	ओघी
11.	बीओआई
12.	सेंसा
13.	गुलपुर
14.	कोटली
15.	बटाली
16.	डुंगी
17.	बरनाला
18.	महमूना जोया
19.	सरजल
20.	मुरीदके
21.	बहावलपुर

- **सीमा पार से गहन हमले**
  - ➢ लाहौर, बहावलपुर, पंजाब आदि में लक्ष्य भेदे गए नई रणनीतिक लाल रेखा
  - ➢ राज्य की नीति के रूप में आतंक = प्रत्यक्ष और बलपूर्वक प्रतिशोध को आमंत्रित करता है।
- **दोहरा लक्ष्यीकरण**
  - ➢ आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों, दोनों को निष्प्रभावी किया गया।
- **पाकिस्तान की वायु रक्षा कमियों को उजागर किया गया**
  - ➢ भारतीय राफेल जेट, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने चीन द्वारा आपूर्ति की गई सुरक्षा को चकमा दिया।
- **भारत की वायु रक्षा श्रेष्ठता**
  - ➢ आकाशतीर प्रणाली और अन्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियों द्वारा सैकड़ों ड्रोनों को निष्क्रिय किया गया।
- बिना तनाव बढ़ाए सर्जिकल सटीकता **आकाशतीर प्रणाली और अन्य स्वदेशी तकनीकों द्वारा सैकड़ों ड्रोनों को निष्प्रभावी किया गया।**
  - ➢ नागरिक और गैर-आतंकवादी लक्ष्यों से बचा गया।
- **उच्च-मूल्यवान आतंकवादी कमांडरों का खात्मा**
  - ➢ **लक्ष्यों में शामिल हैं:**
  - ➢ यूसुफ़ अज़हर (IC-814 अपहरण)
  - ➢ अब्दुल मलिक रऊफ़
  - ➢ मुदस्सिर अहमद (पुलवामा लिंक)
- **11 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले**
  - ➢ 23 मिनट में पाकिस्तान की 20% हवाई संपत्ति नष्ट कर दी गई।
  - ➢ भोलारी एयर बेस को भारी नुकसान हुआ।
- **तीनों सेनाओं का समन्वय**
  - ➢ **सेना, नौसेना और वायु सेना ने समन्वित हमलों में काम किया।**
- **सामरिक स्वायत्तता**
  - ➢ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अनुमोदन नहीं लिया; आत्मरक्षा के अधिकार का दावा किया।
- **वैश्विक समर्थन**
  - ➢ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन - संयम के सामान्य आह्वान से एक बदलाव।
- **कश्मीर पर कथानक में बदलाव**
  - ➢ वैश्विक ढाँचा केवल आतंकवाद-विरोध पर केंद्रित था, कश्मीर की राजनीति पर नहीं।

VII. निष्कर्ष: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति में एक आदर्श बदलाव

- ऑपरेशन सिंदूर केवल जवाबी कार्रवाई नहीं थी - यह भारत की रणनीतिक स्पष्टता की एक पुनर्परिभाषा थी।
- शून्य सहनशीलता दिखाई, फिर भी संयम बरता।
- सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक, डिजिटल और सूचनात्मक साधनों का संयोजन किया।
- **एक स्पष्ट संदेश दिया:**
  - ➢ "भारत पलटवार करेगा – तेज़ी से, सर्जिकल स्ट्राइक के साथ, और पूरी नैतिक स्पष्टता के साथ।"
- इस ऑपरेशन ने एक नए निवारक सिद्धांत की स्थापना की, जिसने भारत की आंतरिक एकता को वैश्विक नेतृत्व के साथ संरेखित किया।

आत्मनिर्भरता का उदय राष्ट्रीय सुरक्षा में नवाचार

I. संदर्भ और पृष्ठभूमि: ऑपरेशन सिंदूर एक मोड़ के रूप में

- **ख़तरे की प्रकृति:**
  - ➢ असममित युद्ध का एक नया स्वरूप उभर रहा है, जहाँ आतंकवादी अब सेना के साथ-साथ नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं।
  - ➢ अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, ने सीमा पार हमलों से सांप्रदायिक अस्थिरता की रणनीति में बदलाव को चिह्नित किया।
- **भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया:**
  - ➢ ऑपरेशन सिंदूर एक सटीक और सुनियोजित प्रतिक्रिया थी, बिना नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार किए।
  - ➢ इसमें न केवल सामरिक श्रेष्ठता पर, बल्कि आत्मनिर्भर तकनीकी युद्ध क्षमताओं पर भी ज़ोर दिया गया था।
- **ऑपरेशन का महत्व:**
  - ➢ स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक मील का पत्थर, ड्रोन, वायु रक्षा नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी उन्नत तकनीकी प्रणालियों को एकीकृत करना।

II. वायु रक्षा क्षमताएँ: सुरक्षा का पहला स्तर

- **आक्रमण और रक्षा (7-8 मई, 2025):**
  - ➢ पाकिस्तान ने प्रमुख भारतीय सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं: अवंतीपोरा, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़, फलौदी, भुज, आदि।
  - ➢ इन हमलों को भारत के एकीकृत काउंटर-यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया।
- **वायु रक्षा तंत्र:**
  - ➢ इसमें रडार, नियंत्रण केंद्र, तोपखाने और मिसाइल प्रणालियों का उपयोग शामिल था – हवाई और स्थल दोनों।
  - ➢ भारतीय बलों ने लाहौर में स्थित एक सहित पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों को निष्प्रभावी करके जवाबी कार्रवाई की।

III. वायु रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन: स्वदेशी + विरासत मिश्रण

- **कार्यरत प्रणालियाँ:**
  - ➢ युद्ध-सिद्ध हथियार: पिकोरा, ओएसए-एके, और एल एल ए डी बंदूकें।
  - ➢ **स्वदेशी विशेषता: आकाश मिसाइल प्रणाली:**
    - ♦ कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम)।
    - ♦ स्वायत्त/समूह मोड में कई लक्ष्यों पर निशाना साधती है।
    - ♦ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेजर (ईसीसीएम) से सुसज्जित।
    - ♦ पूरी तरह से मोबाइल हथियार प्लेटफ़ॉर्म।
- **समन्वित संचालन:**
  - ➢ सेना, नौसेना, और मुख्य रूप से वायु सेना की एकीकृत प्रणालियों ने एक बहु-क्षेत्रीय, अभेद्य रक्षा कवच बनाया।
  - ➢ नेट-केंद्रित युद्ध के लिए IACCS (एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली) द्वारा समर्थित।

IV. आक्रामक सटीकता: सर्जिकल, कैलिब्रेटेड और स्वदेशी

- **लक्षित हमले:**
  - ➢ **पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर हमला**: नूर खान और रहीम यार खान।
  - ➢ उच्च-मूल्यवान संपत्तियों को नष्ट करने के लिए घूमते हुए हथियारों ('कामिकेज़ ड्रोन') का इस्तेमाल किया।

- **आक्रामक उपायों की प्रभावशीलता:**
  - भारतीय संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ।
  - ऑपरेशन केवल 23 मिनट में पूरा हो गया।
  - उन्नत जैमिंग और निगरानी प्रणालियों का उपयोग करके पाकिस्तान में चीनी मूल की वायु रक्षा प्रणालियों को दरकिनार कर दिया गया।

V. निष्क्रिय शत्रु प्रौद्योगिकी के साक्ष्य

- **बरामद प्रौद्योगिकियां:**
  - चीनी मूल की PL-15 मिसाइलें
  - तुर्की मूल के UAV (Yiha/YEEHAW)
  - लंबी दूरी के रॉकेट, क्वाडकॉप्टर, वाणिज्यिक ड्रोन
- **निहितार्थ:**
  - भारत ने स्वदेशी प्रणालियों के माध्यम से विदेशी मूल के उन्नत हथियारों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया।

VI. बहुस्तरीय रक्षा: समन्वय और तैयारी

- **प्रत्याशित जवाबी कार्रवाई:**
  - भारत ने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की आशंका जताई और सीमा पार स्तरीय रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया।
- **रक्षात्मक विन्यास:**
  - **मिश्रण:**
    - मानवरहित हवाई प्रणालियों (CUAS) का मुकाबला
    - कंधे से दागे जाने वाले हथियार
    - पारंपरिक और आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियाँ
- **परिणाम:**
  - 9-10 मई को रसद प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों पर हमला करने के पाकिस्तान के प्रयास विफल रहे।
  - भारत में कोई महत्वपूर्ण नागरिक/सैन्य बुनियादी ढाँचे को नुकसान नहीं पहुँचा।
- **सरकार की भूमिका:**
  - इन प्रणालियों का विकास रक्षा स्वदेशीकरण में एक दशक के निरंतर निवेश के बाद किया गया था।

VII. राष्ट्रीय सुरक्षा में इसरो की रणनीतिक भूमिका

- **उपग्रह निगरानी:**
  - इसरो राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रों की 24x7 निगरानी के लिए कम से कम 10 उपग्रहों का संचालन करता है।
- **भू-स्थानिक निगरानी:**
  - 7,000 किलोमीटर तटीय क्षेत्रों और संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र का कवरेज।
  - उपग्रह और ड्रोन अब राष्ट्रीय रक्षा और निगरानी के लिए आवश्यक हैं।

VIII. भारत के स्वदेशी ड्रोन उद्योग का उदय

- **ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI):**
  - 550 से अधिक ड्रोन फर्मों और 5,500 पायलटों का प्रतिनिधित्व करता है।
  - 2030 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने का लक्ष्य।
- **बाजार का आकार:**
  - भारतीय ड्रोन बाजार 2030 तक 11 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो वैश्विक बाजार का 12.2% है।
- **सरकारी प्रोत्साहन:**
  - ड्रोन और उसके घटकों के लिए सितंबर 2021 में पीएलआई योजना शुरू की गई।
  - वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक के लिए ₹120 करोड़ का बजट।
- **भविष्य की दिशा:**
  - एआई-संचालित स्वायत्त ड्रोन पर ध्यान केंद्रित।
  - ड्रोन युद्ध में एआई-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया का एकीकरण।

IX. भारत की रक्षा विनिर्माण क्रांति

- **निर्यात और उत्पादन वृद्धि:**
  - वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात ₹24,000 करोड़ तक पहुँच गया।
  - **लक्ष्य**: 2029 तक ₹50,000 करोड़।
  - **वित्त वर्ष 2023-24 में स्वदेशी उत्पादन**: ₹1.27 लाख करोड़।
- **'मेक इन इंडिया' की सफलता की कहानियाँ:**
  - **विकसित प्लेटफ़ॉर्म:**
    - **तोपखाना**: धनुष, एटीएजीएस
    - **कवच:** अर्जुन एमबीटी
    - **विमान और यूएवी**: एलसीए तेजस, एएलएच, एलयूएच
    - **मिसाइल प्रणालियाँ**: आकाश
    - **नौसेना पोत**: विध्वंसक, पनडुब्बी, आईएसी, ओपीवी
- **सरकारी समर्थन:**
  - आईडीईएक्स (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार)
  - सृजन पहल (स्वदेशीकरण)
  - रक्षा औद्योगिक गलियारे (उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु)
  - एलसीएच प्रचंड और एटीएजीएस जैसी प्रमुख ख़रीद
- **विज़न 2047:**
  - **लक्ष्य:** 2047 तक दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक बनना।
  - **मध्यवर्ती लक्ष्य**: ₹3 लाख करोड़ का उत्पादन और 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये का निर्यात।

X. निष्कर्ष: सामरिक हमले से रणनीतिक परिवर्तन तक

- **ऑपरेशन सिंदूर एक मील का पत्थर:**
  - न केवल एक सैन्य सफलता, बल्कि भारत के रक्षा नवाचार और आत्मनिर्भर भारत नीतियों की पुष्टि।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल में प्रौद्योगिकी:**
  - वायु रक्षा, ड्रोन, काउंटर-यूएएस और नेट-केंद्रित अभियानों में स्वदेशी प्रणालियों ने निर्णायक भूमिका निभाई।
- **क्षेत्रों का संलयन:**
  - निजी नवाचार, सार्वजनिक कार्यान्वयन और सैन्य नेतृत्व के बीच सहयोग ने इस अभियान की रीढ़ बनाई।
- **भारत की भविष्य-तैयार स्थिति:**
  - ऑपरेशन सिंदूर दर्शाता है कि भारत आधुनिक युद्ध के लिए तैयार है।
  - स्वदेशी प्रौद्योगिकी, राजनीतिक इच्छाशक्ति और रक्षा में वैश्विक नेतृत्व के लिए एक दृष्टिकोण से लैस।

इकाई 13

'कुरुक्षेत्र' से महत्वपूर्ण आलेख (जून 2025)

सहकारिता और खाद्य सुरक्षा - भारत के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव

I. परिचय: भारत की अनूठी खाद्य सुरक्षा चुनौती

भारत की जनसांख्यिकी और कृषि संबंधी विषमता

- • भारत के पास दुनिया की **11% कृषि योग्य भूमि** (16 करोड़ हेक्टेयर) है, लेकिन उसे **वैश्विक जनसंख्या के 18%** (वैश्विक स्तर पर 790 करोड़ में से 140 करोड़ लोग) को भोजन उपलब्ध कराना है।
- • यह **खाद्य उत्पादन क्षमता और उपभोग आवश्यकताओं के बीच असंतुलन** को दर्शाता है।

वर्तमान उत्पादन और भंडारण परिदृश्य

- **भारत में खाद्यान्न उत्पादन (2021)**: 311 मिलियन मीट्रिक टन (MMT)
- **भंडारण क्षमता**: केवल 145 MMT
- **घाटा**: 166 MMT (भंडारण बुनियादी ढांचे में 47% की कमी)
- अन्य देश अपने खाद्य उत्पादन का 131% तक भंडारण कर सकते हैं;
- भारत कटाई के बाद होने वाले नुकसान और खराब वितरण प्रणालियों से जूझ रहा है।

सरकार की प्रतिक्रिया (2023)

- सहकारी क्षेत्र में **विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ।**
- PACS **(प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ)** को **प्रमुख सक्षमकर्ता** के रूप में पहचाना गया।
- योजना का उद्देश्य **PACS के कार्यों में विविधता लाना** और उन्हें इनपुट, ऋण और बुनियादी ढाँचे जैसी सेवाओं से सशक्त बनाना है।

II. सहकारी क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता

उपस्थिति और पहुँच

- भारत में **1.1 लाख से अधिक PACS हैं।**
- ये लगभग **13 करोड़ किसानों** का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सेवा प्रदाता के रूप में सहकारी समितियाँ

- **निम्नलिखित क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करती हैं:**
  - इनपुट वितरण
  - बाज़ार पहुँच
  - भंडारण
  - प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी
- **उल्लेखनीय उदाहरण:**
  - **तमिलनाडु:** 94% सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानें सहकारी समितियों द्वारा संचालित हैं।
  - **अमूल:** भारत को सबसे बड़े दूध उत्पादक में बदल दिया।
  - **मदर डेयरी:** किफायती डेयरी और सब्जियाँ सुनिश्चित करता है।
  - **महाराष्ट्र:** विकास अध्ययन अकादमी द्वारा अनाज बैंक अनाज के रूप में ऋण प्रदान करते हैं।

बफर स्टॉक प्रबंधन

- NAFED प्याज, दालों आदि का बफर स्टॉक बनाए रखता है।
- सहकारी समितियाँ **केंद्रीकृत खरीद और भंडारण प्रणाली** बनाने में मदद कर सकती हैं।

परिचालन संबंधी कमियाँ

- **PACS से जुड़ी समस्याएँ**: भंडारण का खराब प्रबंधन, सीमित तकनीकी विशेषज्ञता।
- **सरकार की प्रतिक्रिया**: 'सहकार-से-समृद्धि' का विजन (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि)।
- PACS के विविधीकरण और आधुनिकीकरण की योजना।

III. भारत में खाद्य भंडारण - एक खंडित आधार



बुनियादी ढाँचे से जुड़ी समस्याएँ

- **भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों में निम्नलिखित समस्याएँ हैं:**
  - खराब रखरखाव
  - अनाज का खराब होना
  - उच्च लागत

- अनाज का अति-लक्ष्यीकरण

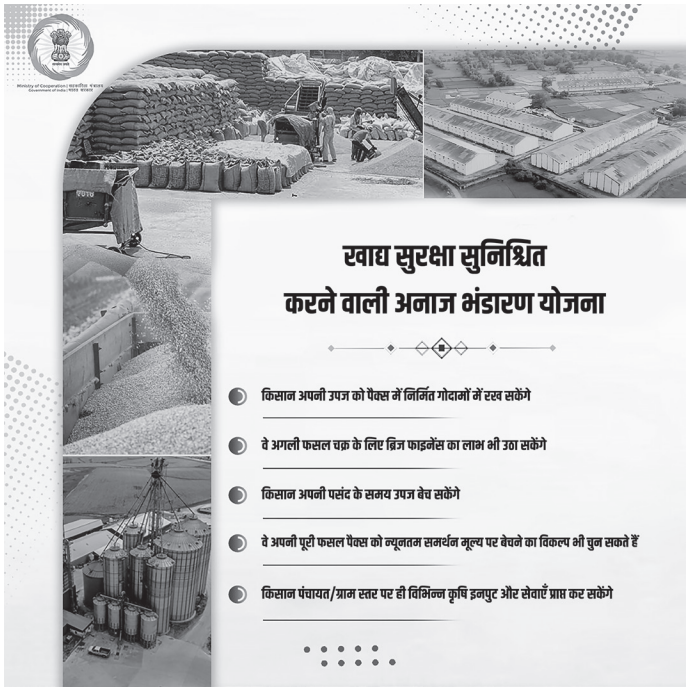
- **अनुमानित नुकसान:** कुल अनाज का 10-15%, जो कि ₹90,000 करोड़ प्रतिवर्ष के बराबर है



सहकारी नेतृत्व वाले भंडारण प्रशासन की आवश्यकता

- **एक सहकारी-आधारित मॉडल प्रदान करता है:**
  - जोखिम न्यूनीकरण
  - कम नुकसान
  - सामुदायिक स्वामित्व

IV. PACS और खाद्य सुरक्षा: नया रोडमैप



नई भंडारण पहल (2023)

- **निवेश:** ₹1.25 लाख करोड़
- **लक्ष्य:** 5 वर्षों में 700 लाख टन भंडारण
- **पहुँच:** 67,000 कार्यशील PACS को शामिल किया जाएगा।

रणनीतिक लक्ष्य

- **कटाई के बाद होने वाले नुकसान** को कम करना
- **परिवहन की अक्षमताओं** को दूर करना
- **स्थानीय भंडारण** को सक्षम बनाना
- **PACS को प्रत्यक्ष खरीद एजेंसियों** के रूप में सशक्त बनाना
- **MSP खरीद तक पहुँच** और किसानों की आय में सुधार

प्रगति संकेतक

- 11 राज्यों में 11 PACS में **गोदाम निर्माण** शुरू हुआ।
- 500 और **PACS में आधारशिला** रखी गई।
- **576 PACS** ने विनिर्देशों के तहत निर्माण कार्य शुरू किया।
- 67,930 PACS में **कम्प्यूटरीकरण** किया गया; 43,658 पूरी तरह से कार्यशील।

योजना अभिसरण

- **निम्नलिखित से प्राप्त सहायता का विलय:**
  - एआईएफ
  - एएमआई
  - एसएमएएम
  - पीएमएफएमई
- **अतिरिक्त सहायता:**
  - **पीएम-किसान:** आय सहायता
  - **पीएमएफबीवाई:** फसल बीमा
  - **ई-नाम:** डिजिटल बाजार पहुँच

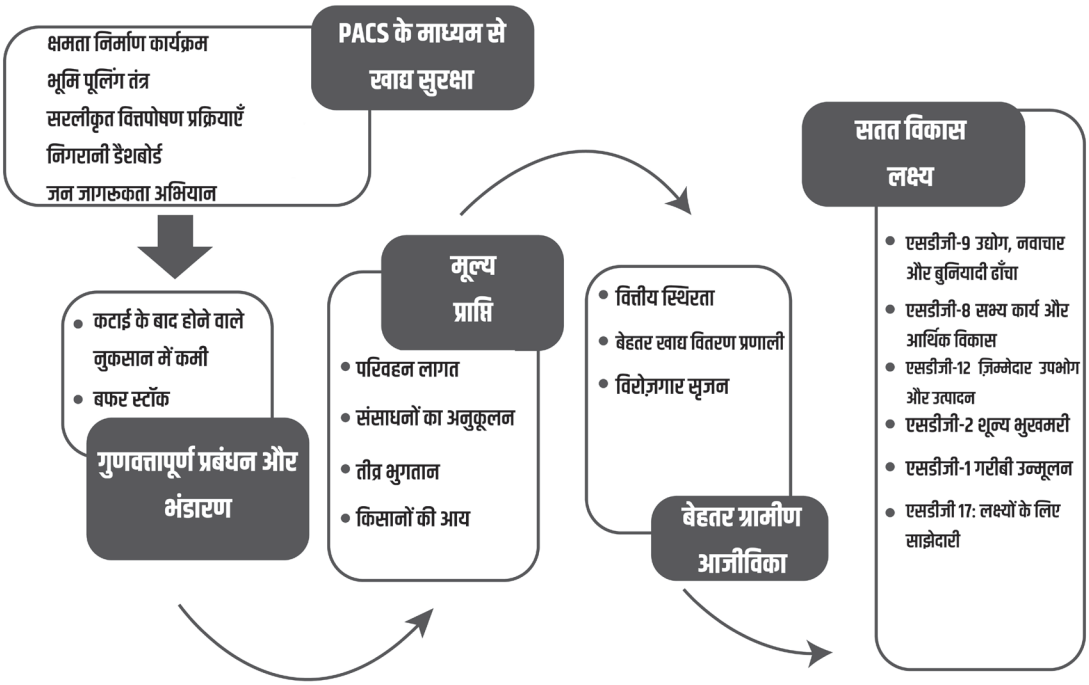
V. PACS के लिए शासन और संस्थागत ढाँचा

सहायक योजनाएँ और संस्थान

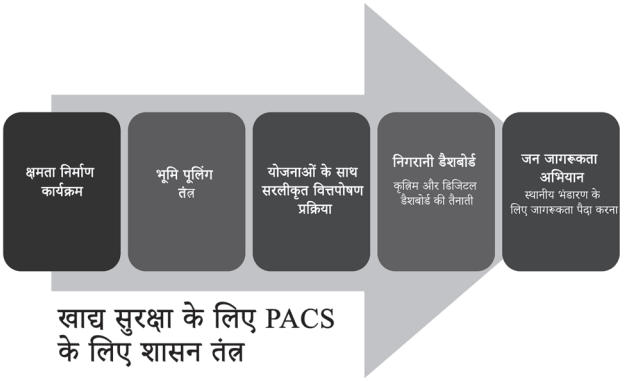
- **एआईएफ (कृषि अवसंरचना कोष):**
  - **प्रारंभ:** मई 2020
  - **परिव्यय:** ₹1 लाख करोड़
  - 7 वर्षों के लिए ₹2 करोड़ तक 3% ब्याज अनुदान प्रदान करता है।
- **एएमआई:** PACS भंडारण भवनों के लिए 33% सब्सिडी।
- **नाबार्ड:** PACS के लिए अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान।
- **अन्य हितधारक:**
  - राष्ट्रीय कोल्ड चेन योजना
  - एनसीडीसी
  - ग्रामीण भंडारण योजना

कार्यान्वयन चुनौतियाँ

- सरकारी एजेंसियों, सहकारी समितियों और बैंकों के बीच **समन्वय संबंधी बाधाएँ।**
- **समय पर धन वितरण** और **भूमि उपलब्धता** संबंधी समस्याएँ।
- **सहकारिता मंत्रालय** के अंतर्गत **एकल-खिड़की तंत्र** की आवश्यकता।



VI. क्षमता निर्माण और भूमि पूलिंग



प्रशिक्षण आवश्यकताएँ

- **ध्यान केंद्रित:**
  - इन्वेंट्री प्रबंधन
  - डिजिटल खरीद
  - अनाज की गुणवत्ता
  - नियामक अनुपालन
- **उद्देश्य:** पेशेवर सामुदायिक स्तर के प्रबंधकों का एक कैडर तैयार करना।

भूमि पूलिंग

- **घनी आबादी वाले क्षेत्रों** में महत्वपूर्ण।
- सुचारू निर्माण और विस्तार के लिए गोदामों के लिए भूमि **पंचायतों** के माध्यम से पूल की जानी चाहिए।

VII. वित्तीय योजना और जोखिम प्रबंधन

अवशोषण क्षमता का आकलन

- PACS को **सरकारी सहायता समाप्त होने के बाद स्थायित्व सुनिश्चित करने** के लिए **वित्तीय रोडमैप** तैयार करना होगा।

सरलीकृत वित्तपोषण उपकरण

- **उपलब्ध कराए गए उपकरण:**
  - सब्सिडी
  - ब्याज अनुदान
  - ऋण गारंटी
- **PACS को यह भी प्रबंधित करना होगा:**
  - शासन जोखिम
  - परिचालन अनिश्चितताएँ
  - मानव संसाधन और जवाबदेही तंत्र

VIII. डिजिटलीकरण और एआई

तकनीक के उपयोग के माध्यम से निगरानी

- **कम्प्यूटरीकरण निम्नलिखित की डैशबोर्ड-आधारित निगरानी सुनिश्चित करता है:**
  - भंडारण क्षमता
  - खरीद डेटा
  - वित्तीय ट्रैकिंग
- एआई उपकरण **डेटा-संचालित शासन और स्मार्ट भंडारण प्रबंधन का समर्थन करते हैं।**

संस्थागत निगरानी तंत्र

- **अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी):** केंद्र-स्तरीय निगरानी।
- **राज्य सहकारी विकास समितियाँ:** राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन।
- **जिला सहकारी समितियाँ:** जमीनी स्तर पर निगरानी।

IX. किसानों की भागीदारी और जागरूकता

सहभागिता की आवश्यकता

- किसानों को अनाज के भंडारण और प्रबंधन में **अपनी भूमिका के बारे में जागरूक** होना चाहिए।

- अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए **जन जागरूकता अभियान** महत्वपूर्ण हैं।

X. खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

खाद्य सुरक्षा के मुख्य तत्व

- **बफर स्टॉक** रखरखाव
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)** प्रबंधन

प्रत्याशित परिणाम

- **कटाई के बाद होने वाले नुकसान** में कमी
- बेहतर **गुणवत्ता प्रबंधन** और **मूल्य प्राप्ति**
- बेहतर **ग्रामीण आजीविका**
- **सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति:**
  - भुखमरी उन्मूलन
  - सतत कृषि
  - आर्थिक सशक्तिकरण

तकनीकी एकीकरण

- PACS द्वारा **ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म** का उपयोग।
- **सामुदायिक स्तर पर, गुणवत्ता-नियंत्रित भंडारण नेटवर्क** का निर्माण

XI. निष्कर्ष और आगे की राह

परिवर्तनकारी संभावनाएँ

- **दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना** खाद्य सुरक्षा नीति में **एक क्रांतिकारी बदलाव** है।
- भंडारण का विकेंद्रीकरण करके, यह **भंडारण को किसानों के और करीब लाता है** और केंद्रीकृत प्रणालियों पर निर्भरता कम करता है।

PACS की भूमिका

- PACS का **बहुक्रियाशील सहकारी समितियों** के रूप में विकास।
- **लक्ष्य:**
  - खरीद का प्रबंधन
  - अनाज की हानि को कम करना
  - किसानों की आय बढ़ाना
  - ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना

चुनौतियाँ और समाधान

- **भूमि संग्रह, धन वितरण और हितधारक समन्वय का समाधान** किया जाना चाहिए।
- मज़बूत **संस्थागत समर्थन** और **समय पर हस्तक्षेप** महत्वपूर्ण हैं।

भविष्य की दृष्टि

- निरंतर **सरकारी समर्थन**, उन्नत **प्रौद्योगिकी एकीकरण** और सक्रिय **सामुदायिक भागीदारी** के साथ, इस पहल में निम्नलिखित क्षमताएँ हैं:
  - खाद्यान्न भंडारण में क्रांतिकारी बदलाव
  - भारत की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना
  - किसानों की आजीविका को स्थायी और समावेशी तरीके से उन्नत करना

एक लचीले सहकारी क्षेत्र का निर्माण

I. परिचय: सहकारी समितियों का दोहरा अधिदेश

- **सहकारी समितियाँ उभयलिंगी संस्थाएँ हैं, जो दो भूमिकाओं में संतुलन बनाती हैं:**
  - **सदस्यों के हितों की रक्षा करना:** आम तौर पर छोटे इक्विटी धारकों को आजीविका संबंधी तनाव का सामना करना पड़ता है।

बाज़ार में प्रतिस्पर्धा: उन्हें प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक इकाइयों के रूप में कार्य करना चाहिए।

सहकारी समितियाँ पूंजीवाद (व्यावसायिक संचालन) और समाजवाद (सदस्य कल्याण) को जोड़ती हैं।

- **इनके समुच्चयकर्ता के रूप में कार्य करती हैं:**
  - छोटी संपत्तियाँ
  - पारंपरिक कौशल
  - विरासत में मिली उत्पादन प्रक्रियाएँ
  - स्थानीय सेवाएँ
- स्वयं सदस्यों (उपयोगकर्ता-स्वामित्व वाली फर्मों) द्वारा शासित, बाहरी निवेशकों द्वारा नहीं।
- उद्यमशीलता, शासन, नेतृत्व, प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल विकसित करने की आवश्यकता।
- स्थानीय आदानों का लाभ उठाते हुए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनना चाहिए।

2. सहकारिता और कौशल विकास पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) और विश्व डेटा

- विश्व की 12% जनसंख्या **30 लाख सहकारी समितियों** का हिस्सा है।
- शीर्ष 300 सहकारी समितियों का कारोबार 2,409.41 अरब अमेरिकी डॉलर (विश्व सहकारी मॉनिटर 2023) है।
- सहकारी समितियों के माध्यम से 28 करोड़ लोग कार्यरत हैं (वैश्विक कार्यबल का 10%)।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) परिप्रेक्ष्य

- वैश्विक कृषि उत्पादन का 50% सहकारी समितियों के माध्यम से विपणन किया जाता है।
- **ILO अनुशंसा 193:** शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।
- **ILO इन पर ज़ोर देता है:**
  - रोज़गार सृजन
  - गरीबी उन्मूलन
  - सामाजिक समावेशन
  - सभ्य कार्य वातावरण
- हरित रोज़गार (संधारणीयकृषि, पर्यावरण-पर्यटन, आदि) का समर्थन करता है।
- **समर्थक:**
  - व्यावसायिक प्रशिक्षण
  - कौशल उन्नयन/पुनः कौशल विकास
  - उपकरण जैसे THINK.COOP, START.COOP, MANAGE.COOP, MY.COOP

सहकारिता संवर्धन एवं उन्नति समिति (COPAC)

- बहु-हितधारक साझेदारी जो स्थायी सहकारिताओं का समर्थन करती है।
- सहकारी पारिस्थितिकी तंत्रों में कौशल निवेश की वकालत करती है।
- कौशल-आधारित सहकारी विकास का समर्थन करने के लिए ILO, FAO, ICA के साथ मिलकर काम करती है।
- 2025 को **अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष** (IYC) के रूप में मनाने का संकल्प।

संयुक्त राष्ट्र कौशल नीति और सतत विकास लक्ष्य



कौशल विकास सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन करता है:

- एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन)
- एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा)
- एसडीजी 8 (सभ्य कार्य)
- एसडीजी 10 (असमानता में कमी)
- एसडीजी 12 (सतत उपभोग)

- **मुख्य क्षेत्र:**
  - साक्षरता
  - युवा रोज़गार
  - नवाचार
  - उद्यमिता

आईसीए (अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन) की भूमिका

- **कौशल संवर्धन में** 1895 में स्थापित, आईसीए 107 देशों के 1 अरब सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
- आईसीए-एपी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सहकारी विकास को बढ़ावा देता है।
- **आईसीए पहल:**
  - कोपाथॉन (युवाओं और महिलाओं की भागीदारी)
  - आईसीए सीसीआर (सहकारी अनुसंधान)
  - आईसीए आईसीईआई (शिक्षा एकीकरण)
- UN ECOSOC के साथ परामर्शदात्री दर्जा रखता है।



3. सहकारी कौशल विकास में उभरती वैश्विक चुनौतियाँ

- **कौशल बेमेल:** सदस्यों के कौशल बनाम बाज़ार की माँग।
- **तकनीकी व्यवधान:** स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
- डिजिटल साक्षरता अंतराल।
- उद्योग 4.0 मानकों में प्रासंगिकता।
- **सॉफ्ट स्किल अंतराल:** शासन, नेतृत्व।
- आजीवन सीखने की आवश्यकता।
- अधिकांश सदस्य सीमांत उत्पादक हैं, जिन्हें आजीविका तनाव और सीमित जागरूकता का सामना करना पड़ता है।
- **आवश्यकताएँ:**
  - जागरूकता कार्यक्रम
  - कौशल अवसंरचना
  - सामूहिक उत्पादन परिसंपत्ति आधार
  - सहकारी समितियों में व्यावसायिक प्रबंधन

वैश्विक स्तर पर शैक्षिक अंतराल

- सहकारी शिक्षा में वैश्विक मानकीकरण का अभाव है।
- **उल्लेखनीय संस्थान:**
  - मोंड्रेगन विश्वविद्यालय (स्पेन)
  - केन्या, तंजानिया, अफ्रीका में सहकारी विश्वविद्यालय
  - कोलंबिया विश्वविद्यालय (परिपत्र अर्थव्यवस्था पर केंद्रित)
  - दक्षिण कोरिया, भारत में कृषि सहकारी विश्वविद्यालय

4. भारतीय सहकारी क्षेत्र और कौशल विकास ढाँचा

कौशल नीतियाँ और कार्यक्रम

- **प्रमुख नीतियाँ:**
  - राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009)
  - राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति (2015)

- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम, 2015)

- **संस्थान:**
  - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)
  - NSDC, NSDA, DGT
  - क्षेत्रीय कौशल परिषदें (SSCs)
- **योजनाएँ:**
  - PMKVY
  - कौशल भारत मिशन
  - NAPS
  - JSS
  - SANKALP
  - STRIVE
  - PM-YUVA
  - भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (IISCs)

NEP 2020: कौशल विकास का एकीकरण

- **बढ़ावा देता है:**
  - बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थान
  - उद्यमशीलता शिक्षा
  - कौशल एकीकरण
  - सामाजिक गतिशीलता और नौकरी के लिए तत्परता

5. संस्थागत नवाचार: त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय

- 2025 में आईआरएमए को एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय में बदलने के लिए विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
- **उद्देश्य**: सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- **विजन संरेखित**:
  - "सहकार से समृद्धि"
  - "विकसित भारत"
- भारत में सहकारी समितियों के लिए पहला विशिष्ट विश्वविद्यालय।

महत्व और भूमिकाएँ

- खंडित प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को संबोधित करना।
- राष्ट्रीय और वैश्विक शिक्षा मानक निर्धारित करना।
- बहु-विषयक शिक्षा को सक्षम बनाना।
- इनक्यूबेशन और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना।
- सहकारी समितियों में डिजिटल परिवर्तन का मार्गदर्शन करना।

आईआरएमए की विरासत

- 1979 में **डॉ. वर्गीस कुरियन** द्वारा स्थापित।
- ग्रामीण विकास और **डेयरी क्रांति (श्वेत क्रांति)** में अग्रणी।
- **साझेदारी:**
  - एनडीडीबी
  - जीसीएमएमएफ (अमूल)
  - एनसीडीएफआई
  - त्रिभुवनदास फाउंडेशन
- **इसके लिए प्रसिद्ध:**
  - अनुसंधान कठोरता
  - परामर्श
  - ग्रामीण विकास शिक्षाशास्त्र।

भविष्य के अवसर

- शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों से सहायता
- सहकारी शिक्षा निधि का उपयोग
- आईआरएमए की शिक्षा पद्धति और नेटवर्क तक पहुँच
- सहकारी शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनने का अवसर

6. आगे की चुनौतियाँ और अवसर

अवसर

- संस्थागत मानकीकरण
- जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी
- सहकारी समितियों में युवाओं की भागीदारी

चुनौतियाँ

- राज्य विषय के रूप में सहकारी समितियाँ
- राज्यों/क्षेत्रों में विविधता
- सहकारी समितियों का व्यवसायीकरण
- युवाओं और पेशेवरों को आकर्षित करना।

क्षेत्रीय असंतुलन

- 29 करोड़ सदस्यों वाली 8.5 लाख सहकारी समितियाँ
- **संकेन्द्रण:**
  - आवास
  - डेयरी
  - PACS, ऋण, बचत
- व्यापार, आतिथ्य, शिक्षा, परिवहन में कम कौशल वाले रोज़गार।

सरकारी पहल

- राष्ट्रीय सहयोग नीति
- **इन संगठनों का गठन:**
  - राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल)
  - राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल)
  - भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल)
  - एम-PACS का डिजिटलीकरण

7. निष्कर्ष

- सहकारी समितियों और शिक्षा संस्थानों पर नए सिरे से राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करना समय की मांग है।
- **एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है:**
  - नीति संरेखण (केंद्र और राज्य)
  - आजीवन शिक्षा
  - हितधारक भागीदारी
- **कौशल एक रणनीतिक सक्षमकर्ता है:**
  - सहकारी लचीलापन बनाता है
  - शासन को मजबूत करता है
  - आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है
- कौशल विकास में निवेश सहकारी समितियों की क्षमता को उजागर करेगा और भारत को एक अधिक समावेशी और आत्मनिर्भर आर्थिक भविष्य की ओर ले जाएगा।

इकाई 14

'डाउन टू अर्थ' से महत्वपूर्ण आलेख (जून 2025)

जीन-संपादित फसलों का विनियमन

संदर्भ: भारत को आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित कृषि उत्पादों के गुणों का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र जैव सुरक्षा संस्थान स्थापित करना चाहिए।

जीन-संपादित चावल की किस्में: डीआरआर धान 100 (कमला) और पूसा चावल डीएसटी1

- भारत ने अपनी पहली जीन-संपादित चावल की किस्में पेश की हैं — डीआरआर धान 100 (कमला) और पूसा चावल डीएसटी1 — जिन्हें **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) प्रयोगशालाओं** द्वारा विकसित किया गया है।
- इन किस्मों के बारे में दावा किया जाता है कि ये **उच्च उपज देने वाली, सूखा और लवणता-सहिष्णु हैं, और इन्हें कम मात्रा में उर्वरक और पानी की आवश्यकता होती है।** ये **कम मीथेन उत्सर्जित करती हैं और गैर-ट्रांसजेनिक मानी जाती हैं**, क्योंकि इनमें कोई विदेशी डीएनए क्रिस्पर-कैस तकनीक का उपयोग करके नहीं डाला गया था।
- आईसीएआर के अनुसार, **साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज/डिहाइड्रोजनेज जीन के एक नए एलील को संपादित करने से** प्रति पैनिकल दानों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप उपज में वृद्धि हुई। कई कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में किए गए क्षेत्र परीक्षणों में कथित तौर पर सांबा महसूरी की तुलना में उपज में 19% की वृद्धि देखी गई, साथ ही जल्दी परिपक्वता भी देखी गई।

जीनोम संपादन, जिसे जीन संपादन भी कहा जाता है, तकनीकों के एक समूह को संदर्भित करता है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के डीएनए को संशोधित करने में सक्षम बनाता है। ये विधियाँ जीनोम के भीतर विशिष्ट स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को सटीक रूप से जोड़ने, हटाने या बदलने की अनुमति देती हैं।

पादप जैव प्रौद्योगिकी: एक व्यापक परिप्रेक्ष्य

- पादप जैव प्रौद्योगिकी जीएम या जीन संपादन से आगे जाती है और इसमें **ऊतक संवर्धन, जीनोम अनुक्रमण, जीन मानचित्रण** और **लक्षण पहचान के लिए आणविक मार्कर** जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ सम्मिलित हैं।
- आईसीएआर द्वारा जीनोम अनुक्रमण और मानचित्रण को पारंपरिक प्रजनन के साथ एकीकृत करने से **उच्च उपज वाली, रोग- और कीट-प्रतिरोधी फसल किस्में** विकसित हुई हैं।
  - ➢ इनसे भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। **2024-25 में, भारत ने 14.9 मिलियन टन चावल** का उत्पादन किया, जिससे वह चीन (14.4 मिलियन टन) से आगे निकलकर दुनिया का शीर्ष चावल उत्पादक बन गया।
- आधुनिक विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के बिना, विशेष रूप से कृषि में, यह सफलता संभव नहीं होती। कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन यह **छोटे किसानों के लिए सुलभ बनी रहनी चाहिए, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होना चाहिए,** और सबसे बढ़कर, इससे लाखों छोटे किसानों और ग्रामीण गरीबों की आय और आजीविका में वृद्धि होनी चाहिए।

जीन-संपादित फसलों से संबंधित चिंताएँ

- **पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 से जीन-संपादित फसलों को जीएम फसलों पर लागू नियामक जाँच से बाहर रखा जाना** (जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य पर्यावरण एजेंसियों के अधीन) चिंता का विषय है।
- डेवलपर्स ने **परिवर्तित जीन, क्षेत्र परीक्षण प्रक्रियाओं**, या सिंचाई स्तर, उर्वरक खुराक और कीट प्रतिरोध जैसे **आंकड़ों के बारे में तकनीकी विवरण का खुलासा नहीं किया है।** विकास के दौरान अपनाए गए पर्यावरणीय और जैव सुरक्षा मानकों का भी खुलासा नहीं किया गया है।
- **CRISPR-Cas तकनीक का पेटेंट और एकाधिकार CRISPR Therapeutics, Editas Medicine और Broad Institute जैसी वैश्विक कंपनियों** के पास है। ICAR ने 2016 में Broad Institute से इस तकनीक के लिए एक शैक्षणिक लाइसेंस प्राप्त किया था।
  - ➢ बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन के लिए निजी बीज कंपनियों के साथ ICAR की संभावित साझेदारी को लेकर चिंताएँ हैं, जिससे शैक्षणिक लाइसेंसों के व्यावसायिक उपयोग, बीज मूल्य निर्धारण और किसानों की पहुँच को लेकर सवाल उठ रहे हैं—बीटी कपास के साथ पिछले मुद्दों के समान।
- जीन संपादन में प्रयुक्त साइट-निर्देशित न्यूक्लिऐज़ (SDN1 और SDN2) **जीन नॉकआउट या लक्षण संवर्धन के लिए उत्परिवर्तजन उपकरण हैं।** हालाँकि, उच्च उपज या सूखा सहनशीलता जैसे लक्षण बहुजीनी होते हैं, जिनमें गुणसूत्रों में कई जीन सम्मिलित होते हैं।
- **पादप जीनोम में अवशिष्ट CRISPR-Cas9 एंजाइमों के अनपेक्षित प्रभाव पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं।** ICAR प्रयोगशालाओं ने सहकर्मी-समीक्षित डेटा प्रकाशित नहीं किया है या अपने तकनीकी निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया है।

एक स्वतंत्र जैव सुरक्षा संस्थान की आवश्यकता

- भारत को **जैव प्रौद्योगिकी आधारित कृषि उत्पादों के जोखिमों और लाभों का मूल्यांकन करने के लिए** एक स्वतंत्र जैव सुरक्षा संस्थान स्थापित करना चाहिए। जैव सुरक्षा, पारिस्थितिक स्थिरता और किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्राधिकरणों को प्रत्येक मामले का गहन मूल्यांकन करना चाहिए।
- जीन-संपादित फसलों सहित आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग आवश्यक है, लेकिन वास्तव में प्रभावी और संधारणीय होने के लिए इसे स्थानीय कृषि-पारिस्थितिकी तंत्रों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- दीर्घकालिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, **जीन-संपादन दृष्टिकोण को एकल-जीन हेरफेर से आगे बढ़ना होगा, जिसने सीमित स्थायित्व दिखाया है**—जैसा कि बीटी कपास के मामले में देखा गया है। उपज और लवणता

सहनशीलता जैसे बहुजीनी लक्षणों में सुधार के लिए जड़ लक्षणों, खनिज अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, आदि से संबंधित कई जीनों को लक्षित करने की आवश्यकता होती है।

- सटीक मल्टीप्लेक्स जीन संपादन में सक्षम उन्नत CRISPRCas9 जैसे उन्नत उपकरणों को अपनाने को **पारिस्थितिक दृष्टिकोणों के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो जैव विविधता को संरक्षित करते हैं** और कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जटिल अंतःक्रियाओं को ध्यान में रखते हैं।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है**, क्योंकि जीन-संपादन उपकरणों के अनपेक्षित प्रभावों को अभी भी ठीक से समझा नहीं गया है।
- **ICAR जैसे सार्वजनिक संस्थानों, जो क्षेत्र-विशिष्ट, किसान-केंद्रित नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, को समर्थन दिया जाना चाहिए।** साथ ही, जीन-संपादन प्रौद्योगिकियों के उपयोग में जैव सुरक्षा, जवाबदेही और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत, पारदर्शी नियामक ढांचा आवश्यक है।

निष्कर्ष

जीन-संपादित फसलें भारत में कृषि उत्पादकता और स्थिरता में सुधार की महत्वपूर्ण क्षमता रखती हैं। हालाँकि, पारदर्शी आँकड़ों, कठोर विनियमन और सार्वजनिक जवाबदेही के बिना, इनका दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित बना हुआ **है। इन नवाचारों को सुरक्षित, समावेशी और भारतीय किसानों और पारिस्थितिक तंत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए** एक विज्ञान-संचालित, स्वतंत्र जैव सुरक्षा ढाँचा आवश्यक है।

भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र

संदर्भ: भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 51 गीगावाट को पार कर गई है, लेकिन 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

परिचय

- 15 जून को विश्व पवन दिवस 2025 के अवसर पर, भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। **मई तक पवन ऊर्जा क्षमता 51 गीगावाट (GW) को पार कर गई है,** जिससे वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है।
- **गुजरात राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है,** जिसकी स्थापित क्षमता मार्च 2024 के 11,722 मेगावाट (MW) से बढ़कर मार्च 2025 तक 12,677 मेगावाट हो गई है - जो 8.14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है। तमिलनाडु, जिसे लंबे समय से भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है, ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है, और 10.71 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि दर्ज करते हुए 10,603 मेगावाट से 11,739 मेगावाट तक पहुँच गया है।
- **हालाँकि, कर्नाटक सबसे तेज़ी से विकास करने वाला राज्य रहा** जिसने 6,019 मेगावाट से 22.13 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए 7,351 मेगावाट उत्पादन दर्ज किया, जो भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसके उदय को दर्शाता है। 2024-25 तक, उपलब्ध क्षमता के एक चौथाई से भी कम।
- **ग्रिड की अड़चनें एक बढ़ता हुआ खतरा हैं:** भारत का अपर्याप्त ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अब उसके नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बन गया है। तमिलनाडु एक चेतावनी भरी कहानी पेश करता है; ग्रिड में कटौती के कारण एक ही हफ्ते में 7 करोड़ यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी नहीं हो सकी।
  - ➢ सरकार ने 2030 तक ग्रिड क्षमता को 111 गीगावाट तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें हरित ऊर्जा कॉरिडोर और उच्च-वोल्टेज प्रत्यक्ष धारा नेटवर्क जैसी पहलों के माध्यम से 2027 तक 94 गीगावाट तक विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। हालाँकि, ग्रिड विकास नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों की गति से पीछे चल रहा है, जिससे एक अड़चन पैदा हो रही है जो ऊर्जा परिवर्तन को रोक सकती है।
- **आयात पर निर्भरता, लागत दबाव और साइबर सुरक्षा चिंताएँ:** भारत की विनिर्माण क्षमता के बावजूद, पवन क्षेत्र आयात पर निर्भरता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता की चुनौतियों से जूझ रहा है।
  - ➢ **आयात पर निर्भरता और लागत दबाव:** भारत में निर्मित टर्बाइन अपने चीनी समकक्षों की तुलना में 30-60 प्रतिशत अधिक महंगे होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण उच्च इनपुट लागत और आयातित घटकों पर निरंतर निर्भरता है। विशेष बेयरिंग, गियरबॉक्स, यॉ मैकेनिज्म और टर्बाइन नियंत्रक जैसे प्रमुख पुर्जे अभी भी अक्सर चीन से आयात किए जाते हैं, जो भारत के आधे हब कास्टिंग और 90 प्रतिशत गियरबॉक्स कास्टिंग की आपूर्ति करता है।
  - ➢ **साइबर सुरक्षा चिंताएँ:** भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के सामने एक उभरती चुनौती आयातित उपकरणों और विदेशी संचालित प्रणालियों से जुड़े साइबर सुरक्षा जोखिम हैं। शीर्ष केंद्रीय थिंक टैंक नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू विनिर्माण क्षमता और साइबर सुरक्षा चुनौतियों पर, चीन जैसे देशों से आयात डेटा सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा करता है, जिसमें ओईएम के भारत के बाहर स्थित डेटा संग्रह सर्वर और बिजली प्रणाली नेटवर्क संचालन में कमज़ोरियाँ सम्मिलित हैं।

अवसर

- इन चुनौतियों के बीच, पवन ऊर्जा पुनर्शक्तिकरण अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के बिना उत्पादन बढ़ाने का **एक व्यवहार्य अवसर प्रदान करता है। पुराने, कम क्षमता वाले टर्बाइनों को नए, उच्च दक्षता वाले मॉडलों से बदलकर,** उत्पादन उसी स्थान से दोगुना या तिगुना हो सकता है।
- तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य, जहाँ भारत के सबसे पुराने पवन फार्म हैं, जिनमें से कई में 1.5 मेगावाट से कम क्षमता वाले टर्बाइन हैं, पुनर्शक्तिकरण के लिए उपयुक्त हैं।
- पुनर्शक्तिकरण पहलों में **ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, परिचालन लागत में कमी और 25 वर्षों तक निरंतर बिजली उत्पादन की क्षमता है,** और वह भी बिना अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के। मौजूदा ग्रिड कनेक्शन और बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाकर, पुनर्शक्तिकरण पुराने पवन ऊर्जा स्थलों का अधिक कुशल उपयोग संभव बनाता है। हालाँकि, **पुनर्शक्तिकरण के लिए नीतिगत समर्थन अभी भी नया है** और इसे अपनाने के लिए इसे आर्थिक रूप से आकर्षक बनाया जाना चाहिए। स्पष्ट प्रोत्साहनों या सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के बिना, डेवलपर्स पुरानी साइटों के उन्नयन में निवेश करने से हिचकिचाते हैं, जिनमें से कई 1.5 मेगावाट से कम क्षमता वाले टर्बाइनों के साथ काम करते हैं।

क्या किया जाना चाहिए?

- भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र लंबे समय से नीतिगत अनिश्चितता और अचानक नियामक बदलावों से प्रभावित रहा है। फीड-इन टैरिफ से प्रतिस्पर्धी बोली की ओर कदम ने टैरिफ में कटौती की, निर्माताओं के मार्जिन को कम किया और परियोजना विकास को ओईएम से स्वतंत्र बिजली उत्पादकों की ओर स्थानांतरित कर दिया। हालाँकि इस बदलाव का उद्देश्य दक्षता को बढ़ावा देना था, **लेकिन इसने अस्थिरता पैदा की जो निवेशकों के विश्वास को लगातार अस्थिर कर रही है।**
- 2023 में, **एमएनआरई ने 50 गीगावाट वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा निविदाओं के लिए एक रोडमैप का अनावरण किया,** जिसमें 10 गीगावाट विशेष रूप से पवन ऊर्जा के लिए निर्धारित है। फिर भी, इस निविदा कार्यक्रम का लगातार निष्पादन अभी भी मायावी बना हुआ है। बोली प्रक्रिया में हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया गया है, **रिवर्स नीलामी से एकल-चरणीय, द्वि-स्तरीय प्रतिस्पर्धी**

प्रणाली में जाने का उद्देश्य अवास्तविक मूल्य निर्धारण पर अंकुश लगाना है। फिर भी, इस क्षेत्र में विश्वास बहाल करने के लिए पूर्वानुमानित और पारदर्शी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा।

- जब भारत विश्व पवन दिवस 2025 मना रहा था, पवन ऊर्जा क्षेत्र एक दोराहे पर खड़ा था। विनिर्माण क्षमता काफी कम उपयोग में आने, पारेषण नेटवर्क उत्पादन वृद्धि में पिछड़ने और आयात पर निर्भरता लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करने के साथ, 2030 के 140 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग आसान नहीं है।

निष्कर्ष

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **कई मोर्चों पर तत्काल और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता होगी।** ग्रिड अवसंरचना के उन्नयन में तेजी लाना, प्रमुख घटकों के लिए लक्षित पीएलआई योजनाएँ शुरू करना, नीतिगत स्थिरता बनाए रखना और एक स्थिर घरेलू बाज़ार को बढ़ावा देना आवश्यक कदम हैं। इन प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके ही भारत अपने पवन ऊर्जा क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन कर सकता है और स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन के क्षेत्र में खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है।



इकाई 15

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के महत्वपूर्ण आलेख (जून 2025)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक कमज़ोर संवैधानिक गारंटी

संदर्भ: यह लेख संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी को बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सतर्क दृष्टिकोण की आलोचना करता है, खासकर राजनीतिक रूप से नाज़ुक परिस्थितियों में। यह सर्वोच्च न्यायालय के दो हालिया फैसलों, जिनमें से एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और दूसरा इसे कमज़ोर करता है, की तुलना करके न्यायालय की व्याख्या और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग में सुसंगतता की चिंताजनक कमी को उजागर करता है।

बहस छेड़ने वाले प्रमुख मामले

अली खान महमूदाबाद मामला, 2025

- हाल ही में, अशोक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को ऑपरेशन सिंदूर पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था।
- उन पर BNS 2023 **के कई प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे,** समूहों के बीच धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने, ऐसे दावे करने जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक थे, और ऐसे कृत्य करने के लिए जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते थे।
- सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया: **अदालत ने ज़मानत देते हुए जांच रोकने से इनकार कर दिया, और उसने एक व्यापक गैग ऑर्डर भी जारी किया जिसने महमूदाबाद को सोशल मीडिया पोस्ट पर चर्चा करने से रोक दिया और साथ ही उन्हें "भारतीय धरती पर हुए आतंकवादी हमले के संबंध में कोई भी राय व्यक्त करने" से भी रोक दिया।**
- "प्रयुक्त वाक्यांशों की जटिलता को समग्र रूप से समझने" और दो सोशल मीडिया पोस्टों में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों की "उचित समझ" के लिए**, न्यायालय ने एक विशेष**

जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया।

- हालाँकि **सूचीबद्ध आधार महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे अस्पष्ट भी हैं और व्याख्या के लिए खुले हैं।**
- इसलिए, यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सुरक्षा या भारतीय संप्रभुता के लिए क्या खतरा है।

विरोधाभासी मामला

इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य, 2025

- एक संसद सदस्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कविता पढ़ने और साझा करने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सिर्फ़ इसलिए नहीं दबाया जा सकता क्योंकि इससे कुछ लोग असहज या असुरक्षित महसूस करते हैं।**

उपरोक्त दोनों मामलों में अंतर

- प्रतापगढ़ी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित कविता का मूल्यांकन किया और पाया कि वाक और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किसी भी आसन्न खतरे के बीच कोई संबंध नहीं है।
- **हालाँकि, महमूदाबाद मामले में न्यायालय ने अभिव्यक्ति और सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय संप्रभुता या अंतर-सामुदायिक सद्भाव के लिए कथित खतरे के बीच संबंध पर विचार नहीं किया।** बल्कि, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह "इस बात से संतुष्ट है कि जाँच पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है"।
- इन दोनों मामलों में, **लागू किए गए प्रावधान न केवल व्यापक और अस्पष्ट हैं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए नियमित और मनमाने ढंग से लागू भी किए जाते हैं।**
- उदाहरण के लिए, **बीएनएस की धारा 299** (पूर्व में आईपीसी की धारा 295ए) के तहत "धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने" की आवश्यकता, **बीएनएस की धारा 196(1)(बी)** (पूर्व में आईपीसी की धारा 153ए) के तहत "असामंजस्य या शत्रुता की भावनाओं को बढ़ावा देना", या **बीएनएस की धारा 197(1) (सी) और 152** के तहत क्रमशः "राष्ट्रीय एकता" और "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता" के लिए हानिकारक अभिव्यक्तियाँ, ये सभी **असाधारण रूप से अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील हैं।**

विभिन्न निर्णयों के माध्यम से वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विकास

- **मद्रास राज्य बनाम रोमेश थापर (1950):** मुक्त अभिव्यक्ति प्रतिबंधों की सीमित व्याख्या के लिए ढांचा स्थापित किया गया, **जिसमें यह माना गया कि केवल वही वाक प्रतिबंधित किया जा सकता है जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता हो।**
- **बिहार राज्य बनाम राम मनोहर लोहिया (1960): "निकटता परीक्षण"** की स्थापना की गई, जिसके अनुसार वाक प्रतिबंध सीधे और तत्काल सार्वजनिक अव्यवस्था से संबंधित होने चाहिए।
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):** आईटी अधिनियम की धारा 66A को अस्पष्ट और व्यापक होने के कारण रद्द कर दिया गया; **यह निर्णय लिया गया कि केवल उकसावे को ही प्रतिबंधित किया जा सकता है, न कि केवल वकालत या चर्चा को।**
- **पेट्रीसिया मुखिम बनाम मेघालय राज्य (2021):** यह पुनः पुष्टि की गई कि **सामाजिक टिप्पणी संरक्षित वाक है और यह तब तक अवैध नहीं है जब तक कि वास्तविक अशांति और आपराधिक इरादा (मेन्स रीआ) न हो।**

निष्कर्ष

यह आवश्यक है कि संवैधानिक न्यायालय स्वतंत्रता के दृढ़ संरक्षक के रूप में कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि उचित प्रतिबंध असहमति को दबाने का साधन न बनें। एक सिद्धांतबद्ध, सुसंगत और पारदर्शी दृष्टिकोण न केवल न्यायपालिका में जनता के विश्वास को मज़बूत करेगा, बल्कि संविधान में निहित लोकतांत्रिक स्वाभाविकता को भी सुरक्षित रखेगा।

भरपूर फसल उत्पादन

संदर्भ: 2024-2025 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खाद्यान्न उत्पादन मई 2025 में **354 मिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो 6.5% की वृद्धि दर्शाता है और नौ वर्षों से जारी वृद्धि का रुझान जारी रखता है।** यह दर्शाता है कि अंतर्निहित संरचनात्मक समस्याओं, जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित मानसून के बावजूद भारत की कृषि कितनी लचीली है।

गहरी संरचनात्मक चिंता: विविधीकरण एक महत्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि **नीतिगत माहौल अभी भी अनाज के पक्ष में है, जबकि डेयरी उत्पादों, बाजरा** (पोषक अनाज), दालों और बागवानी जैसे उच्च मूल्य वाले और पौष्टिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है।

उत्पादन, क्षेत्रफल और उपज के रुझान

- पहले वर्ष को छोड़कर, **खाद्यान्न उत्पादन पिछले दस वर्षों में लगातार बढ़ा है।**
- **क्षेत्रफल विस्तार:** हालाँकि फसलों के प्रकारों में भिन्नताएँ थीं, **खाद्यान्नों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रफल में धीरे-धीरे वृद्धि हुई।**
- **उत्पादकता वृद्धि: उपज में सुधार, क्षेत्रफल में वृद्धि से तीन गुना अधिक था।**

रकबे में उतार-चढ़ाव (पिछले 10 वर्ष)

- **गेहूँ:** सबसे ज़्यादा उतार-चढ़ाव; उत्पादन में 5 वर्षों में गिरावट।
- **पोषक अनाज और दालें:** रकबे में 4-4 वर्षों में गिरावट आई।
- **चावल:** सबसे स्थिर; रकबे में केवल 3 वर्षों में गिरावट आई।
- कुल रकबे में केवल 3 बार गिरावट आई, और वह भी केवल मामूली (2% से कम)।

उपज के रुझान

- चावल, गेहूँ और पोषक अनाजों की प्रति हेक्टेयर उपज दस वर्षों में केवल एक बार कम हुई।
- दालों की उपज दो वर्षों तक कम रही।
- इन मामूली गिरावटों से उत्पादकता वृद्धि में कोई खास बाधा नहीं आई।

उत्पादन में उतार-चढ़ाव

- **प्रमुख अनाज फसलों में से प्रत्येक के उत्पादन में केवल एक वर्ष के लिए गिरावट आई।**
- चार वर्षों की गिरावट के साथ, **दालों में अधिक अस्थिरता देखी गई**, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ गई।

फसल पद्धति में संरचनात्मक चुनौतियाँ

- समग्र वृद्धि के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन की संरचना में कोई खास बदलाव नहीं आया है।
- **पिछले दस वर्षों में 13 करोड़ हेक्टेयर खाद्यान्न रकबे में वृद्धि हुई है, जिसमें से 8.6 करोड़ हेक्टेयर, यानी दो-तिहाई, चावल और गेहूँ के विस्तार के कारण हुआ है।**
- पोषक अनाजों का क्षेत्रफल लगभग अपरिवर्तित रहा।
- कुल वृद्धि का लगभग पाँचवाँ हिस्सा दालों में हुई **4 करोड़ हेक्टेयर की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ।**
- **कुल खाद्यान्न उत्पादन में अनाज का प्रतिशत लगभग 93% रहा**, जो 2014 से 2015 तक लगभग अपरिवर्तित रहा, जो एक जटिल फसल पैटर्न का संकेत देता है।
- **पोषण:** अनाज का निरंतर प्रभुत्व **आहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।**
- **मुद्रास्फीति:** उच्च मूल्य वाली फसलों के अपर्याप्त उत्पादन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है।
- नीतिगत विकृति: अनाज को बढ़ावा देने वाले सरकारी प्रोत्साहनों के कारण पौष्टिक फसलों को अपर्याप्त समर्थन मिलता है।

राज्य-स्तरीय रुझान

- **शीर्ष पाँच राज्य**—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और बिहार—उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं।
- शीर्ष दस राज्य देश के लगभग 80 प्रतिशत उत्पादन करते हैं।
- ये रुझान **उत्पादन के क्षेत्रीय संकेंद्रण** और राज्यों द्वारा अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों को दर्शाते हैं, जिनमें से कुछ भूमि विस्तार पर निर्भर हैं, जबकि अन्य उत्पादकता बढ़ाने पर।

निष्कर्ष

भारत में खाद्यान्न क्षेत्र का विकास और उत्पादन उल्लेखनीय स्थिरता के साथ हुआ है। चावल और गेहूँ पर निर्भरता से मुक्त होने और मूल्य स्थिरता, जलवायु लचीलापन और पोषण सुरक्षा के भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि नीति द्वारा एक अधिक विविध, संतुलित और संधारणीय फसल प्रणाली का समर्थन किया जाना चाहिए।

इकाई 16

त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन)

समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन

	शिखर सम्मेलन	विवरण
1	**बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन**	• यह एक वार्षिक मध्य-वार्षिक बैठक है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत आयोजित होती है – एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिस पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने जलवायु वार्ता के लिए एक आधार प्रदान किया है।
2	**जी7 शिखर सम्मेलन**	• 2025 जी7 नेताओं का शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून, 2025 तक कनानसकीस, अल्बर्टा में आयोजित किया गया था।
3	**अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू-टी) फोकस समूह दूरसंचार नेटवर्क के लिए एआई-नेटिव (एफजी-एआईएनएन) पर**	• भारत ने 11-13 जून, 2025 तक नई दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू-टी) फोकस समूह की मेजबानी करके वैश्विक दूरसंचार नवाचार में केंद्रीय भूमिका निभाई। दूरसंचार नेटवर्क के लिए एआई-नेटिव (एफजी एआईएनएन) पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू-टी) फोकस समूह की मेजबानी 11-13 जून, 2025 तक नई दिल्ली में की। • दूरसंचार विभाग (डीओटी) के अंतर्गत दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य यह पुनर्परिभाषित करना था कि भविष्य के दूरसंचार नेटवर्क कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एक सहायक घटक के बजाय एक मुख्य घटक के रूप में उपयोग करके संचालित होंगे।
4	**एग्रीस्टैक सम्मेलन**	• कृषि मंत्रालय ने एग्री स्टैक के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया। • यह आयोजन राज्यों और केंद्रीय अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया ताकि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर सहमति बन सके।
5	**अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली सभा**	• भारत ने नई दिल्ली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) सभा का आयोजन करके वैश्विक वन्यजीव संरक्षण में अपना नेतृत्व प्रदर्शित किया। • इसने सात प्रमुख बिग कैट प्रजातियों - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा - के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की नींव रखी।
6	**भारतीय संरक्षण सम्मेलन** (ICCON) 2025	• भारत का प्रमुख जैव विविधता कार्यक्रम, भारतीय संरक्षण सम्मेलन (ICCON) 2025, 25 से 27 जून तक देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) में आयोजित किया गया। • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य 500 से अधिक प्रतिभागियों को एकजुट करना है।

जून माह के महत्वपूर्ण दिवस

दिनांक	दिवस	विवरण
5 जून	**विश्व पर्यावरण दिवस**	• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के नेतृत्व में और 1973 से प्रतिवर्ष 5 जून को आयोजित किया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण संबंधी जन-जागरूकता के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच है और इसे दुनिया भर में लाखों लोग मनाते हैं। • 2025 में, इसकी मेजबानी कोरिया गणराज्य द्वारा की जाएगी।
7 जून	**विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस**	• 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का उद्देश्य खाद्य जनित जोखिमों की रोकथाम, पता लगाने और प्रबंधन में मदद करने हेतु ध्यान आकर्षित करना और कार्रवाई के लिए प्रेरित करना है, जिससे खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाज़ार पहुँच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान मिल सके। • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) संयुक्त रूप से सदस्य देशों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के पालन को सुगम बनाते हैं।

8 जून	विश्व महासागर दिवस	• **विषय:** वन्डर: सस्टैनिंग व्हाट सस्टैनस अस • विश्व महासागर दिवस हर किसी को दैनिक जीवन में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। ये हमारे ग्रह के फेफड़े हैं और भोजन, औषधि का एक प्रमुख स्रोत हैं और जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
11 जून	अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस	• **विषय:** चूज़ प्ले - एव्री डे • अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खेल की शक्ति का जश्न मनाने का समय है। यह जागरूकता बढ़ाने का समय है कि खेल हर बच्चे के विकास और कल्याण के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
12 जून	विश्व बाल श्रम निषेध दिवस	• हर 12 जून को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के घटकों और दुनिया भर के साझेदारों के साथ मिलकर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाता है। • इस वर्ष का विषय, प्राप्त प्रगति और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई को तेज़ करने की तात्कालिकता, दोनों को दर्शाता है।
14 जून	विश्व रक्तदाता दिवस	• यह आयोजन सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वैच्छिक, अवैतनिक रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक रक्तदान के लिए धन्यवाद देने के लिए किया जाता है।
20 जून	विश्व शरणार्थी दिवस	**विषय:** शरणार्थियों के साथ एकजुटता • विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थियों के साहस और लचीलेपन का सम्मान करने, उनकी कहानियाँ सुनने और विस्थापन के स्थायी समाधान की वकालत करने का एक अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि शरणार्थियों का स्वागत समाज को मज़बूत बनाता है, नवाचार को बढ़ावा देता है, और ऐसे समुदायों का निर्माण करता है जहाँ सभी का अपनापन हो।
21 जून	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	• इस वर्ष 11वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय है "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग", जो इस महत्वपूर्ण सत्य को प्रतिध्वनित करता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और ग्रह स्वास्थ्य अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं।
23 जून	संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस	• संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का उद्देश्य समुदाय के लिए लोक सेवा के मूल्य और गुणों का जश्न मनाना है; विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करना; लोक सेवकों के कार्यों को मान्यता देना, और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
27 जून	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस	• **विषय:** सतत विकास और नवाचार के वाहक के रूप में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की भूमिका को बढ़ाना।
29 जून	अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंध दिवस	• अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंध दिवस, उष्णकटिबंधीय असाधारण विविधता का जश्न मनाता है और साथ ही उष्णकटिबंधीय देशों के समक्ष आने वाली अनूठी चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालता है
30 जून	अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस	• 2016 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प A/ RES/71/90 को अपनाया, जिसके तहत 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित किया गया ताकि "हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 जून 1908 को साइबेरिया, रूसी संघ पर तुंगुस्का प्रभाव की वर्षगांठ मनाई जाए और क्षुद्रग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाए।

समाचार में महत्वपूर्ण शब्दावली

चर्चित शब्दावली	अर्थ एवं विवरण
ब्लैक बॉक्स	• ब्लैक बॉक्स उड़ान रिकॉर्डर होते हैं। विमानों में दो प्रकार के रिकॉर्डर लगे होने चाहिए — कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर)—जो मिलकर दुर्घटना से पहले क्या हुआ था, इसकी पूरी जानकारी देते हैं।

समाचारों में प्रमुख व्यक्तियों का निधन

	व्यक्ति	विवरण
1	**दाजी पणशीकर**	• वह एक प्रसिद्ध विद्वान, लेखक और साहित्यिक टिप्पणीकार थे, जिन्हें नरहरि विष्णु शास्त्री नाम से भी जाना जाता है। • उनकी विद्वतापूर्ण व्याख्याओं के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया गया: ➢ महाभारत ➢ एकनाथी भागवत ➢ भावार्थ रामायण • महाराष्ट्र में प्रसिद्ध रंगमंच संस्था नाट्यसम्पदा नाट्य संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
2	**विजय रूपाणी**	• गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान 171 दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई।

3	**उस्ताद गुलाम नबी शाह**	• हैमले बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध, उन्हें उनकी भावपूर्ण आवाज़, सारंगी पर असाधारण महारत और कश्मीरी लोक संगीत के संरक्षण में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था।
4	**नेल्लई सु. मुथु**	• वे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एक प्रभावशाली तमिल लेखक थे।
5	**मारुति चितमपल्ली**	• वे एक पर्यावरण संरक्षक और पद्म श्री पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से सम्मानित किया जाता था। • एक पूर्व वन अधिकारी और उत्कृष्ट संरक्षणवादी, चितमपल्ली भारत के पर्यावरण आंदोलन में एक सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान, वन्यजीव संरक्षण और क्षेत्रीय साहित्य के सम्मिश्रण के लिए जाना जाता था, जो पीढ़ियों को प्रेरित करते थे।

समाचारों में चर्चित पुरुस्कार

	पुरस्कार	विजेता	विवरण
1	**विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार 2025**		• पुणे जिले के जलिंदरनगर गाँव स्थित एक जिला परिषद (ZP) स्कूल को शिक्षा में सामुदायिक सहयोग की श्रेणी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2025 के लिए वैश्विक फाइनलिस्टों में चुना गया है। • तीन अन्य भारतीय स्कूल - कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से एक-एक - को भी यूके स्थित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंच T4 एजुकेशन द्वारा आयोजित इस पुरस्कार के लिए विभिन्न श्रेणियों में चुना गया है।
2	**2025 ब्लूमबर्ग वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए परोपकार पुरस्कार**		• भारत उन छह देशों में शामिल है जिन्हें देश में तंबाकू उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी संख्या तक पहुँचने के लिए तंबाकू छोड़ने के तरीकों को प्राथमिकता देने के लिए 2025 ब्लूमबर्ग वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए परोपकार पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। • भारत को तंबाकू छोड़ने को बढ़ावा देने के लिए 'O' श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया। 'O' विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का MPOWER नीति पैकेज है, जिसका अर्थ है 'तंबाकू का सेवन छोड़ने में मदद की पेशकश'।
3	**साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार**		• साहित्य अकादमी ने 18 जून, 2025 को अपने 'युवा पुरस्कार' के लिए 23 लेखकों के नामों की घोषणा की। इस वर्ष डोगरी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। • पुरस्कार पाने वालों में अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोट्टारी, हिंदी के लिए पार्वती तिर्की, उर्दू के लिए नेहा रुबाब, तमिल के लिए लातशमिहार और तेलुगु के लिए प्रसाद सूरी शामिल हैं।
4	**साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार**		• अकादमी ने अपने बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24 लेखकों के नामों की घोषणा की। • अंग्रेजी में, नितिन कुशलप्पा सांसद को यह पुरस्कार मिला। इसी प्रकार, हिंदी और उर्दू के लिए क्रमशः सुशील शुक्ला और ग़ज़नफ़र इक़बाल को यह पुरस्कार दिया गया।
5	**मिस वर्ल्ड 2025**	**ओपल सुचाता चुआंगसरी**	• थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता जो थाईलैंड की पहली जीत है। इथियोपिया की हस्सेत डेरेजे अदमासु उपविजेता रहीं।
6	**राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025**		• राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रतिवर्ष देश भर में ई-गवर्नेंस पहलों में सर्वोत्तम प्रथाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। • महाराष्ट्र के धुले जिले का एक पूर्णतः आदिवासी गाँव, रोहिणी ग्राम पंचायत, ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करके राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। • रजत: पश्चिम मजलिशपुर ग्राम पंचायत, त्रिपुरा • जूरी पुरस्कार: पलसाना (गुजरात) और सुआकाटी (ओडिशा)
7	**डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024–25**	**भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी)**	• संचार मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी स्वामित्व वाली डिजिटल बैंकिंग संस्था, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है।
8	**डिजिटल चैंपियन मीडिया अवार्ड्स दक्षिण एशिया 2025**	**द हिंदू**	• चेन्नई में आयोजित WAN-IFRA डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में, द हिंदू को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, दक्षिण एशिया 2025 के चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स के खिताब से सम्मानित किया गया।

इकाई 17

जून 2025 'द हिन्दू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. गुरुत्वाकर्षण के हॉयल-नार्लीकर सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सिद्धांत आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को संशोधित करता है, यह प्रस्तावित करके कि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण तत्काल के बजाय एक सीमित गति से फैलता है।
2. हॉयल-नार्लीकर सिद्धांत ब्रह्मांड में पदार्थ के निरंतर निर्माण की व्याख्या करने के लिए एक "सृजन क्षेत्र" की अवधारणा प्रस्तुत करता है।
3. यह सिद्धांत डार्क एनर्जी की अवधारणा को शामिल करके ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 2. ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (BIF) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(a) भारत में इंटरनेट शुल्कों को विनियमित करना

(b) भारत में ब्रॉडबैंड और डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विकास और अपनाने को बढ़ावा देना

(c) सभी ग्रामीण परिवारों को मुफ़्त इंटरनेट प्रदान करना

(d) भारत में दूरसंचार उपकरणों का निर्माण करना

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा नहीं है?

(a) मीरपुर (b) मुजफ्फराबाद

(c) श्रीनगर (d) पुंछ (पाकिस्तान प्रशासित भाग)

प्रश्न 4. 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. यूएनईपी एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो पर्यावरणीय एजेंडा निर्धारित करता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है।
2. इसकी स्थापना 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी।
3. 5 जून को मनाए जाने वाले वार्षिक विश्व पर्यावरण दिवस का समन्वय करता है।
4. यह संयुक्त राष्ट्र के अधीन कार्य करता है और दुनिया भर में अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों और सरकारों के साथ मिलकर काम करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 5. बिल्ली परिवार में शेरों की प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. एशियाई शेर मुख्य रूप से भारत के गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं।
2. अफ्रीकी शेर उप-सहारा अफ्रीका में सवाना और घास के मैदानों सहित विभिन्न पर्यावासों में रहते हैं।
3. नर शेरों के बालों का रंग और आकार उनकी उम्र और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होता है।
4. शेर एकमात्र ऐसी बिल्ली प्रजाति हैं जो सामाजिक समूहों में रहती हैं जिन्हें प्राइड्स कहा जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 6. अजंता चित्रकलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. अजंता चित्रकलाएँ प्राचीन बौद्ध भित्तिचित्र हैं जिनका इतिहास दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईस्वी तक है।
2. ये मुख्य रूप से जातक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो बुद्ध के पूर्व जन्मों का चित्रण करती हैं।
3. ये चित्रकलाएँ महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की दीवारों और छतों पर बनाई गई हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 7. प्रतिरक्षा प्रणाली में B कोशिकाओं और T कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है?

(a) B कोशिकाएँ एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं, जबकि T कोशिकाएँ सीधे संक्रमित कोशिकाओं पर हमला करती हैं।

(b) B कोशिकाएँ वायरस को नष्ट करती हैं, जबकि T कोशिकाएँ एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं।

(c) B कोशिकाएँ और T कोशिकाएँ दोनों केवल रक्तप्रवाह के बाहर ही कार्य करती हैं।

(d) B कोशिकाएँ तंत्रिका तंत्र का हिस्सा हैं, जबकि T कोशिकाएँ प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं।

प्रश्न 8. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सेबी संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह भारत में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों को नियंत्रित करता है।
3. सेबी के पास प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 9. भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर की प्राथमिक भूमिका क्या है?

(a) भारत के पूर्वी तट की रक्षा करना

(b) अरब सागर में नौसैनिक अभियान चलाना

(c) जम्मू में नियंत्रण रेखा (LoC) की सुरक्षा करना और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना

(d) भारत की मिसाइल सुरक्षा का प्रबंधन करना

प्रश्न 10. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. थैलेसीमिया इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त 21 विकलांगताओं में से एक है।
2. यह राज्य और केंद्र सरकार दोनों को निर्दिष्ट विकलांगता की किसी अन्य श्रेणी को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
3. भारत ने 2016 में दिव्यांगजन अधिकार (UNCRPD) पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की पुष्टि की।

उपर्युक्त कथनों में से कितने गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 11. एआई नवाचार पर टैरिफ के आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. टैरिफ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, लागत बढ़ाते हैं और नवाचार में निवेश को हतोत्साहित करते हैं।
2. अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चलता है कि टैरिफ में एक मानक विचलन वृद्धि से पाँच वर्षों में उत्पादन वृद्धि लगभग 0.4% कम हो जाती है।
3. टैरिफ हमेशा उपभोक्ता-स्तरीय एआई अनुप्रयोग लागत में तुरंत वृद्धि करते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 12. निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(a) यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।

(b) यह सलाहकारी प्रकृति का है और इसके लिए महासभा की स्वीकृति आवश्यक है।

(c) यह केवल UNSC के पाँच स्थायी सदस्यों पर लागू होता है।

(d) इसे महासभा में दो-तिहाई बहुमत से वीटो किया जा सकता है।

प्रश्न 13. इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ये पारंपरिक वाहनों की तुलना में वायुमंडल में काफी अधिक संख्या में छोटे प्लास्टिक कण छोड़ते हैं।
2. इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक पेट्रोल वाहनों की तुलना में काफी भारी होते हैं।
3. सड़क परिवहन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 10% है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 14. K2-18b के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह एक रहने योग्य बाह्यग्रह है।
2. यह पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है।
3. डाइमिथाइल सल्फाइड (DMS) एक गैस है जो पृथ्वी पर मुख्य रूप से समुद्री प्लवक द्वारा उत्पन्न होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. माओवाद मुख्य क्रांतिकारी शक्ति के रूप में किसानों की भूमिका पर ज़ोर देता है।
2. माओवाद शहरी सर्वहारा वर्ग को भी एकमात्र क्रांतिकारी वर्ग के रूप में महत्व देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 16. आधुनिक युद्ध में गैर-गतिज उपकरणों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. साइबर युद्ध को एक गैर-गतिज उपकरण माना जाता है क्योंकि यह बिना भौतिक विनाश के दुश्मन के संचार को बाधित करता है।
2. आर्थिक प्रतिबंध गैर-गतिज युद्ध का एक रूप है जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है।
3. मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन (साइ-ऑप्स) दुश्मन सैनिकों और नागरिकों के मनोबल को प्रभावित करने के लिए गलत सूचना का उपयोग करते हैं।
4. मिसाइलों से लैस ड्रोन का उपयोग युद्ध का एक गैर-गतिज तरीका है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 17. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. NPCI ने एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) विकसित किया है, जो एक रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली है।
2. NPCI ने तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए नामीबिया और घाना जैसे अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी की है।
3. NPCI भारत में सभी डिजिटल भुगतानों के लिए एक सरकारी स्वामित्व वाली नियामक संस्था के रूप में कार्य करता है।
4. NPCI की प्रणालियाँ स्वामित्व वाली हैं और ओपन-सोर्स तकनीक का समर्थन नहीं करती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 18. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. DPI का तात्पर्य सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई खुली, मापनीय और अंतर-संचालनीय डिजिटल प्रणालियों से है।
2. भारत के DPI प्लेटफ़ॉर्म जैसे आधार, UPI और CoWIN को कई अफ्रीकी देशों के साथ सहयोगात्मक समझौतों के माध्यम से साझा किया गया है।
3. भारत द्वारा प्रचारित DPI मॉडल स्वामित्व वाले, बंद-स्रोत वाले और निगरानी तंत्र द्वारा संचालित हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 19. G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका गठन 1970 के दशक में वैश्विक आर्थिक संकटों की प्रतिक्रिया में किया गया था।
2. आगामी G7 शिखर सम्मेलन अल्बर्टा में आयोजित किया जाएगा।
3. वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (PGII) G7 के नेतृत्व वाली एक पहल है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 20. विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये अर्ध-न्यायिक निकाय हैं।
2. एफटी वर्तमान में असम के लिए विशिष्ट हैं।
3. प्रत्येक एफटी का नेतृत्व न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अनुभव वाले सिविल सेवकों से चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 21. मैडेन-जूलियन दोलन (MJO) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MJO पवनों, बादलों और दाब प्रणाली है जो हिंद महासागर में उत्पन्न होती है।
2. यह विश्व भर में पूर्व की ओर यात्रा करती है और मानसून गतिविधि सहित मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर सकती है।
3. अपने अनुकूल चरण में, MJO भारत में मानसून वर्षा को बढ़ाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 22. सैन्य रणनीति में रेड टीमिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(a) यह अग्रिम पंक्ति में तैनाती के लिए नई युद्ध तकनीकों के विकास पर केंद्रित है।

(b) यह सैन्य तैयारी का परीक्षण करने के लिए अचानक सैन्य अभ्यास करने की एक विधि है।

(c) इसमें कमजोरियों की पहचान करने और रणनीतिक योजनाओं को चुनौती देने के लिए विरोधी व्यवहार का अनुकरण करना शामिल है।

(d) यह एक रणनीति है जिसका उपयोग बैकचैनल कूटनीति के माध्यम से युद्धविराम पर बातचीत करने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 23. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. इस मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास और बुनियादी ढाँचे को समर्थन देने हेतु पाँच वर्षों में कई हज़ार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
2. यह विशेष रूप से क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर केंद्रित है और क्वांटम कंप्यूटिंग या सेंसिंग को कवर नहीं करता है।
3. यह मिशन शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 24. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

(a) सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी देश का कुल उत्पादन है।

(b) सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शामिल होता है।

(c) सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) केवल किसी राज्य के कृषि उत्पादन को मापता है।

(d) सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी देश के किसी विशिष्ट राज्य या क्षेत्र का कुल उत्पादन है।

प्रश्न 25. निम्नलिखित में से कौन सा/से भारत में कृषि आयात का/के प्रमुख कारण है/हैं?

1. तिलहन और दलहन की प्रति एकड़ कम पैदावार।
2. दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य-आधारित खरीद का अभाव।
3. कपास और रबर उत्पादन में गिरावट।
4. सूखे मेवों के घरेलू उत्पादन पर प्रतिबंध।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 2 और 3 (d) केवल 1, 3 और 4

प्रश्न 26. रुचि के प्रकार (VOI) और चिंता के प्रकार (VOC) के बीच मुख्य अंतर क्या है?

(a) VOC, VOI की तुलना में कम संक्रामक है।

(b) VOC का टीके की प्रभावशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(c) VOI का प्रभाव सीमित है, जबकि VOC का संचरण या गंभीरता पर सिद्ध प्रभाव है।

(d) VOI, VOC की तुलना में तेज़ी से फैलता है।

प्रश्न 27. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSA), 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. FSSA भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से संदर्भित विभिन्न कानूनों को एकीकृत करता है।
2. यह अधिनियम केवल पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए विनियमों को शामिल करता है, ताज़ी उपज के लिए नहीं।
3. FSSA भारत में सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए लाइसेंसिंग और पंजीकरण अनिवार्य करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 28. स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (SLNP) के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. इसने भारत की अधिकतम बिजली मांग को 1,500 मेगावाट से अधिक कम करने में योगदान दिया।
2. इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों के लिए बिजली की लागत में बचत हुई।
3. इसने भारत में किसी भी कोयला-आधारित बिजली संयंत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 29. लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. इसका अधिकार क्षेत्र केवल संसद सदस्यों पर है और सरकारी अधिकारियों पर नहीं।
3. लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 30. शून्य कूपन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. शून्य कूपन बॉन्ड में नियमित कूपन बॉन्ड की तुलना में ब्याज दर का जोखिम अधिक होता है।
2. ये बॉन्ड अवधि के दौरान नियमित आय चाहने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं।
3. परिपक्वता के करीब आने पर शून्य कूपन बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है।
4. शून्य कूपन बॉन्ड में पुनर्निवेश जोखिम शामिल नहीं होता है क्योंकि कोई कूपन भुगतान नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 31. भारत के प्रगति प्लेटफ़ॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसकी हाल ही में ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रशंसा की गई है?

(a) वास्तविक समय में कृषि उत्पादन की निगरानी करना।

(b) शिक्षा में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना।

(c) ई-पारदर्शिता सुनिश्चित करना और विलंबित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में तेजी लाना।

(d) ग्रामीण भारत में डिजिटल भुगतान को विनियमित करना।

प्रश्न 32. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

1. विस्तारित निधि सुविधा (EFF) - संकट के दौरान आपातकालीन सहायता
2. स्टैंड-बाय व्यवस्था (SBA) - भुगतान संतुलन के लिए अल्पकालिक सहायता
3. त्वरित वित्तपोषण उपकरण (RFI) - संरचनात्मक सुधारों के साथ मध्यम अवधि सहायता

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 33. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कांग्रेस पार्टी ने 1955 में अपने अवादी अधिवेशन में एक समाजवादी समाज की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव पारित किया।
2. समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया।
3. प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है और न्यायोचित है।

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 34. ड्रेक दर्रा क्या है?

(a) दक्षिणी अर्जेंटीना में एक मरुस्थलीय घाटी।

(b) न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक शांत समुद्री मार्ग।

(c) दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच एक संकरा और अक्सर तूफानी समुद्री मार्ग।

(d) चिली और पेरू को जोड़ने वाला एक पहाड़ी दर्रा।

प्रश्न 35. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ECE) में सुधार के लिए भारतीय राज्यों द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. उत्तर प्रदेश ने बालवाटिकाओं के लिए लगभग 11,000 ECE शिक्षकों की भर्ती की है।
2. ओडिशा ने 5-6 वर्ष की आयु के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु सभी सरकारी स्कूलों में शिशु वाटिकाएँ शुरू की हैं।
3. मध्य प्रदेश माता-पिता को खेल-आधारित शिक्षा में शामिल करने के लिए मासिक बाल चौपाल कार्यक्रम चलाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 36. हेकमैन वक्र और उसके निहितार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में निवेश पर प्रतिफल की दर, शिक्षा के बाद के वर्षों की तुलना में अधिक होती है।
2. ECE में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर पर $7 से $12 के बीच प्रतिफल मिलता है।
3. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का दीर्घकालिक आय क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 37. श्वांस के द्वारा प्रदूषकों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कम सांद्रता में, शरीर अपने प्राकृतिक रक्षा तंत्रों का उपयोग करके प्रदूषकों से प्रभावी ढंग से निपट सकता है।
2. प्रदूषकों जैसे बाहरी पदार्थों को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ (ROS) छोड़ी जाती हैं।
3. उच्च सांद्रता में, ROS शरीर की अपनी कोशिकाओं को, विशेष रूप से श्वसन तंत्र को, नुकसान पहुँचा सकता है।
4. कोशिकाओं को अत्यधिक ROS के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए शरीर द्वारा एंटीऑक्सीडेंट का उत्पादन किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 38. सार्वजनिक वित्त में लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लाभांश किसी निगम या संस्था द्वारा अपने शेयरधारकों को लौटाए गए लाभ के एक हिस्से को संदर्भित करता है।
2. लाभांश सरकार के लिए एक गैर-कर राजस्व स्रोत है और राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद करता है।
3. RBI लाभांश वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 39. राज्यों को धन के हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. हस्तांतरण का तात्पर्य केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को शक्तियों और ज़िम्मेदारियों के हस्तांतरण से है।
2. भारत का संविधान राज्यों को बिना किसी केंद्रीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से अपने सभी आवश्यक राजस्व जुटाने की अनुमति देता है।
3. राज्यों को बिना किसी शर्त के केंद्र से प्राप्त धन के आवंटन का निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 40. गृह सचिव की शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. गृह सचिव देश के आंतरिक सुरक्षा मामलों का समन्वय करता है।
2. गृह सचिव के पास सार्वजनिक व्यवस्था से संदर्भित कानून बनाने का अधिकार है।
3. गृह सचिव आपदा प्रबंधन से संदर्भित मामलों पर सरकार को सलाह देता है।
4. गृह सचिव के पास देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 41. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कानून है।
2. यह अधिनियम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक भरण-पोषण का दावा करने की एक सस्ती और त्वरित प्रक्रिया प्रदान करता है।
3. यह अधिनियम निर्धन वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 42. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसकी स्थापना उपभोक्ता सहकारी समितियों के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।
2. एनसीसीएफ का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है।
3. एनसीसीएफ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 43. 'निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE)' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. PFCE किसी देश में किसी निश्चित अवधि में परिवारों द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है।
2. इसमें संधारणीय और गैर-संधारणीय दोनों प्रकार की वस्तुएँ, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएँ शामिल हैं।
3. PFCE भारत के GDP का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो अक्सर कुल में 55% से अधिक का योगदान देता है।
4. परिवारों की सेवा करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं (NPISH) द्वारा किए गए व्यय भी PFCE के अंतर्गत शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 44. निम्नलिखित में से किस संस्था ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) की स्थापना की पहल की?

(a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) (b) विश्व बैंक

(c) G20 (d) संयुक्त राष्ट्र

प्रश्न 45. पैराग्वे देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पैराग्वे दक्षिण-मध्य उत्तरी अमेरिका में स्थित एक स्थलरुद्ध राष्ट्र है।
2. सीमावर्ती राष्ट्र बोलीविया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना हैं।
3. पैराग्वे जलविद्युत के शीर्ष निर्यातकों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 46. सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका निर्माण अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था।
2. अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांची में पहला औपचारिक सर्वेक्षण और उत्खनन किया था।
3. इसे 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 47. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लोकसभा में विपक्ष का नेता सबसे बड़े विपक्षी दल का होना चाहिए, जिसके पास सदन की कुल संख्या का कम से कम 15% हो।
2. विपक्ष के नेता की मान्यता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 48. सुप्त टीबी संक्रमण और सक्रिय टीबी रोग के बीच मुख्य अंतर यह है:

(a) जीवित बैक्टीरिया बनाम केवल मृत बैक्टीरिया की उपस्थिति।

(b) सुप्त टीबी हमेशा 1 वर्ष के भीतर सक्रिय टीबी में बदल जाती है।

(c) सक्रिय टीबी में लक्षण और संक्रामकता मौजूद होती है लेकिन सुप्त टीबी में अनुपस्थित होती है।

(d) सुप्त टीबी सभी टीबी-रोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होती है।

प्रश्न 49. विद्युत भंडारण और हाइड्रोजन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. विद्युत भंडारण और हाइड्रोजन उत्पादन को वर्तमान में अलग-अलग गतिविधियों के रूप में माना जाता है।
2. हाइड्रोजन उत्पादन को बैटरी भंडारण के साथ मिलाने से दोनों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार हो सकता है।
3. एक नीतिगत सिफारिश यह है कि हरित हाइड्रोजन का नाम बदलकर निम्न-कार्बन हाइड्रोजन कर दिया जाए ताकि परमाणु-आधारित हाइड्रोजन को भी इसमें शामिल किया जा सके।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 50. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत, एलपीजी कनेक्शन मुख्य रूप से किस श्रेणी के लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं?

(a) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाएँ

(b) आय की परवाह किए बिना सभी ग्रामीण परिवार

(c) शहरी क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिक

(d) महानगरों के औद्योगिक श्रमिक

प्रश्न 51. माउंट एटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एटना की चोटी इटली में आल्प्स के दक्षिण में सबसे ऊँची है।
2. यह यूरोप के सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा है।
3. यूनेस्को के अनुसार एटना 2013 से विश्व धरोहर स्थल है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 52. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह जिला स्तर पर गठित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह एक ऐसा निकाय है जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 53. अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय समुदायों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. न्यीशी जनजाति पारंपरिक रूप से हॉर्नबिल की चोंच से सजे अपने विशिष्ट बाँस के हेडगियर के लिए जानी जाती है।
2. अपातानी जनजाति जानवरों या मशीनों का उपयोग किए बिना संधारणीय गीले चावल की खेती का एक अनूठा रूप अपनाती है।
3. न्यीशी और अपातानी दोनों जनजातियाँ एक ही पारंपरिक धर्म और भाषा साझा करती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 54. भारत में बाजरा मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. बाजरा मिशन का मुख्य उद्देश्य जैव ईंधन उत्पादन के लिए बाजरे के उपयोग को बढ़ाना है।

2. यह मिशन विशेष रूप से विदेशों में बाजरे के निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

3. बाजरा मिशन का उद्देश्य पाँच वर्षों के भीतर सभी पारंपरिक अनाजों को बाजरे से बदलना है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 55. निम्नलिखित में से कौन सा 16वें वित्त आयोग का मुख्य क्षेत्र नहीं है?

(a) समान संसाधन वितरण

(b) स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाना

(c) कॉर्पोरेट क्षेत्र में कर चोरी को रोकना

(d) आपदा प्रबंधन

प्रश्न 56. 1931 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. अंतिम राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना 1931 में हुई थी।

2. यूपीए सरकार द्वारा 2011 में शुरू की गई सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) ने विशिष्ट जाति संदर्भी आँकड़े जारी नहीं किए।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 57. ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है।

2. अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहा जाता है।

3. संकोश ब्रह्मपुत्र की एक बायीं तटवर्ती सहायक नदी है और यह असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 58. यशपाल समिति का संदर्भ था:

(a) विद्यालय पाठ्यक्रम विकास

(b) युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

(c) भारत में उच्च शिक्षा में सुधार

(d) माध्यमिक स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना

प्रश्न 59. सर्वोच्च न्यायालय के अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) मामले में, मुख्य कानूनी मुद्दा क्या था?

(a) जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरसन की वैधता

(b) जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट बंद होने के कारण अभिव्यक्ति और आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध

(c) नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की वैधता

(d) सार्वजनिक आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

प्रश्न 60. निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उन आधारों के संदर्भ में जिन पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं:

1. राज्य की सुरक्षा

2. अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा

3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संदर्भ

4. जन स्वास्थ्य

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 61. 'मनीला घोषणा' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. मनीला घोषणा को 1992 में जल और पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था।

2. इस घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे।

3. यह स्वच्छता पर ध्यान दिए बिना केवल जल आपूर्ति पर केंद्रित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 62. विश्व जल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है।

2. 2025 का मुख्य विषय जल और जलवायु परिवर्तन है।

3. संयुक्त राष्ट्र-जल विश्व जल दिवस की गतिविधियों का वैश्विक स्तर पर समन्वय करता है।

4. यह सतत विकास लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) से सीधे संदर्भित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 63. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

1. सिंधु नदी - तिब्बती पठार
2. ब्रह्मपुत्र - कैलाश पर्वतमाला
3. रावी नदी - कुल्लू पहाड़ियाँ
4. सतलुज नदी - राक्षस झील
5. चिनाब नदी - हिमाचल पर्वत

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल दो (b) केवल तीन
(c) केवल चार (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 64. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी का मुख्य प्रभाव क्या है?

(a) इससे सरकारी उधारी कम होती है।

(b) इससे तरलता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलता है।

(c) इससे अतिरिक्त मुद्रा को अवशोषित करके मुद्रास्फीति पर अंकुश लगता है।

(d) इससे बैंकों की आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि होती है।

प्रश्न 65. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित अभिभाषण की आवश्यकता होती है।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है।
3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 66. पीएम मित्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह 5F विज़न से प्रेरित है, अर्थात - खेत से रेशा, कारखाना से फैशन, फिर विदेशी (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign)।
2. मित्र पार्क या तो ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड हो सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 67. वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (जीआईएस) 2025 कहाँ आयोजित किया गया था?

(a) भोपाल, मध्य प्रदेश (b) मुंबई, महाराष्ट्र
(c) कोलकाता, पश्चिम बंगाल (d) बेंगलुरु, कर्नाटक

प्रश्न 68. संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी समिति (सीटीसी) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. सीटीसी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा 2001 में की गई थी।
2. इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
3. यह सीधे संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है।
4. सीटीसी के पास उन देशों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है जो इसकी सिफारिशों का पालन करने में विफल रहते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 69. "क्रिप्टोबायोसिस" शब्द का क्या अर्थ है?

(a) जीवों में तीव्र वृद्धि की अवस्था

(b) चरम स्थितियों में जीवित रहने के लिए उपापचयी क्रिया का अस्थायी निलंबन

(c) पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया

(d) जंतुओं के बीच संचार का एक रूप

प्रश्न 70. परियोजना अस्मिता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति का एक संयुक्त प्रयास है।
2. एक "बहुभाषा शब्दकोष" भी इस परियोजना का एक हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 71. ENACT (त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देना) पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. यह जलवायु कार्रवाई के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ाने हेतु UNFCCC COP27 में शुरू की गई एक सहयोगात्मक पहल है।
2. ENACT साझेदारी का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) और जर्मनी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
3. ENACT का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और जलवायु शमन दोनों के लिए लाभ प्रदान करना है, लेकिन इसमें अनुकूलन-संदर्भी लक्ष्य शामिल नहीं हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 72. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. एनएफएचएस मुख्य रूप से स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण संकेतकों पर डेटा एकत्र करने के लिए आयोजित किया जाता है।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएफएचएस के संचालन के लिए ज़िम्मेदार है।
3. दीर्घकालिक रुझानों की निगरानी के लिए एनएफएचएस डेटा हर 10 साल में एकत्र किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 73. टैरिफ दर कोटा (TRQ) का प्राथमिक उद्देश्य है:

(a) किसी देश में आयात की कुल मात्रा को सीमित करना।

(b) किसी उत्पाद की एक निश्चित मात्रा को कम टैरिफ दर पर आयात करने की अनुमति देना।

(c) सभी आयातों पर एक समान टैरिफ दर लागू करना।

(d) कृषि उत्पादों पर टैरिफ समाप्त करना।

प्रश्न 74. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. यह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करता है।
3. इसे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 75. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों - संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची के माध्यम से विभाजित करता है।
2. समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने की अनुमति देती है, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में, राज्य का कानून लागू होता है।
3. पुलिस, जन स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था जैसे विषय संघ सूची में आते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 76. विकसित कृषि संकल्प अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. अभियान का प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीज किस्मों और कुशल कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर किसानों को शिक्षित और सशक्त बनाना है।
2. यह अभियान 2025 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 77. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है।
2. यह बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में मदद करने की अनुमति देता है, स्कूल के बाद या छुट्टियों के दौरान, बशर्ते काम गैर-खतरनाक हो।
3. यह अधिनियम किशोरों (14-18 वर्ष) को किसी भी व्यवसाय में, गैर-खतरनाक व्यवसायों सहित, नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 78. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. सतत विकास लक्ष्यों को 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के 2030 एजेंडा के भाग के रूप में अपनाया गया था।
2. इस ढाँचे के अंतर्गत कुल 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 लक्ष्य हैं।
3. सतत विकास लक्ष्य 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास पर केंद्रित है, जिसमें 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य शामिल है।
4. सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 79. दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग कर सकते हैं, जिससे संवर्धित यूरेनियम के आयात पर निर्भरता से बचा जा सकता है।
2. RAPS-1 भारत का पहला दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 80. स्वार्म ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये स्वायत्त या अर्ध-स्वायत्त यूएवी हैं जो समन्वित समूहों में काम करते हैं।
2. अंतर्निहित अतिरेकता के कारण, स्वार्म पारंपरिक ड्रोन की तुलना में अधिक लचीले होते हैं।
3. इस प्रकार, ड्रोन स्वार्म का उपयोग वायु रक्षा को संतृप्त करने, खुफिया जानकारी एकत्र करने और उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 81. प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. इसका उद्देश्य ई-बसों, ई-रिक्शा, ई-ट्रकों और ई-एम्बुलेंस जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को समर्थन देना है।
2. यह केवल महानगरों पर केंद्रित है और इसमें ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्र शामिल नहीं हैं।
3. यह वैकल्पिक ईंधन और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से स्वच्छ और संधारणीय गतिशीलता की दिशा में सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 82. 'भारत-दक्षिण कोरिया संदर्भ' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2010 में लागू हुआ।
2. दक्षिण कोरिया, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) का सदस्य है।
3. भारत और दक्षिण कोरिया ने 2015 से एक विशेष रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है।
4. दक्षिण कोरिया भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने के लिए "कोरिया प्लस" पहल के तहत बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर भारत के साथ सहयोग कर रहा है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 83. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को किसके मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है:

(a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमंत्री

(c) वित्त मंत्री (d) लोक लेखा समिति

प्रश्न 84. विमानन और समुद्री संचार में "मेडे" (Mayday) शब्द का क्या अर्थ है?

(a) पायलटों द्वारा प्रयुक्त अभिवादन

(b) अच्छे मौसम का संकेत

(c) आपातकाल का संकेत देने वाली संकट कॉल

(d) दिशा बदलने का आदेश

प्रश्न 85. बैलिस्टिक मिसाइलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. बैलिस्टिक मिसाइलें एक प्रक्षेप्य पथ का अनुसरण करती हैं और अपनी पूरी उड़ान के दौरान ऊर्जा से संचालित होती हैं।
2. अग्नि-V, एक भारतीय मिसाइल, एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है जिसकी मारक क्षमता 5,000 किमी से अधिक है।
3. क्रूज मिसाइलों के विपरीत, बैलिस्टिक मिसाइलें आमतौर पर उड़ान के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलती हैं।
4. पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें (SLBM) जैसे K-4, द्वितीय-आक्रमण क्षमता को बढ़ाती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 86. "राइजिंग लायन" ऑपरेशन किस प्राचीन संघर्ष के ऐतिहासिक प्रक्षेप पथ में एक महत्वपूर्ण बिंदु था?

(a) अरब-यहूदी संघर्ष (b) इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद

(c) यहूदी-फ़ारसी संघर्ष (d) सुन्नी-शिया सांप्रदायिक संघर्ष

प्रश्न 87. तालीकोटा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था।
2. यह कृष्णा नदी के तट पर रक्कासागी-तंगाडिगी और बन्नीहट्टी में लड़ा गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 88. समग्र मानव विकास (IHD) का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है:

(a) केवल आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना

(b) राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक सैन्य और राजनीतिक रणनीति

(c) एक ऐसा मॉडल जो व्यक्तियों और समुदायों के समग्र कल्याण - शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक - को बढ़ावा देता है

(d) जनसंख्या और उपभोक्ता मांग बढ़ाने की एक प्रणाली

प्रश्न 89. वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष से दो स्थान नीचे है।
2. महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के कारण राजनीतिक सशक्तीकरण उपसूचकांक में सुधार हुआ है।
3. अर्जित आय समता में वृद्धि के कारण भारत ने आर्थिक भागीदारी और अवसर उपसूचकांक में सकारात्मक गति दिखाई।
4. 2023 से मंत्री पदों पर महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 90. 'मलक्का जलडमरूमध्य' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. मलक्का जलडमरूमध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है।
2. यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, विशेष रूप से तेल और गैस के परिवहन के लिए।
3. यह जलडमरूमध्य मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है।
4. यह जलडमरूमध्य पूरी तरह से मलेशिया के प्रादेशिक जलक्षेत्र के अंतर्गत आता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 91. डीएनए पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. हड्डियों और दांतों जैसे कठोर ऊतकों से प्राप्त डीएनए कोमल ऊतकों से प्राप्त डीएनए की तुलना में तेज़ी से विघटित होता है।
2. समान जुड़वां बच्चों सहित प्रत्येक मनुष्य का एक अद्वितीय डीएनए होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 92. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. स्वराज अभियान बनाम भारत संघ (2016) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि धन की कमी संवैधानिक या वैधानिक कर्तव्यों को पूरा न करने का कोई बहाना नहीं है।
2. मनरेगा रोजगार को एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 93. सिनाई प्रायद्वीप किन दो महाद्वीपों के बीच एक स्थलीय पुल बनाता है?

(a) एशिया और अफ्रीका (b) यूरोप और अफ्रीका

(c) एशिया और यूरोप (d) अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया

प्रश्न 94. उपचुनावों के संदर्भ में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द कर सकता है यदि उसे उपचुनावों में प्रक्रिया को दूषित करने वाली कदाचार का पता चलता है।
2. यदि कोई राजनीतिक दल राज्य उपचुनावों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उसे रद्द करने का अधिकार इसके पास है।
3. यह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यताओं पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह दे सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 95. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA) पेरिस समझौते के तहत स्थापित किया गया था।
2. यह अनुकूलन पर एक साझा वैश्विक लक्ष्य निर्धारित करने का एक प्रयास है, ठीक उसी तरह जैसे तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से नीचे रखना शमन पर एक वैश्विक लक्ष्य है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 96. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) के कारण नींद के दौरान सांस लेने में बार-बार रुकावट आती है।

कथन II: गर्म जलवायु OSA के लक्षणों को और खराब कर सकती है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है?

(a) दोनों कथन सही हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।

(b) दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

(d) दोनों कथन गलत हैं।

प्रश्न 97. हरित भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक है।
2. हरित भारत मिशन के अंतर्गत गतिविधियाँ मनरेगा, कैम्पा, और राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP) के साथ मिलकर संचालित की जाती हैं।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 98. हाल ही में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (MMCT) का उद्घाटन कहाँ किया गया?

(a) मुंबई (b) मानेसर

(c) कोलकाता (d) चेन्नई

प्रश्न 99. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. यह भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक वन-स्टॉप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है।
2. GeM केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की अनुमति देता है।
3. यह पोर्टल सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 100. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की स्थापना निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत की गई थी?

(a) शिकागो कन्वेंशन, 1944 (b) पेरिस कन्वेंशन, 1919

(c) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 (d) जिनेवा कन्वेंशन, 1949

प्रश्न 101. भारत-क्रोएशिया द्विपक्षीय संदर्भों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. भारतीय नौसेना के जहाजों ने क्रोएशिया के बंदरगाहों का दौरा किया है, जो बढ़ते रक्षा संदर्भों का संकेत है।
2. क्रोएशिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है।
3. भारत और क्रोएशिया ने भारत-यूरोपीय संघ ढांचे के तहत एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 102. निम्नलिखित में से कौन सी पहल क्वाड से संबद्ध नहीं है?

(a) इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA)

(b) ब्लू डॉट नेटवर्क

(c) QUAD फ़ेलोशिप प्रोग्राम

(d) AUKUS सुरक्षा समझौता

प्रश्न 103. अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पर्वतमाला गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है।
2. ये दो मुख्य पर्वतमालाओं में विभाजित हैं: सांभर सिरोही पर्वतमाला और सांभर खेतड़ी पर्वतमाला।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 104. भारत द्वारा ऑपरेशन सिंधु का कारण है:

(a) अफ़गानिस्तान में मानवीय सहायता प्रदान करना

(b) ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालना

(c) कनाडा के साथ सैन्य अभ्यास करना

(d) चिनाब नदी पर बाँध बनाना।

प्रश्न 105. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह अधिनियम केंद्र सरकार को संगठनों और व्यक्तियों दोनों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।

2. UAPA के तहत, किसी आरोपी व्यक्ति को आरोप पत्र दायर किए बिना 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।

3. राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) एकमात्र एजेंसी है जो UAPA अपराधों की जाँच के लिए अधिकृत है।

4. UAPA मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालतों में की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 106. इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. OIC संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।

2. इस संगठन की स्थापना 1969 में यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद पर हुए आगजनी हमले की प्रतिक्रिया में की गई थी।

3. OIC की आधिकारिक भाषाएँ अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 107. महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोबाल्ट लगभग विशेष रूप से कांगो से आता है।

2. इंडोनेशिया निकल के खनन में अग्रणी है।

3. महत्वपूर्ण खनिजों का 66 प्रतिशत प्रसंस्करण चीन में होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 108. भूवैज्ञानिक कार्बन निक्षेपण की दक्षता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है?

(a) सतह का तापमान

(b) स्थल के ऊपर वनस्पति का प्रकार

(c) चट्टान संरचना की सरंध्रता और पारगम्यता

(d) अंतःक्षेप स्थल पर हवा की गति

उत्तर कुंजी

प्रश्न 1	b	प्रश्न 23	a	प्रश्न 45	b	प्रश्न 68	b	प्रश्न 90	c
प्रश्न 2	c	प्रश्न 24	d	प्रश्न 46	d	प्रश्न 69	a	प्रश्न 91	d
प्रश्न 3	c	प्रश्न 25	c	प्रश्न 47	b	प्रश्न 70	b	प्रश्न 92	c
प्रश्न 4	c	प्रश्न 26	c	प्रश्न 48	c	प्रश्न 71	b	प्रश्न 93	a
प्रश्न 5	d	प्रश्न 27	a	प्रश्न 49	d	प्रश्न 72	c	प्रश्न 94	a
प्रश्न 6	c	प्रश्न 28	a	प्रश्न 50	a	प्रश्न 73	a	प्रश्न 95	a
प्रश्न 7	a	प्रश्न 29	c	प्रश्न 51	c	प्रश्न 74	b	प्रश्न 96	b
प्रश्न 8	d	प्रश्न 30	c	प्रश्न 52	c	प्रश्न 75	c	प्रश्न 97	c
प्रश्न 9	c	प्रश्न 31	c	प्रश्न 53	a	प्रश्न 76	a	प्रश्न 98	b
प्रश्न 10	c	प्रश्न 32	d	प्रश्न 54	d	प्रश्न 77	a	प्रश्न 99	b
प्रश्न 11	a	प्रश्न 33	b	प्रश्न 55	c	प्रश्न 78	c	प्रश्न 100	a
प्रश्न 12	a	प्रश्न 34	c	प्रश्न 56	c	प्रश्न 79	b	प्रश्न 101	b
प्रश्न 13	d	प्रश्न 35	d	प्रश्न 57	a	प्रश्न 80	a	प्रश्न 102	d
प्रश्न 14	c	प्रश्न 36	b	प्रश्न 58	c	प्रश्न 81	c	प्रश्न 103	v
प्रश्न 15	a	प्रश्न 37	d	प्रश्न 59	b	प्रश्न 82	d	प्रश्न 104	b
प्रश्न 16	c	प्रश्न 38	a	प्रश्न 60	a	प्रश्न 83	c	प्रश्न 105	c

प्रश्न 17	b	प्रश्न 39	a	प्रश्न 61	a	प्रश्न 84	c	प्रश्न 106	c
प्रश्न 18	b	प्रश्न 40	b	प्रश्न 62	a	प्रश्न 85	c	प्रश्न 107	c
प्रश्न 19	c	प्रश्न 41	c	प्रश्न 64	c	प्रश्न 86	c	प्रश्न 108	c
प्रश्न 20	c	प्रश्न 42	b	प्रश्न 65	d	प्रश्न 87	c		
प्रश्न 21	d	प्रश्न 43	c	प्रश्न 66	b	प्रश्न 88	c		
प्रश्न 22	c	प्रश्न 44	c	प्रश्न 67	d	प्रश्न 89	a		



दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. कार्बन कैप्चर यूसेज एंड स्टोरेज (CCUS) तकनीक क्या है और इसके विभिन्न चरण क्या हैं? भारत को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने में इसकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन कीजिए। (सामान्य अध्ययन 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 2. दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे के कारण दक्षिण चीन सागर के आसपास विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे में भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पहुँच क्षेत्रीय स्थिरता और शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित कर सकती है? (सामान्य अध्ययन2, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 3. जाति और सामाजिक सुधारों के प्रति महात्मा गांधी का दृष्टिकोण डॉ. अम्बेकर से किस प्रकार भिन्न था? उनके विभिन्न दर्शनों ने भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त करने के उनके तरीकों और दृष्टिकोणों को किस प्रकार आकार दिया? (सामान्य अध्ययन 1, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 4. मांग-प्रेरित और लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति के बीच परस्पर क्रिया पर चर्चा कीजिए और बताइए कि ये दोनों किस प्रकार एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और कीमतों में निरंतर वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। (सामान्य अध्ययन 3, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 5. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत विभिन्न जलवायु वित्त तंत्रों पर चर्चा कीजिए। जलवायु कार्रवाई के लिए जलवायु वित्त का क्या महत्व है? (सामान्य अध्ययन 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 6. शिक्षित, कामकाजी महिलाओं का शहरी प्रवास भारत में नारीत्व और रिश्तेदारी की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दे रहा है। टिप्पणी कीजिए। (सामान्य अध्ययन 1, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 7. न्यायपालिका में लैंगिक अंतर को बढ़ावा देने वाले और उसे कायम रखने वाले प्रणालीगत कारक क्या हैं? भारत में समावेशी और प्रतिनिधि न्यायिक भागीदारी को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करें। (सामान्य अध्ययन 2, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 8. ENSO पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जलवायु घटनाओं में से एक है क्योंकि यह वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को बदलने की क्षमता रखता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) की घटना की व्याख्या कीजिए। महासागरीय नीनो सूचकांक (ONI) पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (सामान्य अध्ययन 1, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 9. सीधी बुवाई वाला चावल क्या है और इसकी तुलना गड्ढे में रोपी गई रोपाई वाले चावल से कैसे की जाती है? सीधी बुवाई के लाभों और बाधाओं पर प्रकाश डालिए। (सामान्य अध्ययन 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 10. यह देखा गया है कि उच्च खाद्य कीमतों के कारण RBI आमतौर पर ब्याज दरों में कटौती को लेकर संशय में रहता है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के कारण और निहितार्थ क्या हैं? खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। (सामान्य अध्ययन 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 11. जनगणना क्या है और इसका महत्व क्या है? भारत में जाति जनगणना से जुड़े इतिहास, संभावित मुद्दों और लाभों पर चर्चा कीजिए। (सामान्य अध्ययन 1, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 12. वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के पद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (सामान्य अध्ययन 3, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 13. मानवजनित मीथेन उत्सर्जन के मुख्य स्रोत क्या हैं? चर्चा कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौते मीथेन उत्सर्जन को कैसे संबोधित करते हैं और उनकी सीमाएँ क्या हैं। (सामान्य अध्ययन 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 14. भारत के लिए भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसकी सफलता में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर एक टिप्पणी लिखिए। (सामान्य अध्ययन 2, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 15. भारत में संकटग्रस्त भाषाएँ क्या हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए? ऐसी भाषाओं के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलों पर चर्चा कीजिए। (सामान्य अध्ययन 1, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 16. ओज़ोन परत क्षरण क्या है और ओज़ोन परत क्षरण हानिकारक क्यों है? ओज़ोन परत क्षरण से निपटने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के महत्व पर चर्चा कीजिए। (सामान्य अध्ययन1, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 17. मानवीय गतिविधियाँ वैश्विक स्तर पर व्यापक पारिस्थितिक क्षरण और जैव विविधता हानि को कैसे बढ़ावा देती हैं? दुनिया भर में पारिस्थितिक पुनर्स्थापना प्रयासों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। (सामान्य अध्ययन 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 18. बेंगलुरु में हाल ही में हुई भगदड़ भारत में प्रभावी भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। भगदड़ के कारणों और सामूहिक समारोहों के दौरान प्रभावी भीड़ प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा करें। (सामान्य अध्ययन 1 और 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 19. जीवन को बनाए रखने और पृथ्वी की प्रणालियों को नियंत्रित करने में महासागरों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियाँ महासागरों के स्वास्थ्य और स्थिरता को किस प्रकार खतरे में डालती हैं? (सामान्य अध्ययन 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 20. सेवा-अस्वीकृति (DoS) हमला वितरित सेवा-अस्वीकृति (DDoS) हमले से किस प्रकार भिन्न है? DoS हमले किस प्रकार किए जाते हैं, इस पर चर्चा करें और ऐसे हमलों से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा करें। (सामान्य अध्ययन 3, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 21. कनाडा ने भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। समकालीन विश्व में समूह सात (G7) के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। भारत के लिए G7 का क्या महत्व है? (सामान्य अध्ययन 2, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 22. भारत में मौद्रिक नीति का वर्णन कीजिए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई मौद्रिक नीति के प्रमुख साधन क्या हैं? (सामान्य अध्ययन 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 23. भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) द्वारा सतत प्रथाओं को अपनाने में सहायता के लिए कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं? (सामान्य अध्ययन 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 24. भारत की ऊर्जा सुरक्षा में खाड़ी क्षेत्र का क्या महत्व है? भारत की ऊर्जा सुरक्षा में खाड़ी क्षेत्र के निरंतर महत्व में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। (सामान्य अध्ययन 2, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 25. भारत की रक्षा रणनीति हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी महाद्वीपीय चुनौतियों और सामुद्रिक महत्वाकांक्षाओं के बीच किस प्रकार संतुलन बना रही है? (सामान्य अध्ययन 2, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 26. हाल के वर्षों में मध्य एशिया के साथ भारत की जुड़ाव रणनीति कैसे विकसित हुई है? भारत के विकास-केंद्रित सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के पीछे प्रमुख कारक क्या हैं? (सामान्य अध्ययन 2, 15 अंक, 250 शब्द)

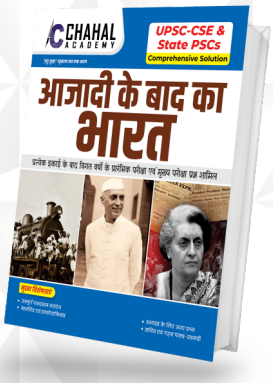
प्रश्न 27. अंतरिक्ष कृषि के महत्व पर चर्चा कीजिए। अंतरिक्ष में पौधे उगाने से जुड़ी चुनौतियाँ और सीमाएँ क्या हैं? (सामान्य अध्ययन 3; 10 अंक; 150 शब्द)





चहल एकेडमी द्वारा
ब्लू बुक सीरीज

हमारी "ब्लू बुक" सीरीज की पुस्तकें



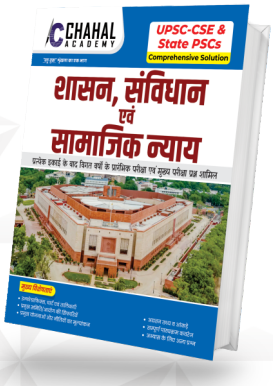




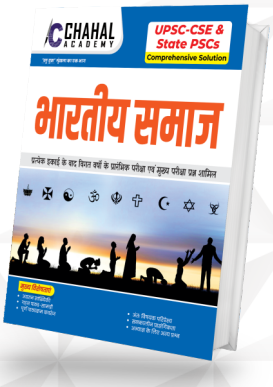












किसी भी जानकारी या ऑर्डर करने के लिए 9205927650

CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)
www.chahalacademy.com
Follow Us

MRP. ₹120.00